

[दि जन विश्वास (अमेंडमेंट आफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन
की और अभिवृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और
सुव्यवस्थित करने के लिए कतिपय अधिनियमितियों का
संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)
अधिनियम, 2026 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करें; और अनुसूची में वर्णित भिन्न-भिन्न अधिनियमितियों से संबंध
संशोधनों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का उस सीमा तक और
उस रीति में, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन ।

जुर्माने और
शास्तियों का
पुनरीक्षण ।

3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों के विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने और शास्तियों में, इस अधिनियम के प्रारंभ की दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उसके लिए विहित, यथास्थिति, जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम रकम के दस प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अनुसूची में उल्लिखित किसी अधिनियमिति में, जुर्माने और शास्तियों में पुनरीक्षण की रीति का उपबंध है, तो केवल उक्त उपबंध ही ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों के लिए जुर्माने और शास्तियों में वृद्धि के लिए लागू होंगे ।

व्यावृत्ति ।

4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित की गई है या निर्दिष्ट की गई है ;

और, यह अधिनियम पहले ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, जो पहले ही अर्जित कर लिया गया है, प्रोद्भूत हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता से निर्मुक्ति या उसका उन्मोचन, दायित्व, दावे या मांग या किसी नुकसानपूर्ति, जो पहले ही अनुदत्त की गई है या किसी पूर्व कृत्य या चीज के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, किसी अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान रूढ़ि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस तथ्य के होते हुए भी कि उसकी क्रमशः किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या किसी अधिनियमिति, जिसका संशोधन या निरसन किया गया है, द्वारा व्युत्पन्न की गई है, पर प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी संशोधन या निरसन से अन्य अधिनियमिति को पुनर्जीवित या किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज, जो विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति ।

5. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमितियों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियमितियों के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्रम. सं.	वर्ष	सं.	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	1870	7	न्यायालय फीस अधिनियम, 1870	(अ) धारा 34 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) कोई भी व्यक्ति जिसे स्टाम्प बिक्री करने के लिए नियुक्त किया गया है, यदि वह—

(क) कपटपूर्ण आशय से इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करता है, अथवा सम्यक् रूप से नियुक्ति के बिना किसी स्टाम्प का विक्रय करता है या विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है, तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या ऐसी शास्ति से जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) किसी कपटपूर्ण आशय के बिना इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो वह दस हजार रुपये तक की शास्ति के लिए दायी होगा।

(आ) धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“34क. शास्ति का न्यायनिर्णयन.— (1) धारा 34 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, संबंध संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, उपायुक्त या उप-जिलाधिकारी के पद से अन्यून किसी अधिकारी या समतुल्य पद के किसी अधिकारी को, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह कि संबंध संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच, यदि कोई हो, के विषय से उपयोगी या सुसंगत समझा जाए, समन कर सकता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करा सकता है; और यदि ऐसी जांच के उपरांत उसका समाधान हो जाता है कि संबंध व्यक्ति ने धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो वह उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में उल्लिखित रकम के अधीन रहते हुए, ऐसी शास्ति जो वह उपयुक्त समझे, अधिरोपित कर सकेगा।”

परन्तु यह कि संबंध व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से सुनवाई का

अवसर प्रदान किए बिना कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

34ख. अपील.— (1) यदि कोई, धारा 34क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिन के भीतर, प्रभाग के आयुक्त या कलेक्टर या संबंध संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अभिहित समतुल्य पद के किसी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि वह उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण रखता था, तो तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील का निपटारा, फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि यथास्थिति, धारा 34क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या इस धारा की उपधारा (3) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा, अधिरोपित शास्ति निक्षिप्त नहीं की जाती है, तो उक्त रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

2. 1871 1 पशु अतिचार
अधिनियम, 1871 अर्थात्—

(अ) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी जाएगी,

“3. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से यथास्थिति, उप-प्रभाग मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ख) “अपील प्राधिकारी” से जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) “पशु” में ऊंट, भैंस, घोड़े, घोड़ियां, बधिया घोड़े, टट्टू, नर बछड़े, मादा बछड़ी, खच्चर, गधे, सूअर, मेढ़े, भेड़ें, मेमने, बकरियां तथा बकरी के बच्चे भी सम्मिलित होंगे;

(घ) “स्थानीय प्राधिकारी” से नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत या कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी विषय के नियंत्रण और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया हो; और

(ङ) “पुलिस अधिकारी” में ग्राम प्रहरी भी सम्मिलित है।”।

(आ) धारा 6 में, “भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)” शब्दों, कोष्ठकों

और अंकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(इ) धारा 8 के खंड (क) में, “जीव-जंतुओं” शब्द के स्थान पर “पशुओं” शब्द रखा जाएगा।

(ई) धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“12. अभिरुद्ध किए गए पशुओं के लिए शास्तियां.—

(1) उपरोक्तानुसार अभिरुद्ध किए गए प्रत्येक पशु के लिए, कांजी होस रखवाला राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित दर के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा, और भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की जा सकेंगी।

(2) इस प्रकार अधिरोपित सभी शास्तियां, राज्य सरकार द्वारा निदेशित अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को निक्षिप्त की जाएंगी।

(3) शास्तियों और पशुओं के चारा-पानी के लिए अवधारित प्रभार की दरों को दर्शाने वाली एक सूची प्रत्येक पाउंड पर या उसके निकट किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।”

(उ) धारा 13 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “शास्तियों” शब्द रखा जाएगा।

(ii) “जुर्माने के संदाय” शब्दों के स्थान पर “अधिरोपित शास्तियों के संदाय” शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 15 में,—

(i) “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “उक्त शास्तियों” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “अधिरोपित शास्तियों” शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 16 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “शास्तियों” शब्द रखा जाएगा;

(ii) “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “अधिरोपित शास्तियों” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “शास्तियों” शब्द रखा जाएगा;

(iv) “उद्ग्रहणीय जुर्माने” शब्दों के स्थान पर “अधिरोपित शास्तियां” शब्द रखे जाएंगे;

(v) “जुर्मानों” शब्द के स्थान पर “शास्तियों” शब्द रखा जाएगा।

(ऐ) धारा 17 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “जुर्माने” शब्द के स्थान पर “शास्तियां” शब्द रखा जाएगा।

(ii) “ऐसे काटे गए जुर्मानों” शब्दों के स्थान पर “इस प्रकार कटौती की गई शास्तियों” शब्द रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 22 में,—

(i) “एक सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) “संदत सब जुर्मानों और उपगत व्ययों सहित” शब्दों के स्थान पर “संदत सब शास्तियों और उपगत व्ययों सहित” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) “उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय” शब्दों के स्थान पर “अधिरोपित शास्ति और उपगत व्यय” शब्द रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 23 में, “प्रतिकर, जुर्माने और व्यय” शब्दों के स्थान पर “प्रतिकल, शास्ति और व्यय” शब्द रखे जाएंगे।

(औ) धारा 24 में, “किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, छह महीने से अधिक की अवधि के कारावास, या पांच सौ रुपए से अधिक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी पाए जाने पर, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(अं) धारा 25 में,—

(i) “आगामी धारा के अधीन या पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से हुए रिष्टि के अपराध के लिए अधिरोपित कोई जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “आगामी धारा के अधीन या पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से हुए रिष्टि के लिए अधिरोपित कोई शास्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर ‘दायी पाया गया व्यक्ति’ शब्द रखे जाएंगे।

(अः) धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“26. सूअरों और पशुओं द्वारा भूमि, फसल या सार्वजनिक सड़कों को हुई नुकसान के लिए शास्ति,—

(1) कोई भी सूअरों का स्वामी या पालक, जो उपेक्षा के कारण या अन्यथा, ऐसे सूअरों को अतिचार अनुज्ञात करके किसी भूमि, या भूमि की किसी फसल या उपज, या किसी लोक मार्ग को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाना कारित करता है या होने देता है, वह, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी पाए जाने पर, एक हजार रुपये तक की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) कोई भी पशुओं का स्वामी या पालक, जो उपेक्षा के कारण या अन्यथा, ऐसे सूअरों को अतिचार अनुज्ञात करके किसी भूमि, या भूमि की किसी फसल या उपज, या किसी लोक मार्ग को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाना कारित करता है या होने देता है, वह, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी पाए जाने पर, एक हजार रुपये तक की शास्ति के लिए दायी होगा।”।

(र) धारा 27 में “मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, पचास रुपये

से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसे जुर्माने” शब्दों के स्थान पर “न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी पाए जाने पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा। ऐसी शास्ति” शब्द रखे जाएंगे।

(ल) धारा 27 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“27क. शास्ति का न्यायनिर्णयन.— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले उप-प्रभाग दंडाधिकारी या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ऐसे रीति से, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेंगे:

परंतु कोई भी ऐसी शास्ति संबंध व्यक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।”।

27ख. अपील.— (1) यदि कोई धारा 27क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्टतया: प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो अपील प्राधिकारी होगा, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर दे कि वह उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण रखता था, तो अपील तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी स्वीकार की जा सकती है।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे

(4) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटारा, फाइल किए जाने की दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

27ग. शास्ति के असंदाय पर कारावास,—

जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति का संदाय, अधिरोपण की दिनांक से नब्बे दिन के भीतर करने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो शास्ति की रकम के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(व) धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“28. शास्ति का अंतरण.—(1) जहां कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित करता है, वहां उक्त शास्ति से प्राप्त रकम को

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के कोष में, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन गठित है, जमा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शास्ति की रकम का उपयोग इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में करेगा।

(श) अध्याय 7 में, अध्याय शीर्ष “प्रतिकर के लिए वाद” के स्थान पर “प्रतिकर के लिए आवेदन” शीर्षक रखा जाएगा।

(ष) धारा 29 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में “प्रतिकर के लिए वाद” शब्दों के स्थान पर “प्रतिकर के लिए आवेदन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिए वाद लाने” शब्दों के स्थान पर “न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन करने” शब्द रखे जाएंगे।

(स) धारा 30 में,—

(i) “सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट” शब्दों के स्थान पर “न्यायनिर्णायक अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “ऐसे वाद” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शिकायत” शब्द रखा जाएगा।

(ह) धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“32. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नियम बना सकेगी, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी किया जा सके।

(2) विशिष्टतया: और उपरोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 27क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया;

(ख) धारा 27ख की उपधारा (1) के अधीन अपील की रूपरेखा और प्रक्रिया; और

(ग) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति की रकम के उपयोग की रीति ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों में समाहित हो सकती है; और यदि उक्त सत्र या अनुवर्ती सत्रों के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र

की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन उन नियमों में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाते हैं या यह सहमत हो जाते हैं कि वे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात् वे नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, प्रभावहीन हो जाएंगे; तथापि, ऐसा कोई संशोधन या निरसन उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।”।

3. 1882 15 प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882

(अ) धारा 68 में, “प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति का दायी होगा जो न्यायनिर्णायक अधिकारी वब अधिरोपित की जाए” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 87 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “को कारावास या उसकी सुपुर्दगी” शब्दों के स्थान पर “के लिए शास्ति” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) “न्यायालय उसे सादे कारावास से दंडित कर सकता है या सात दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, जब तक कि अभ्यन्तर काल में, ऐसा व्यक्ति यथास्थिति, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, जिसके पश्चात्, उसके बराबर इंकार करने की दशा में, उसके साथ शास्ति प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) की धारा 480 या धारा 482 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है” शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थान पर “वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिरोपित करे” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 87 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“87क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.— धारा 68 और धारा 87 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन नियुक्त उप रजिस्ट्रार को, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी:

परंतु यह कि राज्य सरकार अपेक्षानुसार ऐसे एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी:

परंतु यह भी कि संबंधित व्यक्ति को युक्तिसंगत रूप से सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।”।

87ख. अपील.—(1) धारा 87क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम-से-कम एक पद उच्च अधिकारी के समक्ष, निर्धारित प्ररूप

और रीति में अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी उसे यह समाधान कर दे कि वह उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण से बाधित था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत अपील का निपटारा, उसके फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि धारा 87क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति या इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार देय रकम संदत्त नहीं की जाती है, तो उक्त रकम भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी।”

87ग. धारा 87ग. शास्ति की रकम—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, शास्ति या जुर्माने की मात्रा ऐसी होगी, जो संबंधित राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अवधारित करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “संबंधित राज्य सरकार” से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकार अभिप्रेत है, जिनकी अपनी अधिकारिता में यह अधिनियम प्रवृत्त है; तथा ऐसी निर्धारण प्रक्रिया संबंधित राज्य अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों और अनुकूलनों के अनुरूप होगी।

(ई) धारा 88 का लोप किया जाएगा।

(उ) धारा 95 का लोप किया जाएगा।

(ऊ) धारा 97 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“98. नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति.—(1) उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत नियम बना सकेगा, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किया जा सके।

(2) विशिष्टतया: और उपरोक्त शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 87क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया; और

(ख) धारा 87ख की उपधारा (1) के अधीन अपील का प्ररूप और रीति।”

4. 1898 9 पशुधन आयात (अ) धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अधिनियम, 1898 अर्थात्:—

“3ख. संसद् के दोनों सदनों के समक्ष अधिसूचना का रखा जाना.-

इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएंगी।”।

(आ) धारा 4 को लोप किया जाएगा।

5. 1903 7 रक्षा संकर्म
अधिनियम, 1903

धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“36. शास्तियां.- (1) जो कोई जानबूझकर—

(क) धारा 4, धारा 6 या धारा 8 द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है; या

(ख) धारा 6 के अधीन किए गए किसी कार्य अथवा भूमि-स्तर को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, परिवर्तन करता है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करता है,

वह ऐसी शास्ति के लिए होगा जो दो हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है, और निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, प्रथम दिन के पश्चात् जिस प्रत्येक दिन तक उल्लंघन जारी रहता है, उसके लिए प्रति दिन दो सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शास्ति देय होगा; तथा इस उल्लंघन के प्रभावों को दूर करने में किए गए किसी भी व्यय की वसूली उससे, विद्यमान में प्रवृत्त विधि में उपबंधित रीति में शास्ति की वसूली की जा सकेगी।

(2) जो कोई धारा 4, धारा 6 या धारा 8 के अधीन अधिकृत किसी व्यक्ति को बल का प्रयोग करके या बल के प्रयोग की धमकी देकर, अथवा किसी प्रकार के भौतिक हस्तक्षेप द्वारा, जिससे वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने किसी विधिसम्मत अधिकार का प्रयोग करने या किसी विधिसम्मत कर्तव्य का पालन करने से वंचित हो जाए, बाधित करता है; या धारा 7 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक हो सकती है, या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा, और निरंतर अपराध की स्थिति में, प्रथम दिन के पश्चात् जिस प्रत्येक दिन तक उल्लंघन जारी रहता है, उसके लिए प्रति दिवस दो सौ पचास रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देय होगा, तथा उसके अपराध के प्रभावों को दूर करने में किए गए किसी भी व्यय की वसूली उससे, विद्यमान में प्रवृत्त विधि में उपबंधित रीति में शास्ति की वसूली की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘बाधा’ में ऐसा कोई कृत्य या चूक सम्मिलित नहीं होगी जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता, अनाशयित आचरण, या व्यक्ति के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हो।

36क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार

जाँच करने या शास्ति अधिरोपित करने के लिए कमांडिंग अधिकारी के पद से अन्यून पद के अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएंगी, जब तक कि संबंध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

36ख. अपील—(1) धारा 36क के अधीन निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी के समक्ष, जो कम से कम साधारण अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ या समतुल्य पद का अथवा विभागाध्यक्ष हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो, विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर दे कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, तो तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकेगी।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का निपटारा, उसके फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि धारा 36क या इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का संदाय, आदेश की प्राप्ति की दिनांक से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी ऐसी शास्ति का दायी होगा जो अधिरोपित शास्ति की रकम के दुगुना तक हो सकता है।”

6. 1925 39 भारतीय
उत्तराधिकार
अधिनियम, 1925

(अ) धारा 296 की उपधारा (2) में, “जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 389 की उपधारा (2) में, “जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे।

7. 1934 2 भारतीय रिजर्व
बैंक अधिनियम,
1934

(अ) धारा 58ख में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “शास्तियां” शब्द के स्थान पर, “अपराध” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (4कक) का लोप किया जाएगा;

(आ) धारा 58छ के पार्श्व शीर्ष में, “जुर्माना” शब्द के स्थान पर “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ।

8. 1940 23 ओषधि और (अ) धारा 27क के खंड (ii) में, “वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक प्रसाधन सामग्री की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से अधिनियम, 1940 दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये की शास्ति या अधिहत प्रसाधनों के मूल्य के तीन गुना, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 28क में, “वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये से कम का न होगा, या दोनों से दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति, जो तीन लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 29 का लोप किया जाएगा।

(ई) धारा 30 की उपधारा (1क) और उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

(उ) धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“30क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार अथवा, यथास्थिति, राज्य सरकार, उप-औषधि नियंत्रक या सहायक औषधि नियंत्रक के पद से अन्यून किसी अधिकारी, अथवा राज्य सरकार में समतुल्य पद के अधिकारी को, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी रीति में शास्ति अधिरोपित करेगा, जो विहित की जाए:

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार ऐसे एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी:

परंतु यह और कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित हो, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम-से-कम एक पद उच्च अधिकारी के समक्ष, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, अपील प्राधिकारी नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि वह उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण रखता था, तो उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार की जा सकेगी।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन की गई अपील का निपटारा, उसके

फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या, उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो वह रकम भू-राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल की जाएगी।”

(ऊ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, “धारा 27 के ख(ii), धारा 28 और धारा 28क” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर “धारा 28” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(णक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

(णख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति”

(ए) धारा 33झ में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) (क) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिए, धारा 33ज या इस अध्याय के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा यथा लागू धारा 24 के सिवाय, ऐसे कारावास से जो कि छह मास तक का हो सकेगा तथा ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा;

(ख) धारा 33ज द्वारा यथा लागू धारा 24 का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा;”;

(ऐ) धारा 33ज में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) (i) धारा 33-झ की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन पुनः उस उपधारा के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या अधिहत प्रसाधनों के मूल्य के तीन गुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा;

(ii) धारा 33-झ की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन पुनः उस उपधारा के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा या अधिहत प्रसाधनों के मूल्य के तीन गुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।”

(ओ) धारा 36कख की उपधारा (1) में, “धारा 28क” शब्द, अक्षर और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(औ) धारा 36कग की उपधारा (1) में,—

(i) “धारा 28क” शब्द, अक्षर और अंकों का दोनो स्थानो पर जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

- (ii) “धारा 30 की उपधारा (1) और उपधारा (2)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों के स्थान पर दोनो स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर “धारा 30 की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
9. 1948 8 भेषजी अधिनियम, 1948 (अ) धारा 26क की उपधारा (4) में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 (45 of 1860) की धारा 21” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के खंड (28) (45 of 2023)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- (आ) धारा 43 में—
- (i) उपधारा (1) में, “जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति के लिए, जो पाँच हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रखी जाएँगी, अर्थात्—
- “(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति का संदाय उस दिनांक से दस दिनों के भीतर किया जाएगा, जिस दिनांक को व्यक्ति का नाम अभिलेख से हटाया गया हो।
- (3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित करने में भी असफल रहता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।”
- (इ) धारा 43क की उपधारा (1) में, “धारा 26क” शब्द, अक्षर और अंकों के पश्चात “और धारा 43,” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएँगे।
10. 1948 9 डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (अ) धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “(3) कोई स्कीम यह भी उपबंध कर सकेगी कि उसके किसी भी उपबंध के उल्लंघन पर शास्ति लगायी जाएगी, जो निम्न से अधिक नहीं होगा, अर्थात्:—
- (क) प्रथम उल्लंघन के संबंध में पाँच हजार रुपये; और
- (ख) दूसरे तथा उसके पश्चात् होने वाले उल्लंघनों के संबंध में दस हजार रुपये।”।
- (आ) धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- “3क. शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी, अपील तथा उसकी प्रक्रिया— (1) स्कीम के उल्लंघन के लिए धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार स्कीम का उल्लंघन करने के लिए ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, कलकत्ता डॉक श्रमिक बोर्ड का उपाध्यक्ष, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी होगा ।
- परंतु यह कि, संबंध व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से सुनवाई का

अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिन के भीतर, विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से, कलकत्ता डॉक श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष, जो अपील प्राधिकारी होंगे, ऐसे प्ररूप और रीति में जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि अपीलार्थी यह समाधान कर दे कि उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने का उसके पास पर्याप्त कारण था, तो अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उपयुक्त समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन की गई अपील का निपटारा, उसके फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति अथवा, उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति निक्षिप्त नहीं की जाती है, तो उक्त रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।”।

(इ) धारा 7 और धारा 7क का लोप किया जाएगा।

(ई) धारा 8 में, उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(छक) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जाँच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(छख) धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति।”।

11. 1948 14 दामोदर घाटी
निगम अधिनियम,
1948

(अ) धारा 18 और धारा 19 का लोप किया जाएगा।

(आ) धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“53. दंड—

(1) जो कोई इस अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, वह प्रत्येक अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, तो ऐसे अपराध में पहली बार सिद्धदोष के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) भारतीय नागरिक संहिता, 2023 (46 का 2023) में किसी

बात के होते हुए भी, सक्षम न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अपराध करने वाले या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किए जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किसी व्यक्ति से अपराध के शमन के रूप में, दस लाख की रकम स्वीकार कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अनुसार रकम के संदाय पर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी दंड न्यायालय में कोई कार्यवाही न तो संस्थित की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के शमन के लिए रकम की स्वीकृति, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (46 का 2023) की धारा 278 के अर्थ में दोषमुक्ति के समतुल्य समझी जाएगी।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का शमन किसी व्यक्ति के लिए केवल एक बार ही अनुज्ञात होगा।”

(इ) धारा 56 में, “भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

12. 1948 46 कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948

(अ) धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“9. शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन विरचित किसी स्कीम का उल्लंघन करता है या उसके अनुपालन में असफल रहता है, तो वह ऐसे शास्ति का दायी होगा जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होंगे, किन्तु पचास हजार रुपये तक हो सकेगी।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वहाँ वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन रहते हुए, दस हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

9क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.— धारा 9 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो या राज्य सरकार में सचिव के पद से नीचे का न हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जाँच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार एक या अधिक ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो अपेक्षित किए जाएं:

परंतु यह भी कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

9ख. अपील—(1) धारा 9क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित हो, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से तीस

दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम-से-कम एक पद उच्च अधिकारी के समक्ष, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, अपील प्राधिकारी नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी यह समाधान कर दे कि वह उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण रखता था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का निपटारा, उसके फाईल किए जाने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि यथास्थिति, धारा 9क के अधीन निर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति अथवा इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, निक्षिप्त नहीं की जाती है, तो उक्त रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

(आ) धारा 11घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“11ड. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.— (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषयों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 9क के अधीन जाँच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(ख) धारा 9ख की उपधारा (1) के अधीन निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उक्त सत्र या क्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएँ या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा; तथापि, ऐसा कोई संशोधन या निरसन उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।”।

13. 1948 61 केंद्रीय रेशम बोर्ड (अ) धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (15ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अधिनियम, 1948 खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(15गक) धारा 14ख की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(15गख) धारा 14ख की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

(आ) धारा 14 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक ही हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “प्रथम बार में चेतावनी देने, और उल्लंघन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की दशा में, वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 14क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“14क. धारा 8ग और धारा 8ड के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 8ग या धारा 8ड या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या रेशम-कीट बीज से संबंधित किसी अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह पच्चीस हजार रुपए से अन्यून की, किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, शास्ति का दायी होगा, ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी, रेशम-कीट बीज के उत्पादन के लिए प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

14ख. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग), और धारा 14क के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अन्यून या समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी के उपधारा (1) के अधीन आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति से अन्यून का अधिकारी हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, अपील कर सकेगा।

(3) कोई अपील, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी

स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

14. 1950 64 सड़क परिवहन
निगम अधिनियम,
1950

धारा 46 में, “भंग जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उस हर दिन के लिए, जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, बीस रुपए से अनधिक होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “भंग शास्ति का, जो पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी और जब भंग जारी रहता है, तो प्रथम उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक उस दिन के लिए, जिस के दौरान भंग जारी रहता है, बीस रुपए से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ।

15. 1952 30 स्थावर सम्पत्ति
अधिग्रहण और
अर्जन अधिनियम,
1952

(अ) धारा 20 में, “वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति का, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“20क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—केंद्रीय सरकार, धारा 20 के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हो :

परंतु यह और कि ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

20ख. अपील—(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के धारा 20क के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर हो, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) कोई अपील, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का

समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

(5) यदि, यथास्थिति, धारा 20क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 21 में, “भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 22 की उपधारा (2) में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(डक) धारा 20क के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(डख) धारा 20ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

16. 1952 62 रिजर्व और
सहायक वायु सेना
अधिनियम, 1952

(अ) धारा 30 में,—

(i) उपधारा (1) में, “वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति का, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“30क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 30 के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, विंग कमांडर के पद से अन्यून के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हो :

परंतु यह और कि ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई

का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर हो, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) कोई अपील, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 34 में,—

(i) उपधारा (2) में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(डक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(डख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

17. 1953 29 चाय अधिनियम,
1953

(अ) धारा 37 में, “वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह प्रथम बार चेतावनी, तथा पश्चात्तर्वी उल्लंघन की दशा में, वह शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 42क की उपधारा (1) में,—

(i) “धारा 41 की उपधारा (1)” शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “धारा 37, धारा 41 की उपधारा (1)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “जांच करने” शब्दों के स्थान पर, “चेतावनी पत्र जारी करने या जांच करने” शब्द रखे जाएंगे ।

18. 1953 45 कयर उद्योग

धारा 20, धारा 21 और धारा 22 का लोप किया जाएगा ।

अधिनियम, 1953

19. 1954 27 पुस्तक और
समाचारपत्र
परिदान
(सार्वजनिक
पुस्तकालय)
अधिनियम, 1954

(अ) धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5. शास्तियां—(1) कोई प्रकाशक, जिसमें कोई प्रकाशन गृह कोई प्रकाशक अभिकरण या व्यष्टि सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिनियम की शर्तों को पूरा करने या उल्लंघन के संबंध में उनको सूचना देने वाले नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर उल्लंघन को दूर करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, उल्लंघन बना रहता है, तो,—

(क) प्रकाशक का अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राष्ट्रीय एजेंसी से रजिस्ट्रीकरण, एक वर्ष के लिए या उस दिन तक, जब तक प्रकाशक द्वारा पुस्तकें अभिहित पुस्तकालय को प्रस्तुत की जाती हैं, जो भी पूर्वतर हो, निलंबित किया जाएगा ;

(ख) प्रकाशक को, एक वर्ष के लिए या उस दिन तक, जब तक प्रकाशक द्वारा पुस्तकें अभिहित पुस्तकालय को प्रस्तुत की जाती हैं, जो भी पूर्वतर हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक प्राप्त करने से वंचित किया जाएगा ।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण के निलंबन और वंचित करने पर भी उल्लंघन बना रहता है, तो प्रकाशक का अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राष्ट्रीय एजेंसी से रजिस्ट्रीकरण, स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और प्रकाशक को स्थायी रूप से कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

5क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—केंद्रीय सरकार, धारा 5 के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, पुस्तकालयाध्यक्ष को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे अन्य न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे :

परंतु यह और कि ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

5ख. अपील—(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के धारा 5क के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर का हो, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) कोई अपील, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का

यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।”।

(आ) धारा 6 का लोप किया जाएगा ।

20. 1956 31 जीवन बीमा
निगम अधिनियम,
1956

(अ) धारा 4घ में,—

(i) उपधारा (2) में, “किसी निदेशक या कर्मचारी पर” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में, “किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी” शब्दों के स्थान पर, “किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (5) में, “निगम का निदेशक या कर्मचारी,” शब्दों के स्थान पर, “जहां कोई व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) धारा 40 में, “कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में, शास्ति का, जो पचास लाख रुपए तक की हो सकेगी, या संपत्ति के मूल्य का, जो भी उच्चतर हो, और यदि वह ऐसा उल्लंघन जारी रखता है, तो ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ।

21. 1956 48 राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिनियम, 1956

धारा 8ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“8ख. राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंचाने वाली रिष्टि के लिए शास्ति—(1) जो कोई, किसी ऐसे कार्य द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे धारा 8क की उपधारा (1) में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देता है या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह शास्ति का, जो दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए की हो सकेगी ।

(2) राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे व्ययों और अतिरिक्त प्रभारों सहित, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अधीन विहित किए जाएं, उपधारा (1) के अधीन शास्ति, उक्त अधिनियम की धारा 26 में यथा विहित रीति में, अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति होगी ।”।

22. 1956 96 गन्दी बस्ती क्षेत्र
(सुधार तथा

(अ) धारा 32 में,—

(i) उपधारा (1) में, “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक

उन्मूलन)
अधिनियम, 1956

की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का, प्रत्येक असफलता के लिए, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान पहले ऐसे नोटिस, आदेश या निदेश के उल्लंघन के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति का, प्रत्येक उल्लंघन के लिए दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले निर्बंधन या शर्त के उल्लंघन के पश्चात् जिस प्रत्येक दिन ऐसी असफलता जारी रहती है, उसके लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का, जो अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन होगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उन दशाओं में, जहां ऐसे उल्लंघन का प्रत्यक्ष परिणाम लोक स्वास्थ्य या मानव जीवन को महत्वपूर्ण नुकसान होता है, उल्लंघनकर्ता कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।”;

(iv) उपधारा (3) में, “या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को सताता है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति का, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3क) जहां कोई व्यक्ति, जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बल प्रयोग करके या करने की धमकी देकर, या शारीरिक हस्तक्षेप के किसी कार्य द्वारा, बाधा पहुंचाता है, जो ऐसे अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या विधिपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करने से निवारित करता है, वह ऐसी अवधि के किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, बाधा पहुंचाने में शारीरिक या मानसिक असमर्थता से उद्भूत कोई कार्य या लोप, अनैच्छिक आचरण, या व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों

सम्मिलित नहीं हैं ।”।

(आ) धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“32क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) प्रशासक, धारा 32 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परंतु प्रशासक, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जितने अपेक्षित हो :

परंतु यह और कि ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रशासक द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर का हो, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) कोई अपील, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 38 में, “भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 49 की उपधारा (2) में, खंड (डडडडडड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(डडडडडडक) धारा 32क की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(डडडडडडख) धारा 32क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का

- प्ररूप और रीति ;”।
23. 1957 14 प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 धारा 67 का लोप किया जाएगा ।
24. 1957 20 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 धारा 23 में,—
- (i) सीमांत शीर्ष में, “शास्तियां” शब्द के स्थान पर, “दंड” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) “या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालेगा या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल होगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।
25. 1957 61 दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (अ) धारा 29 में,—
- (i) सीमांत शीर्ष में, “शास्तियां” शब्द के स्थान पर, “दंड” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “(1) कोई व्यक्ति, जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति या किसी निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) की प्रेरणा से मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त, जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में, किसी भूमि के विकास का जिम्मा लेगा या भूमि का विकास करेगा, वह,—
- (क) ऐसी अवधि के किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, यदि ऐसा विकास किसी अभिन्यास योजना के बिना किसी कालोनी की स्थापना करने की दृष्टि से किसी भूमि का उपयोग, विक्रय या अन्यथा व्यवहार से संबंधित है ;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट दशाओं से भिन्न किसी दशा में, शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”;
- (iii) उपधारा (2) में, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, और किसी जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान पहले उल्लंघन के लिए शास्ति

अधिरोपित करने वाले आदेश के पारित किए जाने और उसके पुष्टिकरण के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दो हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 28 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के भूमि या भवन में प्रवेश में अड़चन डालेगा, पहले उल्लंघन पर, शास्ति का, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, और दूसरे या पश्चात्तर्ती उल्लंघन के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 221 के अधीन उपबंधित दंड का, दायी होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो धारा 28 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के भूमि या भवन में प्रवेश पर, ऐसे प्रवेश के पश्चात् हमला करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।”।

(आ) धारा 31 की उपधारा (5) में, “जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश की तामील के पश्चात् अनुपालन जारी रहता है, दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश की तामील के पश्चात् अनुपालन जारी रहता है, दो हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।” शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 31क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“31कक. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 29 और धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन शास्तियां न्यायनिर्णयित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए, उप सचिव, भारत सरकार के पद से अन्यून के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हो :

परंतु यह और कि ऐसी कोई शास्ति, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के उपधारा (1) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पंक्ति ऊपर हो, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) कोई अपील, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के

पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(ई) धारा 34क में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होगा” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी अपराध को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होगी,” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (1) में, “जब संहिता की धारा 42 में” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “जब संहिता की धारा 29 में” शब्द और अंक कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ऊ) धारा 47 में, “भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ऋ) धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) में, “उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

(ए) धारा 56 की उपधारा (2) में, खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(जकक) धारा 31कक की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(जकख) धारा 31कक की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

(अ) धारा 123घ में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया

1957

जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसा कोई निर्धारण, उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष व्यपगत होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ;”;

(ii) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) किसी निर्धारण को पुनरीक्षित कर सकेगा, जहां स्व निर्धारण की विवरणी में प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है या किसी निर्धारण को पुनः आरंभ कर सकेगा, जहां यह पता चला है कि सूचना को जानबूझकर छिपाया गया है ; और”;

(iii) खंड (घ) में, “(घ)” कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “(ग)” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 152क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“152क. संपत्ति कर के संदाय, निर्धारण की विवरणी में गलत सूचना प्रस्तुत करने आदि के लिए जान बूझकर व्यतिक्रम हेतु दंड--जो कोई संदाय में जान बूझकर व्यतिक्रम करता है या किसी कर के अपबंचन के लिए जान बूझकर किसी नीति में कोशिश करता है जिसमें इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज की रकम या उद्ग्रहीत शास्ति भी है, या जान बूझकर देय समय के भीतर संपत्ति कर की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन मांगी गई जानकारी नहीं देता है तो वह इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य दंडनीय उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके अध्यधीन वह है, अपवंचित की गई कर की रकम या अपवंचित की जाने वाली कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा ।

परंतु इस प्रकार अधिरोपित शास्तियां, ऐसे कर के संदाय, जो व्यतिक्रमी ने उपगत किया हो, के संबंध में किसी दायित्व के अतिरिक्त होंगी, न कि उसके अल्पीकरण में ।”।

(इ) धारा 153 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु किसी संपत्ति के संबंध में देय संपत्ति कर के संबंध में ऐसा बिल, उस संपत्ति के संबंध में, यदि इसका निर्धारण पहली बार किया जा रहा है, भौतिक सर्वेक्षण करने या सुसंगत आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात् पेश किया जाएगा :

परंतु यह और कि,—

(क) किसी भवन में खाली भूमि या ढके गए स्थान के स्वनिर्धारण पर संदेय संपत्ति कर ;

(ख) यानों और जीवजन्तुओं पर कर ; और

(ग) थिएटर कर,

की दशा में ऐसा बिल आवश्यक नहीं होगा ।”।

(ई) धारा 305 की उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

(उ) धारा 309 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

(ऊ) धारा 310 का लोप किया जाएगा ।

(ऋ) धारा 317 की उपधारा (1) में, “धारा 318 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “कोई व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे । का लोप किया जाएगा ।

(ए) धारा 318 का लोप किया जाएगा ।

(ऐ) धारा 330 का लोप किया जाएगा ।

(ओ) धारा 336 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में, “या धारा 340 के उपबंध” शब्दों और अंकों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा ।

(औ) धारा 340 का लोप किया जाएगा ।

(अं) धारा 343 में,—

(i) धारा (5) में “प्रशासक” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, “जिला न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा (6) में “प्रशासक” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, “जिला न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे ।

(अः) धारा 345क की उपधारा (3) में खंड (ख) में, “प्रशासक” शब्द के स्थान पर, “जिला न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे ।

(र) धारा 347ख की उपधारा (1) के खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।

(ल) धारा 347घ में,—

(i) उपधारा (1) में, “प्रशासक” शब्द के स्थान पर, “जिला न्यायाधीश” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दिल्ली उच्च न्यायालय को होगी ।”।

(व) धारा 351 में, “और धारा 355” शब्दों और अंकों का, लोप किया जाएगा ।

(श) धारा 355 का लोप किया जाएगा ।

(ष) धारा 357 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

(स) धारा 360 और धारा 361 का लोप किया जाएगा ।

(ह) धारा 364 का लोप किया जाएगा ।

(क्ष) धारा 369 और धारा 370 का लोप किया जाएगा ।

(त्र) धारा 373 और धारा 374 का लोप किया जाएगा ।

(ज) धारा 377 और धारा 378 का लोप किया जाएगा ।

(त) धारा 380 का लोप किया जाएगा ।

(ल) धारा 382 का लोप किया जाएगा ।

(श्र) धारा 385 का लोप किया जाएगा ।

(श्रअ) धारा 387 का लोप किया जाएगा ।

(श्रआ) धारा 396 का लोप किया जाएगा ।

(श्रइ) धारा 400, धारा 401 और धारा 402 का लोप किया जाएगा ।

(श्रई) धारा 409, धारा 410 और 411 का लोप किया जाएगा ।

(श्रउ) धारा 414 का लोप किया जाएगा ।

(श्रऊ) धारा 437 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “या दिक करने” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “या दिक नहीं करेगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(श्रऋ) धारा 461 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“461. कतिपय उल्लंघनों के लिए शास्ति—जो कोई,—

(क) बारहवीं अनुसूची के भाग-ख के स्तंभ (1) में वर्णित इस अधिनियम की धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परंतुकों में से किसी उपबंध का या उसके अन्य उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; या

(ख) उक्त धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परंतुकों या अन्य उपबंधों में से किसी के अधीन उसे विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश या निदेश का या उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह बारहवीं अनुसूची के भाग-ख की उक्त सारणी के स्तंभ (3) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शास्ति से और पहले ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दैनिक शास्ति से दंडनीय होगा :

परंतु कि उक्त धाराओं के पहले उल्लंघन के लिए धारा 353, धारा 354, धारा 357 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 399 की उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा धारा 430 की उपधारा (5) को लागू करने से पूर्व अपराधी को एक चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा ।”।

(श्रए) धारा 465 का लोप किया जाएगा ।

(श्रऐ) धारा 466क का लोप किया जाएगा ।

(श्रओ) धारा 468 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“468क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) आयुक्त, कोई जांच करने के लिए और बारहवीं अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् न्यायनिर्णयन अधिकारी

के रूप में, नियुक्त कर सकेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, यथास्थिति, नोटिस प्राप्तकर्ता या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो, समन कर सकेगा या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा, और यदि ऐसी जांच करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस संबद्ध व्यक्ति ने अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह बारहवीं अनुसूची के भाग ख के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

468ख. अपील—(1) आयुक्त, किसी ऐसे अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का हो ।

(2) जो कोई, धारा 468क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) अपील प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को या तो पुष्ट या अपास्त, या उपांतरित करने हेतु आदेश जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।

(5) अपील प्राधिकारी ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

(6) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत नहीं की गई हो, तो कर के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।”।

(श्रऔ) धारा 474 में, उपधारा (1) में “कोई भी पुलिस अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “जिसे प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(श्रअ) धारा 475 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“475. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य—सभी पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उप विधि के अधीन सभी नगर पालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों की सहायता उनके द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकारों का प्रयोग किए जाने में करें ।”।

(श्रअ:) धारा 482 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,

अर्थात् :—

“482. उपविधियों के भंग के लिए शास्ति—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधि में यह उपबंध किया जा सकता है कि उसके उल्लंघन के लिए शास्ति से दायी होगा जो कि पांच हजार रूपए तक की हो सकेगी।

(2) ऐसी किसी उपविधि में यह भी उपबंध किया जा सकता है कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी रिश्ति का, यदि कोई हो, जो ऐसे उल्लंघन के कारण हुई है, वहां तक उपचार करे जहां तक ऐसा करने की उसकी शक्ति है।”।

(श्रर) बारहवीं अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“बारहवीं अनुसूची

(धारा 461 देखिए)

शास्तियां

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित सारणी के दूसरे स्तंभ में “विषय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टियां उन अपराधों की, जो पहले स्तंभ में उल्लिखित उपबंधों में विहित हैं, परिभाषाओं के रूप में या उन उपबंधों की संक्षिप्तियों के रूप में आशयित नहीं हैं, उन्हें केवल उनके विषय के प्रति निर्देश के रूप में शामिल किया गया है।

धारा, उपधारा खंड या परंतुक	विषय	शास्ति (रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
धारा 129	नया भवन, आदि के संनिर्माण की सूचना देने में असफलता।	500/-
धारा 143	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध।	5000/-
धारा 314, उपधारा (1) खंड (क) और खंड (ख)	पथ के फेरफार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	200/-
धारा 315, उपधारा (1)	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता।	100/-
धारा 317, उपधारा (1)	पथों, आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का	5000/-

	प्रतिषेध।	
धारा 317, उपधारा (2)	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	5000/-
धारा 320, उपधारा (1)	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण, आदि जो पथों में बाधा डालते हैं ।	5000/-
धारा 321	पथों में वस्तुओं को जमा करना आदि ।	500/-
धारा 323, उपधारा (1) और (2)	सार्वजनिक पथों में जीवजन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना ।	1000/-
धारा 327, उपधारा (2)	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना ।	1000/-
धारा 328, उपधारा (1)	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने या हाताबन्दी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	1000/-
धारा 346, उपधारा (1) और (2)	बिना अनुमति के पूर्णता प्रमाण पत्र, कब्जा या उपयोग आदि के उपबंध का अनुपालन न करना।	1000/-
धारा 348, उपधारा (1) और (2)	खंडहर हो चुकी या गिरने की संभावना वाली संरचनाओं को हटाने के लिए आदेश के पालन में असफलता ।	1000/-
धारा 349, उपधारा (1)	खतरनाक स्थिति में भवनों को खाली करने के लिए आदेश का पालन में विफलता आदि ।	1000/-
धारा 353	कचरे को इकट्ठा करने, हटाने और जमा करने तथा पात्र का उपबंध करने में विफलता।	500/-
धारा 354	गंदगी और प्रदूषित पदार्थ को इकट्ठा करने और हटाने में विफलता।	500/-
धारा 356	बाजार आदि के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसर से कचरा आदि हटाने के लिए आदेश के पालन में विफलता ।	1000/-

धारा 357, उपधारा (1)	चौबीस घंटे से अधिक समय तक कूड़ा-कचरा और गंदगी रखना आदि ।	100/-
धारा 357, उपधारा (2)	सड़कों पर गंदगी बहने देना।	200/-
धारा 362	बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसरों में शौचालय और उन्हें साफ और उचित क्रम में न रखने में विफलता ।	500/-
धारा 363	बाजार, पशुशाला, गाड़ी स्टैंड आदि का लिए शौचालय उपलब्ध कराने और उन्हें साफ और उचित क्रम में न रखने के लिए अनुरोध का अनुपालन में विफलता।	500/-
धारा 366	मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	5000/-
धारा 381	संक्रमित वस्तुओं का बिना कीटाणुशोधन के निपटान।	500/-
धारा 383	आयुक्त के प्रतिबंध या निषेध का उल्लंघन करते हुए खाद्य या पेय पदार्थ बेचना।	500/-
धारा 384	आयुक्त के प्रतिषेध का उल्लंघन करते हुए कुओं और तालाबों से पानी निकालना या उपयोग करना।	500/-
धारा 386	इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए संक्रामक शवों के हटाना।	500/-
धारा 391, उपधारा (1)	दहन स्थल या कब्रिस्तान को बंद करने की मांग का अनुपालन करने में विफलता।	1000/-
धारा 391, उपधारा (2)	शवों को जलती हुई जगह या कब्रिस्तान में बंद होने के बाद जलाना या दफनाना।	1000/-
धारा 392	शवों को विहित मार्गों के अतिरिक्त	

	अन्यरीतिसेलेजाना।	500/-
धारा 393 उपधारा (1) खंड(ख)	मृत जानवरों के शवों को हटाने के लिए सूचना देने में विफलता।	100/-
धारा 397 उपधारा (1),(2) और (3)	उपताप कारित करना।	500/-
धारा 398	उपताप को हटाने या कम करने के लिए अपेक्षा का अनुपालन करने में विफलता।	1000/-
धारा 399, उपधारा (4)	बिना जंजीर से बांधे कुत्तों को सड़क पर खुले में न घूमने दिया जाना।	1000/-
धारा 399, उपधारा (5)	बिना मुंह बांधे खुलेआम घूम रहे खूंखार कुत्ते, आदि	1000/-
धारा 403	भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित बनाने के लिए अध्यपेक्षा का पालन करने में विफलता।	1000/-
धारा 404	अनुचित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को घेरने के लिए अध्यपेक्षा का पालन करने में विफलता।	500/-
धारा 406, उपधारा (1)	बिना अनुमति के नगरपालिका बाजार में विक्रय।	200/-
धारा 407, उपधारा (1) और (2)	बिना अनुज्ञप्ति के निजी बाजारों के रूप में स्थानों का उपयोग और नगरपालिका बूचड़खाने के अतिरिक्त अन्य स्थानों का बूचड़खाने के रूप में उपयोग।	500/-
धारा 407, उपधारा (2) परंतु (क)	आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अननुपालन।	200/-
धारा 415	अनुज्ञप्ति आदि के बिना कसाई, मछली व्यापारी या मुर्गीपालन का व्यापार करना।	200/-
धारा 416	बिना आज्ञा के कारखाना आदि स्थापित करना।	5000/-

धारा 417	बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय चीजें न रखना और कतिपय व्यापार तथा प्रचालन न करना।	1000/-
धारा 418, उपधारा (3)	जानवरों की रखना, परित्याग या खूँटे पर बांधना आदि।	200/-
धारा 419, उपधारा (5)	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग।	500/-
धारा 420	बिना अनुज्ञप्ति की बिक्री के लिए सामानों की धोखेबाजी, आदि।	200/-
धारा 421	अनुज्ञप्ति के बिना या उससे प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना ।	1000/-
धारा 422	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबंधनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना ।	1000/-
धारा 430, उपधारा (5)	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुमति प्रस्तुत करने में विफलता ।	100/-
धारा 437	काम के निष्पादन में रुकावट ।	500/-
धारा 444, उपधारा (4)	परिसर के मालिकों का नाम और पता बताने के अनुरोध का पालन करने में विफलता ।	200/-
धारा 495	महापौर या किसी भी नगरपालिका प्राधिकरण, आदि की बाधा।	500/-
धारा 496	स्तर आदि दर्शाने के लिए लगाए गए किसी भी चिह्न को हटाना।	200/-
धारा 497	निगम, आयुक्त, आदि द्वारा या उनके आदेश के अधीन प्रदर्शित नोटिस को हटाना आदि।	100/-
धारा 498	मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री	500/-”।

को अवैध रूप से हटाना या
 किसी भी पदार्थ को जमा
 करना या निगम को सौंपी गई
 किसी भी भूमि से अतिक्रमण
 करना।

(अ) धारा 21 में,—

27. 1957 67 खान और खनिज
 (विकास और
 विनियमन)
 अधिनियम, 1957

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी,
 अर्थात्:—

“(2) जो कोई भी धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या पांच लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा और लगातार उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जो पहले ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

(2क) जहां कोई व्यक्ति धारा 25ख या धारा 25ग के उपबंधों के अधीन लगाई गई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का भुगतान ऐसे लगाए जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर करने में असफल रहता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या शास्ति या अतिरिक्त शास्ति जो दुगने रकम तक की हो सकेगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

(ii) उपधारा (6) में, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(आ) धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी,
 अर्थात्:—

“25क. जुर्माना—(1) जो कोई अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन दी गई खनिज रियायत के निबंधन और शर्तों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह पचास लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लगातार उल्लंघन को, धारा 25ख के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के ऐसे उल्लंघन के संबंध में निदेश के पश्चात् भी जारी रखता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

25ख. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 25क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, खनन योजना, खान बंद करने की योजना, भारतीय खान ब्यूरो या केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने और केंद्रीय सरकार या

ऐसी सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकरण या अधिकारी के अन्य कार्यों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए, केंद्रीय सरकार भारत सरकार के उप सचिव के पद से अनिम्न किसी अधिकारी को न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए होगा:

परन्तु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हों।

(2) राज्य सरकार, धारा 25क के अधीन उपधारा (1) के अधीन आने वाले दंडों के अतिरिक्त, शास्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अनिम्न किसी अधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो जांच करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से दंड अधिरोपित करने के लिए होगा:

परन्तु राज्य सरकार उतने न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हों।

परन्तु यह और कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

25ग. अपील—(1) जो कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा धारा 25ख के अधीन पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अनिम्न अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे, ऐसे प्ररूप और रीति से जैसा कि विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उक्त अवधि के अन्दर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, उस आदेश की पुष्टि, उपांतरित या उसे अपास्त करते हुए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, वहाँ अपील प्राधिकारी द्वारा उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति की रकम का दस प्रतिशत उक्त प्राधिकारी के पास जमा नहीं कर दिया हो।

(5) इस धारा के अधीन अपील का निपटान, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

25घ. न्यायनिर्णयन और अपील के संबंध में नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दंड और अपील के न्याय निर्णय को विनियमित करने तथा उससे

संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 25ख की उपधारा (1) और (2) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति; और

(ख) धारा 25ग की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की प्ररूप और रीति।”

28. 1960 24 दिल्ली भूमि जोत
(सीमा)
अधिनियम, 1960

(अ) धारा 23 में,—

(i) उपधारा (1) में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “वह शास्ति जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी दंडनीय होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप धारा (2) में, “जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“23क. शास्ति का न्यायनिर्णयन—

(1) धारा 23 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उपखंड मजिस्ट्रेट (राजस्व सहायक) की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को जांच करने और बताई गई रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हों:

परन्तु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त (राजस्व) की पंक्ति से अनिम्न के अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपीलपीठ प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति से जैसा कि निर्धारित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(3) अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर

देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा, अपील फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन या अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिरोपित शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(इ) धारा 27 की उपधारा (2) में खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(ठक) धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(ठख) धारा 23ख की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की प्ररूप और रीति ।”।

29. 1961 52 शिक्षु अधिनियम,
1961

(अ) धारा 2 में,—

(i) खंड (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(कककक) “परामर्श” से ऐसे रूप विधान में जो विहित किया जाए किसी शास्ति के अधिरोपण के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की अनुपालना के लिए नियोजक या स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति को निदेश जारी करने की लिखित सूचना अभिप्रेत है;’

(ii) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(थक) “चेतावनी” से ऐसी रीति और रूप विधान में जो विहित की जाए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की सतत या बार बार अनुपालना के लिए नियोजक या स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति को सावधानी जारी करने की लिखित सूचना अभिप्रेत है;’।

(आ) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“30. अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराध और शास्तियां—(1) यदि कोई नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति—

(क) ऐसे प्रशिक्षुओं जिसमें उसका लगा रहना अपेक्षित है की संख्या से संबंधित, इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के उल्लंघन; अथवा

(ख) जिससे कोई जानकारी या विवरणी का दिया जाना अपेक्षित हो—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इंकार करेगा या देने की उपेक्षा करेगा ; अथवा

(ii) कोई ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है ; अथवा

(iii) उसके द्वारा दी जाने के लिए, अपेक्षित जानकारी की अभिप्राप्ति के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा ; अथवा

(ग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा केन्द्रीय या राज्य शिक्षता सलाहकार को या केन्द्रीय या राज्य शिक्षता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो पंक्ति में सहायक शिक्षता सलाहकार से कम न हो देने से इंकार करेगा या देने की जानबूझकर उपेक्षा करेगा ; अथवा

(घ) किसी शिक्षु से अतिकालिक काम करने की अपेक्षा शिक्षता सलाहकार के अनुमोदन के बिना करेगा ; अथवा

(ङ) शिक्षु को किसी ऐसे काम पर नियोजित करेगा जो उसके प्रशिक्षण से संसक्त नहीं है ; अथवा

(च) शिक्षु को मात्रानुपाती काम के आधार पर कोई संदाय करेगा ; अथवा

(छ) शिक्षु से उत्पादन-बोनस या प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की अपेक्षा करेगा ; अथवा

(ज) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है ; या

(झ) किसी शिक्षता संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा,

तो वह पहले उल्लंघन के लिए तीस दिन की अवधि के भीतर परामर्श की अनुपालना के लिए दायी होगा ; दूसरे उल्लंघन के लिए पंद्रह दिन की अवधि के लिए चेतावनी की अनुपालना के लिए दायी होगा; और तत्पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए से अनिम्न शास्ति के लिए दायी होगा किंतु जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी ।

(2) इस धारा के उपबंध किसी ऐसी स्थापन या उद्योग को लागू नहीं होंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार उसमें यथा उल्लिखित ऐसी तारीख से आदेश द्वारा छूट दे सके ।

(इ) धारा 31 में, “जिसके लिए धारा 30 में कोई दंड उपबंधित नहीं है, तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा परंतु तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “या उसके अधीन बनाए गए नियम, जिसमें धारा 30 में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह पहले उल्लंघन के लिए तीस दिन की अवधि के भीतर परामर्श की अनुपालना के लिए दायी होगा ; दूसरे उल्लंघन के लिए पंद्रह दिन की अवधि के लिए चेतावनी की अनुपालना के लिए दायी होगा; और तत्पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए से अनिम्न शास्ति के लिए दायी होगा किंतु जो पांच

हजार रुपए तक हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“31क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) समुचित सरकार प्रत्येक रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में एक सहायक शिक्षता सलाहकार की पंक्ति से अनिम्न एक या अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा और आदेश द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

परंतु संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी, जो उप शिक्षिता सलाहकार की पंक्ति से अनिम्न है को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(3) कोई अपील तीस दिन के अवसान के पश्चात् भी स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का उसके पास पर्याप्त कारण है।

(4) अपीलीय प्राधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा है जो वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी।

(6) यदि यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश के अनुसार शास्ति जमा नहीं की जाती है तो ऐसी रकम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी।”।

(ई) धारा 37 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

(अ) धारा 15 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर, "दंड" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को धारा 4 या धारा 7 या धारा 8 द्वारा अधिकृत किसी कार्य को करने में बाधा डालता है या जानबूझकर धारा 4 के अधीन बनाई गई किसी खाई या निशान को भर देता है, नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या विस्थापित करता है या जानबूझकर धारा 9 के अधीन निषिद्ध कोई कार्य करता है, तो वह,—

30. 1962 50 पेट्रोलियम और
खनिज पाइपलाइन
(भूमि उपयोग के
अधिकार का
अर्जन)
अधिनियम, 1962

(क) प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति का जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ख) दूसरी बार या किसी पश्चात्तर्ती उल्लंघन के लिए, कारावास का जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा दोनों से दण्डनीय होगा।”

(iii) उपधारा (2) में, “दस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (4) में “दस वर्ष के कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“15क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.—

(1) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी, जो जांच करने और विहित रीति से शास्ति अधिरोपित करने करने के लिए होगा:

परन्तु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्तक अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

15ख. अपील.— (1) इस धारा के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 30 में निर्दिष्ट अपील न्यायाधिकरण में होगी और उस अधिनियम की धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में अंतर्विष्ट उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, प्रत्येक ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 37 में अंतर्विष्ट उपबंध उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(इ) धारा 17 की उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;”।

(अ) धारा 17 की उपधारा (2) में,—

(i) दीर्घ पंक्ति में “दोषसिद्ध किए जाने पर” शब्दों के स्थान पर “इसके उल्लंघन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे

जाएंगे, अर्थात्:—

“(i) पहली बार चेतावनी;

(ii) निरंतर या दूसरी बार उल्लंघन की दशा में शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए की हो सकेगी।”।

(आ) धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“17क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार जांच कराने और शास्तियों को उस रीति में जो विहित की जाए अधिरोपित करने के लिए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगी:

परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर दिए जाने के पश्चात् ही अधिरोपित की जाएगी ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से अनिम्न रैंक वाले किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा, यह अधिकारी अपील प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(3) अपील तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश के अनुसार शास्ति जमा नहीं की जाती है तो ऐसी रकम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 18 में,—

(i) उपधारा (1) में, “तदनुसार” शब्द के पश्चात्, “धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, “तदनुसार” शब्द के पश्चात्, “धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार” शब्द, कोष्ठक

और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ई) धारा 19 और 20 का लोप किया जाएगा।

(उ) धारा 22 की उपधारा (2) में खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(डक) धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(डख) धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रार्थिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

32.	1963	45	प्रशासक- महाप्रशासक अधिनियम, 1963	धारा 34 की उपधारा (2) में, “कारावास जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माना जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।
33.	1966	4	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966	(अ) धारा 16 में,— (i) उपधारा (1) में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे; (ii) उप धारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (iii) उप धारा (3) में, “कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (iv) उप-धारा (4) में, “इस अधिनियम के अधीन या स्कीम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान” शब्दों के स्थान पर, “इस धारा की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। (v) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(5) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन अपराध का शमन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम उल्लंघन के लिए किया जा सकेगा।” (ख) धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “16क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 16 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, नाविक भविष्य निधि आयुक्त को जांच करने और विहित रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी :

परन्तु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए

बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त पोतपरिवहन महानिदेशालय के निदेशक की पंक्ति के नीचे का न हो, के अधिकारी को, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(3) तीस दिन की अवधि बीतने के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटान, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा यथास्थिति उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश के अधीन अधिरोपित शास्ति, जमा नहीं की जाती है, तो वह रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(इ) धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

24क. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने की रीति;

(ख) धारा 16क की उपधारा (2) के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र या उन क्रमवर्ती सत्रों के, जिनमें वह इस प्रकार रखा गया है, ठीक बाद वाले सत्र के समाप्त होने से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका

कोई प्रभाव नहीं रहेगा; तथापि ऐसा कोई संशोधन या विखंडन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

34. 1968 27 नागरिक सुरक्षा
अधिनियम, 1968

(अ) धारा 11 में,—

(i) उपधारा (1) में, "पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और जहां ऐसी उपेक्षा या इनकार जारी रहता है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपए तक के दंड का दायी होगा और जहां ऐसी उपेक्षा या इनकार जारी रहता है, वहां अतिरिक्त दंड से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप धारा (2) में "पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से और जहां ऐसी लापरवाही या विफलता जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से और जहां ऐसी लापरवाही या विफलता जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“11क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 11 की उपधारा (1) और (2) के अधीन न्यायनिर्णयन शास्तियों के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में नागरिक रक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर सकेगी, ऐसा न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हो:

परन्तु यह और कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का हो, जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति से अपील कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए ।

(3) तीस दिन की अवधि बीतने के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटान, अपील फाइल करने

की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन या अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिरोपित शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(इ) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“19क. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(ख) धारा 11-क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति।”

35. 1970 19 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

(अ) अध्याय 20 में अध्याय शीर्षक “शास्तियों” शब्द के स्थान पर “दंड” शब्द रखा जाएगा।

(आ) धारा 118 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु धारा 39 के उल्लंघन के मामले में, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे उल्लंघन के समय पर रक्षा प्रयोजन या परमाणु ऊर्जा के लिए सुसंगत अनुसंधान नहीं किया गया है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होंगे।

(इ) धारा 119 का लोप किया जाएगा।

36. 1971 40 सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

(अ) धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“11. अपराध और उल्लंघन.— (1) यदि कोई व्यक्ति आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले सरकारी स्थान के अतिरिक्त, भूमि सहित किसी सरकारी स्थान पर अवैध रूप से कब्जा करता है, तो उसे साधारण कारावास से जो छह महीने तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से जो अधिभोगी के प्रत्येक वर्ष के लिए भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान पर विधिविरुद्ध रूप से कब्जा करता है, जो आवासीय सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसा व्यक्ति पहले माह के लिए आवासीय सुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस की दर का पचास गुना की शास्ति का और दूसरे महीने या उसके बाद के माह के लिए प्रति माह दस प्रतिशत की दर से दूरदर्शी विधि से बढ़ाई जाएगी, दायी होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति जो किसी प्राधिकरण के आधार पर (चाहे अनुदान, आवंटन या किसी अन्य रीति से) किसी सरकारी स्थान या निवास स्थान पर वैध रूप से कब्जा किए हुए था और ऐसे प्राधिकरण के वैध न रहने के बाद भी ऐसे परिसर पर कब्जा बनाए रखता है, वह उपधारा (1) या इस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अपराध या उल्लंघन का दोषी नहीं होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से, जिसमें भूमि भी शामिल है, परन्तु आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले सार्वजनिक स्थान से भिन्न, बेदखल कर दिया गया है, तो वह ऐसे कब्जे के प्राधिकार के बिना उस परिसर पर फिर से कब्जा करता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन निवास हेतु किसी सरकारी परिसर से बेदखल किया गया हो, बिना प्राधिकार के उस परिसर पर पुनः कब्जा करता है, तो वह पहले माह के लिए आवासीय सुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस की दर का पचास गुना की शास्ति का और दूसरे महीने या उसके बाद के माह के लिए प्रति माह दस प्रतिशत की दर से दूरदर्शी विधि से बढ़ाई जाएगी, दायी होगा।

(5) कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को उप-धारा (3) के अधीन दोषी ठहराते हुए उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल करने का आदेश दे सकेगा और वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बेदखली के लिए दायी होगा।

(आ) धारा 11क में,—

(i) प्रारंभिक हिस्से में “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) धारा 11 के अधीन अपराध पर लागू होगी” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)” धारा 11 की उपधारा (1) और (3) के अधीन अपराधों पर लागू होगी” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ii) के उप-खण्ड (1) में, “संहिता की धारा 42” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “संहिता की धारा 39” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(इ) धारा 11क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“11ख. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.- धारा 11 की उपधारा (2) और (4) के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार संपदा अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के एक अधिकारी को न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी, जो जांच करने और विहित रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हो:

परन्तु यह और कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्तक

अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में जैसा कि विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(3) अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन या अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिरोपित शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।”

(ई) धारा 18 की उपधारा (2) में खण्ड (डक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(डख) धारा 11ख की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(डग) धारा 11ख की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

37. 1972 13

सामुद्रिक उत्पाद
निर्यात विकास
प्राधिकरण
अधिनियम, 1972

(अ) धारा 20 की उपधारा (3) में, “अन्यून” शब्द के स्थान पर, “के” शब्द रखा जाएगा।

(आ) धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“24. बहियाँ और अभिलेखों को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति— कोई भी व्यक्ति जो किसी लेखा बही या अन्य अभिलेख पर नियंत्रण या अभिरक्षा रखता है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा होने पर ऐसी बही या अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकेगी।”।

(इ) धारा 25क की उपधारा (1) में,—

(i) “के अधीन शास्तियां” शब्दों के पूर्व “धारा 11, धारा 12”, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “के खंड (ख)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा।

(ई) धारा 25ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“25ख. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना— प्राधिकरण के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हो, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।”।

(उ) धारा 27 का लोप किया जाएगा ।

38. 1972 57 साधारण बीमा कारबार (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972

(अ) धारा 30 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति से, जो पचास लाख रुपए या संपत्ति का मूल्य तक हो सकेगी, जो भी उच्चतर हो, दायी होगा और यदि वह ऐसा उल्लंघन लगातार करता है तो और शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“30क. (1) शास्तियों का न्यायनिर्णयन—धारा 30 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक को किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी जो ऐसी रीति से जांच करेगा और दण्ड अधिरोपित करेगा जैसा विहित किया जाए:

परंतु केन्द्रीय सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और कि ऐसे किसी भी दंड को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक उच्चतर होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में जैसा कि विहित किया जाए, अपील प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(3) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।”।

(इ) धारा 39 की उपधारा (2) में, खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(डख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

39. 1972 78 रिचर्डसन एंड
कूडास लिमिटेड
(उपक्रम का अर्जन
और अंतरण)
अधिनियम, 1972

(अ) धारा 24 में,—

(i) उपधारा (1) की दीर्घ पंक्ति में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी”, शब्द रखे जाएंगे।

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु खंड (क), (ख) या खंड (ग) के अधीन जांच करने वाला न्यायनिर्णायक अधिकारी, दोषी पाए गए व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा नियत अवधि के भीतर सदोषपूर्ण ढंग से रोका गया या सदोषपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया किसी भी संपत्ति या धन को वापस देने या जानबूझकर रोका गया या प्रस्तुत नहीं किए गए किसी दस्तावेज को वापस करने का आदेश दे सकेगा।”;

(iii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

(आ) धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“24क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.—(1) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन दंड का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार भारत सरकार के उप सचिव से अन्यून रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो जांच करने और ऐसी रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा जैसा विहित किया जाए :

परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और कि ऐसी किसी भी शास्ति को, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा विहित किया जाए, अपील

प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो ।

(3) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।"।

(इ) धारा 25 और धारा 26 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(खक) धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित की रीति ;

(खख) धारा 24क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

40. 1974 47 तेल उद्योग
(विकास)
अधिनियम, 1974

(अ) धारा 23 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “शास्ति” शब्द के स्थान पर, “दंड”, शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (क) में, “या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है,” शब्दों के पश्चात् “शास्ति का दायी होगा, जो पांच करोड़ रुपए तक की हो सकेगी”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्मान से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 221 के अधीन अपराध करने वाला समझा जाएगा”, शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“23क. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना—बोर्ड का सदस्य, अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय या किसी कर्तव्य का निर्वहन करते समय, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा ।

(इ) धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“24. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—धारा 23 के खंड (क) के अधीन दंड का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून के अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी जो ऐसी रीति में जांच और शास्तियां अधिरोपित करेगा, जो विहित किया जाए :

परंतु ऐसी किसी भी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

24क. अपील—(1) धारा 24 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 30 में निर्दिष्ट अपील अधिकरण के पास होगी और उस अधिनियम की धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में अंतर्विष्ट उपबंध, ऐसी प्रत्येक अपील के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 37 में अंतर्विष्ट उपबंध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”।

(ई) धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“25. कंपनियों द्वारा अपराध या उल्लंघन (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध या उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी समझा जाएगा या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और तदनुसार कार्यवाही करने और दंडित करने के लिए दायी होगा:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी दंड या शास्ति के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध या उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित सम्यकता का प्रयोग किया था ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि ऐसा अपराध या उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन स्वीकृति से किया गया है या उसके द्वारा की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी या उस उल्लंघन के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाही और दंड के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई भी कॉर्पोरेट निकाय अभिप्रेत है और

इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) एक फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में भागीदार अभिप्रेत है।"।

(उ) धारा 31 में, उपधारा (2) में, खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(णक) धारा 24 के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;”।

41. 1978 34 दिल्ली पुलिस
अधिनियम, 1978

(अ) धारा 59 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) में, “धारा 108 की उपधारा (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) में, “धारा 101, धारा 102 या” शब्दों, और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(आ) धारा 85 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“85 प्रदर्शन आदि से बाधा और क्षोभ उत्पन्न करना – कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त द्वारा बनाए गए किसी भी विनियमन का उल्लंघन करते हुए, ऐसे प्रकृति के किसी भी अनुकरण, संगीत या अन्य प्रदर्शन को प्रदर्शित नहीं करेगा जिससे भीड़ आकर्षित हो, जिससे यात्रियों के लिए कोई बाधा या आसपास के निवासियों को क्षोभ हो सके।”।

(इ) धारा 88, धारा 89 और धारा 90 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 95 का लोप किया जाएगा ।

(उ) धारा 97 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“97. धारा 80 से 87 और धारा 91 से 94 या धारा 96 के अधीन अपराधों के लिए शास्तियां – कोई भी व्यक्ति जो धारा 80 से 87, धारा 91 से 94 या धारा 96 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा, या, ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, आठ दिनों से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।”।

(ऊ) धारा 98 और धारा 99 का लोप किया जाएगा ।

(ऋ) धारा 101, धारा 102 और धारा 103 का लोप किया जाएगा ।

(ए) धारा 104 में, “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 410 में उल्लिखित किसी अपराध द्वारा या ऐसे किसी अपराध द्वारा, जो उक्त संहिता की धारा 417, धारा 418, धारा 419 या धारा 420 के अधीन दंडनीय है”, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 317 में उल्लिखित किसी अपराध द्वारा या उक्त संहिता की धारा 318 या धारा 319 के अधीन दंडनीय है” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ऐ) धारा 105 में, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 410 के अर्थ में वह चोरी की संपत्ति है या ऐसी संपत्ति है, जिसके संबंध में उक्त संहिता की धारा 417, धारा 418, धारा 419 या धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है”, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 317 के अर्थ में किसी

अपराध द्वारा या उक्त संहिता की धारा 318 या धारा 319 के अधीन दंडनीय है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ओ) धारा 106 का लोप किया जाएगा ।

(औ) धारा 108 का लोप किया जाएगा ।

(अं) धारा 110 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "शास्ति", शब्द के स्थान पर, "दंड" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) यदि विनियम धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ध) के उपखंड (ii) या खंड (फ) के अधीन किया गया था, तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो आठ दिन तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ;

(खक) यदि विनियम धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ज), या खंड (ध) के उपखंड (i) के अधीन किया गया था, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकेगा।”।

(अः) धारा 112 का लोप किया जाएगा ।

(र) धारा 122 के खंड (ख) में उपखंड (iii) और उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

42. 1980 70 हिंद साइकिल्स (अ) धारा 27 की दीर्घ पंक्ति में, "वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष लिमिटेड और सेन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दोनों रेले लिमिटेड से" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति का दायाँ होगा, जो एक लाख पच्चीस हजार (राष्ट्रीयकरण) रुपये तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ।
- अधिनियम, 1980 (आ) धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“27क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.— (1) धारा 27 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करेगी जो उप सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा, जो जांच करने और ऐसी रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा जो विहित किया जाए :

परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और कि ऐसी किसी भी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, जिसे अपील प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय

सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(3) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइनल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।"।

(इ) धारा 28 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 31 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(गक) धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(गख) धारा 27क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

43. 1981 31

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या (उपक्रमों का अर्जन दोनों से दंडनीय होगा”, के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख और अंतरण) पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।
अधिनियम, 1981

(अ) धारा 28 की दीर्घ पंक्ति में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा”, के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“28क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन— (1) धारा 28 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करेगी जो उप सचिव के रैंक से नीचे नहीं होगा, जो ऐसी रीति से जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और कि ऐसी किसी भी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, जिसे अपील प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय

सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(3) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइनल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(इ) धारा 29 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 30 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(गक) धारा 28क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(गख) धारा 28क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ।”।

44.	1981	29	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1981	धारा 17, धारा 18 और धारा 19 का लोप किया जाएगा ।
45.	1981	42	भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981	(अ) धारा 11 और धारा 12 का लोप किया जाएगा । (आ) धारा 13 की उपधारा (1) में, “या धारा 12 या धारा 11” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा । (इ) धारा 15 की दीर्घ पंक्ति में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से अधिक का न हो सकेगा, या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो चौबीस मीटर की कुल लंबाई से कम के यानों के लिए पैंतीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा तथा चौबीस मीटर या अधिक की कुल लंबाई के यानों के लिए पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ।
46.	1984	17	इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1984	(अ) धारा 27 की दीर्घ पंक्ति में, “कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- “27क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 27 के अधीन

शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो भारत सरकार के उप सचिव के रैंक से नीचे नहीं होगा, जो ऐसी रीति से जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा जैसा विहित किया जाए :

परंतु केंद्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और कि ऐसी किसी भी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, जो अपील प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(3) अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइनल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी."

(इ) धारा 28 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 31 की उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(गख) धारा 27क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।

(अ) धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“9. धूम्रपान- (1) कोई भी व्यक्ति भूमिगत रेल के किसी भी डिब्बे या कैरिज या भूमि के नीचे भूमिगत रेल स्टेशन में धूम्रपान नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह दो हजार रुपये की शास्ति और उसके पास या टिकट की जब्ती

के लिए दायी होगा, और किसी भी भूमिगत रेल सेवक द्वारा डिब्बे से हटाया जा सकेगा ।

(3) यदि व्यक्ति उपधारा)2) में उल्लिखित शास्ति का संदाय करने से इनकार करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा दंड दो हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा ।”।

(आ) धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“10. भूमिगत रेल पर मत्तता या न्यूसेंस-(1) यदि कोई व्यक्ति मत्तता की स्थिति में है और ऐसी रीति से आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को न्यूसेंस होता है, तो उसे भूमिगत रेल के किसी भी भूमिगत रेल सेवक द्वारा भूमिगत रेल से हटा दिया जाएगा और उसके पास या टिकट के जब्त होने के अतिरिक्त, साधारण कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो चौबीस घंटे तक हो सकेगा, या जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति,-

(क) किसी न्यूसेंस या अभद्रता का कार्य करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का उपयोग करता है; या

(ख) जानबूझकर या बिना किसी कारण के भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुविधा में हस्तक्षेप करता है जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा प्रभावित हो,

तो वह जुर्माने का दायी होगा, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा और किराए की जब्ती, जो उसने संदत्त किया हो या पास या टिकट, जो उसने प्राप्त या क्रय किया हो, का भी दायी होगा, या इस निमित्त भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी भूमिगत रेल सेवक द्वारा ऐसे कैरिज या हिस्से से हटा दिया जाएगा ।

(3) यदि कोई भूमिगत रेल अधिकारी इयूटी के दौरान मत्तता की स्थिति में है, जहां इयूटी का अनुचित निष्पादन भूमिगत रेल पर यात्रा करने वाले या होने वाले किसी यात्री की सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।”।

(इ) धारा 13 में,-

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना भूमिगत रेल के किसी भाग पर प्रवेश करता है या उसमें प्रवेश करता है, तो वह पांच सौ रुपये की शास्ति का दायी होगा ।

(1क) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में उल्लिखित शास्ति

का संदाय करने से इनकार करता है, तो उल्लंघनकर्ता को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां वह कारावास से, जो तीन मास तक हो सकेगा, या जुर्माने, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा दंड एक मास के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा ।

(1ख) यदि कोई व्यक्ति भूमिगत रेल के किसी भाग में वैध रूप से प्रवेश करने या उसमें प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है और छोड़ने से इनकार करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में ऐसा दंड पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा ।

(1ग) उपधारा (1क) और (1ख) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को भूमिगत रेल से किसी भी भूमिगत रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे ऐसा भूमिगत रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा ।”।

(ई) धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“17क. शास्ति का न्यायनिर्णयन.- (1) इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन, शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, भूमिगत रेल प्रशासन रेल सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक या समूह 'ग' से अन्यून रैंक के अधिकारियों के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो भूमिगत रेल के वाणिज्यिक / परिचालन / सतर्कता विभाग में न्यायनिर्णयन अधिकारी होंगे जो जांच करने और ऐसी रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए होंगे जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु भूमिगत रेल प्रशासन उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने अपेक्षित हों :

परंतु यह और ऐसी किसी भी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक उच्चतर अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा अपील प्राधिकरण के रूप में ऐसे प्ररूप और रीति में नियुक्त किया जा सकेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) अपील को तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार किया जा सकेगा यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकरण का

समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(3) धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“22क. भूमिगत रेल प्रशासन की विनियम बनाने की शक्ति—(1) भूमिगत रेल प्रशासन, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत, ऐसे सभी मामलों के लिए विनियम बना सकेगा जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन हैं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा किया गया प्रत्येक विनियम, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में सम्मिलित हो सकेगी, और यदि, उक्त सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन, यथास्थिति, इस बात पर सहमत होते हैं कि विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो विनियम उसके पश्चात् केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं डालेगा ; लेकिन, इस प्रकार, ऐसा कोई संशोधन या निरसन उस विनियम के अधीन पहले किए गए किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।”।

48. 1985 22 हथकरघा
(उत्पादनार्थ वस्तु अर्थात् :-
आरक्षण)
अधिनियम, 1985

(अ) धारा 10 के खंड (क) के स्थान निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

“(क) कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या प्रति करघा जिसके द्वारा उक्त वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कम से कम दस हजार रुपये के जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा तथा निरंतर या बार-बार उल्लंघन के मामले में, प्रति करघा प्रति दिन एक हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रति करघा प्रति दिन पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है या ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् दोहराया जाता है ;”।

(आ) धारा 11 में, “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से”, शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक

49. 1985 82 भारतीय अंतर्देशीय
जलमार्ग
प्राधिकरण
अधिनियम, 1985

का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(अ) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(जक) धारा 35क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(जख) धारा 35क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकरण में अपील करने का प्ररूप और रीति; और”

(आ) धारा 35 की उपधारा (3) में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति से दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, जिसके दौरान ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित करने के पश्चात् ऐसा उल्लंघन चालू रहता है” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“35क. शास्ति का न्यायनिर्णयन— (1) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी एक ऐसे अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा जो उप निदेशक की रैंक से कम नहीं है या भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष रैंक का है, जो ऐसी रीति में जांच करेगा और शास्ति अधिरोपित करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो भारत सरकार के निदेशक की रैंक से अन्यून या उप सचिव की रैंक के समकक्ष अधिकारी होगा, जिसे अपील प्राधिकारी के रूप में ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अपील को तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार किया जा सकेगा यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकरण का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइनल करने की

तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

50. 1986 2

कृषि और प्रसंस्कृत
खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास
प्राधिकरण
अधिनियम, 1985

(अ) धारा 19 की उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगी और माल के मूल्य के दुगने से अधिक नहीं होगी, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया है” शब्द रखे जाएंगे ।

(आ) धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“22. मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति—कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित है,—

(i) कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह निम्नानुसार दायी होगा—

(क) पहले उल्लंघन के लिए चेतावनी ;

(ख) किसी भी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये से अन्यून की शास्ति किंतु जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी ;

(ii) कोई विशिष्ट अंतर्विष्ट करने वाला रिटर्न प्रस्तुत करता है, जो मिथ्या है और जो वह मिथ्या होना जानता है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, तो वह दस हजार रुपये से अन्यून की शास्ति का दायी होगा किंतु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी ।”।

(इ) धारा 23 का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“24. अन्य शास्तियां— जो कोई उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, जिनके उल्लंघन का दण्ड धारा 19 और धारा 22 में उपबंधित है, निम्नानुसार दायी होगा,—

(क) पहले उल्लंघन के लिए चेतावनी ;

(ख) किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये से अन्यून की शास्ति, जो उस माल के मूल्य के बराबर रकम से अधिक नहीं होगी, जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया है ; और

(ग) लगातार उल्लंघन की स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये की शास्ति, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रखता है, किंतु लगातार उल्लंघन के लिए शास्ति की कुल मात्रा उस माल के मूल्य के दुगने से अधिक नहीं होगी, जिसके संबंध में

ऐसा आदेश किया गया है ।”।

(उ) धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“25क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष, यथास्थिति, प्राधिकरण के सचिव या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सचिव की रैंक के समतुल्य किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, अध्यक्ष को अपील करेगा, जो अपील प्राधिकारी होगा ।

(3) अपील को तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार किया जा सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा फाइनल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं किया जाती है, तो रकम भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(ऊ) धारा 26 का लोप किया जाएगा ।

(ऋ) इस प्रकार लोप की गई धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“26क. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना- इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तार्पित प्राधिकरण के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे ।”।

(ए) धारा 32 की उपधारा (2) में, खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(डक) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(डख) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

51. 1988 59 मोटर यान
अधिनियम, 1988

(अ) धारा 8 की उपधारा (8) का लोप किया जाएगा ।

(आ) धारा 9 की उपधारा (9) का लोप किया जाएगा ।

(इ) धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

(ई) धारा 14 की उपधारा (2) में खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति, इस उपधारा के अधीन इसकी समाप्ति के होते हुए भी, ऐसे समाप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए प्रभावी बनी रहेगी”।

(उ) धारा 15 में,—

(i) उपधारा (1) में, “समाप्ति”, शब्द के स्थान पर, “नवीनीकरण” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा:—

“परंतु किसी भी मामले में जहां अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, तो चालन अनुज्ञप्ति इसकी समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत होगी ।”।

(ऊ) धारा 20 की उपधारा (2) में,—

(i) “धारा 132 की उपधारा (1) का खंड (ग),” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “धारा 132 की उपधारा (1) का खंड (ग) या,” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ऋ) धारा 40 में, “जिसकी अधिकारिता”, शब्दों के स्थान पर “जो” शब्द रखा जाएगा ।

(ए) धारा 55 की उपधारा (1) में, “चौदह दिन”, शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

(ऐ) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ट) में “धारा 41 की उपधारा (13) या” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

(ओ) धारा 75 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, “मोटर कैब”, शब्दों के पश्चात् “और मोटर साइकिल” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (छ) में, “मोटर कैब”, शब्दों के पश्चात् “और मोटर साइकिल” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(औ) धारा 84 के खंड (च) में, “अध्याय 10, 11 और 12”, शब्दों और अंकों के स्थान पर “अध्याय 11 और 12” शब्द रखे जाएंगे ।

(अं) धारा 96 की उपधारा (2) में, खंड (xii) का लोप किया जाएगा ।

(अः) धारा 157 की उपधारा (2) में, “चौदह दिन”, शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

(र) धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (ख) में, “कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं

होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।”

(ल) धारा 163 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के संबंध में दिए गए या प्राप्त अनुग्रह संदाय, धारा 164ख के अधीन गठित मोटर यान दुर्घटना निधि को वापस करने के लिए दायी नहीं होंगे।”।

(व) धारा 164 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान के उपयोग से उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति के संबंध में प्राप्त अनुग्रह संदाय, इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटाए जाने के दायी नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण— धारा 163 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “घोर उपहति” पद भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 116 में यथानिर्दिष्ट होगा।”।

(श) धारा 166 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु दावा अधिकरण दुर्घटना होने की तारीख से छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किंतु बारह मास से अनधिक की और अवधि के भीतर प्रतिकर के लिए आवेदन स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण से ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था।”।

(ष) धारा 167 में, “अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना” शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा।

(स) धारा 168 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) धारा 166 के अधीन की गई प्रतिकर के लिए आवेदन दावा अधिकरण द्वारा यथासंभवशीघ्रता से निपटाया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा :

परंतु जहां ऐसा कोई आवेदन उक्त बारह मास की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जा सका, वहां दावा अधिकरण उस अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा न करने के अपने कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करेगा।”।

(ह) धारा 177 और धारा 177क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध—जो कोई इस

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, यदि उस अपराध के लिए किसी जुर्माने या शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो पहले उल्लंघन के लिए ऐसी रीति में अभिलेखबद्ध चेतावनी जारी की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और किसी दूसरे या पश्चात्तर्वर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा, जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक हजार पाँच सौ रुपये तक हो सकेगी।

177क. धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति-(1) जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह पहले उल्लंघन के लिए ऐसी रीति में जारी की गई चेतावनी का पात्र होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और किसी दूसरे या पश्चात्तर्वर्ती उल्लंघन के लिए ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पाँच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का कोई उल्लंघन, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन शास्ति या जुर्माने से दंडनीय अपराध भी है, तो केवल ऐसे अन्य उपबंध के अधीन अधिरोपित शास्ति या जुर्माना ही लागू होगा।"

(क्ष) धारा 178 में,—

(i) जहां-जहां "जुर्माने से दण्डनीय" शब्द आए हैं, वहां-वहां "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "ठेका गाड़ी का ड्राइवर" शब्दों के पश्चात् "जब वह कर्तव्य पर हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(त्र) धारा 179 में,—

(i) उपधारा (1) में, "जुर्माने से दण्डनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।" शब्दों के स्थान पर "उल्लंघन के लिए उपबंधित, पाँच सौ रुपये से कम के जुर्माने से किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ज) धारा 182 में, उपधारा (2) में, "वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(त) धारा 182ख में,—

(i) उपांत शीर्षक में, "दंड" शब्द के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(लृ) धारा 186 में,—

(i) "वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति से" शब्द रखे जाएंगे।

(श्र) धारा 190 में, उपधाराओं (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान या ट्रेलर को तब चलाता है या चलवाता है या चलाने देता है जब उस यान या ट्रेलर में कोई ऐसी खराबी है, जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता वह सामान्य सावधानी बरतने पर लगा सकता था और जो ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए यान का चलाया जाना खतरे का कारण बनने वाली है, वह पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा या, यदि ऐसी खराबी के परिणामस्वरूप कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या संपत्ति को नुकसान होता है, तो छह मास तक के कारावास, या पांच हजार रुपए के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय होगा; और पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक वर्ष तक के कारावास, या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलाने देता है, जो विहित मानकों का उल्लंघन करता है,—

(i) सड़क सुरक्षा या वायु-प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में, पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपए तक की शास्ति का दायी होगा और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा और किसी दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए छह मास तक के कारावास या दस हजार रुपए तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय होगा ; या

(ii) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, पहले उल्लंघन के लिए ऐसी रीति में जारी की गई चेतावनी का पात्र होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और किसी दूसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए दस हजार रुपए तक की शास्ति का दायी होगा।"

(श्रअ) धारा 192 में, उपधारा (1) में, "प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अपराध के लिए शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रआ) धारा 192क में, उपधारा (1) में, "वह प्रथम अपराध के लिये जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, किंतु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, तथा किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी

अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु तीन मास से कम नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, किंतु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए बीस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 192ख में,—

(i) उपधारा (1) में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 193 में,—

(i) उपधारा (1) में, "प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अपराध के लिए शास्ति से" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) में, "पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए से कम के जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "अतिरिक्त रकम" शब्दों के स्थान पर "अतिरिक्त शास्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1क) में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194क में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194ख में, जहां-जहां "जुर्माने से दंडनीय" शब्द दोनों स्थानों पर आए हैं, वहां-वहां "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194ग में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194घ में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रद्ध) धारा 194ड. में, "छह मास तक के कारावास, या दस हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "पहले अपराध के लिए दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और किसी दूसरे या

पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए छह मास तक के कारावास, या दस हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रऔ) धारा 194ड के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"194ड. हार्न का प्रयोग और मौन क्षेत्र-जो कोई—

(क) मोटर यान चलाते समय-

(i) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक रूप से या लगातार या आवश्यकता से अधिक हार्न बजाता है; या

(ii) हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाता है; या

(ख) ऐसा मोटर यान चलाता है जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक के स्थान पर अन्य माध्यम से छोड़ा जाता है,

वह पहले उल्लंघन के लिए ऐसी रीति में जारी की गई चेतावनी का पात्र होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और किसी दूसरे या पश्चात्पूर्ति उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दो हजार रुपए तक का हो सकेगा।"

(श्रअं) धारा 196 में, "प्रथम अपराध के लिए तीन मास तक के कारावास, या दो हजार रुपए के जुर्माने, या दोनों से, और पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए तीन मास तक के कारावास, या चार हजार रुपए के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे यान के लिए धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आधार प्रीमियम के तीन गुणा या पांच हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति का दायी होगा, और पश्चात्पूर्ति उल्लंघन के लिए ऐसे यान के लिए धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आधार प्रीमियम के पांच गुने या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति का दायी होगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(श्रअः) धारा 198 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"198. यान में अनधिकृत हस्तक्षेप-जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या उचित प्रतिहेतु के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) के उपबंधों के अधीन किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) किसी स्थिर मोटर यान में प्रवेश करता है या उस पर चढ़ता है वह एक हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा;

(ख) किसी मोटर यान के ब्रेक या यंत्रावली के किसी भाग के साथ छेड़छाड़ करता है वह दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।"

(श्रर) धारा 198क में:-

(क) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धारा 210ग के अधीन या राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 210घ के अधीन, जैसी भी स्थिति हो" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी, ठेकेदार, परामर्शदाता या अनुग्राही द्वारा सड़क डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या निःशक्तता होती है, वहां ऐसा प्राधिकारी या ठेकेदार या अनुग्राही पचास लाख रुपए तक की शास्ति का दायी होगा और वही,-

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, धारा 164ख के अधीन गठित निधि को संदत्त किया जाएगा; और

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के लिए, ऐसी रीति में राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए।";

(ग) उपधारा (3) में, खंड (ग) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(श्रल) धारा 199ख में,—

(i) उपांत शीर्षक में, "जुमानों के पुनरीक्षण" शब्दों के पश्चात् "और शास्तियों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "जुर्माने" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने और शास्तियां" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रव) धारा 200 में, उपधारा (1) में, "धारा 177 के अधीन दंडनीय" शब्दों और अंकों से आरंभ होकर "धारा 201" शब्द और अंक पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 180, धारा 181, धारा 182 की उपधारा (1), धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), धारा 183 की उपधारा (7), धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (ग), धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2) का दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध, धारा 192 का दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा 194ड का दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध, और धारा 198 का खंड (ख) के अधीन दंडनीय।"

(श्रश) धारा 210क में,—

(i) उपांत शीर्षक में, "बढ़ाने" शब्द के पश्चात् "जुमानों या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने पर लागू किया जाएगा और ऐसा संशोधित जुर्माना" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने या शास्ति पर लागू किया जाएगा और ऐसा संशोधित जुर्माना या शास्ति" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रष) धारा 210ग में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) वह रीति जिसमें इस अध्याय के अधीन उल्लंघनों के लिए चेतावनी दर्ज की जाएगी;"

(श्रस) धारा 212 में, उपधारा (4) में, "धारा 163 की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 161 की उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

52 1989 24 रेल अधिनियम,
1989

(अ) धारा 60 की उपधारा (3) में, "पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर

"दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, ऐसे शास्ति के दायित्वाधीन होगा, और शास्ति का संदाय न करने की दशा में, ऐसा करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जो दो हजार रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 87 की उपधारा (3) में, "एक सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, ऐसे शास्ति के दायित्वाधीन होगा, और शास्ति का संदाय न करने की दशा में, ऐसा करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जो दो हजार रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।" शब्द रखे जाएंगे

(इ) धारा 137 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"137. उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना—(1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से,—

(क) धारा 55 के उल्लंघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा अथवा किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा ;या

(ख) ऐसे किसी एक तरफा पास या एक तरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा,

तो वह उस दूरी के लिए, जिस तक वह यात्रा कर चुका है, किराया देने का दायी होगा, या जहां उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था, कोई संदेह है वहां उस स्टेशन से, जहां से रेलगाड़ी आरंभ होकर चली थी, किराया देने का दायी होगा, या, यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की, रेलगाड़ी के आरंभ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गई थी या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है, उस स्थान से जहां उनकी अंतिम बार परीक्षा की गई थी, किराया देने का दायी होगा:

परन्तु वह यहां इसके अतिरिक्त उचित प्रभारों के बराबर अधिक प्रभार भी देगा, जो पांच सौ रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रभारों में से जो भी कम हो, से कम नहीं होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया देने का

दायित्वाधीन कोई यात्री, इस धारा के अधीन उसकी मांग किए जाने पर, उसे देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा तो प्राधिकृत रेल सेवक, संदेय राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा, और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(ई) धारा 138 में—

(i) उपधारा (3) में, "या दो सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "या पांच सौ रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रभार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में—

(क) "किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है" शब्दों के स्थान पर "और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है" शब्द रखे जाएंगे।

(उ) धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"142. अंतरित टिकटों पर यात्रा करने के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट के प्राधिकार पर रेलगाड़ी में यात्रा करता पाया जाता है और जिस पर वह रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो वह टिकट समपहत हो जाएगा और वह टिकट पर अंकित किराया देने का भी दायी होगा:

परन्तु वह टिकट पर अंकित किराये के बराबर अधिक प्रभार देगा जो पांच सौ रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रभारों में से जो भी कम हो, से कम नहीं होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया देने का दायित्वाधीन कोई यात्री, इस धारा के अधीन उसकी मांग किए जाने पर, उसे देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा तो प्राधिकृत रेल सेवक, संदेय राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा, और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(उ) धारा 144 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"144. फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिषेध—(1) यदि

कोई व्यक्ति रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुज्ञप्ति में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन या अनुसार के सिवाय, रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर किसी ग्राहकी के लिए संयाचना करेगा या किसी भी प्रकार की किसी वस्तु के विक्रय के लिए फेरी लगाएगा या उसे प्रदर्शित करेगा तो वह दो हजार रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि वह शास्ति देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक मास के कारावास या दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन शास्ति देने का आदेश दिया गया है, पश्चात् में चौथी या उसके बाद किसी बार उसी उपबंध का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड तीन मास के कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(4) कोई व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर भीख मांगने का पात्र नहीं होगा।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, यथास्थिति, रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल के किसी भाग या रेल स्टेशन से हटाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—अपराध की गणना के प्रयोजन के लिए, यदि व्यक्ति यह कार्य भारतीय रेल के किसी भाग में करता है तो यह इस अपराध की गणना के लिए संगणित किया जाएगा।"

(ऋ) धारा 145 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"145. मत्तता या उपद्रव—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर मत्तता की हालत में है और ऐसे आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को खेद पहुंचता है, तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा, और उसके पास या टिकट के सम्पहरण के अतिरिक्त, सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के

किसी भाग पर,—

(क) कोई उपद्रव या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली गलौज की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा; या

(ख) जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुख-सुविधा में बाधा डालेगा जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा पर प्रभाव पड़ता हो,

तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा, और उसके पास या टिकट के सम्पहरण के अतिरिक्त, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि वह, किसी रेल सेवक द्वारा, जिसे ऐसा निषेधाज्ञा जारी करने का विधिपूर्ण अधिकार है, ऐसे उपद्रव को न दोहराने या जारी न रखने का निषेध किए जाने पर भी उपद्रव जारी रखता है, तो सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उपद्रव" का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 270 में परिभाषित है।"

(ए) धारा 146 में, "छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 147 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"147. अतिचार और अतिचार से प्रतिविरत रहने से इंकार करना—

(1) यदि कोई व्यक्ति यात्री क्षेत्र के किसी भाग में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करता है और वहां से जाने से इंकार करता है तो वह पांच सौ रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु यदि व्यक्ति यात्री क्षेत्र में विधिपूर्ण रूप से प्रवेश करने के पश्चात् यात्री क्षेत्र का दुरुपयोग करता है और वहां से जाने से इंकार करता है तो वह उपधारा (3) के अनुसार दंडनीय होगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति शास्ति देने से इंकार करता है, तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक मास के कारावास या दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति यात्री क्षेत्र से भिन्न रेल के किसी भाग में, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करेगा या ऐसे भाग में विधिपूर्ण रूप से प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति का दुरुपयोग करेगा और वहां से जाने से इंकार करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या

दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, रेल से हटाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "यात्री क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो रेल संरक्षण बल अधिनियम (1957 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में परिभाषित है;

(ख) "रेल" का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) में परिभाषित है।"

(ओ) धारा 155 में,—

(i) उपधारा (1) में, "ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यदि उपधारा (1) या (2) का उल्लंघन करने के लिए दायी पाया गया कोई यात्री शास्ति देने से इंकार करता है, तो उल्लंघनकर्ता को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां वह जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।"

(औ) धारा 158 का लोप किया जाएगा।

(अं) धारा 159 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"159. रेल सेवकों आदि के निर्देशों की यानों के ड्राइवरों या संवाहकों द्वारा अवज्ञा—(1) यदि किसी यान का कोई ड्राइवर या संवाहक, रेल के परिसर में होते हुए, ऐसे यान को निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र रोकेगा या खड़ा करेगा या एकतरफा यातायात के विपरीत चलाएगा या खतरनाक रीति से या इस प्रकार से चलाएगा जिससे यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है, या किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी के उचित निर्देशों की अवज्ञा करेगा तो वह पांच सौ रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि कोई ड्राइवर या संवाहक उपधारा (1) के अधीन शास्ति देने के लिए दायी पाया जाता है और शास्ति देने से इंकार करता है, तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड पंद्रह दिन के कारावास या पांच सौ रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।"

(अ:) धारा 162 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"162. महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना—(1) यदि कोई पुरुष यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी रेलगाड़ी में कोई सवारी डिब्बा, कक्ष, शायिका या सीट अथवा कोई कमरा या अन्य स्थान रेल प्रशासन द्वारा महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना—

(क) उस सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या अन्य स्थान में प्रवेश करेगा या ऐसे सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या स्थान में प्रवेश करने के पश्चात् उसमें रहेगा; या

(ख) किसी रेल सेवक द्वारा ऐसी शायिका या सीट को खाली करने की अपेक्षा करने पर भी उस पर दखल रखेगा,

तो वह अपने पास या टिकट के समपहत किए जाने के दायी होने के अतिरिक्त, दो हजार पांच सौ रुपए की शास्ति देने के दायित्वाधीन होगा और वह किसी रेल सेवक द्वारा हटाया भी जा सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन शास्ति देने के लिए दायी पाया गया व्यक्ति शास्ति देने से इंकार करता है, तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड दो हजार पांच सौ रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी ऐसे उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी, जैसाकि उभयलिंगी व्यक्तिगण (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है।"

(र) धारा 163 में, "ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे माल के प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी शास्ति के दायित्वाधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राशि के बराबर होगी" शब्द रखे जाएंगे।

(ल) धारा 165 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"165. घृणोत्पादक माल को विधिविरुद्धतया रेल पर लाना—(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में, अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल ले जाएगा या ऐसा माल वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा तो वह ऐसे माल को रेल से हटाए जाने और ऐसे माल को रेल पर लाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के बराबर शास्ति के दायित्वाधीन होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे माल को रेल से हटाने और उपधारा (1) के अधीन शास्ति देने के दायित्वाधीन है, और इस धारा के अधीन उसकी मांग किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहेगा या करने से इंकार करेगा तो प्राधिकृत रेल सेवक, अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय को संदेय राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा, और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(व) धारा 166 में—

(i) दीर्घ पंक्ति में, "तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए दो हजार रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा, किसी दूसरे या पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दीर्घ पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि व्यक्ति शास्ति देने से इंकार करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

(श) धारा 167 में—

(i) उपधारा (3) में, "जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "अपने पास या टिकट के समपहरण के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त दो हजार रुपए की शास्ति के दायित्वाधीन होगा और उसे किसी रेल सेवक द्वारा हटाया भी जाएगा और यदि वह शास्ति देने से इंकार करता है, तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड दो हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।"

(ष) धारा 172 में, "वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(स) धारा 176 का लोप किया जाएगा।

(ह) धारा 179 की उपधारा (2) में, "धारा 137 से धारा 139, धारा 141 से धारा 147, धारा 153 से धारा 157, धारा 159 से धारा 167 और धारा 172 से धारा 176" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 137 से धारा 139, धारा 141 से धारा 147, धारा 153 से धारा 157, धारा 159 से धारा 162, धारा 164 से धारा 167 और धारा 172 से धारा 175" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

53 1994 44 नई दिल्ली
नगरपालिका
परिषद्
अधिनियम, 1994

(अ) धारा 2 में,—

(i) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(1क) "वार्षिक मूल्य" से धारा 64घ के अधीन निर्धारित किसी रिक्त भूमि या किसी भवन के आच्छादित स्थान का वार्षिक मूल्य अभिप्रेत है;’

(ii) खंड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(25क) "नगर मूल्यांकन समिति" से धारा 64क के अधीन गठित नगर मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है;’

(iii) खंड (39) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(39क) "सार्वजनिक उपयोगिताओं" के अन्तर्गत जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और प्रकाश, मल और जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा और दूरसंचार सेवाएं, गैस वितरण प्रणाली और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हैं, चाहे उनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो या अन्यथा;’

(iv) खंड (54) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(54क) "रिक्त भूमि" से किसी परिसर के भीतर की वह भूमि अभिप्रेत है जो उस पर खड़े किए गए किसी भवन के चबूतरे द्वारा आच्छादित नहीं है;’ ।

(आ) धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"61. संपत्ति कर के घटक.- इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, संपत्ति कर नई दिल्ली की भूमि और भवनों

पर उद्गृहीत किया जाएगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) एक भवन कर; और

(ख) एक रिक्त भूमि कर ।"।

(इ) धारा 61 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

'61क. भवन कर.- किसी भवन के लिए, भवन कर, भवन कर की उस दर के बराबर होगा जो धारा 61घ के अधीन परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसे धारा 64घ की उपधारा (1) या धारा 64ड के अधीन निर्धारित भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य से गुणा किया जाएगा।

61ख. कतिपय वर्गों के लिए छूट.- ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्व-अधिभोग में रखे गए किसी आवासीय भवन की दशा में, जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिषद् एक सौ वर्ग मीटर के आच्छादित स्थान तक के ऐसे भवन के आच्छादित स्थान पर देय कर के तीस प्रतिशत से अनधिक भवन कर पर छूट विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु ऐसी छूट नई दिल्ली की अधिकारिता के भीतर एक से अधिक आवासीय भवन के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

61ग. रिक्त भूमि कर.- किसी परिसर की बाबत रिक्त भूमि कर, रिक्त भूमि कर की उस दर के बराबर होगा जो धारा 61ड के अधीन परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसे धारा 64घ की उपधारा (3) के अधीन निर्धारित रिक्त भूमि के वार्षिक मूल्य से गुणा किया जाएगा:

परन्तु जहां भूमि पर कोई निर्माण है और ऐसे भवन के चबूतरे का क्षेत्र उस भूखंड के क्षेत्र के ऐसे प्रतिशत से अधिक है, जो उपविधियों में उपबंधित किया जाए, वहां कोई रिक्त भूमि कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

61घ. भवन कर की दर.- इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नई दिल्ली में भवनों पर संपत्ति कर की आधार दर ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य के न्यूनतम दस प्रतिशत और अधिकतम बीस प्रतिशत के बीच होगी, जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु परिषद् किसी भी समय, यथापूर्वोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के लिए या ऐसे क्षेत्रों में भवनों के विभिन्न समूहों के लिए नियत दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु यह और कि परिषद् यथापूर्वोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के भीतर, सीधी रेखा पद्धति या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति के आधार पर कर की आनुपातिक दरें भी प्रवर्तित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 61ड के प्रयोजन के लिए, "सीधी रेखा पद्धति" से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसमें कर की दर किसी संपत्ति के वार्षिक मूल्य (X) को न्यूनतम वार्षिक मूल्य (X1) से विभाजित करने

पर प्राप्त भागफल में γ जोड़ने के बराबर होती है, γ अधिकतम (X_2) और न्यूनतम (X_1) वार्षिक मूल्यों के भागफल और अधिकतम कर दर के बीच का अंतर है।

61ड. रिक्त भूमि कर की दर. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नई दिल्ली में रिक्त भूमियों पर कर की दर ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य के न्यूनतम दस प्रतिशत और अधिकतम बीस प्रतिशत के बीच होगी, जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु परिषद् किसी भी समय, यथापूर्वोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के लिए या ऐसे क्षेत्रों में रिक्त भूमियों के विभिन्न समूहों के लिए नियत दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु यह और कि परिषद् यथापूर्वोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के भीतर, सीधी रेखा पद्धति या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति के आधार पर कर की आनुपातिक दरें भी प्रवर्तित कर सकेगी।\'

(ई) धारा 62 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

'स्पष्टीकरण'—"पूतय प्रयोजन" के अन्तर्गत निर्धनों को चिकित्सा सहायता करना या उनकी शिक्षा करना भी है;।

(उ) धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“63. निर्धारण की इकाई.- (1) प्रत्येक भवन और प्रत्येक रिक्त भूमि का एकल इकाई के रूप में निर्धारण किया जाएगा।

परन्तु जहां किसी भवन या रिक्त भूमि के भाग पृथक्-पृथक् स्वामित्वाधीन हैं, इस प्रकार कि वे पूर्णतः स्वतंत्र और पृथक् उपभोग योग्य हों, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे पृथक् भागों तक पहुंच एक सामान्य मार्ग या सामान्य सीढ़ी, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से होती है, ऐसे पृथक् स्वामित्व वाले भागों का पृथक् रूप से निर्धारण किया जा सकता है।

(2) सभी भवन, जहां तक वे सटे हुए हैं या उसी संलग्न परिसर के भीतर हैं या उसी नींव पर हैं और उसी स्वामी या सह-स्वामियों के अविभाजित संपत्ति के रूप में स्वामित्वाधीन हैं, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण के प्रयोजन के लिए एक इकाई के रूप में माने जाएंगे:

परन्तु यदि ऐसा कोई भवन पृथक् हिस्सों में उप-विभाजित है जो पूर्णतः स्वतंत्र और पृथक् उपभोग योग्य नहीं हैं, तो अध्यक्ष, स्वामियों या सह-स्वामियों के आवेदन पर, संपूर्ण भवन को एकल इकाई मानते हुए, ऐसे भवन के मूल्यांकन और निर्धारण को सह-स्वामियों के बीच उनके संबंधित हिस्सों के मूल्य के अनुसार आबंटित कर सकेगा।

(3) किसी आवासीय सहकारी सोसाइटी द्वारा, जो तत्समय प्रवृत्त सहकारी आवास को विनियमित करने वाली किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निर्मित या क्रय किए गए और उसके स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन, सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के

अपने प्रतिशत सहित प्रत्येक आवासीय इकाई का पृथक् रूप से निर्धारण किया जाएगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त अपार्टमेंट स्वामित्व को विनियमित करने वाली किसी विधि के अर्थ के अन्तर्गत किसी भवन में प्रत्येक अपार्टमेंट और सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का उसका प्रतिशत का पृथक् रूप से निर्धारण किया जाएगा।

(5) यदि किसी रिक्त भूमि या भवन या उसके किसी भाग का स्वामित्व पृथक् हिस्सों में उप-विभाजित हो जाता है, या यदि एक से अधिक सटे हुए रिक्त भूमि या भवन या उसके भाग सम्मेलन द्वारा एक स्वामित्व में आ जाते हैं, तो अध्यक्ष, स्वामी या सह-स्वामियों, जैसी भी स्थिति हो, के आवेदन पर, इस धारा के उपबंधों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी रिक्त भूमि या भवन या उसके भाग को, यथास्थिति, पृथक् या सम्मेलित कर सकेगा।

(6) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी रिक्त भूमि या भवन के संबंध में किए गए किसी निर्धारण के बावजूद, अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस धारा के उपबंधों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी रिक्त भूमियों या भवनों या उनके भागों को सम्मेलित या पृथक् कर सकेगा, या उनका निर्धारण जारी रख सकेगा।

(7) अध्यक्ष, किसी रिक्त भूमि या भवन के स्वामी, पट्टेदार, उप-पट्टेदार या अधिभोगी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और उपविधियों में उपबंधित ऐसी फीस के संदाय पर, ऐसे स्वामी, पट्टेदार, उप-पट्टेदार या अधिभोगी, जैसी भी स्थिति हो, को, निर्धारण की चालू अवधि या निर्धारण की किसी पूर्ववर्ती अवधि के लिए, ऐसी रिक्त भूमि या भवन पर संपत्ति कर के ऐसे रिक्त भूमि या भवन के विभिन्न अधिभोगियों के बीच आबंटन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात परिषद् को किसी ऐसे व्यक्ति से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से संपत्ति कर की बकाया धनराशि वसूल करने से नहीं रोकेगी।'

(ऊ) धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'64क. नगर मूल्यांकन समिति का गठन—(1) परिषद्, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र, और तत्पश्चात् प्रत्येक तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप और रीति में जारी की गई लोक सूचना द्वारा एक नगर मूल्यांकन समिति का गठन करेगी।

(2) नगर मूल्यांकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) ऐसे अन्य सदस्य, जो दो से कम और छह से अधिक न हों, जैसा परिषद् अवधारित करे।

(3) नगर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति परिषद् द्वारा की जाएगी और उनकी नियुक्ति के लिए अपेक्षित अहर्ताएं और अनुभव, चयन की रीति, और सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अन्तर्गत वेतन और भत्ते, पदावधि भी हैं, वैसी होंगी जैसा परिषद् नियमों द्वारा अवधारित करे।

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते नगरपालिका निधि से संदत्त किए जाएंगे।

(5) नगर मूल्यांकन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) नई दिल्ली के किसी क्षेत्र में रिक्त भूमियों और भवनों के क्षेत्रों और भूमि एवं भवनों के समूहों में वर्गीकरण और प्रति इकाई क्षेत्र के आधार मूल्य तथा उसमें वृद्धि या कमी, या उसमें कोई वृद्धि या कमी न करने के गुणकों से संबंधित विषयों पर परिषद् को सिफारिशें करना;

(ख) धारा 64घ के अधीन आक्षेपों पर विचार करना और उन पर सिफारिश करना; और

(ग) परिषद् द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना।

64ख. रिक्त भूमियों और भवनों का क्षेत्रों और समूहों में वर्गीकरण और उनके लिए प्रति इकाई क्षेत्र के आधार मूल्यों का विनिर्देशन. (1) नगर मूल्यांकन समिति, नई दिल्ली के किसी क्षेत्र में रिक्त भूमियों और भवनों के क्षेत्रों और भूमि एवं भवनों के समूहों में वर्गीकरण की सिफारिश निम्नलिखित सभी या किन्हीं पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए करेगी, अर्थात्:—

(क) बसाव पैटर्न, जैसे प्लॉटेड हाउसिंग, समूह आवासन, केवल फ्लैटों वाली कालोनी, शहरी गांव, अनधिकृत कालोनी, पुनर्वास कालोनी, ग्रामीण गांव और गैर-आवासीय क्षेत्र;

(ख) नागरिक और सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता;

(ग) सड़कों तक पहुंच;

(घ) जिला केन्द्रों, स्थानीय शॉपिंग केन्द्रों, सुविधा शॉपिंग केन्द्रों और अन्य बाजारों तक पहुंच;

(ङ) भूमि मूल्य, जैसा सरकार या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

(च) किसी भवन की उपयोग-वार श्रेणी, जिसके अन्तर्गत आवासीय भवन, व्यवसाय भवन, वाणिज्य भवन, मनोरंजन और खेलकूद प्रयोजनों के लिए भवन, औद्योगिक भवन, खतरनाक भवन और सार्वजनिक प्रयोजन भवन, जिसके अन्तर्गत शैक्षिक, चिकित्सा और ऐसी अन्य संस्थागत भवन और फार्म हाउस भी हैं, जैसा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(छ) व्यवसाय, वाणिज्य, मनोरंजन और खेलकूद, औद्योगिक, खतरनाक, भंडारण या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों की दशा में, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे भवनों की सड़कों की ऐसी श्रेणियों से सटे स्थान, जैसा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ज) भवनों के प्रकार, जिन्हें परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के अनुसार पक्का, अर्ध-पक्का या कच्चा के रूप में वर्गीकृत किया जा सके;

(झ) परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के अनुसार भवनों का आयु-वार समूहीकरण; और

(ञ) ऐसे अन्य पैरामीटर, जिन्हें नगर मूल्यांकन समिति द्वारा प्रासंगिक समझा जाए।

(2) नगर मूल्यांकन समिति, समूह-वार, सिफारिश करेगी,—

(क) किसी स्व-अधिभोग वाली रिक्त भूमि का, या वर्ष 2025 या उसके पश्चात् निर्मित पक्की संरचना के किसी पूर्णतः स्व-अधिभोग वाले भवन का, जिसका उपयोग केवल आवासीय है, प्रति इकाई क्षेत्र का आधार मूल्य; और

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रति इकाई क्षेत्र के आधार मूल्यों को, क्षेत्र के प्रकार, उपयोग, आयु, संरचना के प्रकार और रिक्त भूमि या भवन की, जैसी भी स्थिति हो, अधिभोग स्थिति के पैरामीटर में से किसी या प्रत्येक के संबंध में, शून्य दशमलव पांच की निचली सीमा और दस दशमलव शून्य की ऊपरी सीमा के अधीन रहते हुए, बढ़ाने या घटाने, या न बढ़ाने या न घटाने का गुणक।

64ग. रिक्त भूमियों और भवनों के क्षेत्रों और समूहों के वर्गीकरण की अधिसूचना और उनके आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों और बढ़ाने या घटाने के कारकों का विनिर्देशन—(1) परिषद् नगरपालिका मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली क्षेत्र में रिक्त भूमियों और भवनों को ऐसे क्षेत्रों की भूमियों और भवनों के समूहों को वर्गीकृत करने के अपने आशय की घोषण करेगी, जो परिषद् लोक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और ऐसी लोक सूचना में वह आधार मूल्य भी विनिर्दिष्ट करेगी जिसे वह रिक्त भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करती है और धारा 64ख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रिक्त भूमियों और भवनों के आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों को बढ़ाने या घटाने के लिए कारकों को भी विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) परिषद् भूमियों या भवनों के किसी समूह के ऐसे वर्गीकरण द्वारा प्रभावित किसी क्षेत्र में किसी समूह से किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या ऐसे समूहों के भीतर रिक्त भूमियों और भवनों के आच्छादित स्थान के आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों के विनिर्देशन तथा रिक्त भूमि या भवनों के आच्छादित स्थान के इकाई क्षेत्र मूल्यों को बढ़ाने या घटाने के लिए या न बढ़ाने या घटाने के लिए कारकों पर ऐसे अभ्यावेदन को पुनर्विचार के लिए नगरपालिका मूल्यांकन

समिति को निर्दिष्ट करेगी और उस पर नगरपालिका मूल्यांकन समिति का विनिश्चय धारा 64ट के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद् पर बाध्यकारी होगा।

64घ. रिक्त भूमियों और भवनों के क्षेत्रों और समूहों के वर्गीकरण और आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों तथा ऐसे आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों को बढ़ाने या घटाने के लिए या न बढ़ाने या घटाने के लिए कारकों के लिए आदेश—(1) यदि किसी क्षेत्र में किसी रिक्त भूमि या भवन का स्वामी या अधिभोगी जिसकी बाबत धारा 64ग के अधीन लोक सूचना जारी की गई है किसी समूह या समूहों के वर्गीकरण की रीति किसी समूह में या रिक्त भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र के आधार मूल्य या भवन के आच्छादित स्थान के प्रति इकाई क्षेत्र के आधार मूल्य या धारा 64ख की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट कारकों पर कोई आक्षेप है, वह परिषद् के ऐसे अधिकारी को जिसे इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे प्ररूप और ऐसे विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाए, ऐसी लोक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसे आक्षेप पर नगरपालिका मूल्यांकन समिति द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(2) आक्षेपों की सुनवाई और निपटान के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) धारा 64ग के अधीन लोक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर और आक्षेपों, यदि कोई हो, नगरपालिका मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, इस धारा के उपबंधों के अनुसार परिषद् लोक सूचना द्वारा रिक्त भूमि का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य और भवन के आच्छादित स्थान के आधार इकाई क्षेत्र मूल्य को समूहवार और धारा 64ख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कारकों को विनिर्दिष्ट करेगी :

परंतु परिषद् सरकार के अनुमोदन के बिना नगरपालिका मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश किए गए इकाई क्षेत्र मूल्यों में परिवर्तन नहीं करेगी।”

64ड रिक्त भूमि और भवन के आच्छादित स्थान के अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य—

(1) धारा 115 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी समूह में रिक्त भूमि का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य और भवन के आच्छादित स्थान का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य, जो धारा 64घ की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, अंतिम होगा।

(2) परिषद् यथापूर्वोक्त रिक्त भूमि का अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य और भवन के आच्छादित स्थान का अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य और यथापूर्वोक्त अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य को बढ़ाने या घटाने के लिए या न बढ़ाने या न घटाने के लिए प्रयुक्त कारकों को प्रकाशित करेगी और उनको किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगी तथा उनकी प्रतियां भी लागत के संदाय पर, किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगी।

64च. भवन के आच्छादित स्थान और रिक्त भूमि के वार्षिक मूल्य का अवधारण—(1) किसी क्षेत्र में भवन के किसी आच्छादित स्थान का वार्षिक

मूल्य, ऐसे आच्छादित स्थान के अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य द्वारा भवन के ऐसे आच्छादित स्थान के कुल क्षेत्र और धारा 64ख की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत कारकों से गुणा करने पर परिनिर्धारित रकम होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “आच्छादित स्थान” से भवन के संबंध में, उसकी सभी मंजिलों का कुल फर्श क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई भी है और इसमें आच्छादित बारामदे और आंगन, गैंगवे, गैराज, सामान्य सेवा क्षेत्र, स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र, सीढ़ियां और बालकनी के स्थान भी सम्मिलित होंगे, जिसके अंतर्गत प्लॉट की सीमा से परे का कोई क्षेत्र और ऐसा अन्य स्थान, जो विहित किया जाए, भी है।

(2) परिषद्, पूर्वोक्त भवन के आच्छादित स्थान के कुल क्षेत्र को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वास्तुविद् या किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त वास्तुविद् ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा इस निमित्त संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रमाणित कराने की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) किसी क्षेत्र में किसी रिक्त भूमि का वार्षिक मूल्य ऐसी भूमि का अंतिम आधार इकाई क्षेत्र मूल्य द्वारा ऐसी रिक्त भूमि के कुल क्षेत्र और धारा 64ख की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत कारकों से गुणा करने पर परिनिर्धारित रकम होगी।

(4) यदि किसी रिक्त भूमि और भवन के आच्छादित स्थान की दशा में उसका कोई भाग भिन्न अंतिम आधार इकाई क्षेत्र के अध्यक्षीन है या स्वयं अधिभोगी नहीं है तो ऐसे प्रत्येक भाग का वार्षिक मूल्य पृथक् रूप से संगणित किया जाएगा और ऐसे वार्षिक मूल्य की राशि, यथास्थिति, ऐसी रिक्त भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के लिए वार्षिक मूल्य होगी।

64छ. भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण जहां भूमि संपत्ति कर छूट प्राप्त है—जहां कोई रिक्त भूमि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, वहां ऐसी भूमि पर परिनिर्मित किसी भवन का वार्षिक मूल्य जो एक वर्ष से अधिक के लिए विद्यमान है और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे कर से किसी छूट का हकदार नहीं है, यह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

64ज. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथासंशोधित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के ठीक पहले इस अधिनियम के अधीन रिक्त भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या दोनों पर उद्गृहीत कर, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ द्वारा, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन ऐसी रिक्त भूमि या भवन का आच्छादित स्थान या दोनों पर उद्गृहीत कर समझा जाएगा और यह तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक ऐसा कर जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण जन विश्वास

(उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख पर रिक्त भूमि या भवन का आच्छादित स्थान या दोनों की बाबत अंतिम रूप से नहीं किया गया है, वहां निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी निर्णय में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, जिस पर जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ के समय शोध्यकर लंबित है, उस अवधि के लिए वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारण की मांग कर सकेगा जिससे शोध्य संबंधित है :

परंतु किसी ऐसी स्कीम का फायदा केवल उन निर्धारितियों पर लागू होगा, जो संपत्ति के क्षेत्रों और आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों के अंतिम वर्गीकरण की घोषणा के छह मास की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्धारित करने के लिए आवेदन करते हैं और करदाता बिना किसी शर्त के मुकदमें को, यदि किसी और अवलंब के बिना है, वापस ले लेता है :

परंतु यह और कि निर्धारिती जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित, इस अधिनियम के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों का संदाय उस पर मांग सूचना की तामील के एक वर्ष के भीतर करेगा।

64झ. रिक्त भूमि और भवन के आच्छादित स्थान के आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों की विधिमान्यता—किसी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समूह की बाबत रिक्त भूमि का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य और भवन का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य तीन वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा :

परंतु जब तक ऐसे आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों का पुनरीक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक विद्यमान आधार इकाई क्षेत्र मूल्य लागू रहेंगे।

64ज. इकाई क्षेत्र मूल्य की अनुक्रमणिका बनाना—यदि, किसी कारण से, किस क्षेत्र में किसी समूह में किसी रिक्त भूमि का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य या भवन के किसी आच्छादित स्थान का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य ऐसे तारीख से जिसको ऐसा आधार इकाई क्षेत्र मूल्य अंतिम अवधारित किया गया था, तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुनरीक्षित नहीं किया गया है, तब अध्यक्ष के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह शहरी और गैर-शारीरिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत अनुक्रमणिका में परिवर्तनों या ऐसी अन्य उपयुक्त अनुक्रमणिका के अनुसार, जिसे परिषद् अवधारित करे, आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों को बढ़ाए या घटाए, जब तक, नगरपालिका मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसा पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाता और पुनरीक्षित आधार इकाई क्षेत्र मूल्यों के आधार पर रिक्त भूमि का आधार इकाई क्षेत्र मूल्य या भवन के ऐसे आच्छादित या रिक्त भूमि के लिए संपत्ति कर की रकम वसूल करे।

64ट. कठिनाई और विसंगति समिति—(1) परिषद्, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ पर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो परिषद् ठीक समझे, जब जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित संपत्ति कर की बाबत, कठिनाइयों और विसंगतियों, यदि कोई

हो, के मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से, कठिनाई और विसंगति समिति नियुक्त करेगी।

(2) कठिनाई और विसंगति समिति का गठन ऐसे होगा जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) कठिनाई और विसंगति समिति अधिरोपित संपत्ति कर से उद्भूत किसी कठिनाई या विसंगति के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों के किसी समूह से प्राप्त याचिकाओं पर परिषद् को सिफारिशें कर सकेगी और ऐसी सिफारिश पर परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कठिनाई और विसंगति समिति के कार्य करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(ऋ) धारा 65 में,—

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि परिषद् नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए, उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के पचहतर प्रतिशत की दर पर भारत संघ की संपत्तियों से प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण कर सकेगी।”;

(ii) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन प्ररूपित सोसाइटी के अधीन निगमित सरकारी कंपनी, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र या संसद् के अधिनियम द्वारा या किसी राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा गठित कानूनी या स्वाशासी निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है, जिसका अपना निगमित व्यक्तित्व है, के स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं समझी जाएगी।”।

(ए) धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

66. संपत्ति कर का भार—

(1) किसी भूमि या भवन पर संपत्ति कर इसके स्वामी पर प्रथमतः उद्ग्रहणीय होंगे।

(2) निर्धारण की एकल इकाई गठित करने वाले किसी भूमि या भवन के कई स्वामियों का दायित्व, जो भागों में, जिसके अंतर्गत फ्लैट या कक्ष भी है, पृथक रूप से स्वामित्व की अवधि के दौरान देय संपत्ति कर या उसकी किसी किस्त के संदाय के लिए संयुक्त और पृथक होगा :

परंतु अध्यक्ष ऐसी भूमि या भवन पर संपत्ति कर की रकम को किन्हीं सह-स्वामियों के बीच विभाजित कर सकेगी :

परंतु यह और कि किसी मामले में, जहां अध्यक्ष का लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समाधान हो जाता है कि स्वामी का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी भूमि या भवन का तत्समय अधिभोगी संपत्ति कर के संदाय के लिए दायी होगा और यदि ग्राह्य हो, तो छूट का भी हकदार

होगा।

(3) किसी भूमि या भवन के मामले में, जो स्वतः अधिभोगी नहीं है और जहां स्वामी किसी विधि, सरकार के आदेश या न्यायालय के आदेश द्वारा शोध कर वसूल करने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसा कर, यथास्थिति, अधिभोगी या अधिभोगियों से वसूल किया जाएगा :

परंतु स्वामी ऐसे कर की रकम का संदाय करना जारी रखेगा जैसा वह जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले संदाय करने के लिए दायी था और केवल शेष रकम, यदि कोई हो, अधिभोगी से वसूल की जाएगी।

(4) किसी भूमि या भवन पर संपत्ति कर, जो परिषद् की संपत्ति है और जिसे किसी करार या अनुज्ञापन व्यवस्थापन के अधीन कब्जा परिदत्त किया गया है, यथास्थिति, अंतरिती या अनुज्ञप्तिधारक पर उद्ग्रहणीय होगा।

(5) यदि कोई भूमि एक वर्ष के लिए अभिधारी या पट्टाधारी को दी गई है और ऐसे अभिधारी ने उस भूमि पर निर्माण किया है तो ऐसी भूमि और उस पर निर्मित भवन की बाबत निर्धारित संपत्ति कर ऐसे अभिधारी या पट्टाधारी द्वारा संदेय होगा, चाहे भूमि और भवन ऐसे यथास्थिति, अभिधारी या पट्टाधारी या ऐसे अभिधारी या पट्टाधारी के उप अभिधारी या उप पट्टाधारी के अधिभोग में हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अभिधारी” के अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे भूमि पर या ऐसी भूमि पर निर्मित भवन पर अभिधारी से, चाहे विधि के प्रवर्तन द्वारा या जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण द्वारा हक व्युत्पन्न हुआ है।

(ऐ) धारा 67 का लोप किया जाएगा।

(ओ) धारा 69 के स्पष्टीकरण में, संपत्ति कर की वसूली के खर्च और संदेय शास्ति” शब्दों के पश्चात् “तथा संपत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय कोई अन्य राशि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(औ) धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“69क. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—(1) अध्यक्ष किसी क्षेत्र में किसी रिक्त भूमि और भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य को अवधारित करने की दृष्टि से और संपत्ति कर के संदाय के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति को लिखित में, लोक सूचना द्वारा ऐसी रिक्त भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या उसके किसी भाग के स्वामी और अधिभोगी से, जिसके अंतर्गत धारा 69ख के उपबंधों के अधीन शोध कर की गणना करने वाला व्यक्ति भी है, ऐसे प्ररूप में, जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय के भीतर जो ऐसी सूचना, जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:—

(क) स्वामी और अधिभोगी का नाम;

(ख) क्षेत्र की संख्या, क्षेत्र का नाम और यथास्थिति, ऐसी रिक्त

भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के परिसरों की संख्या और उपसंख्या;

(ग) क्या भवन पक्का, अर्धपक्का या कच्चा है;

(घ) यथास्थिति, भवन के संनिर्माण के पूरा होने का वर्ष या उसके संनिर्माण का वर्ष; या

(ङ) धारा 64ख की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के संदर्भ में वह उपयोग जिसके लिए ऐसी रिक्त भूमि या भवन के आच्छादित स्थान को रखा जाता है या रखा जाना आशयित है;

(च) रिक्त भूमि का क्षेत्र और भवन का आच्छादित स्थान, जिसमें विभिन्न उपयोगों के अधीन आने वाले क्षेत्र का विवरण सम्मिलित है;

(छ) क्या पूर्णतः स्वामित्वाधीन या पूर्णतः अधिभोगयुक्त या भागतः स्वामित्वाधीन या भागतः अधिभोगयुक्त और उसके क्षेत्र है ; और

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) यथापूर्वोक्त प्रत्येक स्वामी और प्रत्येक अधिभोगी ऐसी सूचना का अनुपालन करने और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि उसमें किया गया कथन ऐसे स्वामी और अधिभोगी के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है ।

(3) जो कोई ऐसी अध्यपेक्षा करने का लोप करता है, उसे किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिसके लिए वह दायी हो सकेगा, ऐसी भूमि की बाबत अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी निर्धारण पर आक्षेप करने से प्रवारित करेगी ।

(4) अध्यक्ष या उसके अधीनस्थ और इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, लिखित में या कोई अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्, किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को किसी पूर्व में दिए गए या बिना दिए गए नोटिस के साथ प्रवेश कर सकेगा तथा किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण या जांच कर सकेगा और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के संग्रहण के लिए या ऐसी भूमि या भवन की विवरणी में दिए गए कथन के सत्यापन को ध्यान में रखते हुए, ऐसी भूमि या भवन का परिमाण ले सकेगा:

परंतु कि सूर्योदय और सूर्यास्त के घंटों के बीच के सिवाय कोई ऐसी प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

69ख. स्वनिर्धारण और विवरणी का प्रस्तुतीकरण—(1) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्, किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के किसी स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो संपत्ति कर देने का दायी है या ऐसे किसी स्वामी या व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई अधिभोगी, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ऐसी अवधि के भीतर स्वनिर्धारण विवरणी फाइल कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति या अधिभोगी तत्पश्चात् उस वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें स्थिति में परिवर्तन हुआ

है, के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर केवल उन्हीं मामलों में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा, जहां पूर्व की विवरणी से तुलना अनुसार स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

(3) किसी भवन या खाली भूमि की आच्छादित जगह का कोई स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो संपत्ति कर संदाय करने का दायी है या ऐसे स्वामी या व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई अधिभोगी, यथास्थिति, धारा 61क या धारा 61ग के अधीन शोध कर की संगणना कर सकेगा और वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कर संदत किया जाना है, उसका 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को बराबर तिमाही किस्तों में संदाय कर सकेगा तथा 30 जून तक उक्त वित्तीय वर्ष के लिए एक मुश्त कर संदत होने की स्थिति में, ऐसी प्रतिशत की रिबेट, जो कुल शोध कर रकम के पंद्रह प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा परिषद् द्वारा अधिसूचित किया जाए, अनुज्ञात होगी।

(4) किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का कोई स्वामी या संपत्ति कर संदाय के लिए दायी कोई अन्य व्यक्ति या ऐसी स्वामी या व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई अधिभोगी, जो इस धारा के अधीन ऐसे संपत्ति कर की संगणना करता है, यथास्थिति, ऐसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह पर ऐसी संगणना पर संपत्ति कर का ब्याज सहित संदाय कर सकेगा, यदि कोई निम्नलिखित में से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय है—

(क) कोई नया भवन या विद्यमान भवन, जिसका निर्धारण नहीं किया गया है; या

(ख) कोई विद्यमान भवन, जो अंतिम निर्धारण के पश्चात् पुनःविकसित की गई है या सारवान रूप से परिवर्तित या सुधारी गयी है, किंतु यथास्थिति, ऐसे पुनःविकास या परिवर्तन या सुधार के परिणामस्वरूप निर्धारण के पुनरीक्षण के अधीन नहीं है।

(5) यथास्थिति, ऐसा स्वामी या व्यक्ति, अध्यक्ष को स्वनिर्धारण की विवरणी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा प्रत्येक ऐसी विवरणी के साथ संपत्ति कर और उसके ब्याज के संदाय का साक्ष्य होगा, यदि कोई हो।

(6) किसी नए भवन की दशा में, जिसके लिए अधिभोग प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या जिसका अधिभोग जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् किया गया है, ऐसा संदाय और ऐसी विवरणी, तिमाही जिसमें ऐसा अधिभोग प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या ऐसा भवन अधिभोग किया गया है, जो भी पूर्वतर हो, के अवसान के तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि अधिभोग प्रमाणपत्र अनंतिम या अंतिम हो सकता है तथा भवन के पूर्ण या किसी भाग के लिए हो सकता है तथा अधिभोग भवन के पूर्ण या किसी भाग के लिए हो सकता है।

(7) धारा 64च या धारा 64छ के अधीन खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के वार्षिक मूल्य के अवधारण के पश्चात् या धारा 69ग के अधीन उसके पुनरीक्षण के पश्चात्, इस धारा के अधीन पुनःनिर्धारण पर संदत्त कोई रकम, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन ऐसे अवधारण के कारण संदत्त की गई समझी जाएगी।

(8) यदि, यथापूर्वोक्त कोई स्वामी या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संपत्ति कर के संदाय का दायी है, उसका उस पर लगे ब्याज सहित संदाय करने में असफल रहता है, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में, वह ऐसी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके वह अधीन हो सकता है, ऐसे संपत्ति कर या ब्याज या दोनों के असंदत्त रहने के संबंध में व्युत्क्रमी समझा जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध, जो ऐसे व्युत्क्रमी पर लागू होते हैं, तदनुसार उसे लागू होंगे।

(9) यदि, किसी भूमि या भवन की आच्छादित जगह के वार्षिक मूल्य का निर्धारण इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से करने के पश्चात्, इस धारा के अधीन स्वनिर्धारण पर संदाय निर्धारिती द्वारा संदेय रकम से कम पाया जाता है, तो निर्धारिती अंतिम निर्धारण की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर अंतर का संदाय करेगा, जिसके न हो सकने पर वसूली, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में की जाएगी, किंतु अंतिम निर्धारण के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने अधिक्य रकम संदत्त की है, ऐसी अधिक्य रकम समायोजित की जाएगी:

परंतु कि किसी भी दशा में, जहां अध्यक्ष की राय में स्वनिर्धारण के अधीन संदत्त कर की रकम अंतिम निर्धारण में अवधारित कर की रकम से अधिक है, और कर की रकम में अंतर उपविधियों में यथापरिभाषित जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष कर में ऐसे अंतर के साथ उस पर लगे ब्याज पर तीस प्रतिशत से अनधिक शास्ति उद्गृहीत कर सकेगा:

परंतु और कि ऐसी उद्गृहीत शास्ति, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी अन्य दंड के अतिरिक्त होगी:

परंतु यह भी कि नोटिस भेजने की प्रक्रिया, आक्षेपों की सुनवाई तथा कर और शास्तियों का अवधारण ऐसा होगा, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(10) जहां वर्ष, जिससे ऐसा स्वनिर्धारण संबंधित है, के पश्चात् बारह मास की अवधि के भीतर धारा 69ग के अधीन अध्यक्ष द्वारा कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, ऐसा स्वनिर्धारण इस अधिनियम के अधीन किया गया निर्धारण माना जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में, जहां जानबूझकर तथ्यों को छुपाया जाए, शोध कर के तीस प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी:

परंतु यह और कि नोटिस भेजने की प्रक्रिया, आक्षेपों की सुनवाई

तथा कर और शास्तियों का अवधारण ऐसा होगा, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

69ग. निर्धारण का पुनरीक्षण—(1) अध्यक्ष, किसी भी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह या उसके किसी भाग के वार्षिक मूल्य का किसी भी समय पुनरीक्षण निम्नलिखित दशाओं में करवा सकता है, अर्थात् :—

- (i) जहां उपयोग की प्रकृति में परिवर्तन हो; या
- (ii) जहां अधिभोग की प्रकृति में परिवर्तन हो; या
- (iii) जहां अवधि, जिसके दौरान वार्षिक मूल्य प्रवृत्त रहता है, एक नया भवन बनाया जाए या विद्यमान भवन को पुनःविकसित या सारवान रूप से परिवर्तित या सुधारा जाए; या
- (iv) जहां किसी स्वामी या संपत्ति कर संदेय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा लिखित में आवेदन किए जाने पर, यह स्थापित हो जाता है कि अवधि, जिसके दौरान वार्षिक मूल्य प्रवृत्त है, ऐसा मूल्य किसी सारवान कारणवश द्वारा घटा दिया गया है या किसी दुर्घटना या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसका अवक्षयन हुआ है, को साबित करते हुए अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि यह ऐसे स्वामी या व्यक्ति के नियंत्रण के परे है; या
- (v) जहां किसी भूमि या भवन की आच्छादित जगह या उसका कोई भाग केंद्रीय सरकार या सरकार या परिषद् द्वारा क्रय या अन्यथा द्वारा अर्जित किया जाता है; या
- (vi) जहां किसी भूमि या भवन की आच्छादित जगह या उसका कोई भाग केंद्रीय सरकार या सरकार परिषद् को विक्रय या अन्यथा अंतरित किया जाता है; या
- (vii) जहां, किसी भूमि या भवन की आच्छादित जगह के भाग के अर्जन या अंतरण पर अवशिष्ट भाग के अवशेष; या
- (viii) जहां लेखबद्ध किए गए किसी अन्य कारण के लिए इस प्रकार किया जाना आवश्यक हो जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन वार्षिक मूल्य का कोई पुनरीक्षण करने से पूर्व, अध्यक्ष, यथास्थिति, किसी स्वामी, व्यक्ति या अधिभोगी को, जो ऐसे पुनरीक्षण से प्रभावित है, तीस दिन से अन्यून का नोटिस देगा कि वह पुनरीक्षण का प्रस्ताव करता है तथा आक्षेप, जो ऐसे स्वामी, व्यक्ति या अधिभोगी द्वारा किए जाएं, पर विचार कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का वार्षिक मूल्य—

- (i) किसी भी कारण से, इस अधिनियम के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, ऐसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का वार्षिक मूल्य, यथास्थिति, धारा 64च या 64छ के अधीन ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित जगह के संबंध में निर्धारण की अवधि की निरंतरता के दौरान किसी भी समय पर अध्यक्ष द्वारा

अवधारित की जा सकेगी; या

(ii) अनियमितता के आधार पर रद्द किया गया है, यथास्थिति, ऐसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का वार्षिक मूल्य, ऐसे रद्दकरण के पश्चात् किसी भी समय पर अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जा सकेगा और, यथास्थिति, ऐसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का वार्षिक ऐसा मूल्य तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि एक नया मूल्यांकन या पुनरीक्षण नहीं हो जाता है।

(4) इस धारा के अधीन किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह या उसके किसी भाग के वार्षिक मूल्य का पुनरीक्षण, उस समूह के निर्देश में किया जाएगा जिसमें ऐसी भूमि या भवन की आच्छादित जगह या उसके हिस्से को धारा 64ख के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, तथा उस समूह के लिए, ऐसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह का प्रति इकाई क्षेत्र नियत वार्षिक मूल्य लागू होगा।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के वार्षिक मूल्य का पुनरीक्षण किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के स्वामी या अधिभोगी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं होगा।

(6) जहां इस धारा के अधीन किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के वार्षिक मूल्य का पुनरीक्षण किया जाता है, ऐसे पुनरीक्षण का आदेश, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह के स्वामी या अधिभोगी को संसूचित किया जाएगा।

(7) सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के विरुद्ध धारा (6) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यदि आदेश प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर ऐसी खाली जमीन या भवन के कवर किए गए स्थान के स्वामी, व्यक्ति या अधिभोगी द्वारा पसंद किया जाता है।

69घ. निर्धारण के संबंध में अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष किसी भी समय पर :—

(क) किसी दशा में स्वतः संज्ञान से निर्धारण कर सकेगा, जहां स्वनिर्धारण के आधार पर विवरणी फाइल नहीं की गई है;

(ख) किसी निर्धारण को पुनरीक्षित कर सकेगा, जहां स्वनिर्धारण की विवरणी में दी गई सूचना गलत पायी गई है;

(ग) किसी भी दशा में किसी निर्धारण को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् तथा जो सात वर्ष से अनधिक हो, पुनः खोलता है, जहां यह पाया गया है कि निर्धारण या उसके किसी संसंग के संबंध में जानबूझकर छुपायी गई सूचना या गलत वर्गीकरण या दुर्व्यपदेशन या दुस्संधि या कपट या कूटरचना की गई है;

(घ) समय पर विवरणी फाइल न करने, निर्धारण या उसके संसंग के संबंध में गलत सूचना देने या गलत वर्गीकरण या दुर्व्यपदेशन या दुस्संधि या कपट या कूटरचना, से उद्भूत कर में

अंतर के तीस प्रतिशत से अनधिक पर शास्ति अधिरोपित करना; और

(ड) ऐसे विनिश्चय या आदेश की वैद्यता या औचित्य से स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी किए गए निर्धारण का स्वतः संज्ञान से जांच या पुनर्विलोकन करना,

वह ऐसे निर्धारणीय प्राधिकारी को आदेश में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे बिंदुओं पर आदेश या विनिश्चय को पुनः निर्धारित करने के लिए आदेश या निदेश दे सकता है।

(अं) धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“70. निर्धारण सूची—(1) परिषद् ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, नगरपालिका निर्धारण पुस्तक का रखरखाव करेगी, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो निर्धारण सूची के रूप में भी ज्ञात होगी और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्यथा के माध्यम से प्रभारमुक्त जांच के लिए उपलब्ध करवायी जाएगी, जैसा उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु कि नगरपालिका निर्धारण पुस्तक किसी भी दशा में लंबित नहीं रखी जाएगी, जिसके लिए आक्षेप या अपील फाइल की गई है:

परंतु और यह कि इस अधिनियम के अधीन निर्धारण सूची में तत्पश्चात् किए गए ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, सभी भूमियों और भवनों, जिनसे ऐसी प्रविष्टियों का क्रमशः संबंध है का वार्षिक मूल्य, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारण सूची की प्रविष्टियां निश्चायक साक्ष्य के रूप में स्वीकृत की जाएंगी।

(2) अध्यक्ष, किसी भी समय पर ऐसे कारणों के लिए नगरपालिका निर्धारण पुस्तक का संशोधन कर सकेगा, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु कि ऐसा कोई भी संशोधन किसी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।”।

(अः) धारा 71 तथा धारा 72 का लोप किया जाएगा।

(र) धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“72क. संपत्ति पहचान कोड का दिया जाना—(1) परिषद् को रजिस्ट्रार का रख-रखाव करना होगा जिसमें संपत्ति पहचान कोड संख्या, जिसके द्वारा किसी परिसर या उसका कोई भाग ज्ञात होगा, नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक ऐसे परिसरों के संबंध में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसी संख्या ऐसी रीति में नियत की जाएगी, जैसी उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) जब परिषद् के किसी क्षेत्र में परिसरों के संबंध में संपत्ति पहचान कोड संख्या अवधारित की जा चुकी हो, अध्यक्ष उसी को ऐसी रीति में अधिसूचित करवाएगा, जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया

जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी भी क्षेत्र में परिसरों के संबंध में संपत्ति पहचान कोड संख्या अधिसूचित होने के पश्चात्, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति से, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति या किसी कर के संदाय के लिए या किसी सेवा के लिए किसी शोध्य के संदाय के लिए या यथाविहित ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए परिषद् को आवेदन करना अपेक्षित है, ऐसा आवेदन करते समय, आवेदन में उपधारा (1) के अधीन अवधारित संपत्ति पहचान कोड संख्या वर्णित करेगा।”।

(ल) धारा 73 का लोप किया जाएगा।

(व) धारा 77, धारा 78, धारा 79 तथा धारा 80 का लोप किया जाएगा।

(श) धारा 88 का लोप किया जाएगा।

(ष) धारा 98 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“98. कर के संदाय का समय और रीति— (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी कर का, ऐसी तारीख पर, ऐसी संख्या की किस्तों में और ऐसी रीति में, जो इस निमित्त उपविधियों द्वारा अवधारित की जाए, संदेय होगा:

परंतु कि यदि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ पर संपत्ति कर, जो जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के ऐसे प्रारंभ से तुरंत पूर्व संदत्त किया जा रहा था, या संदेय था, की रकम में कोई वृद्धि होती है, संदत्त किए जा रहे कर या संदेय कर के ऊपर पचास प्रतिशत से अधिक संपत्ति कर की रकम में अंतर को तीन वर्ष की अवधि के प्रक्रमों द्वारा प्रभावी किया जाएगा, जिसमें ऐसे बड़े हुए संपत्ति कर की रकम को तीन द्वारा विभाजित किया जाएगा, भागफल को संपत्ति कर की रकम, जो जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पूर्व संदेय था और संपत्ति कर की रकम, जो ऐसे जोड़ के पश्चात् बचे हुए दो उत्तरवर्ती वर्षों में क्रमशः संदेय होगा, जोड़ा जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संपत्ति कर के संदाय का दायी है, निम्नलिखित—

(क) धारा 69ख की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख पर ऐसा कर का संदाय करने में असफल रहता है ; या

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कर की प्रकृति में, कर का बकाया, ब्याज और शास्ति, यदि कोई है और कोई अन्य राशि का संदाय करने में असफल रहता है,

रकम के वास्तविक रूप से संदत्त होने तक, वह शोध्य तारीख के अवसान से प्रत्येक मास या मास के भाग से मिलकर बनने वाले अवधि के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के संदाय का दायी होगा।

“98क. संपत्ति कर के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम, निर्धारण

की विवरणी में गलत सूचना प्रस्तुत आदि करने के लिए दंड—जो कोई भी किसी कर, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन शोध्य ब्याज की रकम और उद्गृहीत शास्ति भी है, के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम करता है या किसी भी प्रकार की रीति में जानबूझकर अपवंचन का प्रयत्न करता है, या संपत्ति कर की विवरणी देय समय में प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन मांगी गई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, वह इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य शास्ति के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, के अधीन रहते हुए, जहां अपवंचन के लिए ईप्सित कर की रकम दस लाख रुपए से अधिक है, की दशा में कठोर कारावास की अवधि, जो तीन मास की अवधि से कम नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकती है तथा अपवंचन कर की रकम के पचास प्रतिशत से अन्यून के जुर्माने से दंडनीय होगा और किसी भी अन्य दशा में, कठोर कारावास की अवधि, जो एक मास से कम की नहीं होगी किंतु तीन वर्ष तक की हो सकती है और अपवंचित कर की रकम के पचास प्रतिशत से अन्यून के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु कि इस प्रकार अधिरोपित शास्तियां, कर संदाय, जिसे व्यतिक्रमी द्वारा उपगत किया गया हो, के संबंध में किसी दायित्व के अतिरिक्त होंगी और न कि उसके अल्पीकरण में।”।

(स) धारा 99 की उपधारा (1) के परंतुक में खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

- (i) खंड (क) के अंत में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) खंड (ख) के अंत में “और” शब्द का लोप किया जाएगा;
- (iii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ह) धारा 101 की उपधारा (2) में,—

- (i) “बीस” शब्द के स्थान पर, “तीस” शब्द रखा जाएगा;
- (ii) “धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर की रकम और नोटिस की फीस” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “कर की रकम, नोटिस की फीस और कोई ब्याज, जो व्यतिक्रमी संदाय के लिए दायी हो सकता है” शब्द रखे जाएंगे।

(क्ष) धारा 102 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“102क. संपत्ति कर की वसूली—यदि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् किसी खाली भूमि या भवन की आच्छादित जगह या संपत्ति कर संदाय का दायी कोई अन्य व्यक्ति या कोई अधिभोगी किसी ऐसे स्वामी या व्यक्ति की अनुपस्थिति में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर स्वनिर्धारण विवरणी फाइल नहीं करता है, या यदि संपत्ति कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति देय तारीख के भीतर शोध्य रकम का संदाय नहीं करता है, ऐसी राशि, सभी लागतों और शास्ति के साथ, सातवीं अनुसूची

में दिए गए प्ररूप में जारी किसी वारंट के अधीन व्यक्तिक्रमी की जंगम संपत्ति के विक्रय या करस्थम द्वारा और स्थावर संपत्ति की कुर्की और उसे बंद करना तथा उसके विक्रय से, वसूली जा सकती हैं:

परंतु कि अध्यक्ष ऐसी कोई राशि वसूल नहीं करेगा, जिसके लिए दायित्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिहार्य किया जा चुका है।”।

(त्र) धारा 110 से धारा 114 का लोप किया जाएगा।

(ज) धारा 116 में, खंड (क) में, "या, यथास्थिति, धारा 72 के अधीन संशोधन के अंतिम रूप से किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर" शब्द और आंकड़े हटा दिए जाएंगे।

(त) धारा 125 का लोप किया जाएगा।

(लृ) धारा 152 और 153 का लोप किया जाएगा।

(श्र) धारा 176 का लोप किया जाएगा।

(श्रअ) धारा 179, 180 और 181 का लोप किया जाएगा।

(श्रआ) धारा 193 में, उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।

(श्रइ) धारा 209 में, उपधारा (3), (4), (5), (6) और (7) का लोप किया जाएगा।

(श्रई) धारा 213 में, उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

(श्रउ) धारा 214 का लोप किया जाएगा।

(श्रऊ) धारा 221 में, "धारा 222 में उपबंधित के सिवाय" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कोई व्यक्ति नहीं" शब्द रखा जाएगा।

(श्रऋ) धारा 222 का लोप किया जाएगा।

(श्रए) धारा 234 का लोप किया जाएगा।

(श्रऐ) धारा 241 में,—

(i) उपधारा (1) में, "या धारा 245 के उपबंध" शब्द और आंकड़े का लोप किया जाएगा।

(ii) उपधारा (3) में, "या धारा 245 के अधीन" शब्द और आंकड़े का लोप किया जाएगा।

(श्रओ) धारा 245 का लोप किया जाएगा।

(श्रऔ) धारा 254 में, उपधारा (1) में, खंड (त्र) का लोप किया जाएगा।

(श्रअं) धारा 254 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“254क शास्तियों के विरुद्ध अपील.- (1) कोई भी व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी उप-नियम या नियम के अधीन धारा 69ख की उपधारा (9) के परंतुक और धारा 69घ के खंड (घ) के अधीन लगाए गए शास्ति के अतिरिक्त कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, वह अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकता है जो अध्यक्ष द्वारा नामित एक अधिकारी होगा और जो उक्त शास्ति लगाने वाले अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील शास्ति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा परिषद् द्वारा बनाए

गए उप-नियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, फाइल की जाएगी।

(3) अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, शास्ति की पुष्टि करते हुए, संशोधन करते हुए या उसे रद्द करते हुए ऐसा संक्षेप आदेश पारित कर सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी अपील के फाइल करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन लगाए गए जुर्माने की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो कर के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(श्रअ:) धारा 265 में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

(श्रर) धारा 267 में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

(श्रल) धारा 271 और 272 का लोप किया जाएगा।

(श्रव) धारा 275 का लोप किया जाएगा।

(श्रश) धारा 280 और 281 का लोप किया जाएगा।

(श्रष) धारा 284 और 285 का लोप किया जाएगा।

(श्रस) धारा 288 और 289 का लोप किया जाएगा।

(श्रह) धारा 291 का लोप किया जाएगा।

(श्रक्ष) धारा 293 का लोप किया जाएगा।

(श्रत्र) धारा 296 का लोप किया जाएगा।

(श्रज) धारा 298 और 299 का लोप किया जाएगा।

(श्रत) धारा 304 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“304 मृत पशुवो का निपटान - जब भी किसी व्यक्ति के प्रभार में कोई पशु मर जाता है, तो उसके प्रभारी व्यक्ति को चौबीस घंटे की अवधि के भीतर शव को मृत पशुवो के शवों के अंतिम निपटान के स्थान पर धारा 263 के अधीन प्रदान या नियुक्त स्थान पर ले जाना चाहिए।

(श्रलृ) धारा 307 का लोप किया जाएगा।

(श्रश्र) धारा 311, 312 और 313 का लोप किया जाएगा।

(श्रश्रअ) धारा 320, 321 और 322 का लोप किया जाएगा।

(श्रश्रआ) धारा 324 का लोप किया जाएगा।

(श्रश्रइ) धारा 346 में,

(i) पार्श्व शीर्ष में, "या उत्पीड़न" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) शब्द "या उत्पीड़ित करना" का लोप किया जाएगा।

(श्रश्रई) धारा 353 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस, समन और अन्य दस्तावेजों की सेवा प्रतिवादी या उसकी सेवा स्वीकार करने के स्थान पर सशक्त अभिकर्ता को संबोधित स्पीड पोस्ट द्वारा रजिस्ट्रीकरण और डिलीवरी के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसे कूरियर सेवाओं द्वारा की जा सकती है जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हैं या दस्तावेजों के संचरण के

किसी अन्य साधन (फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा सहित) जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

(श्रृंखला) धारा 363 में, "दर या किराया" शब्दों के स्थान पर, इस अधिनियम के अधीन लगाए गए दर, किराया या शास्ति" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रृंखला) धारा 369 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“369 कुछ अपराधों के स्थान पर शास्ति (1) जो कोई—

(क) दसवीं अनुसूची में सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित इस अधिनियम की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, परंतुक या अन्य उपबंधों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है; या

(ख) उक्त धाराओं, उप-धाराओं, खंडों, परंतुक या अन्य उपबंधों के अधीन उसे वैध रूप से दिए गए किसी भी आदेश या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, या उस पर विधिक रूप से किए गए किसी भी अनुरोध का पालन करने में विफल रहता है

उस संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट शास्ति के स्थान पर उत्तरदायी होगा।

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) में निर्दिष्ट कोई भी सदस्य, जो जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परिषद के साथ किए गए किसी अनुबंध में या उसके स्थान पर किए गए किसी कार्य में कोई हिस्सा या हित प्राप्त करता है, ऐसा माना जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 202 के अधीन दंडनीय अपराध किया है।

(श्रृंखला) धारा 370 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“370 उपचारात्मक कार्रवाई या चेतावनी नोटिस का उपबंध.- इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या उप-नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए, ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित अपराधों के स्थान पर शास्ति लगाने से पहले उल्लंघन के पहले मामले में अपराधी को उपचारात्मक कार्रवाई या चेतावनी नोटिस जारी किया जा सकता है:

परंतु ऐसे मामलों में, उसी अपराधी द्वारा उसी अपराध के करने पर, या उपचारात्मक कार्रवाई या चेतावनी नोटिस में निहित निर्देशों का निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में, दसवीं अनुसूची में निर्धारित शास्ति को बिना किसी और सूचना के लगाया जाएगा:

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन अपराधों को संशोधित, उपांतरित, जोड़ सकती है जिनके स्थान पर पहली बार में शास्ति लगाने से पहले अपराधी के स्थान पर उपचारात्मक कार्रवाई या चेतावनी नोटिस जारी किया जा सकता है।

(श्रृंखला) धारा 372 का लोप किया जाएगा ।

(श्रृंखला) धारा 382 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“382. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य.- यह सभी पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वे अध्यक्ष, नगरपालिका अधिकारियों और अन्य नगरपालिका कर्मचारियों या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उप-नियम के

अधीन उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में सहायता करें और इस अधिनियम के अधीन किसी भी उल्लंघन की रोकथाम के स्थान पर या अन्यथा उनके वैध अधिकार के प्रयोग में उनकी सहायता करें।

(श्रृंखला) धारा 390 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

390. उप-नियमों के उल्लंघन के स्थान पर शास्ति (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई भी उप-नियम यह उपबंध कर सकता है कि इसका उल्लंघन पांच सौ रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर उत्तरदायी होगा।

(2) ऐसा कोई उपनियम यह भी उपबंध कर सकता है कि ऐसा उपनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को, यदि कोई हो, ऐसे उल्लंघन के कारण हुई हानि का निवारण करने की आवश्यकता होगी, जो उसके अधिकार में है।

(श्रृंखला) चौथी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

(श्रृंखला) दसवीं अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

“दसवीं अनुसूची
[धारा 369(1) देखिए]
शास्तियां

स्पष्टीकरण—नीचे दी गई सारणी के दूसरे स्तम्भ में प्रविष्टियां, शीर्ष “विषय” के अधीन इस प्रकार आशयित नहीं की जाती हैं, जैसे सारणी के पहले स्तम्भ में वर्णित उपबंधों में विहित अपराधों या उन उपबंधों के सार भी परिभाषित हैं, किंतु उसके विषय के निर्देश के रूप में केवल अंतःस्थापित की जाती हैं:—

सारणी		
धारा, उपधारा, खंड या परंतुक	विषय	शास्ति (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
धारा 75	नया भवन आदि बनाने की सूचना देने में असफलता	500/-
धारा 89	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध ।	5000/-
धारा 148	घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए जल का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग ।	1000/-
धारा 164	जल का अपव्यय या दुरुपयोग ।	500
धारा 173	नगरपालिका की नाली के साथ आवागमन कर रही नालियों की नगरपालिका नाली के घटकों के मुक्त प्रवाह को क्षति या बाधा ।	1000/-
धारा 174 की उपधारा (2)	निजी नाली का बिना सूचना के नगरपालिका की नाली के साथ न जोड़ा जाना ।	1000/-
धारा 175	गैर-जल निकास परिसर की जल निकासी हेतु अध्यपेक्षा की अननुपालना ।	500/-

धारा 177	परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना ।	500/-
धारा 178	कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना ।	500/-
धारा 183	लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनेक्शन ।	1000/-
धारा 193, उपधारा (1)	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन ।	500/-
धारा 193, उपधारा (2)	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर नाम न देना ।	500/-
धारा 193, उपधारा (8)	अनुज्ञप्त नलसाज उपविधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे ।	500/-
धारा 194	जल या मलवाही संकर्मों के संबंध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध ।	500/-
धारा 218, उपधारा (1) खंड (क) और खंड (ख)	पथ के फेरफार के लिए हेतुक दर्शित करने की या अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	200/-
धारा 219, उपधारा (1)	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता ।	100/-
धारा 221, उपधारा (1)	पथों, आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध ।	5000/-
धारा 221, उपधारा (2)	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	5000/-
धारा 224, उपधारा (1)	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण, आदि जो पथों में बाधा डालते हैं ।	5000/-
धारा 225	पथों में वस्तुओं को जमा करना, आदि।	500/-
धारा 227, उपधारा (1) और उपधारा (2)	सार्वजनिक पथों में जीव-जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना ।	1000/-
धारा 231,	पथ का नाम और मकान संख्या जिन्हें नष्ट या	1000/-

उपधारा (2)	विरुपित, आदि नहीं किया जाना है ।	
धारा 232,	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने	1000/-
उपधारा (1)	या हाताबंदी करने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	
धारा 251,	पूरा होने के प्रमाणपत्रों के उपबंध का अनुपालन	1000/-
उपधारा (1) और	न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग,	
उपधारा (2)	आदि।	
धारा 258,	भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की	1000/-
उपधारा (1) और	अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	
उपधारा (2)		
धारा 259,	खतरनाक दशा, आदि में भवनों को खाली करने	1000/-
उपधारा (1)	की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	
धारा 264	कूड़े, आदि के संग्रहण, हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने और कूड़ेदानों की व्यवस्था करने में असफलता ।	500/-
धारा 265,	गन्दगी और प्रदूषित पदार्थ को संगृहीत करने	500/-
उपधारा (1)	और हटाने में असफलता ।	
धारा 266	बाजार, आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा, आदि हटाने के लिए अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	1000/-
धारा 267,	कूड़ा और गन्दगी चौबीस घंटों से अधिक समय तक रखना, आदि ।	100/-
उपधारा (1)		
धारा 267,	गन्दगी को पथ पर जाने देना ।	200/-
उपधारा (2)		
धारा 273	बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता।	500/-
धारा 274	बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	500/-
धारा 277	मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	5000/-
धारा 292	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रमण किए बिना	500/-

व्ययन ।

धारा 294	अध्यक्ष द्वारा लगाए गए निर्बन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय ।	500/-
धारा 295	अध्यक्ष के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग।	500/-
धारा 297	संक्रमित शवों को इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में हटाना ।	500/-
धारा 302, उपधारा (1)	शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	1000/-
धारा 302, उपधारा (2)	किसी शमशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना।	1000/-
धारा 303	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना।	500/-
धारा 304, खंड (ख)	मृत पशुओं को चौबीस घंटों के भीतर निपटान के लिए उपलब्ध कराए गए या नियत किए गए स्थान पर लेने जाने में असफलता ।	100/-
धारा 308 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)	न्यूसेन्स करना ।	500/-
धारा 309	न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यादेश के अनुपालन में असफलता ।	1000/-
धारा 310, उपधारा (4)	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घूमने देना	1000/-
धारा 310, उपधारा (5)	हिस्त्र कुत्ते को मुखबन्ध, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना ।	1000/-
धारा 314	भवनों, कुओं, आदि को सुरक्षित करने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता ।	1000/-
धारा 315	अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता।	500/-
धारा 317, उपधारा (1)	नगरपालिका बाजारों में अनुज्ञा के बिना विक्रय करना ।	200/-
धारा 318,	स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में अनुज्ञप्ति	500/-

उपधारा (1) और	के बिना प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला	
उपधारा (2)	से भिन्न किसी स्थान का वधशाला के रूप में प्रयोग करना ।	
धारा 318, उपधारा (2), परन्तुक (क)	अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित शर्तों का अननुपालन ।	200/-
धारा 325	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना ।	200/-
धारा 326	अनुज्ञा के बिना कारखाने, आदि की स्थापना ।	5000/-
धारा 327	अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी ।	1,000/-
धारा 328, उपधारा (3)	जीव-जन्तुओं, आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना ।	200/-
धारा 329, उपधारा (5)	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग ।	500/-
धारा 330	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना ।	200/-
धारा 331	अनुज्ञप्ति के बिना या उससे प्रतिकूल रूप में वासालय, भोजनालय या चाय की दुकानें आदि चलाना ।	1000/-
धारा 332	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना।	1000/-
धारा 339, उपधारा (5)	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता।	100/-
धारा 346	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना ।	500/-
धारा 353, उपधारा (4)	परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	200/-
धारा 404	अध्यक्ष या किसी सदस्य, आदि को बाधा पहुंचाना।	500/-
धारा 405	तल, आदि उपदर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिह्न हटाना।	200/-
धारा 406	परिषद् अध्यक्ष, आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना, आदि।	100/-

धारा 407 परिषद् में निहित किसी भूमि से मिट्टी, बालू या 500/-
अन्य सामग्री विधिविरुद्धतया हटाना या कोई
पदार्थ विधिविरुद्धतया जमा करना या कोई
अधिक्रमण करना ।

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 370 देखिए)

सारणी

धारा, उपधारा, खंड या परंतुक	विषय
(1)	(2)
148	घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति का गैर घरेलू प्रयोजन हेतु उपयोग
227(1) और (2)	सार्वजनिक गलियों में जानवरों को खुंटे से बांधना तथा पशुओं का दूध निकालना
264	अवशिष्ट के संग्रहण, हटाने और जमा करने के लिए उपबंध करने में असफलता तथा आधान का उपबंध
265(1)	मैल तथा दूषित पदार्थ संग्रहित करने और हटाने में असफल
267(1)	कूड़ा-करकट और मैल को चौबीस घंटों से अधिक के लिए रखना
267(2)	मैल को गलियों में बहने देना
310(4)	कुत्तों को गली में खुले में बिना चेन द्वारा सुरक्षित किए न छोड़ना
310(5)	खतरनाक कुत्तों को बिना उनके मुंह बांधे खुले में न छोड़ना
317(1)	नगरपालिका बाजारों में बिना अनुज्ञा के विक्रय
328(3)	जानवरों को रखना, त्याग देना या खुंटे से बांधना आदि
330	बिना अनुज्ञप्ति के पटरी पर वस्तुओं का विक्रय आदि
339(5)	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रस्तुत करने में असफलता'।

54. 1997 17 ललित कला धारा 8 और धारा 9 का लोप किया जाएगा ।

अकादमी (प्रबंध
ग्रहण) अधिनियम,
1997

55. 2002 60 मेट्रो रेल (प्रचालन
और अनुरक्षण)
अधिनियम, 2002

(अ) धारा 2 की उपधारा(1) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित
किया जाएगा, अर्थात्:—

“(खक) “प्रदर्शन” से समूह की राय या भावनाओं का लोक
प्रदर्शन अभिप्रेत है; जिसमें विरोध प्रदर्शन रैलियां, मार्च, सभा या

जुलूस, धरना, पिकेटिंग आदि सम्मिलित है, जिससे मेट्रो प्रचालन और जनता को असुविधा हो सकेगी;”;

(ii) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(न) “टिकट” से यात्रा करने के लिए कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत टिकट, टोकन, स्मार्टकार्ड, मल्टीमोडल परिवहन यातायात कार्ड या मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य साधन भी है;”;

(आ) धारा 10 में “भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 21” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023(2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(इ) अध्याय 11 में, “अपराध और शास्तियां” शीर्षक अध्याय के स्थान पर “अपराध और उल्लंघन” शीर्षक रखा जाएगा।

(ई) धारा 59 की उपधारा (1) में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(उ) धारा 60 की उपधारा (1) में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 62 की उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 64 में,—

(i) उपधारा (1) में, “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से,” शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 71 में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो बीस हजार तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 72 में, “कारावास से, जो दो मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 73 में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के संदाय में, चूक होने पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों

के अभाव में जिसका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा जुर्माना एक सौ रुपए से कम का नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(औ) धारा 75 में “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे।

(अं) धारा 76 में, “आजीवन कारावास से, या” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(अः) धारा 79 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

“79क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.- (1) धारा 59, धारा 60, धारा 62, धारा 63, धारा 64 की उपधारा (1), धारा 70, धारा 71, धारा 72, धारा 73 और धारा 75 के अधीन न्यायनिर्णयन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए मेट्रो रेलवे प्रशासन केंद्र नियंत्रक या समतुल्य पद के किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा:

परंतु मेट्रो रेलवे प्रशासन उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी जो अपेक्षित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगा :

(2) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के अधिकारी को अपील अधिकारी के रूप में, जिसे मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा ऐसी प्ररूप और रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्त कर सकेगा।

(3) तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है तो अपील प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति ने न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम जमा न कर दी हो।

(5) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(6) उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

79ख. शास्ति के संदाय की असफलता का परिणाम.- (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 79क के अधीन अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में

ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए असफल रहता है, तो ऐसी असफलता अपराध होगी और ऐसा व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा।

(2) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 59 की उपधारा (1) या धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 62 की उपधारा (3) के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(4) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 63 के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

(5) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(6) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 70 के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

(7) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 71 या धारा 72 के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(8) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 73 के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में, ऐसा जुर्माना, एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा।

(9) जहां शास्ति संदाय करने में असफलता धारा 75 के अधीन उल्लंघन से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।”।

(र) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 59, धारा 61, धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79 तक में वर्णित कोई अपराध” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 59, धारा 61, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 74, धारा 76, धारा 77 धारा 78 और धारा 79 में वर्णित कोई अपराध” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ल) धारा 85 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“85क. कतिपय अपराधों का शमन. (1) इस अधिनियम के अधीन चार वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय कोई

अपराध, कार्यवाही आरंभ होने से पहले या पश्चात् में, मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा, ऐसी रकम के लिए, जो केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए शमन की जाएगी।

(2) जहां अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता हो, तो यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई और आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) कोई अपराध शमन योग्य नहीं होगा यदि अपराधी, पूर्व दोषसिद्धि के कारण, ऐसे अपराध के लिए बढ़े हुए दंड या भिन्न प्रकार के दंड का दायी है।”।

(व) धारा 90 में “भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 21” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

56. 2003 13 राष्ट्रीय राजमार्ग
नियंत्रण (भूमि और
यातायात) अधिनियम,
2002

(अ) धारा 27 में,—

(i) उपधारा (1) में, “जुर्माना, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से वसूलनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से वसूलनीय होगी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, “जुर्माना उपदर्शित होगा, ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा, जिससे ऐसा व्यय अतिरिक्त प्रभार या जुर्माना” शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर “शास्ति उपदर्शित होगी, ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा, जिससे ऐसा व्यय अतिरिक्त प्रभार या शास्ति” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 37 की उपधारा (4) में, “राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिरोपित जुर्माने का दायी होगा जो उसके अप्राधिकृत अधिभोग की भूमि के पांच सौ रुपए प्रतिवर्ग मीटर से कम नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर, “राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिरोपित शास्ति का दायी होगा अप्राधिकृत अधिभोग की भूमि के दो हजार रुपए प्रतिवर्ग मीटर से कम नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 38 की उपधारा (4) में, “जुर्माना, ऐसे संन्निर्माण या अन्य कार्य द्वारा कारित नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे संन्निर्माण या अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त भूमि के पांच सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, किंतु ऐसी भूमि की कीमत से अधिक नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति से धारा 27 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वसूल किया जाएगा मानो ऐसा व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना, उस धारा के अधीन वसूलनीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना हो” शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर “शास्ति, ऐसे संन्निर्माण या अन्य कार्य द्वारा कारित नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे संन्निर्माण या अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त भूमि के पांच सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगी, किंतु ऐसी भूमि की कीमत से अधिक नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति से धारा 27 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो ऐसा व्यय, अतिरिक्त

प्रभार और शास्ति, उस धारा के अधीन वसूलनीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार और शास्ति हो" शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 39 में,—

(i) उपधारा (1) में "कारावास से" जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो इस प्रकार अधिभोग में ली गई राजमार्ग भूमि के एक हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर से अन्यून नहीं होगा, किंतु जो ऐसी राजमार्ग भूमि की कीमत के दोगुने से अधिक नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिरोपित शास्ति से, जो इस प्रकार अप्राधिकृत अधिभोग की भूमि के पांच हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से अन्यून नहीं होगी, किंतु जो ऐसी भूमि के लागत तक हो सकेगी, दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में "व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने वाला कोई न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति पर दायित्व अधिरोपित करने वाला राजमार्ग प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

57. 2003 17 अपतट क्षेत्र
खनिज (विकास
और विनियमन)
अधिनियम, 2002

(अ) धारा 23 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में "खंड (क) और खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर खंड(क) शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) जो कोई धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (तक) के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास लाख रुपये से कम की नहीं होगा जो एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति धारा 28 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने में ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर असफल रहता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ऐसी अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम के दोगुने तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।”।

(आ) अध्याय 5 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 5

शास्ति और न्यायनिर्णयन

"28. शास्ति और न्यायनिर्णयन.- (1) जो कोई,—

(क) धारा 23 की उपधारा(1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन समाविष्ट किए गए उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है [धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (तक) के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाय];

(ग) उसे दिए गए परिचालन अधिकार के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(घ) धारा 5 की उपधारा(2) के अधीन अपेक्षित डाटा, या सूचना, या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, शास्ति से, जो दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, ऐसे उल्लंघन के संबंध में उपधारा (3) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के निदेश के पश्चात् भी, वह प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति का, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के उप सचिव के पंक्ति से अनिम्न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी को जो जांच करने और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, शास्ति अधिरोपित करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी जो अपेक्षित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।”।

(इ) धारा 34 में,—

(i) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अनिम्न का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) और उपधारा (3) में, "केन्द्रीय सरकार" दोनों

स्थानों पर जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर "अपील प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 35 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ड) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;";

(ii) खंड (ढ) और (ण) का लोप किया जाएगा।

58 2003 36

विद्युत

अधिनियम, 2003

(अ) धारा 139 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"139. संकर्मों को उपेक्षापूर्वक तोड़ना या नुकसान पहुंचाना-(1) जो कोई विद्युत के प्रदाय से संयोजित किसी सामग्री को उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, क्षति पहुंचाएगा, या नीचे फेंकेगा या नुकसान करेगा, वह शास्ति से, जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, जो समुचित सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पुनःदोषसिद्ध पाया जाता है ऐसे व्यक्ति को दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।"

(आ) धारा 140 में, "जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 141 का लोप किया जाएगा।

(ई) धारा 142 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आदेश या निदेश के अननुपालन के लिए समुचित आयोग द्वारा शास्ति";

(ii) "या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों" शब्दों के स्थान पर, "या अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर "जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु पांच

लाख रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) "छह हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।

(उ) धारा 146 में, —

(i) "कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से" शब्दों के स्थान पर " जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 152 में, —

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम की धारा 135, धारा 138 और धारा 140 के अधीन अपराध किया है या जिसके द्वारा किए जाने का समुचित रूप से संदेह है, अपराध के शमन के रूप में नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा:

सारणी

क्र. सं.	धारा	वह दर, जिस पर शमन के लिए धनराशि संगृहीत की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	135. बिजली की चोरी	निम्न विभव (एल.टी.) प्रदाय के लिए प्रति किलोवाट/अश्व शक्ति (एचपी) या उसके भाग और उच्च विभव (एचटी) के लिए संविदा की मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर (केवीए)
	(i) औद्योगिक सेवा	बीस हजार रुपए
	(ii) वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रुपए
	(iii) कृषि सेवा	दो हजार रुपए
	(iv) अन्य सेवाएं	चार हजार रुपए
2.	138. अनुज्ञप्ति धारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़	दस हजार रुपए

3. 140. संकर्मों को साशय दस हजार रुपए क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति।

परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट दरों में संशोधन कर सकेगी।";

(ख) उपधारा (3) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 337" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

59. 2005 29 प्राइवेट सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

(अ) धारा 12 का लोप किया जाएगा।

(आ) धारा 20 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

60. 2005 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

(अ) धारा 51 में, "कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती या उसके आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि होने पर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर "कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती या उसके आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 52 में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 53 में, "दो वर्ष" के शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

61. 2006 19 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006

धारा 44 का लोप किया जाएगा।

62. 2006 34 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

(अ) धारा 38 की उपधारा (5) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(आ) धारा 39 के परंतुक में, "इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और वह शास्ति से, जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगी, दायी होगा।

(इ) धारा 41 की उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(2023 का 46)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ई) धारा 60 में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे।

(उ) धारा 62 में, "प्रतिरोध करता है, बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने, प्रतिरूपण करने, धमकी देने, अभिवास या हमला" शब्दों के स्थान पर "प्रतिरूपण करने, धमकी देने, अभिवास या हमला" शब्द रखे जाएंगे;

(ऊ) धारा 68 की उपधारा (3) में,—

(i) उपखंड (क) में, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" की धारा 193 और धारा 228" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)" की धारा 229 और धारा 267" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ख) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" की धारा 345 और धारा 346" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, " भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" की धारा 384 और धारा 385" शब्द रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 71 की उपधारा (3) में "भारतीय दंड संहिता,(1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थात्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्याय कार्यवाही समझी जाएगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 229 और धारा 267 तथा धारा 233 के प्रयोजनों के लिए, इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 28 और धारा 215 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ए) धारा 73 में,—

(i) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) "धारा 262 से धारा 265 (इनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 285 से धारा 288 (इनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध " शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 74 में, उपधारा (1) में, " दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 75 में, " दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(औ) धारा 78 में, "भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 319 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी", शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा

358 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(अ) धारा 79 में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" की धारा 23" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(अः) धारा 87 में "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 का खंड (28)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

63. 2006 41 छावनी
अधिनियम, 2006

(अ) धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "या चुंगी कर के उद्ग्रहण की बाबत जहां उक्त कर या चुंगी कर " शब्दों के स्थान पर, "के उद्ग्रहण की बाबत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

(आ) धारा 81 की उपधारा (6) में, "जुर्माने से, दंडनीय होगा, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 82 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, यथास्थिति निर्मित या पुनःनिर्मित उक्त भवन पर तीन मास की अवधि लेखे देय कर की रकम के दस गुनी रकम से, इन में से जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, यथास्थिति निर्मित या पुनःनिर्मित उक्त भवन पर तीन मास की अवधि लेखे देय कर की रकम के दस गुनी रकम से, इन में से जो भी अधिक हो, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 88 की उपधारा(2) में,—

(i) "जुर्माने से, जो ऐसे भवन, आवास कक्ष या भूमि पर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान वह फिर से अधिभोग में रही है, देय कर की रकम की दुगुनी से अन्यून रकम तक का हो सकेगा तथा दो हजार पांच सौ रुपए या उक्त कर की रकम के दस गुने तक का हो सकेगा, इनमें से जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति से, जो ऐसे भवन, आवास कक्ष या भूमि पर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान वह फिर से अधिभोग में रही है, देय कर की रकम की दुगुनी से अन्यून रकम तक का हो सकेगा तथा दो हजार पांच सौ रुपए या उक्त कर की रकम के दस गुने तक का हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(उ) अध्याय 5 में, उपशीर्षक, "चुंगी, सीमा कर और पथकर" का लोप किया जाएगा।

(ऊ) धारा 90, धारा 91 और धारा 92 का लोप किया जाएगा।

(ऋ) धारा 116 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति से, जो पांच हजार

रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 143 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना से जो प्रथम दिन के पश्चात् हर दिन के लिए, जिसके दौरान वह असफलता चालू रहती है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह असफलता चालू रहती है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगी, दायी होगा, शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 145 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् हर दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहती है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो पांच रुपए तक की हो सकेगी, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह असफलता चालू रहती है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगी, दायी होगा, शब्द रखे जाएंगे;

(ओ) धारा 155 की उपधारा(4) में,—

(i) उपखंड (ख) में, शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ", शब्दों के स्थान पर "शास्ति से जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी " दायी होगा;

(ii) परंतुक में, "कोई भी व्यक्ति जानकारी देने में असफल रहने की दशा में दंडनीय नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर, "कोई भी व्यक्ति जानकारी देने में असफल रहने की दशा में दायी नहीं होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(औ) धारा 166 में, "धारा 164 व धारा 165 द्वारा अपेक्षित है, नहीं देगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 164 या धारा 165 के अधीन अपेक्षित है, नहीं देगा, वह शास्ति से, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(अं) धारा 174 में, लंबी पंक्ति में, "वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(अः) धारा 197 में, लंबी पंक्ति में, खंड (ख) में, "वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह शास्ति से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(र) धारा 244 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी:—

“(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध के लिए, दोषसिद्धि पर, वह जुर्माने से जो दो लाख

रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जानकारी में आने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए उल्लंघन जारी रहता है बीस हजार रुपए की अतिरिक्त जुर्माने से, दंडनीय होगा।”।

(ल) धारा 247 की लंबी पंक्ति में, “शुरू करेगा, चालू रखेगा या पूरा करेगा, तो वह जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और अवैध सन्निर्माण को सील करने और उसको गिराए जाने की लागत से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और किसी दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध के लिए, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए और अवैध सन्निर्माण को सील करने और उसको गिराए जाने की लागत तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(व) धारा 259 की उपधारा (2) में, “ वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा “ शब्दों के स्थान पर, “ वह शास्ति से जो एक सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(श) धारा 263 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“263. सार्वजनिक भूमि की खुदाई - जो कोई छावनी में ऐसी किसी खुली जगह को, जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना खुदवाएगा, वह शास्ति से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक की होगी, तथा चालू रहने वाले चूक की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, जो पहले दिन के पश्चात् वाले प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।”।

(ष) धारा 269 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई किसी शर्त का अनुपालन नहीं करेगा वह शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी तथा चालू रहने वाली चूक की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, जो पहले दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह चूक चालू रहती है, एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।”।

(स) धारा 271 की उपधारा (1) में, “इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञप्ति का होना अपेक्षित है, उसके लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना अथवा उस समय, जबकि अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है अथवा उसके रद्द कर दिए जाने के पश्चात् उपयोग के लिए चालू रखेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा अपराध चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति का होना अपेक्षित है, उसके लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना अथवा उस समय, जबकि अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है अथवा उसके रद्द कर दिए जाने के

पश्चात् उपयोग के लिए चालू रखेगा, वह शास्ति से, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी तथा चूक चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, जो प्रथम दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चूक चालू रहती है, पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ह) धारा 272 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"272. बिना अनुज्ञप्ति वाले बाजार या बूचड़खाने के उपयोग के लिए शास्ति.- कोई भी व्यक्ति, जो यह जानते हुए कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित होने पर भी कोई बाजार या बूचड़खाना बिना अनुज्ञप्ति के जनता के लिए खोल दिया गया है, या यह कि इसके लिए अनुदत्त अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर दी गई है, ऐसे बाजार में कोई वस्तु बेचता है या बिक्री के लिए प्रदर्शित करता है, या ऐसे बूचड़खाने में किसी पशु का वध करता है, शास्ति का दायी होगा जो पांच हजार रुपये तक की हो सकती है और लगातार व्यतिक्रम की दशा में, पहले दिन के पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है।

(क्ष) धारा 276 में, उपधारा (3) में, "जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से जो पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(त्र) धारा 281 और 282 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

"281. बिना अनुज्ञप्ति के या धारा 280 के उल्लंघन में व्यापार आदि करना.- कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए, या अनुज्ञप्ति निलंबित होने की दशा में, या रद्द होने के पश्चात्, किसी ऐसे व्यापार, कारबार या धंधे को करता है जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है; और कोई भी व्यक्ति जो धारा 280 के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, किसी भवन या स्थान का उपयोग करता है या करने की अनुमति देता है जो इसके उल्लंघन में है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो पांच हजार रुपये तक की हो सकती है और निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है, जिस दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है।

282. पशुओं को गंदगी आदि खिलाना.- कोई भी व्यक्ति जो छावनी के निवासियों को दूध की आपूर्ति के प्रयोजन से रखे गए या उनके भोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी भी पशु को गंदी या हानिकारक सामग्री खिलाता है, या खिलाने की अनुमति देता है, या जो ऐसे पशु को किसी ऐसे स्थान पर चरने की अनुमति देता है जहाँ बोर्ड द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना द्वारा स्वच्छता कारणों से प्रतिषिद्ध किया है, वह शास्ति के लिए दायी होगा जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।"

(ज) धारा 283 की, उपधारा (4) में, "जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(त) धारा 284 की, उपधारा (3) में, "जुर्माने से जो दो हजार पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से जो दो हजार पांच सौ रूपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(लृ) धारा 289 में,—

(i) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में, " जुर्माने से जो दो हजार पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर, " शास्ति से जो दो हजार पांच सौ रूपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, " जुर्माने से जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर " शास्ति से जो दो सौ पचास रूपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपधारा (3) में, "जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर " शास्ति से जो एक हजार रूपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(श्र) धारा 290 में,—

(i) उपधारा (5) में, दीर्घ पंक्ति में, " जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर, " शास्ति से जो एक हजार रूपये तक की हो सकेगी , का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) में, दीर्घ पंक्ति में, "जुर्माने से जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर " शास्ति से जो दो हजार रूपये तक की हो सकेगी , का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(श्रअ) धारा 291 में खंड (ख) में, "जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर " शास्ति से जो पांच सौ रूपये तक की हो सकेगी ,का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(श्रआ) धारा 295 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा और, चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान पहले दिन के पश्चात् वह अपराध चालू रहता है, दो हजार रूपये तक का होगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर " शास्ति के लिए दायी होगा जो पांच हजार रूपये तक की हो सकेगी और, निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपये तक की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा, जिस दौरान व्यतिक्रम जारी रहती है" शब्द रखे जाएंगे।

(श्रइ) धारा 296 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“296. आतिशबाजी या आग्नेयास्त्र आदि को चलाना,—

(1) जो कोई छावनी में, ऐसी रीति में, किसी आग्नेयास्त्र को चलाता है, विस्फोट करता है या धमाका करता है जिससे आस-पास से गुजरने वाले, रहने वाले या काम करने वाले किसी व्यक्ति को खतरा हो या संपत्ति को क्षति का जोखिम हो, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा ।

(2) जो कोई भी किसी खेल या पत्थर की खुदाई, लकड़ी

काटने या भवन निर्माण जैसे कार्य में लगा हुआ है, या आग के गुब्बारे या आतिशबाजी इस तरीके से छोड़ता है जिससे आस-पास से गुजरने वाले, रहने वाले या काम करने वाले किसी व्यक्ति को खतरा हो या संपत्ति को क्षति होने का जोखिम हो, तो वह शास्ति का दायी होगा जो दो हजार पांच सौ रुपये तक हो सकती है।”

(श्रई) धारा 313 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“313. अवरोध उत्पन्न करने का शास्ति.- जो कोई भी बोर्ड की ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थातर्गत लोक सेवक नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ बोर्ड ने विधि संविदा की है, उसके कर्तव्य के निष्पादन में, या किसी ऐसे कार्य के निष्पादन में जिसे वह इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, उप-विधि या आदेश के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप करने के लिए सशक्त या अपेक्षित है, या उसके अनुबंध की पूर्ति में, जैसा भी मामला हो, अवरोध उत्पन्न करता है, तो वह ऐसे शास्ति का भागी होगा जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है;”

(श्रउ) धारा 333 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

333. साधारण शास्ति.- जो कोई भी, ऐसी किसी दशा में जिसमें इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शास्ति का उपबंध नहीं है, इसके किसी उपबंध के अधीन जारी किसी नोटिस, आदेश या अध्यापेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, या अन्यथा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह शास्ति के लिए दायी होगा जो पांच हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा, और निरंतर असफलता या उल्लंघन की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक की अतिरिक्त शास्ति लगाई जाएगी, जिस दौरान असफलता या उल्लंघन जारी रहता है।

333क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.- (1) इस अधिनियम की धारा 81, 82, 88, 116, 143, 145, 155, 166, 174, 197, 244, 247, 259, 263, 269, 271, 272, 276, 281, 282, 283, 284, 289, 290, 291, 295, 313, 333 और धारा 296 की उपधारा (2) या इसके अधीन बनाई गई किसी भी उपविधि के अधीन कोई भी शास्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जारी आदेश द्वारा अधिरोपित होगी।

परंतु कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, और जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या संशोधित की गई किसी भी उपविधि के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “शास्ति” शब्द से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रतिषिद्ध या विहित किसी कार्य के करने या न करने के लिए अधिरोपित सिविल प्रकृति की लागत अभिप्रेत होगी, और इसे दोषसिद्धि नहीं माना जाएगा, और नियत शास्ति का अधिरोपण

आपराधिक कार्यवाही नहीं माना जाएगा।

(3) जहां इस अधिनियम में किसी व्यतिक्रम के लिए कोई शास्ति या कारावास विहित नहीं है, तो उसे सिविल अपराध माना जाएगा और उक्त उल्लंघन के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई आपराधिक कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या प्रारंभ नहीं की जाएगी:

परंतु कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उस अधिकार को बाधित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी यदि अपराधी द्वारा शास्ति समय पर संदत्त नहीं किया जाता है तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराधी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

(4) प्रत्येक अधिरोपित शास्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के तीस दिनों के भीतर संदत्त की जाएगी और जो कोई भी विहित समय के भीतर शास्ति संदेय करने में असफल रहता है या ऐसे शास्ति के विरुद्ध अपील फाइल नहीं करता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त, जुर्माने का भी दायी होगा, जो अधिरोपित शास्ति की दोगुनी रकम तक हो सकता है।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित है, छावनी बोर्ड के अध्यक्ष को अपीलित अधिकारी के रूप में अपील कर सकता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील शास्ति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(7) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करने के पश्चात्, शास्ति की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त करने का ऐसा संक्षिप्त आदेश पारित कर सकता है।

(8) अपीलीय प्राधिकारी अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(9) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्ट की गई शास्ति रकम का संदाय न होने पर, नोटिस प्राप्तकर्ता जुर्माने से दंड का दायी होगा, जो अधिरोपित शास्ति के दोगुने तक हो सकेगा।

(श्रृ) धारा 348 के खंड(3) में “पथकरो” शब्द का लोप किया जाए।

(श्रृ) धारा 349 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) इस अधिनियम के अधीन किसी बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी उपविधि में यह उपबंध हो सकता है कि ऐसी उपविधियों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति शास्ति का दायी होगा,—

(क) जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है; या

(ख) जो पाँच हजार रुपये तक हो सकती है और, निरंतर उल्लंघन की दशा में, पहले उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है,

जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है; या

(ग) उपविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जिसमें ऐसे उल्लंघन को जारी न करने के लिए शास्ति बोर्ड या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक सौ पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

64 2007 41 सड़क मार्ग द्वारा धारा 18 की, उपधारा (1) में, "धारा 3, धारा 13, या धारा 14 के अधीन जारी वहन अधिनियम, अधिसूचना" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 13 या धारा 14 के अधीन जारी अधिसूचना, या धारा 3 के उल्लंघन में खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को ले जाना" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

65 2009 27 पशुओं में संक्रामक (अ) धारा 2 में, —
और सांसर्गिक रोगों (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,
का निवारण और अर्थात्:—
नियंत्रण (क) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट या
अधिनियम, 2009 धारा 34क के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(कक) "पशु" से अभिप्रेत,—

(i) गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन, हाथी;

(ii) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊट, गधा, खच्चर, मुर्गी, मधुमक्खियाँ;

(iii) मछली, कवचधारी जीव, क्रस्टेशियन, उभयचर; और

(iv) कोई अन्य पशु या पक्षी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है:

(कख) "अपीलीय प्राधिकारी" से धारा 34ख के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

(छक) "रोग" या "अनुसूचित रोग" से अभिप्रेत अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग अभिप्रेत है;

(iii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(ट) "स्थानीय प्राधिकरण" से नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्रीय समिति, ग्राम पंचायत या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी विषय के तत्समय नियंत्रण और प्रशासन विधि द्वारा निहित है, अभिप्रेत है;

(टक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित किया गया" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;

(iv) खंड (ण), (त), (थ) और (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(ण) "रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक" से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से है:

(णक) "राज्य सरकार" से किसी राज्य की सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है;

(णख) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) में दिया गया है;

(त) "पशुचिकित्सक" से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है तथा जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो और जिसे धारा 3 के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया हो;

(थ) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत हो और जिसे धारा 3 के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया हो;

(द) "ग्राम अधिकारी" से पशुधन पर्यवेक्षक अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ऐसे किसी अन्य अधिकारी को अभिहित या प्राधिकृत किया गया हो।

(आ) धारा 4 में,—

(i) उपधारा (1) में, "प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, लोक निकाय या ग्राम पंचायत" शब्दों के स्थान पर " प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "मामले की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी करेगा " शब्दों के स्थान पर, "मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पशु चिकित्सा अधिकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 5 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(3) ग्राम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संक्रमित पशुओं को अलग करके अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखा जाए।

(ई) धारा 6 में,—

(i) उपधारा (3) में, "सार्वजनिक सूचना" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचना" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (4) में, "आबद्धकर" शब्द के स्थान पर "अनिवार्य" शब्द रखा किया जाएगा;

(iii) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(7) निदेशक, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को टीकाकरण किए गए पशुओं और ऐसे अन्य तथ्यों के संबंध में, ऐसे प्ररूप, रीति और समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जा सके।

(उ) धारा 7 की, उपधारा (3) में, खंड (ख) में, "टीकाकरण के विधिमान्य प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर, "पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी टीकाकरण के विधिमान्य प्रमाण पत्र " शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) निदेशक, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को टीकाकरण किए गए पशुओं के संबंध में अंकन और प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ऐसे प्ररूप और रीति में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया सके।”।

(ऋ) धारा 13 में, "या लाने का प्रयास नहीं करेगा " शब्दों और "ज्ञात " शब्द का लोप किया जाएगा।

(ए) धारा 26 में,—

(i) "उसका निपटारा करेगा" शब्दों के स्थान पर "उसका निपटान करें" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "जो विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार द्वारा जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 27 की उपधारा (2) में, "जो विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार द्वारा जो विहित की जाए " शब्द रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 29 की उपधारा (3) में, "किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा उपबंधित रीति में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 34क में उपबंधित रीति में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(औ) धारा 30 में आरंभिक भाग में, "सभी नगर पालिका, पंचायत या ग्राम अधिकारी और राज्य सरकार के ग्रामीण और डेयरी विकास,

राजस्व, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी अधिकारियों" शब्दों के स्थान पर "कोई ग्राम अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत, व्यवसायी, पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(अं) धारा 32 और धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

"32. कर्तव्य में उल्लंघन और बाधा डालने के लिए शास्ति: कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए और जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है या सक्षम अधिकारी को उसके कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा डालता है, वह दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, प्रत्येक दिन जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।" के लिए पांच हजार रुपये तक की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है,

33. पशु शव को खुले स्थान और जल स्रोत में रखने पर शास्ति।

(1) कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी पशु के शव या उसके किसी भाग को किसी नदी, नहर, तालाब, कुएँ, नाले, झील, झरने, समुद्र या किसी अन्य जल स्रोत में नहीं रखेगा या रखवाएगा; या

(ख) किसी भी ऐसे पशु के शव को किसी खुले स्थान पर ऐसी रीति में पड़े रहने देना जिससे संक्रमण फैलने या पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो का निपटान नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

(3) जहाँ ऐसा उल्लंघन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी जल स्रोत के दूषित होने या अन्य पशुओं में रोग फैलने के परिणामतः होता है पशुओं के मामले में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए आदेश दे सकता है,—

(क) शवों के निपटान, कीटाणुशोधन और यथास्थिति जल स्रोत या स्थान की सफाई के लिए प्रभार की वसूली, उस व्यक्ति से की जाएगी जो न्यायनिर्णीत है; और

(ख) न्यायनिर्णीत व्यक्ति द्वारा धारित किसी भी पशुधन संचालन या व्यापार अनुज्ञप्ति का छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी निलंबन या रद्द होना ।

(4) इस धारा के उपबंध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 271 और धारा 272 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

33क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.- इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, अधिकारिता रखने वाले उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट या

किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन के रूप में प्राधिकृत करेगा।

परंतु कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं होगी।

33ख. अपील.- (1) धारा 33क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से जो भी व्यथित हो, वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति में, यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अपील प्राधिकारी के रूप में अपील कर सकता है।

(2) तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

33ग. शास्ति का संदाय न करने पर कारावास.- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति के नब्बे दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो कारावास से दंडनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा या शास्ति की रकम के दोगुने तक की रकम के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

33घ. शास्ति की माफी.- (1) जहां कोई न्यायनिर्णयन इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित करता है, तो वसूल की गई उक्त शास्ति की रकम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन गठित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की निधि में जमा की जाएगी।

(2) बोर्ड शास्ति के माध्यम से वसूल की गई रकम का उपयोग अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ऐसी रीति में करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(अः) धारा 39 में, "अनुसूचित रोगों और टीकाकरण के संबंध में ऐसी विवरणी और आंकड़े" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित रोगों, टीकाकरण, पशुपालन प्रजनन या स्वास्थ्य से संबंधित किसी अन्य मामले पर ऐसी विवरणी और आंकड़े" शब्द रखे जाएंगे।

(र) धारा 42 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए

जाएंगे, अर्थात्:—

"(कक) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पशु चिकित्सा अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करने का प्ररूप, रीति और समय;

(कख) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन टीकाकृत पशुओं के संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप, रीति और समय;

(कग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन टीकाकृत पशुओं के लिए अंकन और प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(गक) धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन उपायों के संबंध में लागत की वसूली की रीति;

(गख) धारा 33क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;

(गग) धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति;

(ल) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

[धारा 2 के खंड (छक) और धारा 38 देखिए]

(क) बहु-प्रजातियों के रोग

1. एंथ्रेक्स।
2. औजेस्की रोग।
3. ब्लूटंग।
4. ब्रुसेलोसिस।
5. क्रीमियन कॉंगो हेमरेजिक बुखार।
6. इचिनोकोकोसिस/हाइडेटिडोसिस/
गैनुलोसिस/मल्टीलोकुलोसिस।
7. एपिज़ूटिक हेमरेजिक डिजीज वायरस
8. पैर और मुंह का रोग।
9. हार्टवाटर।
10. जापानी एन्सेफलाइटिस।
11. लीशमैनियासिस
12. लेप्टोस्पाइरोसिस।
13. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स
14. एक नया विश्व स्कूर्वर्म (कोक्लियोमिया होमिनिवोरैक्स)।

15. निपाह वायरस संक्रमण
16. ओल्ड वर्ल्ड स्कूर्वर्म (क्राइसोमियाबेज़ियाना)।
17. पैराट्यूबरकुलोसिस।
18. क्यू बुखार।
19. रेखज।
20. रिफ्ट वैली बुखार।
21. रिंडरपेस्ट.
22. ट्राइकिनेलोसिस।
23. ट्रिप्नोसोमियासिस
24. टुलारेमिया।
25. वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस।
26. वेस्ट नाइल बुखार।

(ख) बोवाइन रोग

1. एनाप्लास्मोसिस।
2. बोवाइन बेबेसिओसिस।
3. बोवाइन जेनिटल कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस।
4. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी।
5. बोवाइन वायरल डायरिया।
6. संक्रामक बोवाइन प्लुरोनिमोनिया।
7. इजुटिक बोवाइन ल्यूकोसिस।
8. रक्तसावी सेप्टीसीमिया।
9. संक्रामक बोवाइन
राइनोट्रेकाइटिस/संक्रामक पुस्टुलर वल्वोवैजिनाइटिस।
10. गांठदार त्वचा रोग।
11. मेलिगनेन्ट केटारल फीवर।
12. माइकोप्लाज्मोसिस
13. थिलेरियोसिस।
14. ट्राइकोमोनोसिस।

(ग) भेड़ और बकरी के रोग

1. बकरी का गठिया/एनसेफलाइटिस।
2. संक्रामक अगैलेक्टिया।
3. संक्रामक केपरीन प्लुरोनिमोनिया।
4. भेड़ों में स्थानिक गर्भपात (ओवाइन क्लैमाइडियोसिस)।
5. मैडी-विस्ना।
6. नैरोख भेड़ रोग।
7. ओवाइन एपिडीडिमाइटिस (ब्रुसेला ओविस)।
8. पेस्टे डेस पेटिट्स स्मिनेन्टस।
9. साल्मोनेलोसिस (एस. एबोर्ट्सोविस)।

10. स्क्रेपी।
11. भेड़ का चेचक और बकरी का चेचक।
12. थिलेरियोसिस।

(घ) अश्व रोग

1. अफ्रीकी घोड़े की खमारी।
2. संक्रामक अश्वीय मेट्राइटिस।
3. डोरीन।
4. अश्व एन्सेफेलोमाइलाइटिस (पूर्वी)।
5. अश्व एन्सेफेलोमाइलाइटिस (पश्चिमी)।
6. अश्वीय संक्रामक एनीमिया।
7. अश्वीय इन्फ्लूएंजा।
8. अश्वीय पायरोप्लाज्मोसिस।
9. अश्वीय राइनोप न्यूमोनाईसिस।
10. अश्वीय वायरल धमनीशोथ।
11. ग्लैंडर्स।
12. सुरा (ट्रिपानोसोमा इवांसी)।
13. वेनेजुएला अश्व एन्सेफेलोमाइलाइटिस।

(ङ) सूअर रोग

1. अफ्रीकी स्वाइन फीवर।
2. क्लासिकल स्वाइन फीवर।
3. निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस।
4. सूअर में सिस्टिसर्कोसिस।
5. सूअर प्रजनन और श्वसन सिंड्रोम।
6. सूअरों का फफोला रोग।
7. संक्रामक आंत्रशोथ।

(च) पक्षियों के रोग

1. एवियन क्लैमाइडियोसिस।
2. एवियन संक्रामक ब्रोंकाइटिस।
3. एवियन संक्रामक लैरींगोट्रैकाइटिस।
4. एवियन माइकोप्लाज्मोसिस (एम. गैलिसेप्टिकम)।
5. एवियन माइकोप्लाज्मोसिस (एम. सिनोविया)।
6. बतख वायरस हेपेटाइटिस।
7. मुर्गी का हैजा।
8. मुर्गी का टाइफाइड।
9. पोल्ट्री में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा और कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा।
10. संक्रामक बर्सा रोग (गुम्बोरो रोग)।
11. मारेक रोग।

12. न्यूकैसल रोग।
13. मुर्गी रोग।
14. टर्की राइनोट्रैकाइटिस।

(छ) लैंगोमॉर्फ रोग

1. मिक्सोमेटोसिस।
2. खरगोशों में होने वाला रक्तसावी रोग।

(ज) मधुमक्खी रोग

1. मधुमक्खियों का एकारापिसोसिस।
2. मधुमक्खियों का अमेरिकी फाउलब्रूड।
3. मधुमक्खियों का यूरोपीय फाउलब्रूड।
4. छोटे छता भृंग का संक्रमण (एथिना तुमिडा)।
5. मधुमक्खियों में ट्रॉपिलाएलैप्स का संक्रमण।
6. मधुमक्खियों का वैरोसिस रोग।

(झ) मछली के रोग

1. एपिजूटिक हेमेटोपोएटिक नेक्रोसिस।
2. संक्रामक रक्तपोषी नेक्रोलिस।
3. कार्प मछली का स्प्रिंग विरेमिया (एसवीसी)।
4. वायरल हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया (वीएचएस)।
5. एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम (ईयूएस)।
6. रेड सीब्रीम इरिडोवायरल रोग (आरएसआईडी)।
7. कोई हर्पीसवायरस रोग (केएचवी)।
8. ग्रूपर इरिडोवायरल रोग।
9. वायरल एन्सेफेलोपैथी और रेटिनोपैथी।
10. कैटफिश का आंत्र सेप्टीसीमिया।
11. एयरोमोनास हाइड्रोफिला से संक्रमण।
12. एडवर्डसिएला टार्डा से संक्रमण।
13. विब्रियो एंगुइलारम से संक्रमण।
14. फ्लेवोबैक्टीरियम कॉलमनेर से संक्रमण।
15. तिलापिया में स्ट्रेप्टोकोकस इनियाई का संक्रमण।
16. संक्रामक अग्नाशयी परिगलन (ठंडा पानी)।
17. माइक्सोबोलस एसपीपी. से संक्रमण।
18. इचथियोफ्थिरियस मल्टीफिलिस से संक्रमण।
19. सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका से संक्रमण।
20. आर्गुलस एसपीपी. से संक्रमण।
21. डैक्टिलोगेरस एसपीपी. का संक्रमण।
22. लर्नाया एसपीपी. से संक्रमण।
23. कैलिगस एसपीपी. से संक्रमण।

(ञ) घोंघे के रोग

1. बोनामिया एगिजिटियोसा से संक्रमण।
2. पर्किनसस ओल्सेनी से संक्रमण।
3. एबालोन हर्पीसवायरस से संक्रमण।
4. ज़ेनोहालियोटिस कैलिफोर्निएन्सिस से संक्रमण।
5. मार्टेलियोइड्स चुंगमुएन्सिस से संक्रमण।
6. तीव्र वायरल परिगलन (स्कैलप्स में)।
7. अकोया सीप रोग।
8. बोमानिया ऑस्ट्रेई से संक्रमण।
9. मार्टेलिया रेग्रीन्जेन्स से संक्रमण।
10. पर्किनसस मारिनस से संक्रमण।
11. ऑस्ट्रेड हर्पीस वायरस से संक्रमण।

(ट) क्रस्टेशियन रोग

1. तौरा सिंड्रोम (टीएस)।
2. सफेद धब्बे रोग (डब्ल्यूएसडी)।
3. येलोहेड रोग (वाईएचडी)।
4. संक्रामक हाइपोडर्मल और हेमेटोपोएटिक नेक्रोसिस (आईएचएचएन)।
5. संक्रामक मायोनेक्रोसिस (आईएमएन)।
6. सफेद पूंछ रोग (एमआरएनवी)।
7. नेक्रोटाइजिंग हेपेटोपैन्क्रियाटाइटिस (एनएचपी)।
8. स्पाइनी लॉबस्टर (पैनुलिरस एसपीपी.) का मिल्की हीमोलिम्फ रोग।
9. मोनोडॉन धीमी वृद्धि सिंड्रोम।
10. तीव्र हेपेटोपैन्क्रियाटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एचपीएनएस)।
11. हेपेटोपैन्क्रियाटिक पार्वोवायरस।
12. मोनोडोन बैकुलोवायरस।
13. लूज शेल सिंड्रोम।
14. सॉफ्ट शेल सिंड्रोम।
15. गैफ रसायन विज्ञान।

(ठ) उभयचर रोग

1. रानावायरस से संक्रमण।
2. बैट्राकोकाइट्रियम डेंड्रोबैटिडिस से संक्रमण।

(ड) अन्य रोग

1. ऊंट का चेचक।
2. लीशमैनियोसिस।
3. मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस।”।

2009

(डक) "सुधार सूचना" से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सुधार सूचना अभिप्रेत है;

(आ) धारा 15 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

(5) विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन विधिक माप विज्ञान निदेशक या विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा जारी साधरण या विशेष आदेश, अनुदेश या लिखित प्राधिकरण के अनुसरण में किया गया कोई भी निरीक्षण, तलाशी या ज़ब्ती विधिपूर्ण वारंट के अधीन किया गया माना जाएगा।

(6) यदि निदेशक, नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी के पास यह मानने का युक्तियुक्त आधार हो कि कोई व्यक्ति अधिनियम या नियमों या जारी किए गए निदेशों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल है, तो जहाँ कहीं लागू हो वह उस व्यक्ति को सुधार नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि,—

(i) यह मानने के आधार बताइए कि व्यक्ति अधिनियम या नियमों या जारी किए गए निदेशों के उपबंधों का पालन करने में असफल हो गया है;

(ii) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करें जो व्यक्ति की अनुपालन करने में असफलता का कारण बनते हैं;

(iii) उन उपायों को विनिर्दिष्ट करें जो उक्त प्राधिकारी की राय में अनुपालना संरक्षित करने के लिए व्यक्ति को उठाने चाहिए; और

(iv) उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, युक्तियुक्त अवधि के भीतर उस व्यक्ति से उन उपायों को अपनाने की अपेक्षा करना।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए सुधार नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, उसका रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन, निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा:

परंतु कि प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, कारणों को लेखबद्ध करके यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को निलंबित या वापिस कर सकता है।

(इ) धारा 23 में,—

(i) पार्श्व के शीर्षक में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में, जहाँ कहीं भी "अनुज्ञप्ति" शब्द आता है, वहाँ उसके स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर " रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा।

(ई) धारा 25 में, जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो "एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और दूसरे अपराध के लिए दो लाख रुपये तक के जुर्माने से और तीसरे और उसके पश्चात् के अपराधों के लिए पांच लाख रुपये तक के

जुर्माने से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु पांच लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(3) धारा 26 में, "द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध" शब्दों के स्थान पर, "द्वितीय अपराध के लिए जुर्माना जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और तृतीय या पश्चातवर्ती अपराध" शब्द रखे जाएंगे।

(ऊ) धारा 27 में दीर्घ पंक्ति में, "जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा तीसरे और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो चार लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए एक लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा और पश्चातवर्ती के अपराधों के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन चार लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(ऋ) धारा 28 में, " जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और तीसरे और पश्चात्पूर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा और पश्चात्पूर्ती अपराधों के लिए जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(ए) धारा 29 में, " जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा, दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और तीसरे और पश्चात्पूर्ति अपराधों के लिए जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगी और पश्चात्पूर्ति अपराधों के लिए जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(ऐ) धारा 30 में दीर्घ पंक्ति में, "द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध" शब्दों के स्थान पर, "द्वितीय अपराध के लिए जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा और तृतीय या पश्चातवर्ती अपराध" शब्द रखे जाएंगे।

(ओ) धारा 31 में, "जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और तीसरे और पश्चात्तर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा और पश्चात्तर्ती के

अपराधों के लिए जुर्माना पचास हजार रुपये नहीं होगा किंतु एक लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(औ) धारा 32 में, "वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पांच लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा और पश्चातवर्ती के अपराधों के लिए जुर्माना दस लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु बीस लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(अं) धारा 34 में, " वह जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और तीसरे और पश्चातवर्ती के अपराधों के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा और पश्चातवर्ती के अपराधों के लिए जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा किंतु एक लाख रुपये तक हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(अः) धारा 35 में, " वह जुर्माने से पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और तीसरे और पश्चातवर्ती के अपराधों के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपये तक शास्ति का दायी होगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु एक लाख रुपये तक हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(र) धारा 36 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(1) जो कोई भी, इस अधिनियम में उपबंधित पैकेज पर दी गई घोषणाओं के अनुरूप न होने वाली किसी भी पूर्व-पैकेज्ड वस्तु का विनिर्माण, पैकिंग, आयात, बिक्री, वितरण, परिदान या अन्यथा अंतरण, प्रस्ताव, प्रदर्शन या बिक्री के लिए अपने पास रखता है, या बिक्री, वितरण, परिदान या अन्यथा अंतरण, प्रस्ताव, प्रदर्शन करवाता है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस या ऐसी बिक्री को सुकर बनाने वाले किसी अन्य डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम सहित बिक्री के डिजिटल पद्धति माध्यम शामिल हैं, उसे सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और दूसरे अपराध के लिए वह शास्ति का दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो पच्चीस लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु पचास लाख रुपये तक हो सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "ई-कॉमर्स" और "इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 के खंड (16) और खंड (17) में दिया गया है।

(ii) उपधारा (2) में, "वह जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय और पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वह जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किंतु एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और तीसरे तथा पश्चात्तर्वर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से जो पचास लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ल) धारा 37 की उपधारा (1) में, "जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(व) धारा 38 में, "वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा और द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी कारावास या जुर्माने छह महीने तक के या दोनों से, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और दायी होगा और पश्चात्तर्वर्ती अपराधों के लिए जुर्माना जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है" का दायी होगा शब्द रखे जाएंगे।

(श) धारा 39 में, "जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा," शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए शास्ति जो पचास हजार रुपये तक होगी का दायी होगा और पश्चात्तर्वर्ती अपराधों के लिए जुर्माना जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(ष) धारा 40 में, "वह कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय पश्चात्तर्वर्ती के साथ और द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती के अपराध के लिए कारावास से" जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी", शब्दों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबंधों के अनुसरण में" शब्द रखे जाएंगे।

(स) धारा 41 में,—

(i) उपधारा (1) में, "वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया

जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए पांच हजार रुपये तक की शास्ति और पश्चात्कर्ती के अपराधों के लिए जुर्माना जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा परन्तु पांच लाख रुपये तक होगा का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, "वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा"] शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए पांच हजार रुपये तक के शास्ति से का दायी होगा और पश्चात्कर्ती अपराधों के लिए जुर्माना, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है का दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(ह) धारा 45 में,—

(i) जहां कहीं भी "अनुज्ञप्ति" शब्द आता है, उसके स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि , वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए बीस हजार रुपये तक की शास्ति से दायी होगा और पश्चात्कर्ती के अपराधों के लिए जुर्माना, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(क्ष) धारा 46 में,—

(i) जहां कहीं भी "लाइसेंस" शब्द आता है, उसके स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए पांच हजार रुपये तक के की शास्ति से दायी होगा और पश्चात्कर्ती के अपराधों के लिए जुर्माना, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(त्र) धारा 47 में,—

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द "लाइसेंस" के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "सुधार नोटिस के साथ चेतावनी दी जाएगी और द्वितीय अपराध के लिए बीस हजार रुपये तक की शास्ति

से दायी होगा और पश्चात्पूर्ति के अपराधों के लिए जुर्माना, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा परन्तु पांच लाख रुपये तक हो सकता है” शब्द रखे जाएंगे।

(ज) धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“48. अपराधों का प्रशमन - (1) धारा 25 से 39, धारा 45 से 47, धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम या धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, अभियोजन शुरू होने से पहले या पश्चात्पूर्ति में, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि, जो विहित की जाए जमा किए जाने के लिए संदाय पर प्रशमन किया जा सकेगा।

(2) ऐसा निदेशक या विधिक मापन अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए धारा 25 से 39, धारा 41, या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का प्रशमन कर सकेगा।

(3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी, धारा 25 से 31, धारा 33 से 37, धारा 41, धारा 45 से 47 और धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का प्रशमन कर सकेगा।

परन्तु ऐसी राशि किसी भी दशा में, उस अधिकतम जुर्माने की राशि से अधिक नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्रशमन किए गए अपराध के लिए अधिरोपित की जाए।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन हो गया हो, तो उस समझौते के अधीन अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, हो नहीं की जाएगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, इस धारा द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय प्रशमन नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो:—

(i) निदेशक,

(ii) नियंत्रक,

(iii) उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(7) यदि व्यक्ति अपराध का प्रशमन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में विचारण किया जाएगा।

(8) यदि अपराधी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे जुर्माने और अभियोजन की लागत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन यथाउपबंधित के वसूल की जाएगी:

परन्तु जुर्माना का संदाय करने में विफल रहने की दशा में, ऐसा

जुर्माना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा और मजिस्ट्रेट का कोई भी आदेश धन वसूली के लिए डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य माना जाएगा।

(त) धारा 50 में, उपधारा (1) में, खंड (ग) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात्त्वर्ती, "या कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे उस सरकार द्वारा में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ल) धारा 52 में, उपधारा (3) में, "जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" के स्थान पर "पांच लाख रुपये तक की शास्ति से और निलंबन, या निरस्तीकरण का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(श्र) धारा 53 में,—

(i) उपधारा (2) में खंड (ग) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में, "जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" के स्थान पर "पांच लाख रुपये तक की शास्ति से और निलंबन, या निरस्तीकरण का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

67. 2010 23 नैदानिक स्थापन
(रजिस्ट्रीकरण
और विनियम)
अधिनियम, 2012

(अ) धारा 40 में, "प्रथम अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दस हजार रूपए तक की हो सकेगी, किसी दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो पचास हजार रूपए तक की हो सकेगी और किसी किसी पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा " शब्दों के स्थान पर, "प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति से, जो दस हजार रूपए तक होगी द्वितीय उल्लंघन के लिए जो पचास हजार रुपये तक होगी शास्ति से और उसके पश्चात्त्वर्ती के किसी भी उल्लंघन के लिए शास्ति से" जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर यह वाक्यांश रखा जाएगा।

(आ) धारा 41 में, उपधारा (3) में, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक " धारा 40, धारा 41 की उपधारा (1) और धारा 40, धारा 43 और धारा 44 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन " शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(इ) धारा 43 में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से जो दस हजार रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा " शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“44. कंपनियों द्वारा उल्लंघन (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बानाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगी, द्वितीय उल्लंघन के लिए शास्ति

से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी और उसके पश्चात्त्वर्ती किसी भी उल्लंघन के लिए शास्ति से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगी का दायी होंगे। परन्तु इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से हुआ है, या उनकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और के लिए शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए शास्ति जो दस रुपये तक हो सकेगी।

दूसरे उल्लंघन के लिए शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी, और उसके पश्चात्त्वर्ती के किसी भी उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपये तक की हो सकेगी का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति संगम भी है; और

(ख) किस फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म में भागीदारी अभिप्रेत है।

(ग) धारा 46 में, जहाँ कहीं भी "जुर्माना" शब्द आता है, उसके स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा।

68. 2013 23 पेंशन निधि (अ) धारा 16 की उपधारा (7) में, लंबी पंक्ति में, "एक वर्ष तक के विनियामक और कारावास या पच्चीस करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय, तथा विकास प्राधिकरण पहले दिन के पश्चात्त्वर्ती से प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपये तक के अधिनियम, 2013 अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय, जिस दिन तक विफलता या इनकार जारी रहता है" शब्दों के स्थान पर "शास्ति से, जो पच्चीस करोड़ रुपये तक हो सकेगी और जो पहले दिन के पश्चात्त्वर्ती प्रत्येक दिन के लिए जो दस लाख रुपये तक के अतिरिक्त शास्ति से जिस के दौरान विफलता या इनकार जारी रहता है" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 30 में, जहाँ कहीं भी "धारा 28" शब्द और अंक आते हैं, उनके स्थान पर "धारा 16 की उपधारा (7) या धारा 28" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

69 2015 11 कोयला खान (अ) धारा 23 और 24 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएँगी, (विशेष उपबंध) अर्थात्:—
अधिनियम, 2015

"23. कुछ अपराधों और अननुपालन करने के लिए दंड (1) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिरक्षक द्वारा अनुसूची 1

कोयला खानों का कब्जा लेने में बाधा या कोई अड़चन डालेगा; या

(ख) किसी खान अवसंरचना या कोयला स्टॉक को नष्ट करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, या

(ग) ऐसी कोयला खान की किसी संपत्ति को प्रतिधारित करेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा,

तो वह और कंपनी का कोई व्यक्तिक्रमी अधिकारी, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या न्यूनतम एक लाख रूपए प्रतिदिन के जुर्माने से और असफलता जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम दो लाख रूपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अनुसूची I कोयला खान और कोयला खनन कार्यों से संबंधित किसी भी लेखा-पुस्तकों, रजिस्ट्रों या किसी अन्य दस्तावेज को, जिसके प्रबंधनों के लिए अभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया गया है, अभिहित अभिरक्षक को सौंपने में विफल रहता है, तो और कंपनी का कोई भी दोषी अधिकारी शास्ति से जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी दायी होगा, और असफलता जारी रहने की दशा में, उस दिन से प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें असफलता जारी रहती है, अधिकतम दो लाख रुपये तक की शास्ति से दायी होगा:

परन्तु पुनरावृत्ति उल्लंघन के लिए, या तीस दिन से अधिक समय तक जारी रहने वाले उल्लंघन के लिए, उसे और कंपनी के किसी भी दोषी अधिकारी को शास्ति के अतिरिक्त, पांच लाख रुपये का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा।

24. इस अधिनियम में उपबंधित उसकी शक्तियों के प्रयोग में अभिहित अभिरक्षक द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, एक लाख रूपए के दायी से और असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, प्रतिदिन अधिकतम दो लाख रूपए के दायी से दायी होगा।

24क. दंडों का न्यायनिर्णयन (1) धारा 23 की उपधारा (2) और धारा 24 के अधीन दंडों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार नामित प्राधिकारी को जांच करने और यथा विहित प्ररूप और रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

परन्तु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

24ख. अपील. (1) कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) के अधीन गठित अधिकरण अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(2) धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से

तीस दिन के भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

(3) अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्पूर्वी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) धारा 24क या इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(आ) धारा 31 की उपधारा (2) में खंड (x) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(भक) धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति;”।

70 2016 16 स्थावर संपदा
(विनियमन और
विकास)
अधिनियम, 2016

धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“68. आवंटिती द्वारा अपीलीय अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में विफल होने पर शास्ति । यदि कोई आवंटिती यथास्थिति अपीलीय अधिकरण के किसी भी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है, वह शास्ति से, जो यथास्थिति भूखंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत के दस प्रतिशत तक हो सकेगी, का दायी होगा ।”।

71 2019 49 पोट पुनर्चक्रण
अधिनियम, 2019

(अ) धारा 31 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (1) में, हिन्दी प्रति में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) उपधारा (2) को का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(6) जो कोई धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन तेल रिसाव के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु तीसरी सूचना जारी होने के चौबीस घंटे के भीतर उत्तर देने में विफल रहता है तो वह कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(आ) धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

“32. इस अधिनियम या नियम या विनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति। (1) जो कोई भी धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह शास्ति से, जो दस लाख रुपये तक के हो सकेगी दायी होगा।

(2) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन तेल रिसाव के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी नोटिस का उत्तर देने में जो भी

विफल रहता है, वह शास्ति से, जो—

(i) प्रथम नोटिस जारी होने के बारह घंटे के भीतर कोई प्रतिक्रिया न मिलने की दशा में पाँच लाख रुपये तक हो सकेगी; और

(ii) दूसरी सूचना जारी होने के चौबीस घंटे के भीतर कोई प्रतिक्रिया न मिलने की दशा में दस लाख रुपये हो सकेगी का दायी होगा।

(3) जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई विशिष्ट शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक हो सकेगी का दायी होगा।

32क. शास्ति का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 32 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन से, केंद्रीय सरकार, यथाविहित रीति में शास्ति अधिरोपित करने और जाँच करवाने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में भारत सरकार के ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो उप सचिव के पद से नीचे रैंक का नहीं होगा।

परन्तु केंद्रीय सरकार यथाअपेक्षित जितने चाहे उतने न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है:

परन्तु यह भी कि, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से जो कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति तारीख से तीस दिन के भीतर, न्यायनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक उच्च पद के अधिकारी को, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति से अपील कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे ऐसा आदेश पारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा, यथास्थिति अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो वह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(इ) धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“35. अपराधों के असंज्ञेय, जमानती और प्रशमनीय होना—

(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानती और प्रशमन योग्य होगा।

(2) धारा 31 की उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का प्रशमन, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा किए गए अभिहित अधिकारी द्वारा, अभियोजन शुरू होने से पहले या पश्चात् केंद्रीय सरकार को यथाविहित ऐसी रकम के किए जाने पर और ऐसी रीति में किया जाएगा।

परन्तु किसी भी दशा में, ऐसी रकम इस अधिनियम के प्रशमन किए गए अपराधों के लिए अधिरोपित अधिकतम जुर्माने उस की रकम से अनधिक होगी।

परन्तु यह भी कि पश्चात्तवर्ती अपराध की दशा में यह उपधारा (2) के अधीन प्रशमनीय नहीं होगी।

(3) केंद्रीय सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी अपराध का प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) किसी अपराध के प्रशमन के लिए प्रत्येक आवेदन यथाविहित प्ररूप और रीति में किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अभियोजन की शुरुआत से पहले किसी अपराध का प्रशमन हो जाता है, तो उस अपराधी, जिसके संबंध में अपराध का प्रशमन हुआ है, के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं होगा।

(6) जहाँ किसी अभियोजन की शुरुआत के पश्चात् किसी अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय को ऐसे प्रशमन की सूचना दी जाएगी जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के प्रशमन की सूचना दिए जाने पर, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का प्रशमन किया गया है, उसे उन्मोचन कर दिया जाएगा।

(7) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिए गए प्रशमन आदेश के अनुपालन में विफल कोई भी व्यक्ति उक्त अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने के अतिरिक्त, उस अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन प्रशमनीय किसी भी अपराध का निपटान इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा।“

(ई) धारा 42 की उपधारा (2) में खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(णक) धारा 32क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित

और जांच करने की रीति;

(णख) धारा 32क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति;

(णग) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रशमन करने की राशि और विधि;

(णघ) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन करने का प्ररूप और रीति।

72 2021 1 महापत्तन
प्राधिकरण
अधिनियम, 2021

(अ) अध्याय 7 का लोप किया जाएगा ।

(आ) धारा 64 को हटा दिया जाएगा।

73 2021 14 राष्ट्रीय सहबद्ध
और स्वास्थ्य
देख-रेख वृत्ति
आयोग
अधिनियम, 2021

(अ) धारा 58 में, "ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे पहले दिन के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । " शब्दों के स्थान पर "ऐसी शास्ति से जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति जो उस दिन के पश्चात् जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए हो सकेगी, से दायी होगा ।

(आ) धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“58क. शास्ति का अधिनियमन .-(1) धारा 58 के अधीन शास्ति का अधिनियमन करने के प्रयोजन से, जांच करने और यथाविहित रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए राज्य परिषद का अध्यक्ष न्यायनिर्णयन प्राधिकारी होगा:

परन्तु जिन राज्यों में राज्य परिषद स्थापित नहीं की गई हैं, वहां राज्य परिषद की स्थापना होने तक आयोग का अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन करेगा:

परन्तु, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :

(2) उपधारा (1) के अधीन, उसके परंतुक के सिवाय, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आयोग के अध्यक्ष को, जो अपीलीय प्राधिकारी होगा, यथाविहित प्ररूप और रीति में अपील कर सकता है ।

परन्तु जहां आयोग के अध्यक्ष ने उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन किया है, वहां अपील भारत सरकार के सचिव के समक्ष होगी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जा सकेगा ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी

का समाधान कर देता है उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा, यथास्थिति अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में उस रकम की वसूली की जाएगी

(इ) धारा 66 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (प) में जहाँ कहीं भी अन्त में “और” आता है, उसका लोप किया जाएगा ।

(ii) खंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(पक) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाली जाँच और अधिरोपित शास्ति की रीति ;

(पख) धारा 58क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए निर्दिष्ट प्ररूप और रीति ।”

74 2021 20 नौचालन के लिए
सामुद्रिक सहायता
अधिनियम, 2021

(अ) धारा 41 में,—

(i) उपधारा (1) में, “छह माह तक कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों के लिए दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये तक शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, आरंभिक भाग में, “दंड के लिए दायी” शब्दों के स्थान पर “शास्ति के लिए दायी” शब्द रखे जाएंगे।

(आ) धारा 42 में, “जुर्माने के लिए” शब्दों के स्थान पर “शास्ति के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

(इ) धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित जाएगी, अर्थात्:-

“42क. शास्ति का न्यायनिर्णयन— (1) धारा 42क के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन से, केंद्रीय सरकार, यथाविहित रीति में शास्ति अधिरोपित करने और जाँच करवाने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में भारत सरकार के ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो उप सचिव के पद से नीचे रैंक का नहीं होगा ।

परन्तु केंद्रीय सरकार यथाअपेक्षित जितने चाहे उतने न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है:

परन्तु यह भी कि, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, उसके परंतुक के सिवाय, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक को, यथाविहित प्ररूप और रीति में अपील कर सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा, यथास्थिति अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में उस रकम की वसूली की जाएगी

(ई) धारा 46 की उपधारा (2) में, खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे—

“(तक) धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाली जाँच और अधिरोपित शास्ति की रीति ;

(तख) धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए निर्दिष्ट प्ररूप और रीति ।”

75 2021 24 अन्तर्देशीय
जलयान
अधिनियम, 2021

(अ) धारा 63 में, "या इस अध्याय के अधीन कोई अपराध" शब्दों के स्थान पर "या इस अध्याय के अधीन कोई अपराध या उल्लंघन" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) अध्याय सोलह में, अध्याय शीर्षक में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर "दंड" शब्द रखा जाएगा;

(इ) धारा 87 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

”87. अपराध और दंड - (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह उपधारा (2) और (3) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट दंड या जुर्माने का दायी होगा।”।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अपराधों के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित सीमा तक दंडनीय होगा:

सारणी

क्र. सं.	धारा	अपराध	दंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14(1)	किसी भी यांत्रिक रूप से	पहले अपराध के लिए दस

		संचालित अंतर्देशीय हजार रुपये तक का जलयान का स्वामी, जुर्माना और पश्चात्कर्ती संचालक या कप्तान, के अपराधों के लिए वैध सर्वेक्षण प्रमाण पत्र पच्चीस हजार रुपये तक के बिना ऐसे जलयान का जुर्माना हो सकता है। का उपयोग करते हुए, धारा 14 की उपधारा (1) का उल्लंघन किया है।
2.	18(1)	किसी भी यांत्रिक रूप से पहले अपराध के लिए दस संचालित अंतर्देशीय हजार रुपये तक का जलयान का स्वामी, जुर्माना और उसके संचालक या कप्तान, जो पश्चात्कर्ती के अपराधों के किसी यात्रा पर जा रहा लिए पचास हजार रुपये हो या रजिस्ट्रीकृत होने तक का जुर्माना हो सकता के लिए अपेक्षित किसी है। यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान का उपयोग किसी भी सेवा के लिए वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना और धारा 18 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किया हो,
3.	30	किसी भी यांत्रिक रूप से प्रतिदिन दस हजार रुपये संचालित अंतर्देशीय तक का जुर्माना या एक जलयान के स्वामी ने वर्ष तक का कारावास या धारा 30 का उल्लंघन दोनों हो सकता है। किया है।
4.	34(2)	जिस जलयान के स्वामी प्रत्येक दिन के उल्लंघन या संचालक पर अठारह के लिए पांच हजार रुपये वर्ष से कम आयु के तक का जुर्माना या छह व्यक्तियों को नियोजित महीने से अधिक का किया जाता है, उसने कारावास, या दोनों हो धारा 34 की उपधारा सकते हैं। (2) का उल्लंघन किया है।
5.	44	विशेष श्रेणी के जलयान अनुपालन न करने के का स्वामी या संचालक प्रत्येक दिन के लिए एक या संचालन के लिए हजार दस रुपये तक का जिम्मेदार कोई भी जुर्माना या छह महीने तक व्यक्ति, अध्याय 7 के का कारावास, या दोनों हो उपबंधों का अनुपालन सकते हैं।

नहीं करता है।

6. 49 और 50(1) अंतर्देशीय जल में चलने वाले किसी भी यांत्रिक रूप से चलने वाले जलयान का मालिक, संचालक या मास्टर, जो संकट संकेत का जवाब देने के पश्चात् सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने से विरत रहता है। दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
7. 51(2) किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान का संचालक, स्वामी या कप्तान, जो कोई भी कार्य करने जा रहा हो धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट नौवहन सहायता, जीवन रक्षक उपकरण, अग्नि पहचान और शमन उपकरण और संचार उपकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना यात्रा करना। पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
8. 52(2) और (3) किसी भी यांत्रिक रूप से चलने वाले जलयान का स्वामी, संचालक या कप्तान जो अंतर्देशीय जल में प्रदूषकों का निर्वहन या डंपिंग करके प्रदूषण का कारण बनता है। पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
9. 53(4) किसी भी यांत्रिक रूप से चलने वाले जलयान का संचालक, स्वामी या कप्तान, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन वैध प्रदूषण निवारण प्रमाण पत्र होना अपेक्षित है, उक्त वैध प्रमाण पत्र के बिना पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- पोत का संचालन या उपयोगकिया है।
10. 57 कोई भी स्वामी, संचालक पचास हजार रुपये का या कोई भी व्यक्ति जो जुर्माना और तीन साल जानबूझकर अंतर्देशीय तक की कारावास । जलक्षेत्र में दुर्घटना का कारण बनता है।
11. 82 धारा 82 की उपधारा चास हजार रुपये तक का (1) के उल्लंघन में जुर्माना या एक वर्ष तक कार्य करने वाले किसी का कारावास, या दोनों। भी विदेशी जल यान के स्वामी या संचालक।
12. 83 यांत्रिक रूप से संचालित पचास हजार रुपये तक अंतर्देशीय जलयान का का जुर्माना या तीन साल स्वामी, संचालक या तक का कारावास, या कप्तान, जो धारा 83 के दोनों। उल्लंघन में पायलट सेवा की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है।

(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के लिए दायी होंगे,—

सारणी

क्र. सं.	धारा जिसके लिए उल्लंघन निर्दिष्ट किया गया है।	उल्लंघन	शास्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8	कोई स्वामी, प्रचालक या संनिर्माण यार्ड धारा 8 के उल्लंघन में यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संनिर्माण, परिवर्तन या उपांतरण का दोषी पाया गया है।	शास्ति, जो पाए गए प्रत्येक अननुपालन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
2.	19(1)	स्वामी या मास्टर, जो रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र वहन नहीं करता है या निरीक्षण कराता है और धारा 19 की उपधारा (1) के उल्लंघन में	शास्ति, जो पाए गए प्रत्येक अननुपालन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।

- कार्य किया है।
3. 24(3) ऐसा स्वामी, जो जलयान के सहजदृश्य भाग पर शासकीय संख्या प्रदर्शित नहीं करता है तो उसने धारा 24 की उपधारा (3) के उल्लंघन में कार्य किया है। शास्ति, जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
 4. 27 स्वामी, प्रचालक या कोई व्यक्ति, जो जलयान के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है जिसने धारा 27 के उल्लंघन में कार्य किया है। शास्ति, जो पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघनों के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
 5. 28(2) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर जो परिवर्तनों के ऐसे ब्यौरों को रजिस्टर नहीं करता है, जो धारा 28 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अधिदिष्ट किए गए हैं। शास्ति, जो पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघनों के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
 6. 29 किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी या प्रचालक, जो धारा 29 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या जिसने इसके उल्लंघन में कार्य किया है। शास्ति, जो अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।
 7. 32(1) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, जिसने धारा 32 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य किया है। शास्ति, जो अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।
 8. 35 किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का कोई स्वामी या प्रचालक, विनिर्दिष्ट न्यूनतम कर्मीदल मापमान का शास्ति, जो पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघनों

- अनुपालन किए बिना धारा के लिए पच्चीस 35 के उल्लंघन में कार्य हजार रुपये तक की किया है। हो सकेगी।
9. 40(1) सक्षमता प्रमाणपत्र धारकों शास्ति, जो पांच और (4) ने इस अधिनियम के हजार रुपये तक की उपबंधों के उल्लंघन में हो सकेगी। कार्य किया है या निलंबित या रद्द प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत न किए जाने के अधीन जारी किए गए निलंबित, रद्द या परिवर्तित प्रमाणपत्र को वापस नहीं लौटाया है।
10. 47 इस अधिनियम के अधीन शास्ति जो पहले रजिस्ट्रीकृत या उल्लंघन के लिए मान्यताप्राप्त या पहचान दस हजार रुपये किए गए किसी यंत्रचालित तक की हो सकेगी जलयान का स्वामी, और पश्चातवर्ती प्रचालक, मास्टर अध्याय 8 उल्लंघनों के लिए के अधीन विनिर्दिष्ट पच्चीस हजार रुपये जलयानों को सज्जित न तक की हो सकेगी। करने या प्रकाशों और सिगनलों को प्रदर्शित न करने के लिए।
11. 48 स्वामी, प्रचालक या मास्टर, शास्ति, जो पच्चीस जो सुरक्षित नौपरिवहन को हजार रुपये तक की सुनिश्चित नहीं करता है या हो सकेगी। विनियम का पालन न करने के कारण से क्षति कारित करता है।
12. 54(2) किसी ग्रहण सुविधा का शास्ति, जो पचास और (5) स्वामी या प्रचालक, जो हजार रुपये तक की नियत मानकों और हो सकेगी। बाध्यताओं का अनुपालन नहीं करता है।
13. 55(4) टर्मिनल का स्वामी या शास्ति, जो पचास प्रचालक, जो धारा 55 की हजार रुपये तक की उपधारा (4) के अधीन जारी हो सकेगी। नोटिस का अनुपालन किए बिना प्रचालन करता है।
14. 58(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 58 शास्ति, जो दस की उपधारा (2) का हजार रुपये तक की

- उल्लंघन करके किए गए हो सकेगी।
अपराध का दोषी है।
15. 66 कोई स्वामी या मास्टर, जो शास्ति, जो दस धारा 66 के अधीन यथा हजार रुपये तक की उपबंधित बिना विधिमान्य हो सकेगी और बीमा बीमा के किसी यंत्रचालित प्रमाणपत्र उपाप्त अन्तर्देशीय जलयान को होने तक जलयान चलाता है। को निरुद्ध किया जाना।
16. 74(2) किसी यंत्रचालित शास्ति, जो दस अन्तर्देशीय जलयान के हजार रुपये तक की मालिक, प्रचालक या हो सकेगी। मास्टर, जो धारा 74 की उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है।
17. 79(2) कोई व्यक्ति, जो अध्याय 6 शास्ति, जो गैर-के अधीन जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुतिकरण के को धारण करता है और प्रत्येक दिन के लिए निलंबित या रद्द दस हजार रुपये तक प्रमाणपत्रों को वापस करने की हो सकेगी। में असफल रहता है।
18. 80 सेवा प्रदाता या सेवा शास्ति, जो पचास उपयोक्ता की हैसियत में हजार रुपये तक की कोई व्यक्ति, जो धारा 80 हो सकेगी। के उल्लंघन में कार्य करता है।
19. 97 उपेक्षा या इंकार के कारण ऐसी राशि का अन्तर्देशीय जलयान पर समपहरण, जो दो नियोजित किसी व्यक्ति दिन के वेतन से द्वारा धारा 97 के अधीन अधिक नहीं होगी यथा उपबंधित अपनी और इसके बाध्यता के उल्लंघन में अतिरिक्त जलयान में कार्यभार ग्रहण अनुपस्थिति के करना या उसका प्रत्येक चौबीस घंटे अभित्यजन करना। के लिए, वह राशि जो छह दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी या ऐसा कोई व्यय जो उचित रूप से किसी प्रतिस्थानी को भाड़े पर लेने पर उसकी

मजदूरी से उपगत
किया गया है।

20 102 कोई व्यक्ति, जो बाधा शास्ति, जो पचास कारित करने का दोषी पाया हजार रुपये तक की गया है या जिसने धारा हो सकेगी।
102 के उल्लंघन में कार्य
किया है।

(4) जहां अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी या मास्टर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जो उस यंत्रचालित जलयान के फलक पर या उसके संबंध में किया गया है और जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया है वहां वह मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है, निदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम का उद्ग्रहण उस यंत्रचालित जलयान या उसके अनुलग्नक का उतना भाग जितना आवश्यक हो, करस्थम् और विक्रय द्वारा किया जाए।

(5) जहां किसी अन्तर्देशीय जलयान का इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है वहां अपराध या उल्लंघन, दायी अपराधी या व्यक्ति और जलयान के ब्यौरों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिलिखित किए जाएंगे।

(6) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करने के प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, ऐसे न्यायालयों की नियुक्ति करेगी जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी के नहीं होंगे।

(ई) धारा 87 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“87क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 87 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार भारत सरकार के अवर सचिव की रैंक से निम्नतर के किसी अधिकारी या राज्य सरकार में समतुल्य रैंक के किसी अधिकारी को, कोई जांच करने और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शास्तियां अधिरोपित करने के लिए किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी:

परन्तु राज्य सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हो:

परन्तु यह और कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई किए जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई उपधारा (7) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक उच्चतर रैंक के ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी अपील

प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(3) यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को फाइल न करने के पर्याप्त कारण थे, तो अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई किए जाने का कोई अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, इसके फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी रकम भूमि राजस्व के किसी बकाये की तरह वसूल की जाएगी।”

(3) धारा 107 में की उपधारा (2) में, खंड (य) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(यय) धारा 87क की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

(ययय) धारा 87क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

76. 2022 13 भारतीय
अंटार्कटिक
अधिनियम, 2022

(अ) धारा 41 में,—

(i) खंड (ड.) में, “या धारा 32” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “या धारा 32 की उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(च) कोई व्यक्ति, जो अंटार्कटिका में इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त निरीक्षण के किन्हीं कृत्यों की विधिपूर्ण कार्यवाही में धारा 31 के अधीन प्राधिकृत किसी निरीक्षण दल को बाधा पहुंचाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु बीस लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु बाधा में शारीरिक या मानसिक अक्षमता, अनाशयित आचरण या किसी व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों से उद्भूत होने वाला कोई कृत्य या कोई चूक सम्मिलित नहीं है।”।

(आ) धारा 44 में, “तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “तो वह ऐसी शास्ति के लिए, जो दस लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) धारा 44 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“44क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 44 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी को कोई जांच करने और ऐसी रीति में शास्तियां अधिरोपित करने, जो विहित की जाए, के लिए किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी को नियुक्त करेगी:

परन्तु राज्य सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हो:

परन्तु यह और कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई किए जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक उच्चतर रैंक के ऐसे अधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(3) यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को फाइल न करने के पर्याप्त कारण थे, तो अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई किए जाने का कोई अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, इसके फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी रकम भूमि राजस्व के किसी बकाये की तरह वसूल की जाएगी।

(ई) धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(धक) धारा 44क की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

(धख) धारा 44क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;”।

(उपबंधों का अर्थात्:-

संशोधन)

अधिनियम, 2023

“परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अनुसूची में उल्लिखित कोई अधिनियमिति उसमें जुर्मानों और शास्तियों के पुनरीक्षण की रीति का उपबंध करती है, तो केवल उक्त उपबंध ही ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों के लिए जुर्मानों और शास्तियों को बढ़ाने के संबंध में लागू होंगे।”।

78. 2025 20

तटीय पोत
परिवहन
अधिनियम, 2025

(अ) धारा 16 में, “ऐसी अवधि के कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक या उल्लंघन में संचालित सभी समुद्रीय यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति, जो दस लाख रुपये तक या उल्लंघन में संचालित सभी समुद्रीय यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों, के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(आ) धारा 18 में, दीर्घपंक्ति में “ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये, या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) धारा 26 की उपधारा (1) में, “इस अधिनियम की धारा 15 से धारा 20 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध” शब्दों के स्थान पर, “धारा 15, धारा 17, धारा 19 और धारा 20 के अधीन दंडनीय कोई अपराध,” शब्द रखे जाएंगे।

(ई) धारा 30 में:-

(i) उपधारा (1) में, “धारा 21 से धारा 25 के अधीन” शब्दों के स्थान पर, “धारा 16, धारा 18, और धारा 21 से धारा 25 के अधीन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा 5) में, “धारा 21 से धारा 25 के अधीन” शब्दों के स्थान पर, “धारा 16, धारा 18, और धारा 21 से धारा 25 के अधीन” शब्द रखे जाएंगे;

79. 2025 24

वाणिज्यिक पोत
परिवहन
अधिनियम, 2025

(अ) धारा 281 में,-

(i) उपधारा (2) सारणी में, क्र. सं. 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	उल्लंघन	धारा	शास्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
“97.	यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजित किए जाने पर या उसके पूर्व, अपने अंतिम जलयान के नाम या तथाकथित अंतिम जलयान के नाम के बारे में जानबूझकर और कपटपूर्वक मिथ्या कथन करता है या अपने नाम के बारे में कपटपूर्वक मिथ्या कथन करता	साधारण	

है ।

(ii) उपधारा (3) में, सारणी में क्र.सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(आ) धारा 282 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“282क. कतिपय अपराधों का शमन किया जाना—(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 38, धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (घ) और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपराध, जो क्रमशः क्र.सं. 3, क्र.सं. 9 और क्र.सं. 15 पर विनिर्दिष्ट दंड के विस्तार तक दंडनीय हैं, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या इसके पश्चात् केंद्रीय सरकार को ऐसी राशि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, के प्रत्यय के लिए संदाय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा शमन किए जा सकेंगे:

परंतु ऐसी राशि किसी दशा में, जुर्माने की ऐसी अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे इस प्रकार शमन किए गए अपराधों के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया जा सके:

परंतु यह और कि पश्चात्तवर्ती अपराध के मामले में, उसका शमन नहीं किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, केंद्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किसी अपराध को शमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(3) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(4) जहां किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व किया गया है, तो कोई अभियोजन, उस अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा जिसे इस प्रकार शमन किया गया है।

(5) जहां अपराध का शमन कोई अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया गया है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसे शमन को लिखित में उस न्यायालय के संज्ञान में लाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध का शमन करने के लिए ऐसी सूचना दी गई है, व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए शमन के आदेश की अनुपालना करने में असफल रहता है तो वह उक्त अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य किसी राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

(इ) धारा 319 की उपधारा (2) में खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(डक) किसी अपराध का शमन करने के लिए आवेदन, प्ररूप और उसकी रीति तथा धारा 282क की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन संदेय राशि।”

80. 2025 27 भारतीय पतन (अ) धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अधिनियम, 2025 अर्थात्:-

“53क. कतिपय अपराधों का शमन किया जाना—(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 29 की उपधारा (3), धारा 30 और धारा 31 के अधीन ऐसे अपराध, जो इस अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दंड के विस्तार तक दंडनीय हैं, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या इसके पश्चात् समुचित सरकार को ऐसी राशि और ऐसी रीति में प्रत्यय के लिए संदाय किए जाने पर, संरक्षक द्वारा शमन किए जा सकेंगे, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परंतु ऐसी राशि किसी दशा में, जुर्माने की ऐसी अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे इस प्रकार शमन किए गए अपराधों के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया जा सके :

परंतु यह और कि दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध के मामले में, उसका शमन नहीं किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किसी अपराध को शमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(3) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(4) जहां किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व किया गया है, तो कोई अभियोजन, उस अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा जिसे इस प्रकार शमन किया गया है।

(5) जहां अपराध का शमन कोई अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया गया है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसे शमन को लिखित में उस न्यायालय के संज्ञान में लाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध का शमन करने के लिए ऐसी सूचना दी गई है, व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए

गए शमन के आदेश की अनुपालना करने में असफल रहता है तो वह उक्त अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य किसी राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, शमन नहीं किया जाएगा।

(अ) धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"54. शास्ति के अधिरोपण के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया—

(1) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन सूचीबद्ध उल्लंघन के संबंध में, जहां उल्लंघन पत्तन अधिकारी द्वारा किया है, वहां दूसरी अनुसूची के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी संरक्षक होगा और जहां उल्लंघन पत्तन द्वारा है, वहां ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए, जहां संरक्षक व्यक्तियों का कोई निकाय है, वहां शास्ति के अधिरोपित के लिए प्राधिकारी से व्यक्तियों के ऐसे निकाय में से, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा।

(3) धारा 19, धारा 20, धारा 22 की उपधारा (1), धारा 23, धारा 26 की उपधारा (1), धारा 32 की उपधारा (1), धारा 39, धारा 40 की उपधारा (1), धारा 41, धारा 43, धारा 47 की उपधारा (2), धारा 49, धारा 52 की उपधारा (1), धारा 57, धारा 65 के अधीन सूचीबद्ध उल्लंघनों के संबंध में दूसरी अनुसूची के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी, संरक्षक होगा।

(4) धारा 36, धारा 37, धारा 38 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2), धारा 38 की उपधारा (3), धारा 44 की उपधारा (1), धारा 44 की उपधारा (2), धारा 66 की उपधारा (1), धारा 66 की उपधारा (4), धारा 67, धारा 68, धारा 69 की उपधारा (1), धारा 69 की उपधारा (2) के संबंध में दूसरी अनुसूची के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन संबद्ध प्रधान अधिकारी होगा।

(5) दूसरी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई किए जाने का कोई अवसर प्रदान किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा

(इ) धारा 58 में "संरक्षक द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ई) पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“पहली अनुसूची
[धारा 53क(1) देखिए]
कतिपय अपराधों के लिए दंड

क्रम सं.	अपराध	धारा जिसमें अपराध निर्दिष्ट है	दंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई पत्तन धारा 10 के उल्लंघन में प्रचालनों को प्रारंभ करता है।	10	जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपये तक का हो सकेगा।
2.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 27 के उल्लंघन में गून या हाजर बांधने की अनुज्ञा देने में या किसी गून या हाजर को छोड़ने में असफल रहता है।	27	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
3.	यदि मास्टर धारा 28 के उल्लंघन में आग को बुझाने का आदेश देने में जानबूझकर लोप करता है या संरक्षक या किसी व्यक्ति को आग को बुझाने से या बुझाने का प्रयास करने से बाधित करता है।	28	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
4.	यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के उल्लंघन में जलयान की सुरक्षा से संबंधित कोई कृत्य करता है या करने का लोप करता है।	29(1)	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
5.	यदि जलयान का कोई	29(2)	कारावास से, जो छह मास

- मास्टर धारा 29 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी पत्तन में अपने जलयान से जोड़े गए किसी गून या हाजर को छोड़ेगा या सहन करेगा।
6. यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (3) के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है। 29(3) कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
7. यदि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति धारा 30 के उल्लंघन में खोए हुए भंडारों की तलाशी करता है। 30 कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
8. यदि कोई व्यक्ति धारा 31 के उल्लंघन में किसी तट या किनारे को क्षति पहुंचाता है। 31 कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों।
9. यदि कोई पत्तन धारा 71 के उल्लंघन में पूर्विक अनापति अभिप्राप्त करने में असफल रहता है। 71 जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।

दूसरी अनुसूची

[धारा 54(3) देखिए]

कतिपय उल्लंघनों के लिए शास्ति

क्रं. सं.	उल्लंघन	धारा	शास्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई गैर-महापत्तन या पत्तन अधिकारी धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समुद्रीय बोर्ड के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	15(3)	पत्तन अधिकारी द्वारा उल्लंघन की दशा में, शास्ति से, जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपये से अनधिक की हो सकेगी।

-
			पत्तन द्वारा उल्लंघन की दशा में, शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपये से अनधिक की हो सकेगी।
2.	यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन जारी किए गए संरक्षक के किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है।	19	शास्ति से, जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।
3.	यदि किसी स्वामी ने बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 20 के अधीन ऐसी बाधा या अड़चन डाली है।	20	शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपये से अनधिक की हो सकेगी।
4.	यदि जलयान का कोई मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति धारा 22 की उपधारा (1) के उल्लंघन में संरक्षक की बिना किसी सहायता के बोरों या मुरिंगो को उठाएगा।	22(1)	शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।
5.	यदि जलयान का मास्टर या भवन या स्थान का कब्जाधारी या अधिभोगी कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 23 के उल्लंघन में संरक्षक या किसी व्यक्ति को ऐसे जलयान, भवन या स्थान पर चढ़ने नहीं देता या	23	शास्ति से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपये से

- उसमें प्रवेश नहीं करने देता है।
6. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण कारण से, धारा 26 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी संपत्ति को हटाता है, नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है। 26(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, किए गए किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के व्ययों सहित, पतन को हुई किसी हानि, विनाश या क्षति का व्यय।
7. यदि जलयान का कोई स्वामी या मास्टर धारा 32 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी पतन में प्रवेश करता है या छोड़ता है या लाया जाएगा। 32(1) शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी।
8. यदि कोई पतन धारा 36 के उल्लंघन में पर्याप्त ग्रहण सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है। 36 शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी।
9. कोई पतन जो धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है। 37 शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
10. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (1) के उल्लंघन में पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना तैयार करने में असफल रहता है। 38(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।
11. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (2) के उल्लंघन में अनुमोदित पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना के कार्यान्वयन में असफल रहता है। 38(2) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।
12. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान की कोई सूचना संसूचित करने में असफल 38(3) शास्ति से, जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।

- रहता है।
13. यदि जलयान का कोई प्रचालक अभिकर्ता या मास्टर धारा 39 के उल्लंघन में अग्रिम अपशिष्ट सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है। 39 शास्ति से, जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
14. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 40 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अपने सभी जलयान उत्पादित अपशिष्ट को ग्रहण सुविधा तक पहुंचाने में असफल रहता है। 40(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।
15. यदि जलयान का स्वामी या मास्टर धारा 41 के अधीन संदेय प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है या शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है। 41 शास्ति से जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दो हजार रुपये तक की हो सकेगी।
16. यदि कोई व्यक्ति धारा 43 के उल्लंघन में पोर्टल पर सूचना अपलोड करने में असफल रहता है। 43 शास्ति से, जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
17. यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट देने में असफल रहता है। 44(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।
18. यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है। 44(2) शास्ति से, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
19. यदि कोई प्राधिकारी या रियायती या व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय धारा 47(2) शास्ति से, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी

- 47 की उपधारा (2) के उल्लंघन में पतन टैरिफ प्रकाशित करने में असफल रहता है।
20. यदि जलयान का कोई स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 49 के उल्लंघन में जलयान के पहुंचने की रिपोर्ट देने में असफल रहता है। 49 शास्ति से, जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
21. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 52 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किन्हीं फीसों या अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है। 52(1) शास्ति से, जो न्यूनतम बीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, फीस की रकम या अन्य देय प्रभारों की दुगुनी हो सकेगी।
22. यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के उल्लंघन में सूचना देने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है। 57 शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दो हजार रुपये तक की हो सकेगी।
23. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 65 के उल्लंघन में कोई ध्वज विधिविरुद्धतया फहराता है या फहराने में असफल रहता है। 65 शास्ति से, जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।
24. यदि कोई पतन धारा 66 की उपधारा (1) के उल्लंघन में आनुषंगिक आपात तैयारी और प्रतिक्रिया योजना के बचाव, सुरक्षा और प्रदूषण की तैयारी करने में असफल रहता है। 66(1) शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी।
25. यदि कोई पतन धारा 66 की उपधारा (4) के उल्लंघन में संरक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन 66(4) शास्ति से, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी।

- करने में असफल रहता है।
26. यदि कोई पत्तन धारा 67 के 67 शास्ति से, जो एक लाख
उल्लंघन में किसी घटना रुपये तक की हो सकेगी।
की विशिष्टियों की रिपोर्ट
27. यदि कोई पत्तन धारा 68 के 68 शास्ति से, जो बीस हजार
उल्लंघन में किनारा रुपये तक की हो सकेगी।
आधारित कल्याण सेवा
प्रदान करने में असफल
रहता है।
28. यदि कोई पत्तन धारा 69 की 69(1) शास्ति से, जो पचास हजार
उपधारा (1) के अधीन जारी रुपये तक की हो सकेगी।
किए गए केन्द्रीय सरकार
के निदेशों का अनुपालन
करने में असफल रहता है।
29. यदि कोई पत्तन धारा 69 की 69(2) शास्ति से, जो एक लाख
उपधारा (2) के उल्लंघन में रुपये तक की हो सकेगी।
जलयान यातायात सेवा का
विकास या रखरखाव करने
में असफल रहता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला सरकार द्वारा अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने में निहित है। पुराने नियमों और विनियमों का जाल विश्वास की कमी का कारण बनता है। जीवन की सुगमता और कारबार करने में आसानी के सुधारों के अधीन देश के नियामक परिदृश्य को पुनः परिभाषित करते हुए, सरकार का “न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन” के सिद्धांत को प्राप्त करने का प्रयास रहा है।

2. अनुपालन बोझ को कम करने से कारबार प्रक्रिया पुनर्रचना को प्रोत्साहन मिलता है और लोगों को जीवन जीने में आसानी होती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुपालन को सरल बनाने, डिजिटलीकरण और युक्तिसंगत बनाने जैसे उपायों की एक श्रृंखला आरंभ की जा रही है।

3. सरकार निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देकर भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लघु अपराधों के लिए कारावास का भय कारबार पारिस्थितिकी तंत्र और व्यक्तिगत आत्मविश्वास के विकास को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक है। बड़ी संख्या में लघु अपराधों को मौद्रिक शास्तियों से बदलकर उन्हें अपराधमुक्त करने का प्रयास न केवल जीवन और कारबारों को आसान बनाने के लिए है, बल्कि न्यायिक बोझ को कम करने के लिए भी है। न्यायालयों को शामिल किए बिना, बड़ी संख्या में मुद्दों का निपटारा, समझौता पद्धति, न्यायनिर्णयन और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से, व्यक्तियों को मामूली उल्लंघनों और व्यक्तिक्रमों के लिए उपचार प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जो कभी-कभी उनके द्वारा अनजाने में किए जाते हैं, और समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होगी।

4. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 और जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 के अधीन आरंभ किए गए नियामक सुधारों की निरंतरता है, जिसे लोक सभा में 18 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत किया गया था, और माननीय अध्यक्ष द्वारा परीक्षा और रिपोर्ट के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था।

5. माननीय प्रवर समिति ने उक्त विधेयक की परीक्षा की और 13 मार्च, 2026 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे निर्दिष्ट विधेयक के अतिरिक्त, माननीय समिति ने इस विधेयक के दायरे में कई अन्य अधिनियमों को लाने के लिए सिफारिशें की हैं। विधेयक, जो 79 केंद्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, उल्लंघन के पहले अवसर पर चेतावनियाँ जारी करके और पश्चातवर्ती उल्लंघनों के लिए शास्तियाँ अधिरोपित करके प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाकर कारबारों पर अनुपालन बोझ को कम करने, कारबार करने में आसानी और नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए लघु अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए लक्षित है। प्रस्तावित विधेयक का लक्ष्य अनावश्यक विधिक बाधाओं को दूर करके और नियामक परिदृश्य को सरल बनाकर अधिक कारबार-अनुकूल वातावरण बनाना और जीवनयापन में आसानी को बढ़ावा देना है। यह पहल एक अनुमानित, पारदर्शी और निष्पक्ष नियामक वातावरण बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

6. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से, विभिन्न अधिनियमितियों में कई अपराधों को अपराधमुक्त करने के अलावा, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के 20 अतिरिक्त उपबंधों और नई दिल्ली नगरपालिका

परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) के 47 उपबंधों में जीवन की सुगमता को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित हैं जो सभी के समय और लागत को बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेंगे ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
25 मार्च, 2026

पीयूष गोयल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक की अनुसूची में, अन्य बातों के साथ,-

(क) क्रम संख्या 2 में (पशु अतिचार अधिनियम, 1871), खंड (न) केन्द्रीय सरकार को धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन जांच करवाने की रीति तथा शास्ति अधिरोपण के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है; धारा 27क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति; धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति की रकम के उपयोग की रीति;

(ख) क्रम संख्या 33 में (नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966), खंड (ग) केन्द्रीय सरकार को धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन जांच करवाने की रीति तथा शास्ति अधिरोपण के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है; और धारा 16क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;

(ग) क्रम संख्या 66 में (पशुओं में संक्रामक और संसार्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009), खंड (ढ) केन्द्रीय सरकार को धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन पशु चिकित्सा अधिकारी, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को किसी विषय की रिपोर्ट करने के प्ररूप और रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है; धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन टीकाकरण किए गए पशुओं के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का प्ररूप, रीति तथा समय; धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन टीकाकरण किए गए पशुओं के लिए अंकन और प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति; धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन उपायों के संबंध में लागत की वसूली की रीति; धारा 33क की उपधारा (1) के अधीन जांच करवाने और शास्ति अधिरोपण की रीति; धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति;

(घ) क्रम संख्या 80 में (वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025), खंड (ग) केन्द्रीय सरकार को धारा 282क की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन अपराध के शमन के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति तथा संदेय राशि के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. विषय, जिसके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकते हैं, साधारणतया प्रक्रिया तथा प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में स्वतः उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इस प्रकार, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है ।

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * *

स्टाम्पों का
विक्रय।

34. (1) * * * * *

(3) स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति जो इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और ऐसे नियुक्त न किया गया व्यक्ति जो स्टाम्प बेचेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

* * * * *

पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * *

निर्वचन-खंड।

3. इस अधिनियम में, —

“पुलिस अधिकारी” के अन्तर्गत ग्राम चौकीदार भी है, तथा

“पशु” के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़ी, खस्सी, टट्टू, बछड़ी, खच्चर, गधे, सुअर, मेंढे, भेड़, मेष, मेमने, बकरियां और बकरियों के बच्चे भी हैं, और

“स्थानीय प्राधिकारी” से ऐसे व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं मामलों के नियंत्रण और प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय विनिहित है, और

“स्थानीय निधि” से किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है।

* * * * *

कांजी हौस
रखवालों की
नियुक्ति। कांजी
हौस रखवाले
अन्य पदों को
धारण कर
सकेंगे। कांजी
हौस रखवालों का
लोक सेवक होना।

6. राज्य सरकार प्रत्येक कांजी हौस के लिए एक कांजी हौस रखवाला नियुक्त करेगी।

कोई कांजी हौस रखवाला एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा।

प्रत्येक कांजी हौस रखवाला भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

* * * * *

अभियहनों को
रजिस्टर करना।

8. जब पशु कांजी हौस में लाए जाएं तब कांजी हौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित की प्रविष्टि करेगा—

(क) जीव-जन्तुओं की संख्या और वर्णन,

* * * * *

परिबद्ध पशुओं
के लिए जुर्माने।

12. पूर्वोक्त रूप में परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिए, कांजी हौस रखवाला ऐसा जुर्माना उद्गृहीत करेगा जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा तत्समय के लिए विहित मान के अनुसार हो।

विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न मान विहित किए जा सकेंगे।

ऐसे उद्गृहीत सब जुर्माने ऐसे अधिकारी की मार्फत जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे।

* * * * *

अध्याय 4

पशुओं का परिदान या विक्रय

13. यदि परिबद्ध पशुओं का स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित हो और पशुओं का दावा करे तो कांजी हौस रखवाला ऐसे पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के संदाय पर उसे उनका परिदान कर देगा ।

स्वामी या उसका अभिकर्ता, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजी हौस रखवाले द्वारा रखे गए रजिस्टर में उनके लिए पावती हस्ताक्षरित करेगा ।

* * * * *

15. यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इस आधार पर इंकार करता है कि अभिग्रहण अवैध था और कि स्वामी धारा 20 के अधीन परिवाद करने ही वाला है तो उन पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के निक्षेप पर वे पशु उसे परिदत्त कर दिए जाएंगे ।

16. यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों को संदत्त करने से या (धारा 15 में वर्णित दशा में) उक्त जुर्मानों और व्ययों को निक्षिप्त करने से इंकार करता है या उसमें लोप करता है तो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और समय पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी धारा 14 में निर्दिष्ट हैं, उन पशुओं या उनमें से इतनों का जितने आवश्यक हों सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा ।

उद्ग्रहणीय जुर्माने और खिलाने और पिलाने के व्यय, विक्रय के व्ययों सहित, यदि कोई हों, विक्रय के आगमों में से काट लिए जाएंगे ।

शेष पशु और क्रयधन का अतिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित को दर्शित करने वाले एक विवरण के सहित स्वामी या उसके अभिकर्ता को परिदत्त कर दिया जाएगा—

- (क) अभिगृहीत पशुओं की संख्या ;
- (ख) समय जिसके दौरान वे परिबद्ध किए गए हैं,
- (ग) उपगत प्रभारों और जुर्मानों की रकम,
- (घ) विक्रीत पशुओं की संख्या,
- (ङ) विक्रय के आगम, और
- (च) वह रीति जिसमें उन आगमों का व्ययन किया गया है ।

स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे विवरण के अनुसार उसको परिदत्त पशुओं के लिए और उसको संदत्त क्रय-धन के अतिशेष के लिए (यदि कोई हो) एक पावती देगा ।

17. वह अधिकारी जिसके द्वारा विक्रय किया गया था ऐसे काटे गए जुर्मानों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

धारा 16 के अधीन काटे गए खिलाने और पिलाने के प्रभार कांजी हौस रखवाले को संदत्त किए जाएंगे जो धारा 13 के अधीन ऐसे प्रभारों लेखे अपने द्वारा प्राप्त सब राशियों को भी प्रतिधारित और विनियोजित करेगा ।

पशुओं के विक्रय के आगमों के अधिशेष, जिनका दावा न किया गया हो, जिला

जब स्वामी पशुओं का दावा करता है और जुर्मानों और प्रभारों का संदाय करता है तब प्रक्रिया।

अभिग्रहण की वैधता पर विवाद उठाने वाले किन्तु निक्षेप करने वाले स्वामी को परिदान।

जब स्वामी जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इंकार करता है या लोप करता है तब प्रक्रिया।

जुर्मानों और व्ययों की कटौती।

अविक्रीत पशुओं का परिदान और आगमों का अतिशेष।

पावती।

जुर्मानों, व्ययों और विक्रय के आगमों के अधिशेष का व्ययन।

मजिस्ट्रेट को भेज जाएंगे जो उन्हें तीन मास के लिए निक्षेप के रूप रखेगा और यदि उस कालावधि के भीतर उनके लिए कोई दावा न किया गया और सिद्ध न हुआ तो उसकी समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि वह उन्हें राज्य के राजस्वों के रूप में रखे हुए हैं ।

* * * * *

अवैध अभिग्रहण
या निरोध के
लिए प्रतिकर

22. यदि अभिग्रहण या निरोध अवैध न्यायनिर्णीत किया जाए तो मजिस्ट्रेट अभिग्रहण या निरोध से हुई हानि के लिए एक सौ रुपए से अनधिक का युक्तियुक्त प्रतिकर प्रतिवादी को दिलाएगा जिसका संदाय पशुओं का निर्मोचन उपाप्त करने में परिवादी द्वारा संदत्त सब जुर्मानों और उपगत व्ययों सहित उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने अभिग्रहण दिया या पशुओं को निरुद्ध किया,

पशुओं का
निर्मोचन।

और यदि पशुओं का निर्मोचन नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा प्रतिकर दिलाने के अतिरिक्त, उनके निर्मोचन का आदेश देगा और यह निदेश करेगा कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिसमें अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया ।

प्रतिकर की
वसूली।

23. धारा 22 में वर्णित प्रतिकर, जुर्माने और व्यय ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।]

अध्याय 6

शास्तियां

पशुओं के
अभिग्रहण का
बलपूर्वक विरोध
करने या उन्हें
छुड़ाने के लिए
शास्ति।

24. जो कोई इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहणीय पशुओं के अभिग्रहण का बल पूर्वक विरोध करेगा,

और जो कोई अभिग्रहण के पश्चात् उन्हें या तो कांजी हौस से, या उन्हें कांजी हौस को ले जा रहे या ले ही जाने वाले किसी व्यक्ति से, जो पास में हो और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा है, छुड़ाएगा,

वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए कारावास से, या पांच सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

पशुओं द्वारा
अतिचार करित
करने से हुई
रिष्टि के लिए
शास्ति की
वसूली।

25. ठीक आगामी धारा के अधीन या] पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार करित करने से हुई रिष्टि के लिए शास्ति की वसूली।

26. सुअरों का कोई स्वामी या रखवाला जो किसी भूमि या भूमि की किसी फसल या उपज अथवा किसी सार्वजनिक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन्यथा उसका नुकसान करेगा या नुकसान कराएगा अथवा करने देगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर दस रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

सुअरों द्वारा
भूमि फसलों
अथवा सार्वजनिक
सड़कों को किए
गए नुकसान के
लिए शास्ति।

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निदेश दे सकेगी कि इस धारा का पूर्वगामी भाग ऐसे पढ़ा जाएगा मानो उसमें केवल सुअरों के प्रति निर्देश के स्थान पर पशुओं के प्रति साधारणतया या अधिसूचना में वर्णित प्रकार के पशुओं के प्रति निर्देश हो अथवा मानो “दस रुपए” शब्दों के लिए “पचास रुपए” शब्द प्रतिस्थापित कर दिए हों अथवा मानो उसमें ऐसा निर्देश और ऐसा प्रतिस्थापन दोनों हों ।

27. कोई कांजी हौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के प्रतिकूल पशुओं का निर्मोचन अथवा क्रय या परिदान करेगा, या किन्हीं परिरुद्ध पशुओं के लिए पर्याप्त खाने और जल की व्यवस्था करने में लोप करेगा, या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित अन्य कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल होगा वह किसी अन्य शास्ति के अलावा, जिसके वह दायित्वाधीन हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

कर्तव्य पालन में असफल होने वाले कांजी हौस रखवाले पर शास्ति।

ऐसे जुर्माने कांजी हौस रखवाले के वेतन में से कटौतियों द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

28. धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के अधीन वसूल किए गए सब जुर्माने सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में साबित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में पूर्णतः या भागतः विनियोजित किए जा सकेंगे।

धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल किए गए जुर्मानों का उपयोग।

अध्याय 7

प्रतिकर के लिए वाद

29. इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, जिसकी भूमि की फसलों या अन्य उपज को पशुओं के अतिचार से नुकसान हुआ हो, किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिए वाद लाने से प्रतिषिद्ध नहीं करती है।

प्रतिकर के लिए वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति।

30. सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को संदत्त किसी प्रतिकर को, ऐसे वाद में प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा दावा की गई या उसे दिलाई गई किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा।

मुजरा करना।

* * * * *

प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम संख्यांक 15) से

उद्धरण

* * * * *

68. भाटक के बकाया के लिए करस्थम् इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन ही उद्गृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

इस अध्याय के अधीन के सिवाय करस्थम् का वर्जन। अवैध करस्थम् के लिए शास्ति।

और धारा 51 के अधीन नियुक्त बेलिफ के सिवाय ऐसा उद्ग्रहण करने वाला या उद्ग्रहण करने का प्रयास करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाहियों द्वारा उसने जो दायित्व उपगत किया हो उसके अतिरिक्त प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

* * * * *

87. यदि लघुवाद न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी ऐसे प्रश्न का जो उससे किया जाए उत्तर देने से, या उसके कब्जे या शक्ति में की किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करता है, पेश करने से इंकार करता है, और ऐसे इंकार करने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं देता है तो, न्यायालय उसे सादे कारावास से दण्डित कर सकता है या सात दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, जब तक कि अभ्यन्तर काल में, ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, जिसके पश्चात्, उसके बराबर इंकार करने की दशा में, उसके साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 या धारा 482 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जा

उत्तर देने या दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी।

सकता है ।

88. धारा 87 के अधीन आदेशों से अपील—कोई व्यक्ति जो अपने को धारा 87 के अधीन किसी आदेश से व्यथित समझता है, उच्च न्यायालय से अपील कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अपीलों से संबंधित उपबंध यावत्शक्य, इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे ।

1898 का 5

* * * * *

कारावास का स्थान।

95. लघुवाद न्यायालय द्वारा कारावासित किए जाने के लिए आदिष्ट व्यक्ति ऐसे स्थान पर कारावासित किया जा सकता है जो राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त नियत करे ।

* * * * *

रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का अधिनियम संख्यांक 7) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

36. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर—

(क) धारा 4, धारा 6 और धारा 8 द्वारा प्राधिकृत किन्हीं कृत्यों को करने में किसी व्यक्ति को बाधित करता है, या

(ख) धारा 6 के अधीन बनाए गए धरातल या किए गए कार्य को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसमें परिवर्तन या अन्यथा रूप में हस्तक्षेप करता है, या

(ग) धारा 7 के उपबंधों में से किसी का या उसके नीचे विहित किसी शर्त का उल्लंघन करता है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, और जारी रखने वाले अपराध की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके विषय में वह लगातार अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और उसके अपराध के परिणामों को हटाने में हुए किसी व्यय की वसूली उससे उसी रीति से की जा सकेगी जो जुर्माने की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उपबंधित है ।

* * * * *

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * *

प्रतिसंहत प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अभ्यर्पण।

296. (1) * * * * *

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना, प्रोबेट या पत्र को इस प्रकार प्रदत्त नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अधिक्रांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण ।

389. (1) * * * * *

(2) यदि वह जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसे परिदत्त नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 5

शास्तियां

58ख. (1) * * * * *

शास्तियां।

(4कक) यदि कोई लेखापरीक्षक, रिजर्व बैंक द्वारा धारा 45डख के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

58छ. (1) * * * * *

जुर्माना
अधिरूपित करने
की रिजर्व बैंक की
शक्ति।

* * * * *

ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम संख्यांक 23) से

उद्धरण

* * * * *

22. (1) * * * * *

निरीक्षकों की
शक्तियां।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के द्वारा या किसी निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसका जानबूझकर बाधित करेगा या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से तब जब उपधारा (1) के खंड (गगक) के अधीन उससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई हो, इन्कार करेगा, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

* * * * *

27क. जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,—

इस अध्याय के
उल्लंघन में
प्रसाधन
सामग्रियों के
विनिर्माण,
विक्रय आदि के
लिए शास्ति।

* * * * *

(ii) किसी ऐसी प्रसाधन सामग्री का जो खंड (i) में निर्दिष्ट प्रसाधन सामग्री से भिन्न है, इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के उल्लंघन में विक्रयार्थ या वितरणार्थ विनिर्माण करेगा या विक्रय करेगा या स्टॉक रखेगा या विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा या प्रस्थापित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

* * * * *

28क. जो कोई युक्तियुक्त हेतुक या प्रतिहेतु के बिना धारा 18ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा या, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

दस्तावेजों आदि
के न रखने
तथा जानकारी
के प्रकट न
करने के लिए
शास्ति।

* * * * *

29. जो कोई केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला द्वारा या सरकारी विश्लेषक द्वारा की गई परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट का या ऐसी रिपोर्ट के किसी उद्धरण का प्रयोग किसी ओषधि या प्रसाधन सामग्री के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

सरकारी
विश्लेषक की
रिपोर्ट का
विज्ञापन के
लिए उपयोग
करने के लिए
शास्ति।

पश्चात्तर्वर्ती
अपराधों के लिए
शास्ति।

30. (1) * * * * *

(1क) जो कोई धारा 27क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष होने पर उस धारा के अधीन पुनः सिद्धदोष होगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 29 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष होने पर उसी धारा के अधीन अपराध या पुनः सिद्धदोष होगा वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का न होगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

* * * * *

कतिपय अपराधों
का शमन किया
जाना।

32ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 28 और धारा 28क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो), जो केवल कारावास से और जुर्माने से भी, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियाजन के संस्थित होने से पूर्व या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, उस सरकार के खाते में ऐसी रकम के संदाय पर जो वह सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी दशा में, ऐसी रकम जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि पश्चात्तर्वर्ती अपराधों के मामलों में वह अपराध शमनीय नहीं होगा।

* * * * *

इस अध्याय के
उल्लंघन में
आयुर्वेदिक, सिद्ध
या यूनानी
ओषधि के
विनिर्माण, विक्रय
आदि के लिए
शास्ति।

33झ. जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,—

* * * * *

(2) इस अध्याय के या धारा 33ज द्वारा यथा लागू धारा 24 के या इस अध्याय के अधीन बनाए गए किसी नियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम न होगा, दण्डनीय होगा।

33ञ. जो कोई—

* * * * *

पश्चात्तर्वर्ती
अपराधों के लिए
शास्ति।

(ग) धारा 33झ की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, उस धारा के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो बीस हजार रुपए या अधिहत ओषधियों के मूल्य के तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम न होगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

विशेष न्यायालय।

36कख. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा 13 के खंड (क) और खंड (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराधों और अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से अन्य अपराधों के विचारण के

लिए, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, “उच्च न्यायालय” से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय ऐसे अभिहित किए जाने के ठीक पहले कार्य कर रहा था ।

* * * * *

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 8) से उद्धरण

* * * * *

26क. (1) * * * * *

निरीक्षण।

1860 का 45

(4) प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

* * * * *

43. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में से हटा दिया गया है, पर्याप्त कारण के बिना अपना रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र तत्काल वापस करने में चूक करेगा तो जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

रजिस्ट्रीकरण-
प्रमाणपत्र वापस
करने में चूक।

(2) इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान, कार्यकारिणी समिति के आदेश से किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

* * * * *

43क. (1) धारा 26क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार उस राज्य परिषद् के अध्यक्ष को, जहां अभिकथित उल्लंघन किया गया है, धारा 18 के अधीन यथाविहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्राधिकृत करेगी ।

शास्तियों का
न्यायनिर्णयन।

* * * * *

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 9) से उद्धरण

* * * * *

3. (1) * * * * *

कर्मकारों का
नियमित
नियोजन
सुनिश्चित करने
के लिए स्कीम।

(3) स्कीम इस बात का भी उपबंध कर सकेगी कि उसके किसी उपबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारवास से, जो विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु किसी भी दशा में जो प्रथम उल्लंघन के लिए तीन मास से, और किसी पश्चात्तवर्ती उल्लंघन के लिए छह मास से अधिक की नहीं होगी, अथवा जुर्माने से, जो उतना तक हो सकेगा जितना विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु किसी भी दशा में जो प्रथम उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपए से और किसी पश्चात्तवर्ती उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा यथापूर्वकत कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

7. (1) कोई भी न्यायालय स्कीम द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी भी अपराध का या उसके दुष्प्रेरण का संज्ञान ऐसा अपराध या दुष्प्रेरण गठित करने वाले तथ्यों की निरीक्षक की, या सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित रिपोर्ट पर करने

अपराधों का
संज्ञान ।

के सिवाय न करेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि स्कीम द्वारा दंडनीय बनाया गया अपराध या उसका दुष्प्रेरण केवल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय होगा ।

1898 का 5

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

7क. (1) यदि किसी स्कीम द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई अपराध या उसका दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर व्यक्ति, जो ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध या दुष्प्रेरण उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी स्कीम द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई अपराध या उसका दुष्प्रेरण कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध या दुष्प्रेरण कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध या दुष्प्रेरण का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

नियम बनाने की
शक्ति।

8. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

* * * * *

(छ) वह प्ररूप जिसमें बोर्ड अपना वार्षिक लेखा-विवरण और तुलनपत्र तैयार करेगा ।

* * * * *

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * *

18. विद्युत-ऊर्जा का प्रदाय और उत्पादन—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में या तदधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति में किसी बात के होते हुए भी,—

1910 का 9

(i) कोई भी व्यक्ति, निगम की पूर्व अनुज्ञा के बिना—

(क) दामोदर घाटी में, जहां उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा 30,000 वोल्ट या उससे अधिक दाब पर ली जाती है, किसी उपभोक्ता को विद्युत-ऊर्जा नहीं बेचेगा;

(ख) 30,000 वोल्ट या उससे अधिक दाब पर विद्युत-ऊर्जा दामोदर घाटी में

पारेषित नहीं करेगा;

(ग) पूर्व से पश्चिम तब खींची जाने वाली किसी ऐसी सीधी रेखा के, जो बाईस डिग्री, चौदह मिनट और सैंतालीस सैकेन्ड के अक्षांश और सत्तासी डिग्री, इक्यावन मिनट और बयालीस सैकेन्ड के देशान्तर पर पड़ने वाले किसी बिन्दु से होकर गुजरती हो, उत्तर में स्थित दामोदर घाटी के किसी भाग में, सिवाय बर्दमान के नगरपालिका क्षेत्र के उस भाग के, जो उस सीधी रेखा के उत्तर में पड़ता हो, 10,000 किलोवाट से अधिक की संकलित क्षमता वाले किसी प्रतिष्ठापन में कोई विद्युत-ऊर्जा उत्पादित नहीं करेगा :

परन्तु उपखंड (ग) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, विद्युत-ऊर्जा ऐसे किसी प्रतिष्ठापन में उत्पादित कर रहा था जिसकी संकलित क्षमता 10,000 किलोवाट से अधिक हो, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस प्रतिष्ठापन की क्षमता बढ़ाई न जाए :

परन्तु यह भी कि उपखण्ड (ग) की कोई बात सिन्दरी के उर्वरक कारखाने के किसी विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापन को, जिसकी संकलित क्षमता 80,000 किलोवाट हो, जब तक उस प्रतिष्ठापन की क्षमता बढ़ाकर 80,000 किलोवाट से अधिक न कर दी जाए, लागू नहीं होगा ।

(ii) निगम, दामोदर घाटी में किसी भी उपभोक्ता को विद्युत-ऊर्जा बेच सकेगा, किन्तु ऐसी कोई बिक्री, संबद्ध राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी ऐसे उपभोक्ता को नहीं की जाएगी, जो 30,000 वोल्ट से कम के दाब पर प्रदाय की अपेक्षा करता हो;

(iii) निगम, संबद्ध राज्य सरकार की अनुज्ञा से, अपनी पारेषण-प्रणाली दामोदर घाटी से परे किसी क्षेत्र तक विस्तारित कर सकेगा और उस क्षेत्र में विद्युत-ऊर्जा बेच सकेगा ।

1910 का 9

19. (1) जहां भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन प्रदत्त कोई अनुज्ञप्ति धारा 18 के उपबन्धों के आधार पर, पूर्णतः या अंशतः प्रवर्तनशील नहीं रह जाती वहां अनुज्ञप्ति इस प्रकार प्रतिसंहत या उपान्तरित की गई समझी जाएगी कि वह उन उपबन्धों से संगत हो जाए ।

विद्यमान
अनुज्ञप्तियों पर
प्रभावड़।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्ति उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाती है वहां निगम अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम को खरीद लेगा और जहां कोई अनुज्ञप्ति उस उपधारा के अधीन उपान्तरित की जाती है वहां निगम, अनुज्ञप्तिधारी के विकल्प पर, या तो उस उपक्रम को खरीद लेगा या उसे उचित प्रतिकर अदा करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा संदेय क्रय-कीमत या प्रतिकर की रकम वह होगी जिस पर निगम और अनुज्ञप्तिधारी के बीच सहमति हो जाए, या असहमति की दशा में वह होगी जो माध्यस्थम् द्वारा अवधारित की जाए ।

* * * * *

53. जो कोई इस अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

शास्ति।

* * * * *

56. निगम के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक, चाहे वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या निगम द्वारा, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका इस प्रकार कार्य करना तात्पर्यित हो तब, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

निगम के
सदस्यों,
अधिकारियों और
सेवकों का लोक
सेवक होना।

* * * * *

कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 46)

* * * * *

शास्ति ।

9. (1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के या तदधीन विरचित किसी स्कीम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) जो यथापूर्वोक्त दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, पूर्व दोषसिद्धि की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अंदर ऐसे किसी अपराध का फिर दोषी होगा, तो वह दोषसिद्ध किए जाने पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय उपधारा (1)] के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, उस अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की, ऐसे प्राधिकारी की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्व मंजूरी से की गई लिखित रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

(3) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।]

* * * * *

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 61) से उद्धरण

* * * * *

केन्द्रीय सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति ।

13. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ख) धारा 8ड की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा किसी उत्पादक या व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण की रीति और उपधारा (4) के अधीन आवेदन के लिए प्ररूप और संदत की जाने वाली फीस ;

* * * * *

शास्तियां।

14. (1) यदि कोई व्यक्ति,—

* * * * *

(ख) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन बोर्ड समिति और रजिस्ट्रीकरण समिति के किसी अधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में उसे बाधित करेगा, या

(ग) किसी लेखा बही या अन्य अभिलेख को अपने नियंत्रण या अपनी अभिरक्षा में रखते हुए ऐसी बही या अभिलेख को पेश करने में, इस अधिनियम के अधीन वैसा करने के लिए अपेक्षित होने पर, असफल होगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

* * * * *

14क. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 8ग और धारा 8ड या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या रेशम-कीट बीज विनियमों से संबंधित किसी अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह रेशम-कीट बीज का उत्पादन करने के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण के अतिरिक्त पांच हजार रुपए के जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डनीय होगा ।

धारा 8ग और धारा 8ड के उल्लंघन के लिए शास्ति।

* * * * *

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्यांक 64) से उद्धरण

* * * * *

46. राज्य सरकार, नियम द्वारा यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसके द्वारा धारा 44 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का भंग जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उस हर दिन के लिए, जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, बीस रुपए से अनधिक होगा ।

नियमों के भंग के लिए शास्ति।

* * * * *

स्थायर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

* * * * *

20. जो कोई भी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में बाधा डालेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अपराधों के लिए शास्ति।

21. सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मध्यस्थ और केन्द्रीय सरकार या समक्ष प्राधिकारी द्वारा सशक्त प्रत्येक अधिकारी जब वे इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हों या किसी कर्तव्य का पालन कर रहे हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

22. (1) * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के बारे में, उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ड) सूचनाओं और आदेशों की तामील की रीति,

* * * * *

रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 62) से उद्धरण

* * * * *

30. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) की या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश की अपेक्षाओं की या धारा 14 की अपेक्षाओं की पूर्णतः पूर्ति करने से इन्कार करेगा या विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना (जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) उससे अपेक्षा करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

शास्तियां ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 13 या धारा 16 के अधीन जारी की गई किसी सूचना का

पालन करने में जानबूझकर असफल होगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

34. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

चाय अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्यांक 29) से उद्धरण

* * * * *

37. मिथ्या विवरणी देने के लिए शास्ति—जो व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा, जिसमें अन्तर्विष्ट कोई विशिष्ट मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

शास्तियों का
न्यायनिर्णयन ।

42क. (1) धारा 41 की उपधारा (1) या धारा 42 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड का उपाध्यक्ष, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जांच करने और शास्ति अधिरोपित के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

* * * * *

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्यांक 45) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

20. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उन उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

21. (1) यदि धारा 12 के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध किए जाने के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12 के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के

किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

22. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अभियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी।

* * * * *

पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

5. कोई प्रकाशक जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन पुस्तक की बाबत है तो पुस्तक के मूल्य के बराबर जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि उससे आपन किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग प्रतिकर के रूप में उस सार्वजनिक पुस्तकालय को दिया जाएगा; जिसको यथास्थिति, वह पुस्तक या समाचारपत्र परिदत्त किया जाना था ।

शास्ति।

6. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अपराधों का संज्ञान।

(2) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

* * * * *

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * *

4घ. (1) * * * * *

शास्तियों का न्यायनिर्णयन।

(2) न्यनिर्णायक अधिकारी, निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, आदेश द्वारा शास्ति के लिए दायी किसी निदेशक या कर्मचारी पर उसकी ओर से किए गए किसी अतिलंघन या उल्लंघन के मद्दे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

* * * * *

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी को जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की पंक्ति से

उच्चतर पंक्ति का हो जैसा केन्द्रीय सरकार अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की उस तारीख से जिसको व्यथित आदेश को व्यष्टि द्वारा प्रति प्राप्त होती है तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी व्यष्टि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे या न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जो वह ठीक समझे, मामले को निपटान के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

(5) जब निगम का निदेशक या कर्मचारी, जो पहले से ही इस अधिनियम के उपबंधों के किन्हीं उल्लंघन या अतिलंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन शास्ति का भागी रहा है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पुनः ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा उल्लंघन या अतिलंघन करता है तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन या अतिलंघन के लिए उसके लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी रकम के लिए दायी होगा।

* * * * *

संपत्ति आदि के विधारण के लिए शास्ति।

40. यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे में हों, जानबूझकर विधारित रखेगा या निगम को ऐसे परिदत्त नहीं करेगा जैसे धारा 13 द्वारा अपेक्षित है या किसी बीमाकर्ता की जो संपत्ति निगम को इस अधिनियम के अधीन अन्तरित या उसमें निहित की गई है, उसका कब्जा विधिविरुद्धतया प्रतिधृत रखेगा या ऐसी किसी संपत्ति को इस अधिनियम में अभिव्यक्त या इसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए जानबूझकर उपयोग में ले आएगा, तो वह निगम के परिवाद पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

* * * * *

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 48) से उद्धरण

* * * * *

राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंचाने वाली रिष्टि के लिए दण्ड।

8ख. जो कोई, किसी ऐसे कार्य द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे धारा 8क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

* * * * *

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 96) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

32. (1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या दी गई किसी सूचना, आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 10 की उपधारा (7) के अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त के उल्लंघन में किसी संकर्म या उन्मूलन क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए किसी योजना का प्रारम्भ करता है, या करवाता है, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से,

जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी इमारत या भूमि में या भूमि पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को सताता है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

1860 का 45

38. सक्षम प्राधिकरण, तथा इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

सक्षम प्राधिकरण, आदि का लोक सेवक होना।

* * * * *

40. (1) * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

* * * * *

(डडडडड) वे बातें, जिनकी बाबत धारा 20ख की उपधारा (5) के अधीन उपबन्ध किया जा सकता है ;

* * * * *

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * *

67. कोई व्यक्ति जो—

रजिस्टर आदि में मिथ्या प्रविष्टियां करने, मिथ्या प्रविष्टियां पेश करने या देने के लिए शास्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे गए प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा, या

(ख) ऐसा लेख बनाएगा या बनवाएगा जिसका ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का नकल होना मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो, या

(ग) किसी ऐसी प्रविष्टि या लेख को, उसका मिथ्या होना जानते हुए, साक्ष्य के रूप में पेश करेगा या पेश कराएगा अथवा देगा या दिलवाएगा,

वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * *

23. जो कोई धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में बाधा डालेगा या धारा 4 के अधीन जानबूझकर किसी चिह्न को भरेगा या नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या स्थानान्तरित करेगा या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालेगा या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल होगा, तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

शास्तियां।

* * * * *

दिल्ली विकास अविवियम, 1957 (1957 का अविवियम संख्यांक 61) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

29. (1) वह व्यक्ति; जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति या किसी निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) की प्रेरणा से, मास्टर प्लान या जोन विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, के उल्लंघन में किसी भूमि के विकास का जिम्मा लेगा या भूमि का विकास करेगा, —

(क) कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, यदि ऐसा विकास किसी अभिन्यास योजना के बिना किसी कालोनी की स्थापना करने की दृष्टि से किसी भूमि का उपयोग, विक्रय या अन्यथा व्यवहार से संबंधित है ; और

(ख) सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, किसी ऐसे मामले में दंडनीय होगा जो खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न है ।

(2) वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का उपयोग धारा 14 के उपबध्दों से उल्लंघन में या उस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित किन्हीं निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में करेगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) वह व्यक्ति, जो धारा 28 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के किसी भूमि या भवन में प्रवेश में अडचन डालेगा या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को तंग करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

विकास रोकने की शक्ति ।

31. (1) * * * * *

(5) यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफल कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान आदेश की तामील के पश्चात् अनुपालन जारी रहता है, दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

कुछ अपराधों का संज्ञेय होना।

34क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होगा मानो वह कोई संज्ञेय अपराध है,—

* * * * *

(ii) निम्नलिखित से भिन्न सभी विषयों के प्रयोजनों के लिए—

(1) जब संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय, और

* * * * *

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना।

47. प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

1974 का 2

1860 का 45

* * * * *

49. (1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए अभियोजन, यथास्थिति, प्राधिकरण या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण या ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से हो संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अभियोजन की मंजूरी।

(2) धारा 31 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पालन न करने के लिए और उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन प्राशासक या उसके द्वारा इसनिमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

* * * * *

56. (1) * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूवगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः—

* * * * *

* * * * *

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 66) से उद्धरण

* * * * *

123घ. आयुक्त किसी भी समय निम्नलिखित कार्य कर सकता है:—

कर निर्धारण से संबंधित आयुक्त की शक्ति।

(क) किसी भी मामले में जहां स्व कर निर्धारण के आधार पर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है स्वतः कर निर्धारण कर सकता है।

(ख) किसी भी कर निर्धारण में संशोधन कर सकता है जहां स्व कर निर्धारण की विवरणी में प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है।

(ग) किसी भी मामले में जहां उसे पता चलता है कि सूचना को जान बूझकर छिपाया गया है, एक वर्ष के पश्चात भी कर निर्धारण को पुनः देख सकता है।

(घ) अर्थदंड लगा सकता है जो गलत सूचना या जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए समय पर विवरणी प्रस्तुत न करने से उत्पन्न कर में अन्तर के 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

* * * * *

152क. जो कोई भुगतान में जानबूझ कर गलती करता है अथवा किसी कर बचाने के ले किसी ढंग से जानबूझ कर कोशिश करता है जिसमें देय ब्याज की राशि और इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना अथवा निर्धारण के लिए रिटर्न में गलत सूचना प्रस्तुत करता है अथवा सम्पत्ति कर की रिटर्न को देय तिथि पर प्रस्तुत करने में जानबूझ कर असफल रहता है अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी अन्य दण्ड प्रावधान के पूर्वाग्रह के जिसके वे योग्य हो, दण्डित किया जाए:—

सम्पत्ति कर के भुगतान में जानबूझ कर बकाया, निर्धारण की रिटर्न में गलत सूचना प्रस्तुत करने इत्यादि हेतु दण्ड।

(क) उस मामले में जहां कर वचन की राशि दस लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास की अवधि जो कि तीन मास से कम नहीं होगी लेकिन सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कर वचन की राशि से पचास प्रतिशत से कम तक जुर्माना न हो सहित और

(ख) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास की अवधि एक मास से कम नहीं होगी बल्कि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और कच-वचन राशि के न्यूनतम पचास प्रतिशत

अर्थ-दण्ड के साथ होगी ।

परन्तु कि इस प्रकार का लगाया गया अर्थ-दण्ड उसके अतिरिक्त होगा तथा जो दोषी द्वारा भुगतान किया जाना या उस कर के भुगतान से संबंधित किसी देयता के अल्पिकरण में न हो ।

बिल का पेश किया जाना ।

153. (1) जब कोई कर देय हो जाए तब आयुक्त उस कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को देय रकम का एक बिल भिजवाएगा:

परन्तु—

(क) यान और जीवजन्तु कर,

(कक) खाली जमीन और किसी भवन के आच्छादित स्थल के स्वयं-निर्धारण पर देय सम्पत्ति कर

(ख) थिएटर कर, और

* * * * *

पथों पर नियमित लाइन निर्धारित करना।

305. (1) * * * * *

(3) कोई व्यक्ति, आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के सिवाय किसी पथ की नियमित लाइन के भीतर कोई भवन, या उसका कोई कोई भाग या कोई सीमा दीवार या अन्य संरचना, चाहे वह कैसी भी क्यों न हो, निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त किसी व्यक्ति से कोई सीमा दीवार या उसका कोई भाग निर्मित या पुनर्निर्मित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात साठ दिन के भीतर, दारा 308 के अनुसार पथ की नियमित लाइन के भीतर की भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी सीमा दीवार या उसके भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अग्रसर हो सकता है ।

(4) जब आयुक्त किसी पथ की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन या किसी सीमा दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा दे देता है तब वह भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह स्वामी को र उसके हित के उत्तराधिकारियों को इस बात के लिए बाध्य करने वाला एक करार निष्पादित करे कि यदि तत्पश्चात् किसी समय आयुक्त, लिखित सूचना द्वारा, उससे या उसके उत्तराधिकारियों में से किसी से ऐसी अनुज्ञा के अनुसरण में निष्पादित किए गए किसी संकर्म को हटाने की अपेक्षा करता है तो वह प्रतिकर का दावा नहीं करेगा और इस प्रकार हटाने में व्यतिक्रम होने की दशा में यदि हटाने का काम आयुक्त द्वारा किया जाता है तो उसके व्यय का संदाय करेगा तथा आयुक्त इस प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामी से नगरपालिक निधि में उतनी राशि का निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकता है जितनी उसके द्वारा अवधारित की जाए ।

(5) आयुक्त—

(क) ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वे सब सार्वजनिक विनिर्दिष्ट की जाएं, एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वे सब सार्वजनिक पथ जिनके संबंध में पथ की नियमित लाइन निर्धारित या पुनः निर्धारित कर दी गई है, उससे संलग्न नक्शों के साथ दर्शाई जाएंगी और उस रजिस्टर में कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रहेंगी जो आयुक्त आवश्यक समझता है ;

(ख) उपधारा (4) के अधीन निष्पादित सभी करारों और उसके अधीन किए गए सभी निक्षेपों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा ।

(6) ऐसे सभी रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर जो आयुक्त द्वारा स्थायी समिति की मंजूरी से विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(7) उपधारा (4) के अनुसरण में किया गया कोई करार, लिखित में होगा, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उस भूमि की बाबत जिससे वह संबंधित है, करार समझा जाएगा। ऐसे करार में अंतर्विष्ट कोई शर्त उक्त भूमि के स्वामित्व से उपाबद्ध बाध्यता समझी जाएगी र वह ऐसी भूमि के स्वामी के हित के उत्तराधिकारियों पर प्रवर्तनीय होगी।

* * * * *

309. (1) * * * * *

(2) ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग तत्पश्चात् धारा 310 के अधीन भवन को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

310. आयुक्त सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन में सुधार करने के प्रयोजन के लिए किसी भवन को, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, आगे बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है और, स्थायी समिति की मंजूरी से, ऐसे भवन के पुनर्निर्माण या किसी नए निर्माण की दशा में, सूचना द्वारा, उसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, दीवार, जो किसी परिसर को सार्वजनिक पथ से अलग करती है, भवन समझी जाएगी; और यदि ऐसी दीवार उक्त लाइन के साथ ऐसी सामग्री से निमित और ऐसे आकार में निमित की जाती है जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाएं तो यह समझा जाएगा कि भवन को पथ की नियमित लाइन तक बढ़ाने को अनुज्ञा या अध्यपेक्षा का पर्याप्त रूप से अनुपालन कर दिया गया है।

* * * * *

पथों पर अधिक्रमण

317. पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचना, आदि का प्रतिषेध—(1) धारा 318 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी परिसर के सामने कोई ऐसी संरचना या फिक्सचर खड़ा नहीं करेगा, स्थापित नहीं करेगा, नहीं जोड़ेगा या नहीं लगाएगा जो—

(क) किसी पथ पर लटकती हो, गे की ओर निकली हुई हो, बाहर की ओर निकली हुई हो या उसका किसी प्रकार से अधिक्रमण करती हो और उस पर जनता के सुरक्षित और सुविधापूर्ण वागमन में किसी रीति से बाधा डालती हो, अथवा

(ख) किसी पथ में किसी नाली या खुली जलसरणी पर इस तरह आगे की ओर निकली हो या बाहर की ओर निकली हो या उसका अधिक्रमण करती हो कि ऐसी नाली या जलसरणी के उपयोग में या उचित कार्यकरण में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई में अड़चन होती हो।

* * * * *

318. कतिपय दशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं की अनुज्ञा—(1) आयुक्त कसी पथ से लगे हुए भवन के स्वामी या अधिभोगी को—

(क) उसे पथ या उसके किसी भाग पर महाराबदार रास्ता बनाने की; अथवा

(ख) किसी पथ या उसके भाग पर या उसके आरपार, किसी मंजिल से बाहर की ओर निकलता हुआ बरामदा,

छज्जा, मेहराब, संयोजन मार्ग, शैड, मौसम रक्षक फेम, चंदोवा, आच्छादन या अन्य ऐसी संरचना या

पथ की नियमित लाइन के भीतर के भवन और भूमि और उनके भागों का अर्जन करने के पश्चात् उसके शेष भाग का अर्जन।

भवन को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाना।

वस्तु लगाने की, लिखित अनुज्ञा, ऐसे निबन्धनों और ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो वह प्रत्येक मामले में ठीक समझता है, दे सकता है :

परन्तु आयुक्त ऐसे किसी सार्वजनिक पथ पर महाराबदार रास्ता बनाने की अनुज्ञा नहीं देगा जिस पथ पर महाराबदार रास्ता बनाने की मंजूरी निगम द्वारा साधारणतः नहीं दी जाती ।

(2) आयुक्त, किसी भी समय सूचना द्वारा, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार लगाए गए बरामदे, छज्जे, शैड, मौसम रक्षक फ्रेम या वैसी ही संरचना को हटाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा स्वामी या अधिभोगी तदनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा किन्तु वह संरचना के इस प्रकार से हटाए जाने के कारण उसे हुई हानि के लिए प्रतिकर का और हटाने में उपगत खर्च का हकदार होगा ।

* * * * *

ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का प्रतिषेध जिनसे पथ में बाधा होती है।

320. (1) * * * * *

(2) इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे निर्माण या वस्तु को लागू नहीं होगी जिसे धारा 325 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता है ।

* * * * *

अनुज्ञा के बिना पथों का न खोदा जाना या न तोड़ा जाना और भवन निर्माण सामग्री का पथ पर जमा न किया जाना।

325. (1) आयुक्त या नगरपालिक अधिकारी या किसी नगरपालिक कर्मचारी से भिन्न कोई व्यक्ति, आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) किसी पथ के भाग स्वरूप किसी मिट्टी या पटाव को या किसी कुएं बाड़, जगह से नहीं हटाएगा, नहीं ले जाएगा या उसमें कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा ; अथवा

(ख) किसी पथ में कोई भवन निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा ; अथवा

(ग) किसी पथ में किसी कार्य के प्रयोजन के लिए कोई पाड़ या कोई अस्थायी निर्माण नहीं लगाएगा या गारा बनाने या ईटें, चूना, कूड़ा या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिए अहाते के रूप में कोई खम्बे, रोक, रेल, बोर्ड या अन्य चीजें नहीं लगाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा, आयुक्त के विवेकानुसार, उस व्यक्ति को जिसे ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गई है, कम से कम चौबीस घंटे की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(3) आयुक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना किसी पथ में जमा की गई या लगाई गई किसी वस्तु को जो उस उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट की गई है या जो ऐसी अनुज्ञा से जमा की गई या रखी गई है, किन्तु उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई गई है, बिना किसी सूचना के हटवा सकता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिसमें अनुज्ञा के लिए आवेदन, ऐसी फीस के साथ जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, किया गया है किन्तु आवेदन की तारीख के सात दिन के भीतर आवेदक का कोई उत्तर नहीं भेजा गया है ।

* * * * *

लैम्पों के हटाने, आदि का प्रतिषेध।

330. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प या किसी लैम्प के किसी अनुलग्नक या लैम्प पोस्ट या लैम्प पोस्ट या लैम्प आयरन को;

(ख) ऐसे लैम्प को लगाने के लिए किसी बिजली के तार को ;

(ग) किसी बिजली के तार या लैम्प के ले जाने, लटकाने या सहारा देने वाले किसी पोस्ट, खम्बे, दंड, स्टे, स्ट्रट, थैकिट या अन्य प्रयुक्ति को, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, न तो ले जाएगा, न जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, न गिराएगा और न नुकसान पहुंचाएगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प के प्रकाश को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक नहीं बुझाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षा से या घटनावश उपधारा (1) में वर्णित वस्तुओं में से किसी को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है तो वह ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जो उस पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, ऐसे किए

* * * * *

332. कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही और इस अध्याय के और भवन बनाने या संकर्मों के निष्पादन की बाबत इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही कोई भवन बनाएगा या बनाना प्रारम्भ करेगा या धारा 334 में उल्लिखित संकर्मों में से किसी का निष्पादन करेगा, अन्यथा नहीं।

मंजूरी के बिना भवन निर्माण का प्रतिषेध।

333. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो भवन बनाने का आशय रखता है, आयुक्त को ऐसे आशय की लिखित सूचना देते हुए ऐसे प्ररूप में और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित को जाए आयुक्त की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

भवन बनाना।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ विहित दस्तावेजों और नक्शे होंगे।

334. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य निष्पादित करने का आशय रखता है, आयुक्त को अपने आशय की लिखित में सूचना देते हुए ऐसे प्ररूप में और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, आयुक्त की मंजूरी के लिए एक आवेदन करेगा, अर्थात्:

भवन में परिवर्तन करने या मरम्मत करने के लिए आवेदन।

(क) भवन में कोई परिवर्धन;

(ख) भवन में ऐसा कोई परिवर्तन या मरम्मत जिसमें उसकी किसी बाहरी या विभाजक दीवार या किसी ऐसी दीवार को जिस पर भवन की छत सधी हुई है, कुर्सी की सतह से ऊपर, ऐसी दीवार के आधे से अधिक भाग को हटाना या पुनः बनाना पड़े; ऐसा आधा भाग वर्ग फुटों में नापा जाएगा;

(ग) किसी फ्रेम भवन में ऐसा कोई परिवर्तन या मरम्मत जिसमें उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार में के आधे से अधिक खंभों को हटाना या पुनः बनाना पड़े, या उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार को कुर्सी की सतह के ऊपर, ऐसी दीवार के आधे से अधिक तक हटाना या पुनः बनाना पड़े; ऐसा आधा भाग वर्ग फुटों में नापा जाएगा;

(घ) भवन में कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें—

(i) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपविभाजित किया जाए जिससे कि वह दो या अधिक पृथक् कमरों में परिवर्तित हो जाए; अथवा

(ii) ऐसे भवन के किसी मार्ग या रिक्त स्थान को एक या अधिक कमरों में परिवर्तित किया जाए;

(ङ) पथ के साथ लगे किसी भवन के किसी भाग को, जो ऐसे पथ की नियमित लाइन के भीतर है, मरम्मत, उसे हटाना, निर्मित करना, पुनः निर्मित करना या उसमें कोई परिवर्धन या सतही परिवर्तन;

(च) बाहरी दीवार में किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद करना;

(छ) मुख्य जीना को हटाना या उसका पुनः निर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन ।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ विहित दस्तावेज और नक्शे होंगे ।

विधिमान्य सूचना की शर्तें।

335. (1) धारा 333 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए उस भवन को, जिससे ऐसी सूचना संबंधित है, उपयोग में लाने का आशय है और धारा 334 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट करेगा कि वह प्रयोजन जिसके लिए भवन प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें प्रस्थापित कार्य के निष्पादन द्वारा कोई परिवर्तन प्रस्थापित है या परिवर्तन होने की संभावना है ।

निर्माण कार्य या संकर्म की मंजूरी या उसे मंजूरी देने से इंकार।

336. (1) यदि भवन बनाने से या किसी संकर्म के निष्पादन से इस धारा की उपधारा (2) के किन्हीं उपबंधों का या धारा 340 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है तो आयुक्त भवन बनाने की या ऐसे संकर्म के निष्पादन की मंजूरी देगा ।

* * * * *

(3) आयुक्त, सूचना देने वाले व्यक्ति की मंजूरी संसूचित करेगा ; और जहां वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर, या धारा 340 के अधीन, मंजूरी देने से इंकार करता है वहीं वह ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा और सूचना देने वाले व्यक्ति को ऐसे इंकार की संसूचना उसके कारणों सहित देगा ।

* * * * *

भवन या संकर्म के संबंध में कब आगे कार्यवाही की जा सकती है।

337. (1) जहां धारा 333 या धारा 334 के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात् या कोई अतिरिक्त जानकारी, जो धारा 335 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन की अवधि के भीतर, या धारा 331 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त भवन या संकर्म की मंजूरी देने से इंकार नहीं करता है अथवा इंकार करने के पश्चात् सा इंकारा उस व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है जिसने सूचना दी थी तो यह समझा जाएगा कि आयुक्त ने भवन या संकर्म के लिए मंजूरी दे दी है और जब वह व्यक्ति जिसने सूचना दी है, सूचना में अभिव्यक्त अपने आशय र सूचना से संलग्न दस्तावेजों और नक्शों के अनुसार भवन या संकर्म को प्रारम्भ करने और उसके संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा :

परन्तु यदि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन की किसी स्कीम से या सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन की प्रस्थापना से या किसी पथ के विस्तार, सुधार, चौड़ा करने या उसमें परिवर्तन करने से प्रस्थापित भवन या संकर्म के स्थल पर प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता है तो आयुक्त तीन मास से अनधिक ऐसी के लिए जो वह ठीक समझता है, भवन या संकर्म की मंजूरी को रोक रख सकता है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, साठ दिन की अवधि या तीस दिन की अवधि उस अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रारम्भ समझी जाएगी जिसके लिए मंजूरी रोक ली गई थी ।

* * * * *

(3) यदि कोई व्यक्ति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उस तारीख से, जिसकी भवन या संकर्म की मंजूरी दी गई है या मंजूरी दी गई समझी गई है, एक वर्ष के भीतर भवन का बनाना या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ नहीं करता तो वह, यथास्थिति, धारा 333 के अधीन या धारा 334 के अधीन भवन या संकर्म की नई मंजूरी के लिए सूचना देगा और इस धारा के उपबन्ध ऐसी सूचना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल सूचना के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन का बनाना या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति, आयुक्त को भवन बनाने या संकर्म के निष्पादन करने के प्रारम्भ की प्रस्थापित तारीख की सूचना देगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अधिसूचित तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नहीं दी गई है और इस निमित्त नई सूचना आवश्यक होगी।

338. यदि किसी भवन या संकर्म की मंजूरी के पश्चात् किसी समय आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मंजूरी धारा 33, धारा 334 और धारा 335 के अधीन दी गई सूचना या जानकारी में अन्तर्विष्ट किसी सारवान् दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन के परिणामस्वरूप दी गई थी तो वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मंजूरी को रद्द कर सकता है और प्रारम्भ किया गया, बनाया गया भवन या निष्पादित किया गया संकर्म, मंजूरी के बिना प्रारम्भ किया गया, बनाया गया या निष्पादित किया गया समझा जाएगा:

दुर्व्यपदेशन के अधीन दी गई मंजूरी।

परन्तु सा आदेश करने के पूर्व आयुक्त प्रभावित व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाए।

339. आयुक्त दो पथों के कोनों पर बनाए जाने के लिए आशयित किसी भवन को गोलाकार किए जाने की या टेढ़ा बनाए जाने की या ऐसी ऊंचाई और ऐसे विस्तार तक बनाए जाने की जो वह अवधारित करे, अपेक्षा कर सकता है तथा कोन पर के स्थल के उतने भाग का अर्जन कर सकता है जितना वह सार्वजनिक सुविधा या सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझता है।

पथ के कोनों पर भवन।

340. (1) आयुक्त, किसी नए पथ की दोनों ओर कोई भवन बनाए जाने से तब तक इंकार कर सकता है तब तक कि ऐसा नया पथ समतल नहीं कर दिया जाता और जब तक वह, जहां भी आयुक्त की ऐसी राय हो, उसके समाधानप्रद रूप में पक्का नहीं कर दिया जाता या पाट नहीं दिया जाता, उसमें नालियां नहीं बना दी जातीं, वह प्रकाशमय नहीं कर दिया जाता और उसमें जल मुख्यप्रणाल नहीं डाल दिया जाता।

नए पथों के दोनों ओर के भवनों और संकर्मों के संबंध में उपबन्ध।

(2) आयुक्त कसी ऐसे भवन के बनाए जाने या किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन से इंकार कर सकता है जो किसी ऐसे पथ की जिसकी दिशा आयुक्त द्वारा अधिकथित की गई है किन्तु जो पथ वस्तुतः निर्मित नहीं हुआ है, यदि वह नियमित लाइन के भीतर आता है या यदि ऐसा भवन या उसका कोई भाग या ऐसा संकर्म इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गई किसी भवन निर्माण स्कीम या किसी अन्य स्कीम या योजना के उल्लंघन में है।

* * * * *

343. (1) * * * * *

(5) धारा 374घ के अधीन अपील पर प्रशासन द्वारा किए गए आदेश के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन अपील पर अपील अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और अपील पर प्रशासक तथा अपील अधिकरण के आदेशों के अधीन रहते हुए] तोड़े जाने के लिए आयुक्त द्वारा किया कोई आदेश, जिला न्यायाधीश के ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, अंतिम और निश्चायक होगा।

कतिपय मामलों में भवनों और संकर्मों के तोड़े जाने और रोकने का आदेश और अपील।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा तोड़े जाने के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है या जहां तोड़े जाने के लिए उस उपधारा के अधीन आयुक्त द्वारा किया गया कोई आदेश अपील में किसी परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना, अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, और प्रशासक द्वारा ऐसे मामले में, जहां अपील दिया जाता है वहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, यथास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सी किसी अवधि के भीतर जो अपील अधिकरण या प्रशासक द्वारा अपील में नियत की गई है, उसका अनुपालन करेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त उस निर्माण या संकर्म को, जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, तुड़वा सकता है और इस प्रकार उसे तोड़े जाने का व्यय ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप से वसूली होगी।

* * * * *

संकर्म का परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की आयुक्त की शक्ति।

345. (1) आयुक्त किसी भवन के बनाने या किसी संकर्म के निष्पादन के दौरान किसी समय या [उसके पूरा हो जाने के पश्चात सात दिन से अन्यून की लिखित सूचना द्वारा] उस बात को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसके सम्बन्ध में ऐसा निर्माण या निष्पादन धारा 336 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना किया गया है या प्रतिकूल है या ऐसी मंजूरी की किसी शर्त के या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी विधि के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में है और उस व्यक्ति से जिसने धारा 333 या धारा 334 के अधीन सूचना दी थी या ऐसे भवन या संकर्म के स्वामी से या तो—

(क) भवन या संकर्म को उक्त मंजूरी, शर्त या उपबन्धों के अनुरूप करने के उद्देश्य से उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने की, अथवा

(ख) सूचना में कथित अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने को कि ऐसे परिवर्तन क्यों न किए जाएं,

अपेक्षा कर सकता है।

* * * * *

अप्राधिकृत संनिर्माणों को सोलबन्द करने की शक्ति।

345क. (1) * * * * *

(3) कोई भी व्यक्ति,—

(क) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए आदेश के अधीन ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील में अपील अधिकरण या प्रशासक के किसी आदेश के अधीन,

हो ऐसी सील को हटाएगा, अन्यथा नहीं।

* * * * *

इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए कतिपय आदेशों या सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें।

347ख. (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए या जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों या सूचनाओं में से किसी से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या सूचना के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

* * * * *

(झ) धारा 339 के अधीन परिनिर्मित किए जाने के लिए आशयित किसी भवन के गोलाकार किए जाने या टेढ़ा बनाए जाने या उसकी ऊंचाई कम की जाने की अपेक्षा करने वाला या किसी स्थल के किसी भाग का अर्जन करने के लिए आदेश ;

(ज) धारा 340 के अधीन किसी भवन के परिनिर्मित किए जाने से या किसी संकर्म के निष्पादन से इंकार करने वाला आदेश ;

* * * * *

अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील।

347घ. (1) अपील अधिकरण के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जो धारा 343 या धारा 347ख के अधीन किसी अपील में किया गया है और जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या सूचना को पुष्ट, उपांतरित या बातिल किया गया है, प्रशासक को अपील की जाएगी।

* * * * *

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील पर, प्रशासक का आदेश और केवल ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 347ख के अधीन अपील अधिकरण का आदेश और प्रशासक के अथवा किसी अपील अधिकरण के ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश या सूचना अंतिम होगी।

* * * * *

कूड़ा, आदि निगम की सम्पत्ति होगा।

351. धारा 352 के अधीन व्यवस्थित या नियत किए गए सार्वजनिक कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों में जमा किए गए सभी पदार्थ और धारा 350 तथा धारा 355 के अनुसरण में नगरपालिक कर्मचारियों या

ठेकेदारों द्वारा संग्रह किए गए सभी पदार्थ, निगम की सम्पत्ति होंगे।

* * * * *

355. (1) आयुक्त के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी गंदगी और प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को दिल्ली के किसी भाग में स्थित सभी परिसरों से ऐसे शौचालयों, मूत्रालयों और मल कुंडों से, जो नगरपालिका की नाली के साथ नाली से जुड़े हुए नहीं हैं, नित्य संग्रह करने, हटाने और व्ययन करने के लिए उपाय करे।]

गंदगी और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण और हटाया जाना।

(2) दिल्ली के ऐसे भाग में, और किन्हीं ऐसे परिसरों में, चाहेवे कही भी स्थित हों, जिनमें नगरपालिक नाली से जुड़े हुए शौचालय या मूत्रालय हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आयुक्त द्वारा या उसकी ओर से नियोजित नहीं है, आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह सफाई कर्मचारियों के कर्तव्य में से, किसी का निर्वहन करे।

* * * * *

357. (1) * * * * *

(3) कोई भी व्यक्ति, निम्नलिखित को जमा करने और हटाने के लिए इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन इस संबंध में सम्यक् व्यवस्था कर दिए जाने के पश्चात्—

कूड़ा, आदि एकत्रित करने का प्रतिषेध।

(क) किसी पथ में या किसी पथ के किनारे किसी भवन या किसी अधिभोग रहित खाली भूमि पर या किसी जलसरणी के किनारे पर कोई कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा; अथवा

(ख) किसी ऐसे डस्टबिन या किसी यान में कोई गंदगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा जो उनको हटाने के लिए आशयित नहीं है;

अथवा

(ग) कूड़े और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को हटाने के लिए आशयित किसी यान या पात्र में कूड़ा जमा नहीं करेगा।

* * * * *

शौचालय और मूत्रालय

360. (1) आयुक्त की लिखित अनुज्ञा से ही और उन निबंधनों के अनुसार ही जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के ऐसे निबंधनों से असंगत नहीं हैं जो आयुक्त विहित करे, किसी परिसर के लिए कोई शौचालय या मूत्रालय निर्मित करना विधिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं।

शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण।

(2) ऐसे निबंधन विहित करने में आयुक्त प्रत्येक मामले में यह अवधारित कर सकता है कि—

(क) परिसरों से गंदगी हटाने के लिए कमाने की प्रणाली या फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी या भागतः कमाने की प्रणाली या भागतः फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी; और

(ख) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी।

(3) यदि किसी परिसर पर पूर्वगामी उपबंधों के उल्लंघन में किसी शौचालय या मूत्रालय का निर्माण किया जाता है तो आयुक्त, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कम से कम दस दिन की सूचना देकर, ऐसे शौचालय या मूत्रालय में फेरफार करा सकता है या उसका पुनः निर्माण करा सकता है, उसे बंद कर सकता है या उसे तोड़ सकता है तथा ऐसा करने में आयुक्त द्वारा उपगत व्यय स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

361. (1) किसी भवन का निर्माण या ऐसे भवन के संबंध में किसी संकर्म का निष्पादन तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तप प्रत्येक मंजिल पर ऐसी शंचालय सुविधा और मूत्रालय-सुविधा की तथा स्नान के लिए या कपड़े और बर्तन धोने के लिए ऐसी सुविधा की, जैसी कि आयुक्त द्वारा विहित की

नए भवनों में शौचालय और मूत्रालय, आदि।

जाए, व्यवस्था नहीं कर दी जाती।

(2) किसी ऐसी सुविधा को विहित करने में आयुक्त प्रत्येक मामले में यह अवधारित कर सकता है कि—

(क) परिसरों की गंदगी हटाने के लिए कमाने की प्रणाली या फलश की प्रणाली अपनाई जाएगी या भागतः कमाने की प्रणाली या भागतः फलश की प्रणाली अपनाई जाएगी ; और

(ख) प्रत्येक शौचालय, मूत्रालय, स्नान या शौचालय के स्थान का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी और प्रत्येक मंजिल पर उनकी संख्या और उनका सही आंतरिक आकार कैसा होगा।

(3) फ्लैट प्रणाली से पृथक् वास गृहों वाला निवास-भवन बनाना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक ऐसे भवन की पहली मंजिल में या उसी परिसर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर संवकों के लिए कम से कम एक शौचालय और एक स्नान या धुलाई के स्थान की व्यवस्था नहीं कर दी जाती।

(4) इस धारा में “भवन बनाना” पद का वही अर्थ है जो धारा 331 में है।

* * * * *

प्राइवेट शौचालयों
के बारे में अन्य
उपबन्ध।

364. आयुक्त, लिखित सूचना द्वारा,—

(क) किसी प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के स्वामी से या अन्य व्यक्ति से, जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उनका सार्वजनिक उपयोग न होने दे ; अथवा

(ख) व ऐसे प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के, जो आयुक्त की राय में न्यूसेंस है, स्वामी से या ऐसे व्यक्ति से जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकता है कि उस शौचालय या मूत्रालय को हटा दिया जाए, अथवा

(ग) किसी भूमि या भवन पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से, चाहे वह उसका स्वामी हो या पट्टेदार हो या अधिभोगी हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह—

(i) उस भूमि या भवन के लिए व्यवस्था किए गए किन्हीं शौचालयों में पर्याप्त छत, दीवार या बाड़ लगाकर ऐसी आड़ कर दे कि वहां से गुजरने वाले या आसपास रहने वाले व्यक्तियों को व नजर न आए ; अथवा

(ii) उस भूमि या भवन में कि किसी शौचालय या मूत्रालय को ऐसी रीति से जो आयुक्त सूचना में विहित करे, साफ रखे।

(घ) जहां मानव-निवास के लिए आशयित या प्रयुक्त किसी परिसर में शौचालय या मूत्रालय सुविधा नहीं है या उसमें शौचालय या मूत्रालय सुविधा अपर्याप्त है वहां, ऐसे परिसरों के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी या ऐसी अतिरिक्त शौचालय या मूत्रालय सुविधा की व्यवस्था करे जो आयुक्त विहित करे और यदि आवश्यक हो तो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार ऐसे परिसर के किसी भाग को काली करवाकर और तुड़वाकर ऐसी व्यवस्था करे।

अति भिड़े भवनों और मानव-निवास के अयोग्य भवनों का हटाया जाना

अति भिड़े भवनों
का हटाया जाना।

365. (1) जहां आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि भवनों का कोई ब्लाक उन भवनों के एक दूसरे से अत्यन्त भिड़े होने के कारण या पथों के तंग होने या अति निकट होने या उस त्रुटिपूर्ण योजना के कारण या पर्याप्त जल निस्सारण और संवातन के अभाव के कारण या भवनों की सफाई करने की अव्यावहारिकता के कारण या अन्य वैसे ही कारणों से अस्वास्थ्यकर दशा में है वहां वह उस ब्लाक का निरीक्षण नगरपालिक स्वास्थ्य अधिकारी और नगरपालिक इंजीनियर से कराएगा जो ब्लाक की स्वच्छता सम्बन्धी दशा के बारे में उसे लिखित में रिपोर्ट देगा।

(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयुक्त यह समझता है कि ब्लाक की स्वच्छता सम्बन्धी दशा से भवनों के या आसपास के निवासियों को रोग की जोखिम होने की या अन्यथा लोक स्वास्थ्य

को खतरा होने की संभाव्यता है तो वह स्थायी समिति के अनुमोदन से उन भवनों को चुनेगा जो उसकी राय में बलाक की अस्वास्थ्यकर दशा को दूर करने के उद्देश्य से पूर्णतः या भागतः हटा दिए जाने चाहिए और वह तदुपरि ऐसे भवनों के स्वामियों से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भवनों को हटाने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु सूचना जारी करने से पूर्व स्वामियों को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए कि भवन क्यों न हटाए जाए:

परन्तु यह और कि इस प्रकार हटाए गए किन्हीं ऐसे भवनों के स्वामियों को जो उचित प्राधिकार के अधीन बनाए गए हों, आयुक्त प्रतिकर देगा ।

(3) यदि किसी भवन के स्वामी को भवन हटाने की अपेक्षा करते हुए उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आयुक्त, सूचना में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् उस भवन को स्वयं हटा सकता है जिसे हटाने की अपेक्षा सूचना में की गई है और उसे हटाने का व्यय भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकता है ।

* * * * *

368. (1) जहां आयुक्त का, ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि कोई भवन मानव-निवास के ले अनुपयुक्त है और युक्तियुक्त व्यय करने पर ठीक किए जाने के योग्य नहीं है वहां वह उस भवन के स्वामी पर और उस भवन में, चाहे पट्टेदार के रूप में या बंधकदार अथवा किसी अन्य रूप में कोई हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, सूचना की तामील करेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि भवन को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए ।

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने का आदेश देने की आयुक्त की शक्ति।

(2) यदि उन व्यक्तियों में से कोई, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, उस सूचना के अनुसरण में आयुक्त के समक्ष हाजिर होता है और उसे वचन देता है कि वह आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस भवन के सम्बन्ध में ऐसे सुधार के संकर्म निष्पादित करेगा जिनसे आयुक्त की राय में भवन मानव-निवास के योग्य हो जाएगा अथवा यह बचत देता है कि भवन को मानव-निवास के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तब तक आयुक्त का यह समाधान नहीं हो जाता कि वह उस प्रयोजन के योग्य बना दिया गया है और आयुक्त ऐसे वचन को रद्द नहीं कर देता तब तक आयुक्त भवन को तोड़ने का आदेश नहीं देगा ।

(3) यदि ऐसा कोई वचन, जो उपधारा (2) में उल्लिखित है, नहीं दिया जाता या किसी ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई वचन दिया गया है, सुधार का कोई संकर्म, जिसकी बाबत वचन दिया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता, या वचन के निबन्धनों का उल्लंघन करते हुए भवन का प्रयोग किया जाता है तो आयुक्त भवन को तोड़ने का आदेश तुरन्त देगा और उस आदेश में यह अपेक्षा की जाएगी कि भवन को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो आदेश की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी, खाली कर दिया जाए और भवन को उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर तोड़ दिया जाएगा ।

(4) जहां भवन को तोड़ने का आदेश इस धारा के अधीन किया जाए वहां भवन का स्वामी या उसमें हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को तोड़ देगा और यदि भवन उस समय के भीतर तोड़ा नहीं जाता है तो आयुक्त उस भवन को तोड़ देगा और उसकी सामग्री का विक्रय कर देगा ।

(5) आयुक्त द्वारा उपधारा (4) के अधीन उपगत कोई व्यय यदि भवन की सामग्री के विक्रय के आगमों से पूरा नहीं होता है तो वह भवन के स्वामी से या भवन में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

* * * * *

(8) धारा 365, धारा 366, धारा 367 और इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे क्षेत्र में, जो गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 के अधीन गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, किसी भवन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

अस्वच्छ झोपड़ियां
और शैड।

369. जहां आयुक्त का, किसी ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि निवासगृह या अस्तबल या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी झोपड़ी या शैड की बाबत यह संभाव्यता है कि कुर्सी के बिना होने के कारण या अपर्याप्त ऊंचाई की कुर्सी पर निर्मित होने के कारण या जल निकास के उचित साधनों के बिना या उसकी झाड़-बुहार या सफाई की अव्यावहारिकता के कारण या जिस रीति से वह या अन्य झोपड़ियां या शैड अति भिड़े हुए हैं, उसके कारण उनके निवासियों या आसपास के निवासियों को रोग की जोखिम हो सकती है या उससे, किसी अन्य कारण से स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की संभाव्यता है तो आयुक्त लिखित सूचना द्वारा ऐसी झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी से या उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी से जिस पर झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी से या उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी से जिस पर झोपड़ी या शैड स्थित है, उतने समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, झोपड़ी या शैड को हटाने या उसमें परिवर्तन करने या ऐसे सुधार करने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझता है।

धोबियों द्वारा की जाने वाली धुलाई का विनियमन

धोबियों द्वारा की
जाने वाली धुलाई
का प्रतिषेध।

370. (1) आयुक्त लोक सूचना द्वारा यह प्रतिषेध कर सकता है कि धोबी अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़ों की धुलाई ऐसे स्थानों पर ही, जो आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किए जाएं, करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) जब कोई ऐसा प्रतिषेध कर दिया जाए तब कोई व्यक्ति जिसकी आजीविका धोबी की है, ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन में सिवाय अपने लिए या वैयक्तिक और कुटुम्ब की सेवा के लिए या अवक्रय के लिए अथवा अवक्रेता के परिसर के भीतर ही, उपधारा (1) के अधीन नियत किए गए स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कपड़े नहीं धोएगा।

* * * * *

भवनों और
वस्तुओं का
विसंक्रामण।

373. जहां आयुक्त की यह राय है किसी भवन या भवन के किसी भाग की अथवा ऐसे भवन या उसके भाग में की किन्हीं वस्तुओं की जिनके संक्रमित होने की संभावना है, सफाई और विसंक्रामण करने से तथा ऐसे किसी भवन या भवन के किसी भाग के फर्श का नवीकरण करने से किसी खतरनाक रोग का फैलना निवारित होगा या रुकेगा तो वह ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से, लिखित सूचना द्वारा, उक्त भवन, उसके भाग या उसकी वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण की अथवा उक्त फर्श के नवीकरण की और यदि आवश्यक है तो उसके प्लास्टर का नवीकरण की, उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने की भी अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु जहां आयुक्त की राय में ऐसा स्वामी या अधिभोगी गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से किसी अध्यपेक्षा को प्रभावी रूप से पूरा करने में असमर्थ है तो आयुक्त, यथास्थिति, भवन, उसके भाग या वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण अथवा फर्श का, और आवश्यक हो तो प्लास्टर का भी, नवीकरण नगरपालिका निधि के व्यय पर कर सकता है।

संक्रामक झोपड़ी
या शैड का नष्ट
किया जाना।

374. (1) जहां किसी झोपड़ी या शैड की बाबत आयुक्त की यह राय है कि किसी खतरनाक रोग फैलने का निवारण करने के लिए उसका नष्ट किया जाना आवश्यक है वहां वह, लिखित सूचना द्वारा, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस झोपड़ी या शैड को और उसकी सामग्रियों को, उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, नष्ट कर दिया जाए।

(2) जहां आयुक्त का समाधान हो जाता है कि किसी खतरनाक रोग को फैलने का निवारण करने के प्रयोजन के लिए किसी झोपड़ी या शैड को नष्ट करना तत्काल आवश्यक है तो वह झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी को उसे तत्काल नष्ट करने का आदेश दे सकता है या स्वामी या

अधिभोगी को छह घण्टे से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् उसे स्वयं नष्ट करा सकता है।

* * * * *

377. (1) कोई व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या अन्य वस्तु को, जिसकी बाबत वह जानता है कि उसके खतरनाक रोग से संक्रामित होने की आशंका है, धोए जाने के प्रयोजन के लिए किसी धोबी को या किसी लांड्री को या ऐसे स्थान पर को, जो धोबियाँ द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग रखा गया है, अथवा किसी अन्य स्थान को उसे साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए, तब तक कि नहीं भेजेगा या नहीं ले जाएगा जब तक वह कपड़ा या वस्तु नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा या उसके समाधानप्रद रूप से विसंक्रामित नहीं कर दी जाती।

संक्रामित कपड़े का धोबी या लांड्री को न भेजा जाना।

(2) उस भवन का अधिभोगी, जिसमें कोई व्यक्ति खतरनाक रोग से पीड़ित है, यदि नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, उसे ऐसे किसी धोबी का या ऐसी किसी लांड्री या अन्य स्थान का पता देगा जिसे या जहां उस भवन से कपड़े और अन्य वस्तुएं उस रोग के जारी रहने के दौरान धोए जाने या साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे।

378. जो कोई—

(क) उस समय जब वह खतरनाक रोग से पीड़ित है, लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

लोक प्रवहण का संदूषण और विसंक्रामण।

(ख) उस व्यक्ति को ले जाने के लिए जो किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है, लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

(ग) उस व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए जिसकी मृत्यु किसी ऐसे रोग से हुई है, किसी लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, वह उन अन्य व्यक्तियों को जो उस प्रवहण का प्रयोग कर रहे हैं या तत्पश्चात् कर सकते हैं, ऐसे रोग का फैलना निवारित करने के लिए उचित पूर्वाधानियां बरतने के लिए तथा उस प्रवहण के स्वामी, चालक या भारसाधक व्यक्ति को ऐसे प्रयोग को अधिसूचित करने के लिए, बाध्य होगा तथा उस प्रवहण का संख्यांक और इस प्रकार से अधिसूचित किए गए व्यक्ति का नाम भी आयुक्त को अविलम्ब रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य होगा।

(2) जहां किसी खतरनाक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को, या ऐसे किसी व्यक्ति के शव को, जिसकी मृत्यु खतरनाक रोग से हुई है, ऐसे किसी लोक प्रवहण में पहले ले जाया गया है जो मामूली तौर पर दिल्ली या उसके किसी भाग में चलता है, वहां उसका चालक उस तथ्य को रिपोर्ट आयुक्त को तत्काल देगा और वह उस प्रवहण का विसंक्रामण तत्काल कराएगा यदि वह पहले ही विसंक्रामित नहीं कर दिया गया है।

(3) ऐसा कोई भी प्रवहण तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी इस कथन वाला प्रमाणपत्र नहीं देता कि वह संक्रमण के जोखिम के बिना उपयोग में लाया जा सकता है।

(4) जो कोई भी आयुक्त को इस धारा के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट करने में असफल रहेगा वह अपराध का दोषी होगा।

* * * * *

380. (1) जहां कोई ऐसा भवन या भवन का कोई भाग भाड़े पर दिया जाना है जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पूर्ववर्ती छह सप्ताह के भीतर खतरनाक रोग से पीड़ित रहा है वहां उस भवन या उसके भाग को भाड़े पर देने वाला व्यक्ति उसे भाड़े पर देने से पूर्व उसमें की ऐसी सभी चीजों सहित जिनमें संक्रमण बने रहने की सम्भाव्यता है, उसका विसंक्रामण ऐसी रीति से करेगा जो आयुक्त साधारण या विशेष सूचना द्वारा निदिष्ट करे।

भवनों को भाटक पद देने से पूर्व उनका विसंक्रामण।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी होस्टल, निवासगृह या सराय को चलाने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस किसी को वहां अतिथी के रूप में रखा जाता है वह उसे उस भवन का वह भाग भाटक पर देता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को निवास करने की अनुज्ञा दी जाती है।

* * * * *

संक्रमित
व्यक्तियों द्वारा
भोजन, आदि
बनाने या विक्रय
करने या कपड़े
धोने का प्रतिषेध।

382. कोई व्यक्ति तब जब वह खतरनाक रोग से पीड़ित है या ऐसी परिस्थितियों में जिसमें यह संभाव्यता है कि वह ऐसा रोग फैला देगा—

(क) मानव उपभोग के लिए कोई खाद्य या पेय पदार्थ या कोई औषध या औषधि या वैयक्तिक प्रयोग या पहनने या ओढ़ने-बिछाने की कोई चीज नहीं बनाएगा, नहीं ले जाएगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा, या बनाने, ले जाने या विक्रय के लिए प्रस्थापित करने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा; अथवा

(ख) कपड़े को धोने या ले जाने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा।

* * * * *

खतरनाक रोग से
पीड़ित व्यक्तियों
का कर्तव्य।

385. कोई व्यक्ति—

(क) यह जानते हुए कि वह किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में अपनी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में नहीं डालेगा;

(ख) उस व्यक्ति की देखरेख करते हुए, जिसके बारे में वह जानता है कि वह खतरनाक रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को यथापूर्वोक्त किसी पथ या स्थान में उसकी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में नहीं डलवाएगा और न डालने देगा;

(ग) ऐसे किसी पदार्थ को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा है कि उसमें खतरनाक रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रमण नहीं हुआ है, डस्टबिन में या कूड़ा जमा करने के अन्य पात्र में नहीं रखेगा और न रखने देगा;

(घ) ऐसे किसी पदार्थ को जिसको बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा है कि उसमें खतरनाक रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रमण नहीं हुआ है, किसी शौचालय या मूत्रालय में नहीं फेंकेगा और न फेंकने देगा।

* * * * *

आवश्यक सेवाओं के संबंध में विशेष शर्तें

नगरपालिका सेवा
में नियोजित
झाड़ूकशों और
कतिपय अन्य वर्ग
के व्यक्तियों की
सेवा की शर्तें।

387. (1) कोई भी व्यक्ति, जो निगम द्वारा नियोजित झाड़ूकश है, उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाली किसी संविदा के अभाव में और युक्तियुक्त कारण के बिना, आयुक्त को एक मास की सूचना दिए बिना अपने नियोजन का त्याग नहीं करेगा और अपने कर्तव्य से स्वयं को अनुपस्थिति नहीं करेगा तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करेगा या युक्तियुक्त कारण के बिना उनके पालन से इंकार नहीं करेगा।

(2) निगम संकल्प द्वारा निदिष्ट कर सकता है कि ऐसी तारीख को या से, जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, इस धारा के उपबन्ध निगम द्वारा नियोजित किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनके कृत्यों का लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ट संबंध है।

* * * * *

जन्म और मृत्यु
की जानकारी।

396. (1) दिल्ली में जन्मे प्रत्येक बालक के पिता या माता का और पिता या माता के अभाव में बालक के, उसी परिसर में रहने वाले किसी नातेदार का, और ऐसे नातेदार के अभाव में उस बालक के भारसाधक व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे जन्म के पश्चात् आठ दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे जो इस निमित्त बनाई गई

उपविधियों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) दिल्ली में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित या उसकी अन्तिम बीमारी के दौरान परिचर्या करने वाले उसके निकटतम नातेदार का और ऐसे नातेदार के अभाव में मृत्यु के समय उपस्थित या परिचर्या करने वाले किसी व्यक्ति का और उस परिसर के अधिभोगी का जिसे वहां ऐसी मृत्यु होने की जानकारी है, और ऐसे व्यक्ति या अधिभागी के अभाव में ऐसे परिसर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का और अन्त्येष्टि-प्रबन्धक या मृतक के शव का क्रियाकर्म कराने वाले अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह, जिस क्षेत्र के भीतर मृत्यु हुई है उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाए ।

(3) यदि कोई जन्म या मृत्यु अस्पताल में होती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित व्यक्तियों में से कोई उस उपधारा द्वारा अपेक्षित जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु अस्पताल के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी विशिष्टियों से युक्त सूचना, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी को जन्म या मृत्यु के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर भेजे ।

* * * * *

अग्नि, आदि का निवारण

400. आयुक्त, लोक सूचना द्वारा, किसी स्थान में जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लकड़ी, सूखी घास फूस या अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर लगाने और उसका संग्रह करने या चटाइयों या फूस की झोपड़िया रखने या आग जलाने का ऐसी दशा में प्रतिषेध कर सकता है जिसमें जीवन या सम्पत्ति को खतरा होने का निवारण करने के लिए ऐसा प्रतिषेध उस आवश्यक प्रतीत होता है ।

ज्वलनशील सामग्री के ढेर लगाना और उसका संग्रह करना।

401. कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान में के किसी भवन में या उसके निकट कोई खुला बत्ती ऐसी रीति से नहीं रखेगा कि आग लगने का खतरा पैदा हो जाए :

खुली बतियों की देखभाल।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उत्सव या सार्वजनिक या प्राइवेट मनोरंजन के अवसर पर रोशनी करने के लिए बतियों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करती है ।

402. कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से कोई अग्न्यायुध या हवाई कंडील नहीं छोड़ेगा या ऐसी रीति से कोई खेल नहीं खेलेगा कि आसपास से गुजरने वाले या वहां निवास करने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को खतरा या सम्पत्ति को क्षति होने की जोखिम हो ऐसी सम्भाव्यता हो ।

आतिशबाजी, अग्न्यायुध आदि का छोड़ा जाना।

* * * * *

409. (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी बाजार को जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, अथवा तब जब उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित है या रद्द कर दी गई है, सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं रखेगा ।

अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बाजार खुला रखने का प्रतिषेध।

(2) यदि प्राइवेट बाजार खोलने की अनुज्ञप्ति मंजूर या अस्वीकृत या निलंबित या रद्द कर दी जाती है तो आयुक्त ऐसी मंजूरी, अस्वीकृति, निलंबन या रद्दकरण की सूचना ऐसी एक या अधिक भाषाओं में जो वह आवश्यक समझता है, उस स्थान के, जिसमें सूचना संबंधित है, प्रवेश के स्थान पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा ।

410. कोई भी व्यक्ति, यह जानते हुए कि ऐसा कोई बाजार जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, जनता के लिए खोला गया है अथवा उसके लिए दी गई अनुज्ञप्ति तत्समय निलंबित

अनुज्ञप्त बाजारों के प्रयोग का प्रतिषेध।

या रद्द कर दी गई है, ऐसे बाजार में कोई जीवजन्तु या वस्तु विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा ।

बाजार के निकट
कारबार और
व्यापार का
प्रतिषेध।

411. (1) किसी नगरपालिक बाजार या अनुज्ञप्त प्राइवेट बाजार से सौ गज की दूरी के भीतर कोई जीवजन्तु या वस्तु आयुक्त की अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं की जाएगी या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं की जाएगी ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, और कोई जीवजन्तु या वस्तु जो ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए अभिदर्शित की जाती है, आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन संक्षेपतः हटायी जा सकती है ।

* * * * *

कोठियाँ और
उपद्रवियों, आदि
को बाजार से
निष्कासित कर
देने की शक्ति।

414. बाजार का भारसाधक व्यक्ति, कोढ़ से पीड़ित किसी व्यक्ति को जिसमें व्रणीभवन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है या जो किसी अन्य खतरनाक रोग से पीड़ित है जो उस बाजार में किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करता है या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करता है अथवा जो वहाँ विक्रय के लिए अभिदर्शित किसी वस्तु का उसे क्रय किए बिना लेन-देन करता है, वहाँ प्रवेश करने से रोक सकता है, तथा वहाँ उपद्रव करने वाले किसी व्यक्ति को वहाँ से निष्कासित कर सकता है ।

* * * * *

संकर्म के
निष्पादन में बाधा
डालने या दिक
करने का प्रतिषेध।

437. कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा यह इसके अधीन प्राधिकृत या सशक्त किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ नियम या धारा 44 में विनिर्दिष्ट नगरपालिक प्राधिकारियों में से किसी ने विधिपूर्वक संविदा की है, उसके कर्तव्य के या किसी बात के निष्पादन में दिक जिसे करने के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबन्धों में से किसी के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप अथवा अपनी संविदा को पूरा करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त या अपेक्षित है, बाधा नहीं डालेगा या दिक नहीं करेगा ।

* * * * *

अधिभोगी द्वारा स्वामी को बाधा

अधिभोगी द्वारा
बाधा डाले जाने की
दशा में जिला
न्यायाधीश के
न्यायालय में
आवेदन करने का
स्वामी का
अधिकार।

456. (1) यदि किसी भूमि या भवन के स्वामी को—

(क) धारा 317, धारा 325, धारा 343, धारा 344, धारा 345 या धारा 347 या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबन्धों का या ऐसे किसी उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी सूचना या आदेश का अनुपालन करने से उसके अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है तो वह अपील अधिकरण को आवेदन कर सकता है; और

* * * * *

(3) जहाँ ऐसा आवेदन उस समय के भीतर किया जाता है जो ऐसे उपबन्ध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा के अनुपालन के लिए नियत किया गया है वहाँ स्वामी उस उपबन्ध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन इस प्रकार नियत समय के भीतर करने में अपनी सफलता के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा ।

* * * * *

अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों
के लिए दंड ।

461. (1) जो कोई—

(क) बारहवीं अनुसूची की सारणी के प्रथम स्तम्भ में वर्णित इस अधिनियम की धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों में से किसी उपबन्ध का या उसके अन्य उपबन्धों का

उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) उक्त धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों या अन्य उपबन्धों में से किसी के अधीन उसे विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश या निदेश का या उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह—

* * * * *

465. जो कोई किसी ऐसे मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टतः उपबन्धित नहीं की गई है, इसके किसी उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अन्यथा उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रूपए तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी अफलता या उल्लंघन जारी रहता है, बीस रूपए तक का सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

साधारण शास्ति।

1974 का 2

466क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973,—

(क) धारा 313 की उपधारा (5) या धारा 332 या धारा 333 की उपधारा (1) या धारा 343 या धारा 344 या धारा 345 या धारा 347 के अधीन अपराध को;

(ख) किसी ऐसे पथ के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ है धारा 317 की उपधारा (1) या धारा 320 की उपधारा (1) या धारा 321 की उपधारा (1) या धारा 325 की उपधारा (1) या धारा 339 के अधीन अपराध,

कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना।

उसी प्रकार लागू होना मानो वह —

(i) ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) (1) उस संहिता का धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न सभी मामलों के प्रयोजनों के लिए; और

(2) किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी, या जो निगम के ऐसे अधिकारी के, जो उपायुक्त को पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिला पर हो, न कि अन्यथा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से भिन्न सभी प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध है :

परंतु किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन का कोई अपराध, जिसके अधीन किसी भवन के परिनिमित्त किए जाने या किसी संकर्म के निष्पादन के लिए मंजूरी दी गई थी, संज्ञेय नहीं होगा, यदि ऐसे उल्लंघन का संबंध द्वारा मंजूर किए गए ऐसे परिनिर्माण या निष्पादन के किसी रेखांक से किसी विचलन से है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए भवनों से संबंधित उपविधियों के अधीन किसी रकम के संदाय पर शमनीय है।

467. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय—

अभियोजन।

(क) धारा 313 की उपधारा (5) या धारा 332 या धारा 333 की उपधारा (1) या धारा 334 की उपधारा (1) या धारा 343 या धारा 344 या धारा 345 या धारा 347 के अधीन किसी अपराध के, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे प्रशासक द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिला पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं ;

(ख) धारा 317 की उपधारा (1) या धारा 320 की उपधारा (1) या धारा 321 की उपधारा (1) या धारा 325 की उपधारा (1) या धारा 329 के अधीन किसी अपराध का तब विचारण करने

के लिए, यदि कोई ऐसा अपराध किसी ऐसे पथ के संबंध में किया गया था जो सार्वजनिक पथ है, निगम के ऐसे अधिकारी के, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे प्रशासक द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिहास पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं;

* * * * *

बारहवीं अनुसूची

(धारा 461 देखिए)

शास्तियां

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तंभ में “विषय” शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियां उन अपराधों की, जो प्रथम स्तंभ में उल्लिखित उपबंधों में विहित हैं, परिभाषाओं के रूप में या उन उपबंधों की संक्षिप्तियों के रूप में आशयित नहीं हैं, वे केवल उनके विषय के प्रति निर्देश के रूप में दी गई हैं।

सारणी

धारा, उपधारा, खंड या परंतुक	विषय	जुर्माना या कारावास, जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना, जो अधिरोपित किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 128, उपधारा (1) और (2)	भूमि या भवन के अंतरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता।	50 रुपये	--
धारा 128, उपधारा (3)	अंतरण की लिखत पेश करने में असफलता।	50 रुपये	--
धारा 129	नया भवन, आदि बनाने की सूचना देने में असफलता।	50 रुपये	--
धारा 130	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता।	50 रुपये	--
धारा 131	जानकारी आदि प्रदान करने के लिए अनुरोध का पालन करने में विफलता।	50 रुपये	--
धारा 135, उपधारा (2)	मूल्यांककों को जानबूझकर विलंब कराना या बाधित करना।	50 रुपये	--
धारा 143	बिना अनुमति के विज्ञापन पर प्रतिबंध।	200 रुपये	50 रुपये
धारा 168	खाली भूमि या भवन की सूचना न देना।	50 रुपये	5 रुपये
धारा 172, उपधारा (2)	आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	50 रुपये	--
धारा 175	दायित्व प्रकट करने में असफलता।	50 रुपये	--
धारा 305, उपधारा (3)	पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण।	1,000 रुपये	100 रुपये
धारा 307	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	200 रुपये	50 रुपये
धारा 310	इमारतों को सड़क की नियमित रेखा पर आगे बढ़ाने के अनुरोध का पालन न करना।	200 रुपये	10 रुपये

धारा 313, उपधारा (5)	स्थायी समिति के आदेशों के अनुरूप न होकर किसी भूमि का उपयोग, बिक्री या अन्यथा व्यवहार करना या निजी सड़क बनाना ।	कठोर कारावास जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है	
धारा 314, उपधारा (1) खंड (क) और (ख)	पथ के फेरफार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	50 रुपये	5 रुपये
धारा 315, उपधारा (1)	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता ।	100 रुपये	10 रुपये
धारा 317, उपधारा (1)	सड़कों आदि पर प्रक्षेपणों का निषेध ।	200 रुपये	
धारा 317, उपधारा (2)	सड़कों से प्रक्षेपणों को हटाने के आदेश का पालन न करना ।	200 रुपये	
धारा 318, उपधारा (2)	ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि को जो धारा 317(1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	200 रुपये	
धारा 319	निचली मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेरफार करने की कि वे बाहर की ओर न खुलें, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	50 रुपये	
धारा 320, उपधारा (1)	सड़कों पर बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिर संरचनाओं का निर्माण आदि ।	200 रुपये	10 रुपये
धारा 321	सड़कों पर वस्तुओं का जमाव आदि ।	100 रुपये	
धारा 323, उपधारा (1) और (2)	सार्वजनिक पथों में जीवजन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना ।	100 रुपये	5 रुपये
धारा 324, उपधारा (4)	रोक या तख्ताबंदी, आदि को विधि विरुद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना ।	50 रुपये	
धारा 325, उपधारा (1)	सड़कों को खोला या तोड़ा नहीं जाना चाहिए और बिना अनुमति के उन पर निर्माण सामग्री नहीं रखी जानी चाहिए ।	200 रुपये	10 रुपये
धारा 327, उपधारा (2)	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना ।	50 रुपये	
धारा 328, उपधारा (1)	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने या हाताबन्दी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता ।	100 रुपये	25 रुपये
धारा 330, उपधारा (1)	लैंप आदि हटाना ।	100 रुपये	
धारा 330, उपधारा (2)	सार्वजनिक सड़कों आदि पर जानबूझकर और लापरवाही से लाइटें बुझाना ।	50 रुपये	
धारा 332	आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन का निर्माण ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 333, उपधारा (1)	भवन निर्माण के इरादे की सूचना न देना ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो	

		सकेगा या दोनों ।	
धारा 334, उपधारा (1)	भवन में अतिरिक्त निर्माण आदि करने के इरादे की सूचना न देना ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 337, उपधारा (4)	बिना सूचना के कार्य प्रारंभ करना ।	10,000 रुपये	500 रुपये
धारा 339	सड़कों के कोनों पर स्थित भवनों को घेरने के आदेश का अनुपालन न करना ।	100 रुपये	5 रुपये
धारा 340, उपधारा (1)	नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का बनाया जाना ।	1,000 रुपये	
धारा 340, उपधारा (2)	सड़क की नियमित रेखा के भीतर या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में इमारतों का निर्माण या कार्य का निष्पादन ।	1,000 रुपये	
धारा 342	बिना अनुमति के ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग ।	100 रुपये	
धारा 343	बिना अनुमति के निर्मित भवनों को ध्वस्त करने में विफलता या आदेश के उल्लंघन में भवनों का निर्माण ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 344	अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन में भवनों का निर्माण, आदि ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 345	परिवर्तन करने में विफलता ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 346, उपधारा (1) और (2)	बिना अनुमति के पूर्णता प्रमाण पत्र, कब्ज़ा या उपयोग आदि के उपबंध का अनुपालन न करना ।	200 रुपये	10 रुपये
धारा 347	इमारतों के उपयोग पर प्रतिबंधों का पालन न करना ।	साधारण कारावास, जो छह महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ।	
धारा 348, उपधारा (1)	खंडहर हो चुकी या गिरने की संभावना वाली संरचनाओं को हटाने के लिए आदेश के पालन में विफलता ।	500 रुपये	20 रुपये

और (2)

धारा 349, उपधारा (1)	खतरनाक स्थिति में इमारतों को खाली करने के लिए आदेश का पालन में विफलता, आदि ।	200 रुपये	
धारा 353	कचरे को इकट्ठा करने, हटाने और जमा करने तथा पात्र का उपबंध करने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 354	गंदगी और प्रदूषित पदार्थ को इकट्ठा करने और हटाने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 355, उपधारा (2)	कुछ मामलों में सफाईकर्मों के कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा ।	25 रुपये	
धारा 356	बाजार आदि के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसर से कचरा आदि हटाने के लिए आदेश के पालन में विफलता ।	100 रुपये	
धारा 357, उपधारा (1)	चौबीस घंटे से अधिक समय तक कूड़ा-कचरा और गंदगी रखना आदि ।	50 रुपये	10 रुपये
धारा 357, उपधारा (2)	सड़कों पर गंदगी बहने देना ।	50 रुपये	
धारा 357, उपधारा (3)	सड़क आदि पर कूड़ा-कचरा या गंदगी जमा करना ।	50 रुपये	
धारा 360, उपधारा (1)	शौचालय और मूत्रालय बिना अनुमति के या विहित शर्तों के उल्लंघन में नहीं बनाए जाने चाहिए ।	200 रुपये	
धारा 361, उपधारा (1)	नवनिर्मित या पुनःनिर्मित भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य आवास उपलब्ध न कराना ।	500 रुपये	
धारा 361, उपधारा (3)	अलग-अलग आवासीय भवनों में भूतल पर नौकरों के लिए शौचालय, स्नान या धुलाई स्थान उपलब्ध न कराना ।	500 रुपये	
धारा 362	बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसरों में शौचालय और उन्हें साफ और उचित क्रम में न रखने में विफलता ।	100 रुपये	20 रुपये
धारा 363	बाजार, पशुशाला, गाड़ी स्टैंड आदि के लिए शौचालय उपलब्ध कराने और उन्हें साफ और उचित क्रम में न रखने के लिए अनुरोध का अनुपालन में विफलता ।	100 रुपये	20 रुपये
धारा 364, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ)	शौचालय या मूत्रालय प्रसुविधा, आदि के लिए अध्याचना का अनुपालन करने में विफलता ।	100 रुपये	10 रुपये
धारा 365, उपधारा (2)	भीड़भाड़ वाली इमारतों को हटाने के आदेश का पालन न करना ।	1000 रुपये	
धारा 366	मानव निवास के लिए अनुपयुक्त इमारतों को सुधारने के आदेश का पालन न करना ।	1000 रुपये	
धारा 368, उपधारा (1), (2), (3), और (4)	मानव निवास के लिए अनुपयुक्त इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश का पालन न करना ।	1000 रुपये	
धारा 369	अस्वच्छ झोपड़ियों और शेड आदि को हटाने के लिए आयुक्त की अध्याचना का अनुपालन करने में विफलता ।	100 रुपये	15 रुपये

धारा 370, उपधारा (1)	धोबी द्वारा कपड़े धोने पर प्रतिबंध ।	25 रुपये
धारा 371	खतरनाक बीमारी की सूचना देने में विफलता ।	100 रुपये
धारा 373	इमारतों या वस्तुओं को साफ और कीटाणुरहित करने के आदेश का पालन करने में विफलता ।	50 रुपये
धारा 374	संक्रामक झोपड़ियों या शेडों को नष्ट करने के आदेश का पालन न करना ।	50 रुपये
धारा 375	आयुक्त द्वारा अधिसूचित न किए गए किसी स्थान पर कपड़े, बिस्तर आदि धोना ।	25 रुपये
धारा 377, उपधारा (1)	संक्रमित कपड़ों को धोबी या लॉन्ड्री के पास भेजना ।	25 रुपये
धारा 377, उपधारा (2)	जिस धोबी या लॉन्ड्री के पास कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में विफलता ।	25 रुपये
धारा 378, उपधारा (1), (2) और (3)	खतरनाक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना आदि ।	50 रुपये
धारा 380	इमारतों को किराए पर देने से पहले उन्हें कीटाणुरहित करने में विफलता ।	100 रुपये
धारा 381	संक्रमित वस्तुओं का बिना कीटाणुशोधन के निपटान ।	50 रुपये
धारा 382	संक्रमित व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदार्थ आदि बनाना या बेचना या कपड़े धोना ।	50 रुपये
धारा 383	आयुक्त के प्रतिबंध या निषेध का उल्लंघन करते हुए खाद्य या पेय पदार्थ बेचना ।	50 रुपये
धारा 384	आयुक्त के प्रतिषेध का उल्लंघन करते हुए कुओं और तालाबों से पानी निकालना या उपयोग करना ।	50 रुपये
धारा 385	खतरनाक बीमारी आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण के जोखिम में डालना ।	100 रुपये
धारा 386	धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए संक्रामक शवों को हटाना ।	50 रुपये
धारा 387, उपधारा (1) और (2)	सफाई कर्मचारियों आदि का बिना सूचना के इयूटी से अनुपस्थित रहना ।	साधारण कारावास, जो एक महीने तक का हो सकेगा
धारा 388	घरों में सफाई करने के लिए नियुक्त एक सफाई कर्मचारी को बिना सूचना के काम बंद नहीं करना चाहिए ।	10 रुपये
धारा 389	दहन स्थल या कब्रिस्तान के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा सूचना प्रदान करने में विफलता ।	50 रुपये
धारा 390	अनुमति के बिना नए दहन स्थल या कब्रिस्तान का उपयोग ।	50 रुपये
धारा 391, उपधारा (1)	दहन स्थल या कब्रिस्तान को बंद करने की मांग का अनुपालन करने में विफलता ।	50 रुपये

धारा 391, उपधारा (2)	शवों को जलती हुई जगह या कब्रिस्तान में बंद होने के बाद जलाना या दफनाना ।	50 रुपये	
धारा 392	शवों को विहित मार्गों के अलावा अन्य तरीकों से ले जाना ।	25 रुपये	
धारा 393, उपधारा (1), खण्ड (ख)	मृत जानवरों के शवों को हटाने के लिए सूचना देने में विफलता ।	10 रुपये	
धारा 396, उपधारा (1) और (2)	जन्म और मृत्यु की जानकारी न देना ।	50 रुपये	
धारा 397, उपधारा (1), (2) और (3)	उपद्रव करना ।	50 रुपये	
धारा 398	उपद्रव को हटाने या कम करने के लिए अपेक्षा का अनुपालन करने में विफलता ।	500 रुपये	25 रुपये
धारा 399, उपधारा (4)	बिना जंजीर से बांधे कुत्तों को सड़क पर खुले में न घूमने देना ।	50 रुपये	
धारा 399, उपधारा (5)	बिना मुंह बांधे खुले आम घूम रहे खूंखार कुत्ते, आदि ।	100 रुपये	
धारा 400	निषेध का उल्लंघन करते हुए ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना ।	50 रुपये	
धारा 401	खुली बत्ती जलाना ।	50 रुपये	
धारा 402	ऐसे पटाखे, आग्नेयास्त्र, आदि छोड़ना जिनसे खतरा हो सकता है ।	50 रुपये	
धारा 403	इमारतों, कुओं आदि को सुरक्षित बनाने के लिए अधियाचना का पालन करने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 404	अनुचित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को घेरने के लिए अधियाचना का पालन करने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 406, उपधारा (1)	बिना अनुमति के नगरपालिका बाजारों में बिक्री ।	200 रुपये	
धारा 407, उपधारा (1) और (2)	बिना अनुज्ञप्ति के निजी बाजारों के रूप में स्थानों का उपयोग और नगरपालिका बूचड़खाने के अतिरिक्त अन्य स्थानों का बूचड़खाने के रूप में उपयोग ।	500 रुपये	25 रुपये
धारा 407, उपधारा (2) परंतुक (क)	आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अननुपालन ।	50 रुपये	
धारा 409	बिना अनुज्ञप्ति के बाज़ार खुला रखना, आदि ।	2,000 रुपये	
धारा 410	बिना अनुज्ञप्ति वाले बाजार में बिक्री ।	50 रुपये	
धारा 411	एक बाजार के पास व्यवसाय या व्यापार पर ले जाना ।	50 रुपये	
धारा 414	बाज़ार के प्रभारी व्यक्ति द्वारा कुष्ठ रोगियों और उपद्रवियों को बाज़ार से बाहर निकालने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 415	अनुज्ञप्ति आदि के बिना कसाई, फिशमॉन्जर या मुर्गीपालन के व्यापार पर ले जाने पर ।	100 रुपये	10 रुपये

धारा 416	बिना अनुमति के कारखाना आदि की स्थापना ।	5,000 रुपये	500 रुपये
धारा 417	कुछ चीजें बिना अनुज्ञप्ति के नहीं रखी जानी चाहिए और कुछ व्यापार और कार्य बिना अनुज्ञप्ति के नहीं किए जाने चाहिए ।	1,000 रुपये	100 रुपये
धारा 418, उपधारा (3)	जानवरों की रखना, परित्याग या टेदरिंग, आदि ।	100 रुपये	
धारा 419, उपधारा (5)	घोषणा के उल्लंघन में परिसर का उपयोग ।	500 रुपये	
धारा 420	बिना अनुज्ञप्ति के बिक्री के लिए सामानों की फेरी लगाना, आदि ।	100 रुपये	
धारा 421	बिना अनुज्ञप्ति के या अनुज्ञप्ति के विपरीत आवास गृह, भोजनालय, चाय की दुकान आदि चलाना ।	100 रुपये	15 रुपये
धारा 422	बिना अनुज्ञप्ति के या अनुज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत खुला थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थल चलाना ।	500 रुपये	50 रुपये
धारा 430, उपधारा (5)	अनुज्ञप्ति का उत्पादन या लिखित अनुमति करने में विफलता ।	50 रुपये	5 रुपये
धारा 431	आयुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकना ।	50 रुपये	
धारा 432	आयुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भी समीपवर्ती भूमि पर प्रवेश करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकना ।	50 रुपये	
धारा 437	काम के निष्पादन में रुकावट ।	200 रुपये	
धारा 444, उपधारा (4)	परिसर के मालिकों का नाम और पता बताने के अनुरोध का पालन करने में विफलता ।	50 रुपये	
धारा 456, उपधारा (3)	जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी होने के आठ दिन बाद भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा स्वामी को अधिनियम के प्रावधानों आदि का पालन करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में विफलता ।	200 रुपये	50 रुपये
धारा 495	महापौर या किसी भी नगरपालिका प्राधिकरण, आदि की बाधा ।	200 रुपये	
धारा 496	स्तर आदि दर्शाने के लिए लगाए गए किसी भी चिह्न को हटाना ।	100 रुपये	
धारा 497	निगम, आयुक्त, आदि द्वारा या उनके आदेश के अधीन प्रदर्शित नोटिस को हटाना आदि ।	50 रुपये	
धारा 498	मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को अवैध रूप से हटाना या किसी भी पदार्थ को जमा करना या निगम को सौंपी गई किसी भी भूमि से अतिक्रमण करना ।	50 रुपये	

* * * * *

शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

* * * * *

30. (1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन शिक्षुओं की ऐसी संख्या के संबंध में करता है, जो उससे उन उपबंधों के अधीन रखने की अपेक्षा की है, तो उसे समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए लिखित में एक मास की सूचना दी जाएगी।

अपराध और
शास्तियां।

(1क) उस दशा में, जब नियोजक उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनाका उत्तर देने में असफल रहता है या उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी का नियोजक द्वारा दिए गए कारणों से समाधान नहीं होता है तो वह पहले तीन मास के लिए प्रत्येक शिक्षुता मास की कमी के लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने से और उसके पश्चात् तब तक, जब तक ऐसे स्थानों की संख्या नहीं भर ली जाती, एक हजार रुपए प्रतिमास के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति—

(क) जिससे कोई जानकारी या विवरणी का दिया जाना अपेक्षित हो—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इंकार करेगा या देने की अपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) कोई ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, अथवा

(iii) उसके द्वारा दी जाने के लिए, अपेक्षित जानकारी की अभिप्राप्ति के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा, अथवा

(ख) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार को या केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो] देने से इंकार करेगा या देने की जानबूझकर अपेक्षा करेगा, अथवा

(ग) किसी शिक्षु से अतिकालिक काम करने की अपेक्षा शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना करेगा, अथवा

(घ) शिक्षु को किसी ऐसे काम पर नियोजित करेगा जो उसके प्रशिक्षण से संसक्त नहीं है, अथवा

(ङ) शिक्षु को मात्रानुपाती काम के आधार पर कोई सदाय करेगा, अथवा

(च) शिक्षु से उत्पादन-बोनस या प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की अपेक्षा करेगा,

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है; या

(ज) किसी शिक्षुता संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा,]

तो वह हर घटना के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने, से दंडनीय होगा।

(2क) उपधारा (2) के उपबंध ऐसे स्थापन या उद्योग को लागू नहीं होंगे जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है।

जहां कि कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वहां शास्ति।

31. यदि नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का ऐसे उल्लंघन करेगा जिसके लिए धारा 30 में कोई दंड उपबंधित नहीं है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा परन्तु तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा] दंडनीय होगा।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

37. (1) * * * *

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि ऐसे किसी निगम का उल्लंघन जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

* * * * *

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

21. (1) * * * *

(2) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाया गया कोई नियम उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और उल्लंघन के चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा।

1974 का 2

* * * * *

शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ककक) “शिक्षुता प्रशिक्षण” से किसी शिक्षुता संविदा के अनुसरण में और विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो विभिन्न प्रवर्गों के शिक्षुओं के लिए विभिन्न हो सकेंगी, किसी उद्योग या स्थापन में पूरा किया गया प्रशिक्षण क्रम अभिप्रेत है ;

* * * * *

अपराध और शास्तियां।

30. (1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन शिक्षुओं की ऐसी संख्या के संबंध में करता है, जो उससे उन उपबंधों के अधीन रखने की अपेक्षा की है, तो उसे समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए लिखित में एक मास की सूचना दी जाएगी।

(1क) उस दशा में, जब नियोजक उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनाका उत्तर देने में असफल रहता है या उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी का नियोजक द्वारा दिए गए कारणों से समाधान नहीं होता है तो वह पहले तीन मास के लिए प्रत्येक शिक्षुता मास की कमी के लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने से और उसके पश्चात् तब तक, जब तक ऐसे स्थानों की संख्या नहीं भर ली जाती, एक हजार रुपए प्रतिमास के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) यदि कोई नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति—

(क) जिससे कोई जानकारी या विवरणी का दिया जाना अपेक्षित हो—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इंकार करेगा या देने की अपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) कोई ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, अथवा

(iii) उसके द्वारा दी जाने के लिए, अपेक्षित जानकारी की अभिप्राप्ति के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा, अथवा

(ख) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार को या केन्द्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो देने से इंकार करेगा या देने की जानबूझकर अपेक्षा करेगा, अथवा

(ग) किसी शिक्षु से अतिकालिक काम करने की अपेक्षा शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना करेगा, अथवा

(घ) शिक्षु को किसी ऐसे काम पर नियोजित करेगा जो उसके प्रशिक्षण से संसक्त नहीं है, अथवा

(ङ) शिक्षु को मात्रानुपाती काम के आधार पर कोई संदाय करेगा, अथवा

(च) शिक्षु से उत्पादन-बोनस या प्रोत्साहन स्कीम में भाग लेने की अपेक्षा करेगा,

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है; या

(ज) किसी शिक्षुता संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा,

तो वह हर घटना के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने, से दंडनीय होगा ।

(2क) उपधारा (2) के उपबंध ऐसे स्थापन या उद्योग को लागू नहीं होंगे जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है ।

* * * * *

31. यदि नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का ऐसे उल्लंघन करेगा जिसके लिए धारा 30 में कोई दंड उपबंधित नहीं है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा परन्तु तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा

जहां कि कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वहां शास्ति।

दंडनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

37. (1) * * * * *

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि ऐसे किसी निगम का उल्लंघन जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

**पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,
1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 50) से उद्धरण**

* * * * *

शास्ति।

15. (1) जो कोई धारा 4 या धारा 7 या धारा 8 द्वारा प्राधिकृत कार्यों में से किसी कार्य के करने में किसी व्यक्ति को जानबूझकर बाधा डालेगा या धारा 4 के अधीन बनी खाई या चिह्न को जानबूझकर भर देगा, नष्ट कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या धारा 9 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई कार्य जानबूझकर करेगा वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई जानबूझकर धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन से कोई अनधिकृत संयोजन करेगा या करवाएगा या हटाएगा, नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या ऐसी पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद या खनिज निकालने के लिए कोई युक्ति जानबूझकर अंतःस्थापित करेगा या पाइपलाइन के माध्यम से की गई आपूर्ति को जानबूझकर विच्छिन्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

* * * * *

(4) जो कोई यह कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन को नुकसान करने या नष्ट करने की संभावना है, अभिध्वंश करने के आशय से पेट्रोलियम उत्पाद, अपरिष्कृत तेल या गैस के परिवहन में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइन को आग, विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्यथा नुकसान कारित करेगा या इस जानकारी से कि ऐसा कार्य आसन्न रूप से उतना खतरनाक है जिससे सभी अधिसंभाव्यता में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकेगी या ऐसी शारीरिक क्षति होने की संभावना है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकेगी, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

17. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी एक के बारे में उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

* * * * *

(ख) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति, जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि निक्षिप्त की जा सकेगी ।

* * * * *

टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * *

17. (1) * * * * *

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करेगा, जिसके द्वारा :-

(क) किसी टेक्सटाइल या टेक्सटाइल-मशीनरी के निर्यात का प्रतिषेध किया गया है, अथवा

(ख) अन्तर्देशीय उपभोग के लिए किसी टेक्सटाइल या टेक्सटाइल-मशीनरी के विक्रय का प्रतिषेध किया गया है,

तो दोषसिद्ध किए जाने पर, वह-

(i) प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ii) द्वितीय या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में, जो कि न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगी, ऐसा कारावास तीन मास से कम का नहीं होगा ।

* * * * *

18. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाई की जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने का और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

19. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी सम्मति से ही संस्थित किया जाएगा, न कि अन्यथा ।

20. प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

* * * * *

टेक्सटाइल और
टेक्सटाइल-मशीनरी
के निर्यातों और
अन्तर्देशीय विपणन
को प्रतिषिद्ध करने
की शक्ति।

कम्पनियाँ द्वारा
अपराध।

अभियोजन के लिए
प्रक्रिया।

न्यायालयों को
अधिकारिता।

नियम बनाने की
शक्ति।

22. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :-

* * * * *

(ड) उन फीसों का मापमान जो धारा 12 के अधीन उद्गृहीत की जा सकेगी;

* * * * *

महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 45) से उद्धरण

* * * * *

प्रतिसंहत
प्रमाणपत्र का
अभ्यर्पण।

34. (1) * * * * *

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर और उचित कारण के बिना प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने में उपेक्षा करे तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

* * * * *

नाविक भविष्य-निधि अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां

16. (1) जो कोई इस अधिनियम या स्कीम के अधीन अपने द्वारा किसी संदाय के दिए जाने से बचने अथवा ऐसे संदाय से बचने में किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ करने के प्रयोजन से, जानते हुए, मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या कराएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) स्कीम यह उपबन्ध कर सकेगी कि कोई व्यक्ति, जो उसके उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा वह, यदि ऐसे उल्लंघन या अननुपालन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या स्कीम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसा अपराध गठित करने वाले तथ्यों की ऐसी लिखित रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा जो नाविक भविष्य-निधि आयुक्त द्वारा या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा ऐसे प्राधिकारी की, जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्व मंजूरी से की गई हो।

* * * * *

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

11. (1) यदि धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन के किसी आदेश द्वारा आहूत होने पर कोर का कोई सदस्य उस आदेश के अनुपालन या ऐसे सदस्य के नाते अपने कृत्यों के निर्वहन या उसके कृत्यों के पालन के लिए उसे दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश या निदेश के अनुपालन में उपेक्षा करेगा या उससे पर्याप्त कारण के बिना इंकार करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए

तक का हो सकेगा और जहां ऐसी उपेक्षा या इंकार जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या उसे दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में उपेक्षा करेगा या किसी उचित कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां ऐसी उपेक्षा या असफलता जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी उपेक्षा या असफलता जारी रहती है पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 39) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 20

शास्तियां

118. यदि कोई व्यक्ति धारा 35 के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन नहीं करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कतिपय आविष्कारों से सम्बन्धित गोपनीयता के उपबन्धों का उल्लंघन।

119. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रखे गए किसी रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि या ऐसा कोई लेख जिसका मिथ्या रूप से ऐसे रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि होना तात्पर्यित है, करेगा या करवाएगा अथवा किसी ऐसे लेख को, यह जानते हुए कि वह प्रविष्टि या लेख मिथ्या है, साक्ष्य में पेश करेगा, या निविदत करेगा, या पेश या निविदत करवाएगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

रजिस्टर, आदि में प्रविष्टियों का मिथ्याकरण।

* * * * *

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * *

11. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान को विधिविरुद्धतया अपने अधिभोग में रखेगा, तो वह सादा कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

अपराध और शास्ति।

परन्तु किसी सरकारी स्थान का विधिपूर्वक कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति जो किसी प्राधिकार के आधार पर (चाहे वह अनुदान या आबंटन के रूप में हो या किसी भी अन्य ढंग में) ऐसे सरकारी स्थान को, ऐसे प्राधिकार के विधिमान्य न रह जाने पर भी अपने अधिभोग में रखे रहता है, ऐसे अपराध का दोषी नहीं होगा।

(2)] यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो ऐसे स्थान को पुनः अपने अधिभोग में, ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार के बिना, लेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3)] उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला कोई मजिस्ट्रेट

उस व्यक्ति को संक्षिप्ततः बेदखल करने के लिए आदेश दे सकेगा और किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर जो उसके खिलाफ इस अधिनियम के अधीन की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह ऐसी बेदखली का भागी होगा।

11क. धारा 11 के अधीन अपराधों का संज्ञेय होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 के अधीन किसी अपराध को उसी प्रकार लागू होगी मानो वह—

1974 का 2

* * * * *

(ii) (1) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध है, और

* * * * *

(2) निम्नलिखित के परिवाद पर या उससे प्राप्त जानकारी पर के सिवाय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध है, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में किसी अपराध की दशा में ऐसा गुप 'क' अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

18. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(डक) वह दर जिस पर धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किराए की बकाया या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारित नुकसानी पर ब्याज संदेय होगा;

* * * * *

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * *

प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और बहियां और अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां।

24. कोई व्यक्ति—

(क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; अथवा

(ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अन्य शास्तियां।

25क. (1) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का, उन उपबन्धों को छोड़कर जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड का उपबन्ध धारा 20, 23 और

24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

27. प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

न्यायालय की अधिकारिता।

* * * * *

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 57) से उद्धरण

* * * * *

30. यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति या किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे में हों, जानबूझकर विधारित करेगा या उन्हें धारा 29 द्वारा यथा अपेक्षित किसी भारतीय बीमा कम्पनी को परिदत्त नहीं करेगा या किसी विद्यमान बीमाकर्ता की किसी सम्पत्ति पर, जो धारा 5 के अधीन किसी भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित या उसमें निहित की गई है, विधिविरुद्ध कब्जा रखेगा या किसी ऐसी सम्पत्ति का इस अधिनियम में अभिव्यक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए जानबूझकर उपयोग करेगा तो वह, भारतीय बीमा कम्पनी के परिवाद पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

सम्पत्ति आदि विधारित करने के लिए शास्ति।

* * * * *

39. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

नियम बनाने की शक्ति ।

* * * * *

(ड) वे रिपोर्टें जो केन्द्रीय सरकार निगम और अर्जक कम्पनियों से मांग सकेगी ;

* * * * *

रिचर्डसनसन एण्ड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 78) से उद्धरण

* * * * *

भाग 3

अपराध और उनका विचारण

24. (1) जो कोई व्यक्ति,—

शास्तियां।

* * * * *

(छ) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराते समय, आदेश दे सकेगा कि, वह दोषपूर्वक विधारित या दोषपूर्वक अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति या धन को या जानबूझकर विधारित या न दी गई किसी दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले समय के अन्दर दे दे या वापस कर दे ।

(2) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उसके फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का प्रथम
वर्ग मजिस्ट्रेट
द्वारा विचारणीय
होना तथा
शमनीय न होना।

26. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के विरुद्ध किया गया प्रत्येक अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, और

(ख) इस अधिनियम के विरुद्ध किया गया कोई भी अपराध शमनीय नहीं होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

31. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(ख) वह प्ररूप जिसमें अभिरक्षक द्वारा नए शेयर जारी किए जाएंगे ;

* * * * *

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 47) से उद्धरण

* * * * *

23. जो कोई व्यक्ति—

शास्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी बही, लेखे या अभिलेख को पेश करने की या कोई जानकारी देने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसी बहियां, लेखे या अभिलेख पेश करने में असफल रहेगा या ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा या ऐसी जानकारी देगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है; या

(ख) बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी को या केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

24. जो कोई इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम के (उन उपबन्धों से भिन्न जिनके उल्लंघन के लिए धारा 23 लागू होती है) किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अन्य शक्तियां।

25. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

कम्पनियाँ द्वारा
अपराध।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

नियम बनाने की शक्ति।

* * * * *

31. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

* * * * *

(ण) वे अतिरिक्त अध्यक्ष जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड सहायता दे सकता है;

* * * * *

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * *

अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने का पुलिस अधिकारी का कर्तव्य।

59. (1) * * * * *

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन, किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए किसी वारण्ट के बिना, तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक कि,—

* * * * *

(ग) ऐसा व्यक्ति ऐसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ऐसा अपराध नहीं करता है जो धारा 33 और धारा 34 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में, धारा 97, धारा 108 की उपधारा (1), धारा 110 के खण्ड (क), (ख) या (ग) या धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय है ;

* * * * *

(ड) ऐसे व्यक्ति ने धारा 101, धारा 102 या धारा 113 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं किया है या उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से यह संदेह नहीं है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है ;

* * * * *

85. अभिनयों द्वारा बाधा डालना और क्षोभ उत्पन्न करना—कोई भी व्यक्ति, पुलिस आयुक्त द्वारा बनाए गए किसी विनियम के उल्लंघन में,—

(क) कोई स्वांग, संगीत या इसी प्रकार के अन्य अभिनयों का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे भीड़ आकर्षित हो सकती है ; या

(ख) किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान में बहुत बड़े विज्ञापन, चित्र, आकृतियां या प्रतीक नहीं ले जाएगा या नहीं रखेगा,

जिससे यात्रियों को बाधा या आसपास के निवासियों को क्षोभ हो ।

* * * * *

स्नान या धुलाई करने के लिए पृथक् किए गए स्थानों से भिन्न स्थानों पर स्नान या धुलाई करना।

88. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक कुएं, तालाब या जलाशय में या उसके किनारे, स्नान या धुलाई नहीं करेगा, जो ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक् नहीं किया गया है और न किसी ऐसे सरोवर, पोखर, कुल्या, नदी के किसी भाग, सरिता, नाले या जल प्रदाय के अन्य स्रोत या साधन में या उसके किनारे, जिसमें ऐसा स्नान या धुलाई करना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निषिद्ध है, स्नान या धुलाई करेगा ।

सार्वजनिक कुओं आदि में जल को अपवित्र करना।

89. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक कुएं, तालाब, जलाशय, सरोवर, पोखर, कुल्या या नदी के किसी भाग, सरिता, नाले या जल प्रदाय के अन्य स्रोत या साधन के जल को

इस प्रकार न तो दूषित करेगा और न कराएगा कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जिस प्रयोजन के लिए वह पृथक् किया गया है उसके लिए वह कम उपयुक्त हो जाए।

90. कोई भी व्यक्ति, स्नान करने के प्रयोजन के लिए धारा 88 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा पृथक् किए गए किसी स्थान पर स्नान करने वाले किसी व्यक्ति को, जानबूझकर अतिक्रमण द्वारा या ऐसे स्थान को ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह इस प्रकार पृथक् नहीं किया गया है, प्रयोग द्वारा बाधित या तंग नहीं करेगा।

* * * * *

95. कोई भी व्यक्ति किसी मार्ग, सार्वजनिक स्थान या लोक समागम के किसी स्थान में या उसके निकट—

(क) मलमूत्र त्याग कर न्यूसेन्स नहीं करेगा; या

(ख) सात वर्ष से कम आयु के बालक को, जो उसकी देखरेख और अभिरक्षा में है, पूर्वोक्त रूप में न्यूसेन्स नहीं करने देगा; या

(ग) थूक कर या कोई धूल, राख, कूड़ा-कचरा या कचरा फेंक कर किसी आने-जाने वाले व्यक्ति को क्षुब्ध नहीं करेगा।

* * * * *

97. कोई व्यक्ति जो धारा 80 से धारा 96 (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) तक के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि आठ दिन से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा।

98. (1) जो कोई किन्हीं ढोरों को, जो उसकी सम्पत्ति हैं या उसके भारसाधन में हैं, किसी मार्ग पर भटकने देगा या किसी प्राइवेट या सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिचार करने देगा वह सिद्धदोष ठहराए जाने पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण करने वाला महानगर मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा कि—

(क) अभियुक्त, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी नुकसान के लिए जिसकी बाबत यह साबित हो गया है कि वह अभियुक्त के नियंत्रणाधीन ढोर द्वारा ऐसे व्यक्ति की भूमि पर अतिचार के कारण उसकी सम्पत्ति या भूमि की उपज को हुआ है, दो सौ पचास रुपए तक के ऐसे प्रतिकर का संदाय करे जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे; और

(ख) जिस ढोर के कारण अपराध हुआ है वह सरकार को समपहृत हो जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की वसूली उसी प्रकार की जा सकेगी मानो वह इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो।

(4) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा और किसी भी अन्य व्यक्ति के

स्नान करने वालों को बाधा पहुंचाना।

मार्ग आदि में या उसके निकट न्यूसेन्स करना।

धारा 80 से धारा 96 तक के अधीन अपराधों के लिए शास्तियां।

ढोरों आदि को परिरोध में रखने में असफल रहने के लिए शास्ति।

लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी ढोर का, जो किसी मार्ग में भटकता हुआ पाया जाता है या किसी प्राइवेट या सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिचार करता हुआ पाया जाता है, अभिग्रहण कर ले और उसे किसी कांजी हाऊस में परिरोध के लिए ले जाए ।

(5) जुर्माने की वसूली के विधि द्वारा उपबन्धित अन्य किन्हीं साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली ऐसे किसी या सभी ढोरों के विक्रय द्वारा की जा सकेगी जिनके कारण अपराध हुआ है, चाहे ऐसे ढोर अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की सम्पत्ति हों या केवल अपराध के किए जाने के समय उसके भारसाधन में थे ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

1974 का 2

जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता के लिए दंड।

99. जो कोई किसी स्थान पर किसी जीवजन्तु को क्रूरतापूर्वक पीटेगा, अंकुश लगाएगा, उससे अधिक कार्य कराएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा या उसे यातना देगा या क्रूरतापूर्वक पिटाएगा, अंकुश लगाएगा, अधिक कार्य कराएगा या उसके प्रति दुर्व्यवहार कराएगा या यातना दिलवाएगा, वह सिद्धदोष ठहराए जाने पर कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

* * * * *

मिथ्या अग्नि चेतावनी देना या अग्नि चेतावनी यंत्र को नुकसान पहुंचाना।

101. जो कोई जानबूझकर सरकार के या निगम के या किसी नगरपालिका के अग्निशामक दल को या उसके किसी अधिकारी या फायरमैन को, मार्ग अग्नि चेतावनी यंत्र, कथन, संदेश द्वारा या अन्यथा कोई मिथ्या अग्नि चेतावनी देगा या दिलवाएगा या ऐसी मिथ्या चेतावनी देने के आशय से, जानबूझकर मार्ग अग्नि चेतावनी यंत्र के शीशे को तोड़ेगा या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाएगा वह, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच संदेहजनक परिस्थितियों में पाया जाना।

102. जो कोई सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच—

(क) कोई अपराध करने के आशय से किसी खतरनाक उपकरण से तैस पाया जाएगा ; या

(ख) कोई अपराध करने के आशय से मुंह ढके हुए या अन्यथा भेष बदले हुए पाया जाएगा ; या

(ग) किसी निवासगृह या अन्य भवन में या किसी यान पर सवार पाया जाएगा और वहां अपनी उपस्थिति के लिए कोई समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकेगा ; या

(घ) कुख्यात चोर होते हुए, किसी मार्ग, यार्ड या अन्य स्थान पर लेटा हुआ या घूमता-फिरता पाया जाएगा और अपने बारे में कोई समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकेगा ; या

(ङ) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना (ऐसे प्रतिहेतु के सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) ऐसी दशा में पाया जाएगा कि उसके कब्जे में गृहभेदन का कोई उपकरण है,

वह, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

104. यदि ऐसे किसी व्यक्ति के, जो पणयम-दलाल, पुरानी सम्पत्ति का व्यापारी या धातुकर्मी है या जिसकी बाबत यह विश्वास करने के लिए पुलिस आयुक्त के पास उचित कारण है कि वह ऐसा व्यक्ति है, और जिसे किसी पुलिस अधिकारी से किसी ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिसके बारे में यह संदेह है कि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 410 में उल्लिखित किसी अपराध द्वारा या ऐसे किसी अपराध द्वारा जो उक्त संहिता की धारा 417, धारा 418, धारा 419 या धारा 420 के अधीन दंडनीय है, अन्तरित की गई है, लिखित या मुद्रित रूप में जानकारी मिलने पर उसके कब्जे में ऐसी जानकारी में उल्लिखित वर्णन की कोई सम्पत्ति पाई जाती है या ऐसी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् कब्जे में आती है या उसके समक्ष विक्रय, पणयम, विनिमय के रूप में या अभिरक्षा, परिवर्तन के लिए या अन्यथा किसी भी अन्य रूप में ऐसी किसी सम्पत्ति की बाबत कोई प्रस्थापना है तो यदि,—

(i) वह ऐसे कब्जे या प्रस्थापना की पुलिस आयुक्त को या किसी पुलिस थाने में तुरन्त जानकारी नहीं देगा और उस व्यक्ति का, जिससे कब्जा या प्रस्थापना प्राप्त हुई थी, नाम और पता अभिनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय नहीं करेगा और उनकी पूर्वोक्त जैसी जानकारी नहीं देगा, या

(ii) सम्पत्ति, सामान्यतः पहने जाने वाले परिधान की कोई वस्तु या कोई अन्य चीज है और वह, दी गई उक्त लिखित या मुद्रित जानकारी के आधार पर पहचानी न जा सकने वाली तथा ऐसी जानकारी मिलने के पश्चात् किसी भी रूप में छिपाई न गई सम्पत्ति नहीं है,

तो सिद्धोप ठहराए जाने पर वह, उसके कब्जे में पाई गई या उसे प्रस्थापित सम्पत्ति की प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

105. जो कोई, धारा 104 में निर्दिष्ट जानकारी मिलने पर, पुलिस की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसी किसी सम्पत्ति को जो उस धारा में विनिर्दिष्ट है, परिवर्तित करेगा, पिघलाएगा, विरूपित करेगा, या संजोकर रखेगा या परिवर्तित कराएगा, पिघलवाएगा, विरूपित कराएगा या संजोकर रखवाएगा अथवा परिवर्तित होने देगा, पिघलने देगा, विरूपित होने देगा या संजोकर रखने देगा, वह यह सिद्ध हो जाने पर कि भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 410 के अर्थ में वह चोरी की सम्पत्ति है या ऐसी सम्पत्ति है जिसके सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 417, धारा 418, धारा 419 या धारा 420 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

106. जो कोई ऐसे किसी बालक से, जो चौदह वर्ष से अधिक की आयु का प्रतीत नहीं होता है, कोई वस्तु, ऐसे बालक को उधार दी गई, अग्रिम दी गई या परिदत्त की गई किसी धनराशि के लिए पणयम, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में लेगा या वस्तु के स्वामी की जानकारी और सम्पत्ति के बिना, ऐसे बालक से कोई भी वस्तु क्रय करेगा, वह सिद्धोप ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

* * * * *

108. (1) जो कोई ताश, पासा या अन्य खेल खेलने में या बाजी या पंदयम में भाग लेने में या खेलने वालों के पक्ष में या उनके हाथ पर बाजी लगाने में या किसी खेल या क्रीड़ा, विनोद या अभ्यास के होने पर पंदयम में, किसी कपट या विधिविरुद्ध युक्ति या किसी अनाचार द्वारा किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए कोई धनराशि या मूल्यवान वस्तु जीतेगा, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि

ऐसी सम्पत्ति को, जिसकी बाबत यह संदेह है कि वह चोरी की है, पुलिस के कब्जे में देने या निविदत करने में पणयम-दलालों आदि द्वारा लोप।

धारा 104 में निर्दिष्ट सम्पत्ति को पिघलाना, आदि।

बालक से गिरवी रखाना।

खेलों में छल करना और मार्ग में द्यूत खेलना।

उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 415 के अर्थ में छल का अपराध किया है और वह तदनुसार दण्ड का भागी होगा ।

(2) जो कोई, द्यूत खेलने या पंदयम के प्रयोजन से किसी मार्ग में किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ जमा होगा या किसी जमाव में सम्मिलित होगा वह, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा या सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा जा सकेगा ।

* * * * *

धारा 28 के अधीन विनियमों आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति।

110. धारा 112 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जो कोई धारा 28 के अधीन बनाए गए किसी विनियम या ऐसे विनियम के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह सिद्धदोष ठहराए जाने पर,—

* * * * *

(ख) यदि विनियम धारा 28 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ज), (झ) या (ञ), खण्ड (ध) के उपखण्ड (i) और (ii) या खण्ड (फ) के अधीन बनाया गया है तो कारावास से, जिसकी अवधि आठ दिन तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ;

* * * * *

सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के संबंध में अनुज्ञप्ति या भोजनालय के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न करने या विहित अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र का नवीकरण न कराने के लिए शास्ति।

112. (1) जो कोई सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या किसी भोजनालय के संबंध में उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने में या विहित अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र का नवीकरण कराने में असफल रहेगा वह सिद्धदोष ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी अपराध का विचारण करने वाला कोई न्यायालय यह निदेश भी देगा कि सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान या भोजनालय, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, चलाने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान या भोजनालय को उस समय तक बन्द रखे जब तक कि वह उसके संबंध में, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या नई अनुज्ञप्ति, या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता और तब ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश का तत्काल अनुपालन करेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायालय के निदेश के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति के असफल रहने पर, पुलिस आयुक्त के लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो, ऐसे अधिकारी की राय में, न्यायालय के निदेश का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक है ।

* * * * *

मिथ्या कथन आदि करने तथा पुलिस अधिकारियों के अवचार के लिए शास्ति।

122. (क) * * * * *

(ख) कोई पुलिस अधिकारी, जो—

* * * * *

(iii) विधि या किसी नियम या विनियम या किसी आदेश के किसी

उपबन्ध को, जिसका पालन या अनुपालन करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर भंग करने या उसकी उपेक्षा का दोषी है ; या

(iv) ऐसे कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का दोषी है जिसके लिए किसी अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप में कोई दण्ड विहित नहीं किया गया है,

सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

* * * * *

124. कोई पुलिस अधिकारी, जो—

(क) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार या उचित प्रतिहेतु के बिना किसी भवन, जलयान, तम्बू या स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा या उसमें प्रवेश या उसकी तलाशी कराएगा ; या

* * * * *

(ड) कोई ऐसी धमकी या वचन देगा जो विधिसम्मत नहीं है,

* * * * *

125. कोई पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिसके समक्ष, ऐसे व्यक्ति को भेजने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है, भेजने में, तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप में विलम्ब करेगा, सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

* * * * *

हिंद साइकिल्स लिमिटेड और सेन रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 70) से उद्धरण

* * * * *

27. जो कोई व्यक्ति—

* * * * *

(ड) दोनों कंपनियों में से किसी कंपनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

* * * * *

28. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था

पुलिस अधिकारी द्वारा तंग करने के उद्देश्य से किया गया प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी आदि।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भेजने में तंग करने के उद्देश्य से किए गए विलम्ब के लिए शास्ति।

शास्तियां।

कंपनियों द्वारा अपराध।

या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

31. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(ग) वह रीति जिससे धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि की धनराशियों के संबंध में कार्यवाई की जाएगी;

* * * * *

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां।

28. जो कोई व्यक्ति—

* * * * *

(च) इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

29. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई

अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

30. (1) * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

* * * * *

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

* * * * *

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम संख्यांक 42) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 4

अपराध और शास्तियां

10. जहां किसी विदेशी जलयान का उपयोग धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है वहां ऐसे जलयान का स्वामी या मास्टर,—

धारा 3 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

(क) उस दशा में जब ऐसा उल्लंघन भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड के भीतर किसी क्षेत्र में होता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पन्द्रह लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ख) उस दशा में जब ऐसा उल्लंघन भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में होता है, जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

11. जो कोई किसी अनुज्ञप्ति के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से जो दस लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के लिए शास्ति।

12. **अनुज्ञापत्र के उल्लंघन के लिए शास्ति**—जो कोई किसी अनुज्ञापत्र के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह—

(क) जहां ऐसे उल्लंघन का संबंध अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट सक्रिय क्षेत्र या मत्स्यन की रीति से है, जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से अधिक का न हो सकेगा;

और

(ख) किसी अन्य दशा में जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से अधिक का न हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

जलयानों का
अधिहरण आदि।

13. (1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अपराध के किए जाने में या उसके संबंध में प्रयुक्त विदेशी जलयान का उसके मत्स्यन संभार, उपस्कर, यान-सामग्री और स्थोरा तथा ऐसे पोत के फलक पर की किन्हीं मछलियों या धारा 8 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विक्रय के लिए आदिष्ट किन्हीं मछलियों के विक्रय आगमों सहित अधिहरण भी किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिहृत विदेशी जलयान या अन्य चीजें केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

धारा 7 के
उल्लंघन के लिए
शास्ति।

14. जहां कोई विदेशी जलयान धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र में पाया जाएगा वहां ऐसे जलयान का स्वामी या मास्टर जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

प्राधिकृत
अधिकारियों की
बाधा के लिए
शास्ति।

15. यदि कोई व्यक्ति—

* * * * *

(ग) जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा की जाने पर, जलयान को रोकने में या अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, लाग बुक या अन्य दस्तावेजों को या ऐसे जलयान के फलक पर की किसी मछली, जाल, मत्स्यन संभार या अन्य उपस्कर को पेश करने में असफल रहेगा,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से अधिक का न हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की
शक्ति।

25. (1) * * * * *

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण)

अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 17) से उद्धरण

* * * * *

शास्तियां ।

27. जो कोई व्यक्ति—

* * * * *

(ड) दोनों कंपनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

28. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

* * * * *

31. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

* * * * *

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

* * * * *

9. (1) कोई व्यक्ति भूमिगत रेल के किसी कक्ष या सवारी डिब्बे में या किसी भूमिगत रेल स्टेशन पर धूम्रपान नहीं करेगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमिगत रेल पदधारी द्वारा प्रविरत रहने के लिए चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इस प्रकार धूम्रपान हठपूर्वक करता रहेगा तो वह उपधारा (2) में वर्णित दायित्व उपगत करने के अतिरिक्त, उस कक्ष या सवारी डिब्बे से, जिसमें वह यात्रा कर रहा है या उस भूमिगत स्टेशन से, जिस पर वह धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भूमिगत रेल पदधारी द्वारा हटाया जा सकेगा ।

10. (1) यदि भूमिगत रेल के किसी सवारी डिब्बे में या उसके किसी भाग पर कोई व्यक्ति—

कंपनियों द्वारा
अपराध।

नियम बनाने की
शक्ति।

कक्षों आदि में
धूम्रपान।

भूमिगत रेल पर
मत्तता या न्यूसेंस।

(क) नशे की हालत में होगा; या

(ख) कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा अश्लील या गाली गलौज की भाषा का उपयोग करेगा; या

(ग) जानबूझकर या प्रतिहेतु के बिना किसी यात्री के आराम में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा,

तो वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और ऐसे किसी किराए के, जो उसने दिया हो अथवा ऐसे किसी पास या टिकट के, जो उसने प्राप्त या क्रय किया हो, समपहरण का अथवा भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत भूमिगत रेल पदधारी द्वारा ऐसे सवारी डिब्बे या भाग से हटाए जाने का भी भागी होगा।

(2) यदि ड्यूटी पर होते हुए कोई भूमिगत रेल पदधारी नशे की हालत में होगा तो वह जुर्माने से, जो दो सौ पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, या जहां कर्तव्य का अनुचित रूप से पालन किए जाने से भूमिगत रेल पर यात्रा करने वाले या उसमें होने वाले किसी यात्री की सुरक्षा को खतरा होना संभाव्य होगा वहां कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

* * * * *

भूमिगत रेल में विधिविरुद्धतया प्रवेश करने या उस पर रहने या भूमिगत रेल लाइन पर चलने के लिए शास्ति।

13. (1) यदि कोई व्यक्ति भूमिगत रेल में या उस पर किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करेगा अथवा विधिपूर्ण प्राधिकार से प्रवेश करने के पश्चात् वहां विधिविरुद्धतया रहेगा और किसी भूमिगत रेल पदधारी द्वारा उसे छोड़ने के लिए अनुरोध किए जाने पर ऐसा करने से इन्कार करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

* * * * *

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 22) से उद्धरण

* * * * *

10. धारा 3 के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग का उत्पादन करेगा वह—

(क) कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो प्रति करघा, जिससे उक्त वस्तु या वस्तुओं के वर्ग का उत्पादन किया जाता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और जारी रहने वाले किसी उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनके दौरान, ऐसा उल्लंघन प्रथम ऐसे उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, प्रति करघा पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ख) ऐसी वस्तु या वस्तुओं का वर्ग जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है, या कोई पावरलूम जिसका उपयोग करने से ऐसे आदेश का उल्लंघन होता है, जिसके अन्तर्गत ऐसे कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र भी हैं जिनमें वस्तु या वस्तुओं का वर्ग पाया जाता है, केन्द्रीय सरकार को समपहृत किया जाएगा;

परन्तु यदि न्यायालय की यह राय है कि किसी भी वस्तु, पावरलूम या किन्हीं पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों के बारे में समपहरण का निदेश देना आवश्यक नहीं है तो वह

उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा करने से विरत रह सकता है ।

* * * * *

11. यदि कोई व्यक्ति—

* * * * *

मिथ्या कथन।

(ख) जब उससे धारा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखा पुस्तकों, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा की जाए तब वह ऐसी पुस्तकों, रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने में असफल रहेगा, तो,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 82) से उद्धरण

* * * * *

34. (1) * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(ज) धारा 28 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बंधन और उस धारा के खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय ; और

* * * * *

35. (1) * * * * *

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ज) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध के पश्चात् चालू रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

विनियम बनाने की शक्ति।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

19. (1) * * * * *

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह, ऐसे किसी अधिहरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों के अधीन दायी हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अनुसूचित उत्पादों के आयात और निर्यात को प्रतिषिद्ध या नियंत्रित करने की शक्ति।

* * * * *

अध्याय 6

प्रकीर्ण

मिथ्या विवरणियां देने के लिए शास्ति।

22. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी विवरणी के दिए जाने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा जिसमें ऐसी कोई विशिष्ट है जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाने तथा बहियाँ और अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां।

23. कोई व्यक्ति—

(क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा; या

(ख) जो किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसी बही या अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर पेश करने में असफल रहेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

अन्य शास्तियां।

24. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का, उन उपबंधों को छोड़कर जिनके उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध धारा 19, धारा 22 और धारा 23 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

न्यायालय की अधिकारिता।

26. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

32. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(ड) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिसके पूर्व प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपने क्रियाकलापों और कार्यक्रम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा;

* * * * *

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * *

8. (1) * * * *

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति
का दिया जाना ।

(8) मोटर साइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारंभ के पश्चात्, गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटर साइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी ।

* * * * *

9. (1) * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति
का दिया जाना ।

(9) मोटर साइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई चालन-अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारंभ के पश्चात्, गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटर साइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी ।

* * * * *

12. (1) * * * *

मोटर यानों के
चलाने की शिक्षा देने
के लिए विद्यालयों
या स्थापनों का
अनुज्ञापन और
विनियमन ।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व मोटर यानों के चालन या उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय या स्थापन, चाहे वह अनुज्ञप्ति के अधीन हो अथवा न हो, ऐसे प्रारंभ से एक मास की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अनुज्ञप्ति के बिना ऐसी शिक्षा देना चालू रख सकेगा और यदि उसने एक मास की उक्त अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन किया है और ऐसा आवेदन विहित प्ररूप में है, उसमें विहित विशिष्टियां दी गई हैं और उसके साथ विहित फीस है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसी शिक्षा देना चालू रख सकेगा ।

* * * * *

14. (1) * * * *

मोटर यानों को
चलाने की
अनुज्ञप्तियों का
चालू रहना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन-अनुज्ञप्ति,—

* * * * *

(iv) उसने, यथास्थिति, जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

15. (1) कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो, उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा :

चालन-अनुज्ञप्तियों
का नवीकरण ।

परन्तु ऐसी दशा में, जिसमें कि चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से उसकी समाप्ति की तारीख से या तो एक वर्ष पूर्व या एक वर्ष के भीतर किया गया है, चालन-अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी :

* * * * *

20. (1) * * * *

न्यायालय की
निरहित करने की
शक्ति ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 134 या धारा 185 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां ऐसे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निरर्हता का आदेश करेगा और

यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) या धारा 134 के संबंध में है, तो ऐसी निरर्हता एक मास से अन्यून की अवधि के लिए होगी और यदि अपराध धारा 185 के संबंध में है तो ऐसी निरर्हता छह मास से अन्यून की अवधि के लिए होगी।

* * * * *

रजिस्ट्रीकरण कहाँ
किया जाना है।

40. धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहाँ कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

* * * * *

रजिस्ट्रीकरण का
रद्द किया जाना।

55. (1) यदि कोई मोटर यान नष्ट हो गया है या स्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया है कि उसका उपयोग किया जा सके, तो स्वामी उस बात की रिपोर्ट चौदह दिन के अन्दर अथवा यथाशक्य शीघ्र, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के अंदर, यथास्थिति, उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है, जहाँ यान सामान्यतया रखा जाता है तथा वह यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस प्राधिकारी के पास भेज देगा।

* * * * *

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति।

65. (1) * * * * *
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्:—

* * * * *

(ट) धारा 41 की उपधारा (13) या धारा 47 की उपधारा (7) या धारा 49 की उपधारा (4) या धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन रकम या रकमें;

* * * * *

मोटर टैक्सियों को
किराए पर देने के
लिए स्कीम।

75. (1) * * * * *
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर टैक्सी किराए पर दी जा सकेंगी;

* * * * *

सभी परमिटों से
संलग्न साधारण
शर्तें।

84. प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी—

* * * * *

(च) अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंधों का, जहाँ तक वे परमिट के धारक को लागू होते हैं, अनुपालन किया जाता है; और

* * * * *

इस अध्याय के
प्रयोजनों के लिए
राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति।

96. (1) * * * * *
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(xii) वे शर्तें, जो धारा 67 की उपधारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी करार को प्रभावी करने के प्रयोजन से परमिट पर लगाई जानी है;

* * * * *

157. (1) * * * *

(2) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में अंतरण के तथ्य के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पालिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

* * * *

166. (1) * * * *

(3) प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से छह मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।]

* * * *

167. जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।

* * * *

अध्याय 13

अपराध, शास्त्रियां और प्रक्रिया

177. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्त्रि उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा; और किसी द्वितीय या पश्चात्तर्वी अपराध के लिए, जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

177क. जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

178. (1) जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मंजिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा अथवा पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने में असफल रहेगा या इंकार करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “पास” और “टिकट” के वही अर्थ हैं जो धारा 124 में इनके हैं।

(2) यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्राइवर जो ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है, जिसका यह कर्तव्य है कि—

(क) वह मंजिली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिए जाने पर उसे टिकट दे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक,—

(i) भाड़ा दिए जाने पर उसे स्वीकार करने में असफल रहेगा या इंकार करेगा ;

या

बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण।

प्रतिकर के लिए आवेदन।

कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प।

अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध।

धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्त्रि।

पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्त्रि आदि।

(ii) टिकट देने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा ; या

(iii) अवैध टिकट देगा ; या

(iv) कम मूल्य का टिकट देगा ; या

(ख) वह किसी पास या टिकट की जांच करे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा,

तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या ड्राइवर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इन्कार करेगा तो वह,—

(क) दो पहिए या तीन पहिए वाले मोटर यानों की दशा में, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

आदेशों की अवज्ञा,
बाधा डालना और
जानकारी देने से
इन्कार करना ।

179. (1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

धारा 62क के
उल्लंघन के लिए
दंड ।

182ख. जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

* * * * *

मोटर यान चलाने
के लिए मानसिक
या शारीरिक रूप से
अयोग्य होते हुए
यान चलाना ।

186. जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

असुरक्षित दशा
वाले यान का
उपयोग किया
जाना ।

190. (1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो पंद्रह सौ रुपए तक का हो सकेगा अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे

शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से और पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित हो जाएगा, तथा किसी द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

* * * * *

192. (1) जो कोई धारा 39 के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा तथा किसी द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

* * * * *

192ख. (1) जो कोई, मोटर यान का स्वामी होते हुए भी, धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर के एक-तिहाई जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई व्यौहारी होते हुए, धारा 41 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क कर या आजीवन कर के पंद्रह गुना जुर्माने से दंडनीय होगा।

* * * * *

193. (1) जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, एक हजार रुपए के जुर्माने से तथा द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, दो हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किंतु पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।

(3) जो कोई, एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय, धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्त्विक शर्त के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं है, पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग।

रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध।

बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं के लिए दण्ड।

* * * * *

अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना ।

194. (1) जो कोई धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह बीस हजार रुपए के जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए दो हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से, दण्डनीय होगा ।

परंतु ऐसे मोटर यान ऐसे अधिक भार के हटाए जाने से या ऐसे मोटर यान के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा हटवाए जाने या हटवाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(1क) जो कोई किसी मोटर यान को उस समय चलाता है या मोटर यान को चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटर यान ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या कोई चीज बाड़ी की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतराई के लिए प्रभार संदाय करने के दायित्व सहित बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा :

परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यवस्थित किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि बाड़ी की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं निकला हुआ है :

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटर यान को विशिष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दे दी गई है ।

(2) यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिए जाने के पश्चात् यान का भार कराने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, वह जुर्माने से, जो चालीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिक यात्रियों का वहन ।

194क. जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान में लागू अनुज्ञप्ति शर्तों में प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह दो सौ रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु ऐसे मोटर यान को चलने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ।

सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना ।

194ख. (1) जो कोई, सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे परिवहन यानों को, जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों को इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी ।

(2) जो कोई, किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से

दंडनीय होगा।

194ग. जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है या चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा।

194घ. जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरहित होगा।

194ङ. जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर मोटर यान को सड़क की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

194च. जो कोई,—

(क) मोटर यान चलाते समय—

(i) सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना, या

(ii) हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना, या

(ख) ऐसा मोटर यान चलाना जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है, एक हजार रुपए के जुर्माने से और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

* * * * *

199ख. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्मानों का मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य से दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी रकम तक बढ़ाया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

* * * * *

200. (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), धारा 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (ग), धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख, की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196, धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ओर ऐसी रकम के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् शमन किया जा सकेगा।

परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त, अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी।

मोटर साइकिल
झड़वरों और पिछली
सवारियों के लिए
सुरक्षा उपायों के
उल्लंघन के लिए
शास्ति।

सिर के सुरक्षा
पहनावे को न पहनने
के लिए शास्ति।

आपातकालीन यानों
को अबाध रूप से
गुजरने देने में
असफलता।

हार्न का प्रयोग और
ध्वनिमंद क्षेत्र।

जुर्माने का पुनरीक्षण
।

कतिपय अपराधों का
शमन।

केन्द्रीय सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति।

* * * * *

210ग. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

* * * * *

(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;

* * * * *

नियमों और
अधिसूचनाओं का
प्रकाशन, प्रारंभ
और रखा जाना।

212. (1) * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 75 की उपधारा (1) और धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक स्कीम और धारा 41 की उपधारा (4) ; धारा 58 की उपधारा (1), धारा 59 की उपधारा (1) ; धारा 112 की उपधारा (1) के परन्तुक धारा 118, धारा 163क की उपधारा (4)] धारा 177क और धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, स्कीम, या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी। किन्तु नियम, स्कीम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

* * * * *

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * *

60. (1) * * * *

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

87. (1) * * * *

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से जो एक सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

अध्याय 15

शास्तियां और अपराध

उचित पास या
टिकट के बिना
कपटपूर्वक यात्रा
करना या यात्रा
करने का प्रयत्न
करना।

137. (1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से,—

(क) धारा 55 के उल्लंघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा अथवा किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा ; या

(ख) ऐसे किसी एक तरफा पास या एक तरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा में

पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे, ऐसा दंड पांच सौ रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है एक तरफ के साधारण किराए के या जहां उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था, कोई संदेह है वहां उस स्टेशन से जहां से रेलगाड़ी आरंभ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराए के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलगाड़ी के आरंभ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गई थी, या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है उस स्थान से, जहां उनकी अंतिम बार परीक्षा की गई थी, एक तरफ के साधारण किराए के अतिरिक्त उपधारा (3) में वर्णित अधिक प्रभार देने के लिए भी दायी होगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार, उस उपधारा में निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराए के बराबर राशि या दो सौ पचास रुपए, दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा ।

(4) भारतीय दंड संहिता की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि का, जो छह मास तक की हो सकेगी, कारावास भोगेगा ।

138. (1) * * * *

(3) ऐसा अधिक प्रभार, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संदेय रकम के बराबर राशि या दो सौ पचास रुपए, दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा :

परंतु यदि ऐसे यात्री के पास धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र है तो कोई अधिक प्रभार संदेय नहीं होगा ।

(4) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया, या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अन्तर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री इन उपधाराओं में से किसी के अधीन उसकी मांग करने जाने पर, उसे, नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई रेल सेवक ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा मानो वह जुर्माना हो और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है तो वह उसे इस प्रकार वसूल किए जाने का आदेश देगा और यह आदेश भी दे सकेगा कि उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी किन्तु दस दिन से कम की नहीं होगी, भोगेगा ।

* * * *

142. (1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या अभिकर्ता नहीं है,—

(क) कोई टिकट या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग विक्रय करेगा या विक्रय करने का प्रयत्न करेगा ; या

(ख) कोई ऐसा टिकट, जिस पर सीट या बर्थ का आरक्षण किया जा चुका है या

बिना उचित पास या टिकट के यात्रा करने के लिए या प्राधिकृत दूरी से आगे यात्रा करने के लिए अधिक प्रभार और किराए का उदग्रहण।

टिकटों के अंतरण के लिए शास्ति।

वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग या सीजन टिकट किसी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा,

जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा तथा वह टिकट भी जो उसने विक्रय किया हो या जिसके विक्रय करने का प्रयत्न किया हो, अथवा दिया हो या देने का प्रयत्न किया हो, समपहत हो जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई टिकट क्रय करेगा या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई टिकट अपने कब्जे में लेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि किसी पूर्वोक्त टिकट का क्रेता या धारक उससे यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा तो उसका वह टिकट, जो उसने इस प्रकार क्रय या प्राप्त किया है, समपहत हो जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उचित टिकट के बिना यात्रा कर रहा है और उसके विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसा दंड दो सौ पचास रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

* * * * *

फेरी लगाने आदि
और भीख मांगने
पर प्रतिषेध।

144. (1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुज्ञप्ति में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन या अनुसार के सिवाय, रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर किसी ग्राहकी के लिए संयाचना करेगा या किसी भी प्रकार की किसी वस्तु के विक्रय के लिए फेरी लगाएगा या उसे प्रदर्शित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में या किसी रेल स्टेशन पर भीख मांगेगा तो वह उपधारा (1) में उपबंधित दंड का दायी होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, यथास्थिति, रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल के किसी भाग या रेल स्टेशन से हटाया जा सकेगा।

मतता या न्यूसेंस।

145. यदि किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति,—

(क) मतता की हालत में होगा ; या

(ख) कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा ; या

(ग) जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुख-सुविधा में बाधा डालेगा जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा पर प्रभाव पड़ता हो,

तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा, और उसके पास या टिकट के समपहरण के अतिरिक्त, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड—

(क) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक मास के कारावास से और दो सौ पचास रुपए के जुर्माने से, कम का नहीं होगा।

146. यदि कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा या रुकावट डालेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

147. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पर या उसके किसी भाग में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करेगा या ऐसे भाग में विधिपूर्ण रूप से प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति का दुरुपयोग करेगा या वहां से जाने से इंकार करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड पांच सौ रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुलाए, रेल से हटाया जा सकेगा।

* * * * *

155. (1) * * * *

(ख) किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेल प्रशासन द्वारा आरक्षित की गई किसी शायिका या सीट पर अप्राधिकृत रूप से दखल करके,

उसे तब छोड़ने से इंकार करेगा, जब ऐसा करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा अपेक्षा की गई हो तो ऐसा रेल सेवक उसे, यथास्थिति, उस कक्ष, शायिका या सीट से हटा सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से हटवा सकेगा और वह ऐसे जुर्माने से भी, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई यात्री किसी ऐसे कक्ष में, जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, किसी अन्य यात्री के विधिपूर्ण प्रवेश का प्रतिरोध करेगा तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

158. वह व्यक्ति जिसके प्राधिकार से किसी रेल सेवक को अध्याय 14 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

159. यदि किसी यान का कोई ड्राइवर या संवाहक, रेल के परिसर में होते हुए किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी के उचित निदेशों की अवज्ञा करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

* * * * *

162. यदि कोई पुरुष यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी रेलगाड़ी में कोई सवारी डिब्बा, कक्ष, शायिका या सीट अथवा कोई कमरा या अन्य स्थान रेल प्रशासन द्वारा महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, विधिपूर्ण प्रतिहेतु

रेल सेवक के कर्तव्यों में बाधा डालना।

अतिचार और अतिचार से प्रतिविरत रहने से इंकार करना।

आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध करना।

अध्याय 14 के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति।

रेल सेवकों आदि के निदेशों की यानों के ड्राइवरों या संवाहकों द्वारा अवज्ञा।

महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश

के बिना—

करना।

(क) उस सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या अन्य स्थान में प्रवेश करेगा या ऐसे सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे या स्थान में प्रवेश करने के पश्चात् उसमें रहेगा ; या

(ख) किसी रेल सेवक द्वारा ऐसी शायिका या सीट को खाली करने की अपेक्षा करने पर भी उस पर दखल रखेगा,

तो वह अपने पास या टिकट के समपहत किए जाने के दायी होने के अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और वह किसी रेल सेवक द्वारा हटाया भी जा सकेगा ।

माल का मिथ्या
वर्णन देना।

163. यदि कोई व्यक्ति, जिससे माल का वर्णन देने की धारा 66 के अधीन अपेक्षा की जाती है, ऐसा वर्णन देगा जो तात्त्विक रूप से मिथ्या है तो वह और यदि वह माल का स्वामी नहीं है तो स्वामी भी, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी माल-भाड़े या अन्य प्रभार का संदाय करने के अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे माल के प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

घृणोत्पादक माल
को
विधिविरुद्धतया
रेल पर लाना ।

165. यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल वहन के लिए ले जाएगा या ऐसा माल वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी दायी होगा ।

* * * * *

सार्वजनिक
सूचनाओं को
विरूपित करना।

166. यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना,—

* * * * *

(ख) किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टाक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटाएगा या बदलेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धूमपान ।

167. (1) * * * *

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

रेल पर यात्रा करने
वाले व्यक्तियों की
सुरक्षा को
संकटापन्न करने
वाले कार्यों के,
बालकों द्वारा किए
गए अपराध के बारे
में उपबंध।

168. (1) यदि बारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति धारा 150 से धारा 154 तक के अधीन किसी अपराध का दोषी है तो उसे सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पिता या संरक्षक से ऐसी रकम का और ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति के सदाचरण के लिए एक बंधपत्र ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय नियत करे, निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

* * * * *

(3) यदि पिता या संरक्षक न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन कोई बंधपत्र निष्पादित करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

मत्तता के लिए

172. यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर होते हुए मत्तता की हालत में होगा तो वह जुर्माने से, जो

शास्ति।

पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जब ऐसी हालत में किसी कर्तव्य के पालन किए जाने से रेल पर यात्रा करने वाले या उसमें विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न होनी संभाव्य हो तब ऐसा रेल सेवक ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

* * * * *

176. यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से—

(क) किसी चलस्टाक को ऐसे स्थान के आर-पार खड़ा रहने देगा जहां रेल किसी लोक मार्ग को समतल पर पार करती है; या

(ख) समतल क्रासिंग को जनता के लिए बंद रखेगा, तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

178. यदि कोई रेल सेवक जिससे रेल प्रशासन किसी परेषण की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के किसी दावे के बारे में जांच करने की अपेक्षा करता है, ऐसी कोई रिपोर्ट करेगा जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

179. (1) * * * *

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 137 से धारा 139, धारा 141 से धारा 147, धारा 153 से धारा 157, धारा 159 से धारा 167 और धारा 172 से धारा 176 तक में वर्णित कोई अपराध करेगा तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, वारंट या अन्य किसी लिखित प्राधिकार के बिना, गिरफ्तार किया जा सकेगा।

* * * * *

180ग. धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को यदि गिरफ्तारी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी तो उसे बिना विलम्ब के ऐसे अधिकारी को भेज दिया जाएगा।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 44) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “प्रशासक” से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

* * * * *

(25) “नगरपालिका बाजार” से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जो परिषद् में निहित है या जिसका प्रबन्ध परिषद् के हाथ में है ;

* * * * *

(39) “सार्वजनिक पथ” से कोई ऐसा पथ अभिप्रेत है जो सार्वजनिक पथ के रूप में परिषद् में निहित है या जिसके तल के नीचे की मृदा परिषद् में निहित है या जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक पथ बन जाता है या घोषित कर दिया जाता है ;

* * * * *

(54) “व्यापार कचरा” से किसी व्यापार या उद्योग का कचरा अभिप्रेत है ;

समतल क्रासिंग में
बाधा डालना।

किसी रेल सेवक
द्वारा मिथ्या रिपोर्ट
करना।

कतिपय धाराओं के
अधीन अपराधों के
लिए गिरफ्तारी।

गिरफ्तार किए गए
व्यक्ति का व्ययन।

परिभाषाएं।

* * * * *

सम्पत्ति कर

सम्पत्ति कर की दर।

61. (1) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, सम्पत्ति कर नई दिल्ली की भूमि और भवनों पर उद्गृहीत किए जाएंगे और उसमें भूमि और भवनों के रेट-मूल्य के दस प्रतिशत से अन्यून और तीस प्रतिशत से अनधिक होंगे :

परन्तु जिस दर पर संपत्ति कर किसी वर्ष में उद्गृहीत किया जाएगा, उसे नियत करते समय परिषद् यह अवधारित कर सकेगी कि जिन भूमि और भवनों या भूमि और भवनों के भाग में किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय या कारबार चलाया जाता है, उनकी बाबत उद्गृहणीय कर उस दर से, जो अन्य भूमि और भवनों या अन्य भूमि और भवनों के भागों की बाबत अवधारित हैं, ऐसी नियत दर के एक बटा दो से अनधिक रकम तक उच्चतर होगी :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् इस प्रकार अवधारित करती है तो कर क्रमवर्ती दर पर उद्गृहीत किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—जहां भूमि या भवन का कोई भाग कर की उच्चतर दर के दायित्वाधीन है, वहां ऐसा भाग नगरपालिक कराधान के प्रयोजन के लिए पृथक् संपत्ति समझा जाएगा ।

(2) जिन भूमि और भवनों का रेट-मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, परिषद् उन्हें कर से छूट दे सकेगी ।

62. वे परिसर जिनकी बाबत सम्पत्ति कर उद्गृहीत किया जाना है—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, सम्पत्ति कर केवल निम्नलिखित के सिवाय नई दिल्ली स्थित सभी भूमि और भवनों की बाबत उद्गृहीत किया जाएगा,—

(क) ऐसी भूमि और भवनों या ऐसी भूमि और भवनों के भाग, जो केवल लोक उपासना या किसी पूर्त प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या निकाय के अधिभोग में हैं और उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं :

परन्तु यह तब जब ऐसी सोसाइटी या निकाय पूर्णतः या भागतः स्वैच्छिक अंशदान से पोषित है, अपने लाभों को, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संप्रवर्तन के लिए उपयोग करता है और अपने सदस्यों को कोई लाभांश या बोनस नहीं देता है ।

स्पष्टीकरण—“पूर्त प्रयोजन” के अंतर्गत निर्धनों की सहायता, शिक्षा और चिकित्सीय सहायता करना है किंतु उसके अंतर्गत ऐसा प्रयोजन नहीं है जो केवल धार्मिक शिक्षा से संबंधित है ;

* * * * *

संपत्ति कर के लिए निर्धारणीय भूमि और भवनों के रेट-मूल्य का अवधारण।

63. (1) किसी संपत्ति कर से निर्धारणीय किसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य वह वार्षिक भाटक होगा जिस पर ऐसी भूमि या भवन को वर्षानुवर्ष युक्तियुक्त रूप से पट्टे पर देने की प्रत्याशा की जा सकती है जिसमें से उक्त वार्षिक भाटक के दस प्रतिशत के बराबर राशि घटा दी जाएगी जो उस भाटक का नियंत्रण करने वाले किसी राज्य में भूमि या भवन का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक मरम्मत तथा बीमा के खर्चों और अन्य खर्च, यदि कोई हों, के लिए सभी मोक के बदले में होगी :

परन्तु जिस भूमि या भवन का मानक भाटक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन नियत किया गया है, उसका रेट-मूल्य ऐसे नियत मानक भाटक की वार्षिक रकम से अधिक नहीं होगा ।

(2) जिस भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ है किंतु जिस पर निर्माण किया जा सकता है और जिस भूमि पर भवन खड़ा किया जा रहा है उसका रेट-मूल्य ऐसी भूमि के प्राक्कलित पूंजी मूल्य

का पांच प्रतिशत नियत किया जाएगा ।

(3) किसी भूमि या भवन में अन्तर्विष्ट या उस पर स्थित सभी संयंत्र और मशीनरी, जो ऐसे वर्गों में से किसी वर्ग की हैं जो अध्यक्ष द्वारा परिषद् के अनुमोदन से समय-समय पर लोक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (1) के अधीन ऐसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य अवधारित करने के प्रयोजन के लिए उसका भाग समझी जाएगी, किन्तु, यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसी भूमि या भवन में अंतर्विष्ट या उस पर स्थित ऐसे संयंत्र या मशीनरी के मूल्य को गणना में नहीं लिया जाएगा ।

* * * * *

66. (1) सम्पत्ति कर प्रथमतः निम्नलिखित पर उद्ग्रहणीय होंगे, अर्थात् :—

(क) यदि भूमि या भवन पट्टे पर दिया हुआ है तो पट्टाकर्ता,

(ख) यदि भूमि या भवन उपपट्टे पर दिया हुआ है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता ;

(ग) यदि भूमि या भवन पट्टे पर नहीं दिया हुआ है तो वह व्यक्ति जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है :

परन्तु ऐसी भूमि या भवन की बाबत जो संघ की संपत्ति है और जिसका कब्जा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 20 के अनुसरण में दे दिया गया है, संपत्ति कर प्रथमतः अंतरितों पर उद्ग्रहणीय होगा ।

(2) यदि कोई भूमि किसी अभिधारी को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है और ऐसे अभिधारी ने उस भूमि पर निर्माण किया है तो उस भूमि और उस पर निर्मित भवन की बाबत निर्धारित संपत्ति कर प्रथमतः उक्त अभिधारी पर उद्ग्रहणीय होगा, चाहे वह भूमि और भवन ऐसे अभिधारी के अधिभोग में हैं अथवा ऐसे अभिधारी के उप-अभिधारी के अधिभोग में हैं ।

स्पष्टीकरण—“अभिधारी” पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे भूमि पर या ऐसी भूमि पर निर्मित भवन पर अभिधारी से, चाहे विधि की क्रिया द्वारा या जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरण द्वारा हक व्युत्पन्न हुआ है ।

(3) जिस भवन के भाग या फ्लैट या कमरे विभिन्न व्यक्तियों के अलग-अलग स्वामित्वाधीन हैं या जिनका इस प्रकार से स्वामित्वाधीन होना तात्पर्यित है, उसके विभिन्न स्वामियों का सम्पत्ति कर या उसकी किसी किस्त के संदाय का दायित्व ऐसे स्वामित्व की अवधि के दौरान संयुक्त और पृथक् होगा ।

67. (1) यदि संपत्ति कर से निर्धारित कोई भूमि या भवन पट्टे पर दिया जाता है और उसका रेट-मूल्य भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत उस व्यक्ति को देय है जिस पर धारा 664 के उपबन्धों के अनुसार, उक्त कर उद्ग्रहणीय है तो वह व्यक्ति अपने अभिधारी से उतनी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस पर उद्ग्रहीत संपत्ति कर की रकम तथा उस रकम के अन्तर के बराबर है जो उससे तब उद्ग्रहणीय होती जब उक्त कर उसे संदेय भाटक की रकम पर परिकलित किए जाते ।

(2) यदि भूमि या भवन उपपट्टे पर दिया जाता है और उसका रेट-मूल्य भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत अभिधारी को उसके उप-अभिधारी द्वारा संदेय है अथवा भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत किसी उप-अभिधारी को उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जो उस भूमि या भवन की उप-अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन धारण करता है तो अभिधारी, यथास्थिति, अपने उप-अभिधारी से या उप-अभिधारी उस व्यक्ति से जो ऐसी भूमि या भवन को उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन धारण करता है, उतनी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे अभिधारी या उप-अभिधारी से वसूल की गई राशि तथा संपत्ति कर की उस रकम के अन्तर के बराबर है जो

सम्पत्ति कर का
भार।

सम्पत्ति कर के
दायित्व का उस दशा
में प्रभाजन जब
परिसर पट्टे या
उपपट्टे पर दिए
जाते हैं।

उक्त भूमि या भवन की बाबत तब उद्ग्रहणीय होती जब उसका रेट-मूल्य ऐसे अभिधारी या उप-अभिधारी द्वारा प्राप्त किए गए भाटक की रकम और उसके द्वारा संदत भाटक की रकम के अन्तर के समतुल्य होता ।

(3) इस धारा के अधीन कोई राशि प्राप्त करने के हकदार किसी व्यक्ति को उसकी वसूली के लिए वैसे ही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे मानो ऐसी राशि ऐसा भाटक हो जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जिससे वह उस राशि को प्राप्त करने का हकदार है ।

* * * *

जिन परिवारों पर संपत्ति कर निर्धारित किया जाता है, उन पर उसका प्रथम भार होना।

69.(1) * * *

, ऐसे कर के दायित्वाधीन व्यक्ति के ऐसी भूमि या भवन में हित पर तथा ऐसी भूमि या ऐसे भवन के भीतर या उस पर पाई गई वस्तुओं और अन्य जंगम संपत्तियों पर जो ऐसे व्यक्ति की हों ; और

(ख) किसी अन्य भूमि या भवन की दशा में, ऐसी भूमि या भवन पर तथा ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाई गई वस्तुओं और अन्य जंगम संपत्तियों पर जो ऐसे व्यक्ति की हों जो कर के दायित्वाधीन हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “संपत्ति कर” पद के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत संपत्ति कर की वसूली के खर्चे और संदेय ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है, भी हैं ।

निर्धारण सूची ।

70. (1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ,परिषद् ,नई दिल्ली की सभी भूमि और भवनों की एक निर्धारण सूची ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा प्रत्येक भूमि और भवन की बाबत ऐसी विशिष्टियों के साथ तैयार कराएगी जो उपविधियों द्वारा विहित की जाए ।

(2) निर्धारण सूची तैयार कर लिए जाने पर ,अध्यक्ष उस सूची की और उस स्थान की ,जहां उस सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है ,लोक सूचना देगा । सूची में सम्मिलित किसी भूमि या भवन के स्वामी ,पट्टेदार या अभिधारी के रूप में दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तथा ऐसे व्यक्ति के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को बिना कोई शुल्क दिए ऐसी सूची का निरीक्षण करने और उसमें से उद्धरण लेने की छूट होगी ।

(3) अध्यक्ष निर्धारण सूची में दर्ज की गई भूमियों और भवनों के रेट-मूल्यों पर विचार करने के लिए जिस तारीख को अग्रसर होगा उस तारीख को लोक सूचना देगा जो पूर्वोक्त तारीख से एक मास से पूर्वतर नहीं होगी और उन सभी मामलों में जिनमें किसी भूमि या भवन पर निर्धारण प्रथम बार किया जाता है ,या किसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य बढ़ाया जाता है ,उस भूमि या भवन के स्वामी किसी पट्टेदार या अधिभोगी को भी वह उसकी लिखित सूचना देगा ।

(4) निर्धारण सूची में दर्ज किए गए रेट-मूल्य या किसी अन्य विषय पर कोई आक्षेप सूचना में नियत तारीख के पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें यह कथित होगा कि रेट-मूल्य या अन्य विषय पर किस बात का विवाद है ,और इस प्रकार किए गए सभी आक्षेप इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे ।

(5) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत परिषद् का कोई अधिकारी

आक्षेपों की जांच और अन्वेषण करेगा और आक्षेप करने वाले व्यक्तियों को या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा ।

(6) जब सभी आक्षेप निपटा दिए जाएं और रेट-मूल्य का पुनरीक्षण पूरा हो जाए तब निर्धारण सूची, यथास्थिति, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएगी, जो यह प्रमाणित करेगा कि उन मामलों के सिवाय, यदि कोई हों, जिनमें ऐसे संशोधन किए गए हैं जो उनमें दर्शित हैं, रेट-मूल्य या उक्त सूची में प्रविष्ट किसी अन्य विषय पर कोई विधिमान्य आक्षेप नहीं किया गया है ।

(7) इस प्रकार अधिप्रमाणित निर्धारण सूची परिषद् के कार्यालय में जमा की जाएगी और उसमें समाविष्ट भूमि और भवनों के सभी स्वामियों, पट्टेदारों और अधिभोगियों या ऐसे व्यक्तियों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा कार्यालय के समय के दौरान निःशुल्क देखी जा सकती है और इस प्रकार देखी जा सकने वाली है, ऐसी लोक सूचना, तुरन्त प्रकाशित की जाएगी ।

71. ऐसे परिवर्तनों के, जो निर्धारण सूची में धारा 72 के अधीन, तत्पश्चात् किए जाएं, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, धारा 70 में उपबंधित रूप में अधिप्रमाणित और जमा की गई निर्धारण सूची की प्रविष्टियां इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, ऐसी सभी भूमियां और भवनों के, जिनसे ऐसी प्रविष्टियां संबंधित हैं, रेट-मूल्य के निश्चायक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी ।

निर्धारण सूची का
साक्ष्यिक महत्व ।

72. (1) अध्यक्ष निर्धारण सूची में किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से संशोधन कर सकेगा, अर्थात् :-

निर्धारण सूची का
संशोधन।

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम अन्तःस्थापित करके जिसका नाम उसमें अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए; अथवा

(ख) उसमें किसी ऐसी भूमि या भवन को अन्तःस्थापित करके, जो उसमें से पहले छूट गया है; अथवा

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम काटकर जो संपत्ति कर के संदाय के दायित्वाधीन नहीं है; अथवा

(घ) रेट-मूल्य और उस पर किए गए निर्धारण की रकम समुचित कारणों से बढ़ाकर या कम करके; अथवा

(ङ) कोई ऐसी प्रविष्टि करके या उसे रद्द करके जो किसी भूमि या भवन को किसी संपत्ति कर के दायित्व से छूट देती है; अथवा

(च) उस भूमि या भवन पर किए गए निर्धारण को परिवर्तित करके, जो कपट, भूल या आकस्मिक रूप से गलत मूल्यांकित या निर्धारित किया गया है; अथवा

(छ) किसी ऐसे भवन के बारे में प्रविष्टि अन्तःस्थापित या परिवर्तित करके जो निर्धारण सूची के तैयार होने के पश्चात् निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्तित या परिवर्धित किया गया है :

परन्तु कोई व्यक्ति ऐसे संशोधन के कारण उस वर्ष के, जिसमें उपधारा (2) के अधीन सूचना दी जाती है, प्रारंभ से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में किसी कर या कर की वृद्धि का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने के पूर्व अध्यक्ष ऐसे संशोधन से प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को आशय की कम से कम एक मास की सूचना देगा कि वह संशोधन करना चाहता है तथा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर विचार करेगा ।

नई निर्धारण सूची की तैयारी।

73. अध्यक्ष को इस बात का विवेकाधिकार होगा कि वह संपूर्ण नई दिल्ली अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति वर्ष एक नई निर्धारण सूची तैयार करे या किसी वर्ष की सूची में अन्तर्विष्ट रेट-मूल्य को आगामी वर्ष के लिए रेट-मूल्य के रूप में ऐसे परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ले जो वह किन्हीं विशिष्ट मामलों में आवश्यक समझता है, अध्यक्ष ऐसे रेट-मूल्य की लोक सूचना तथा ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचनाएं भी देगा मानो कोई नई निर्धारण सूची तैयार की गई हो।

* * * * *

जानकारी और विवरणियां मांगने तथा परिसरों में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की अध्यक्ष की शक्ति।

77. (1) अध्यक्ष, किसी भूमि या भवन के रेट-मूल्य को तथा उस व्यक्ति को, जो उक्त भूमि या भवन के संबंध में उद्ग्रहणीय किसी सम्पत्ति कर के संदाय के लिए प्रथमतः दायी है, अवधारित करने में स्वयं को समर्थ करने के लिए ऐसी भूमि या भवन के या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो अध्यक्ष इस निमित्त नियत करे, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी या ऐसे स्वामी या अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विवरणी प्रस्तुत करे, अर्थात् :—

(क) ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी अथवा दोनों के नाम और निवास-स्थान ;

(ख) ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का माप या लंबाई-चौड़ाई तथा ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के लिए अभिप्राप्त भाटक, यदि कोई हो, और

(ग) ऐसी भूमि या भवन का वास्तविक मूल्य या उसके मूल्य के अवधारण से संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे।

(2) ऐसा प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी जिससे ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है, उसका अनुपालन करने के लिए, अथवा अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ठीक जानकारी या ठीक विवरणी देने के लिए आबद्ध होगा।

(3) जो कोई ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं करेगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक जानकारी या ठीक विवरणी देने में असफल रहेगा वह ऐसी किसी शासति के अतिरिक्त, जिसके वह दायित्वाधीन हो, ऐसी भूमि या भवन की बाबत जिसका कि वह स्वामी या अधिभोगी है अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी निर्धारण के विरुद्ध आक्षेप करने से प्रवारित किया जाएगा।

दो या अधिक व्यक्तियों के पृथक्: स्वामित्वाधीन या दो या अधिक व्यक्तियों को पट्टे पर पृथक्: दिए गए परिसर का मामूली तौर से एक ही संपत्ति के रूप में निर्धारण किया जाना।

परिसरों के समामेलन की दशा में निर्धारण।

78. इस बात के होते हुए भी कि कोई भूमि या भवन दो या अधिक व्यक्तियों को पट्टे पर पृथक्: दी गई है, अध्यक्ष ऐसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए उसे सम्पूर्ण रूप से एक सम्पत्ति मानेगा :

परन्तु अध्यक्ष, ऐसी भूमि या भवन की बाबत, जो मूलतः एक सम्पत्ति मानी गई थी किन्तु जो तत्पश्चात् अन्तरण, उत्तराधिकार या किसी अन्य रीति से दो या अधिक व्यक्तियों को संक्रांत हो जाती है और वे उसे विभिन्न भागों में विभाजित कर लेते हैं और उसका पृथक्-पृथक् रूप से अभिभोग करते हैं, ऐसे प्रत्येक पृथक् भाग को, या दो या अधिक ऐसे पृथक् भागों को, इस निमित्त बनाई गई किसी उपविधि के अधीन रहते हुए, एक पृथक् संपत्ति मान सकेगा और तदनुसार ऐसे भाग या भागों पर संपत्ति कर निर्धारित कर सकेगा।

79. यदि किसी ऐसी भूमि या भवन को, जिस पर दो या अधिक नगरपालिका संख्यांक लगे हैं, या उसके भागों को एक या अधिक नए परिसरों में समामेलित कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष, ऐसा समामेलन होने पर, उन्हें एक या अधिक संख्यांक समनुदेशित करेगा और तदनुसार उन पर सम्पत्ति कर निर्धारित करेगा :

परन्तु समामेलन होने पर कुल निर्धारण, तब के सिवाय जब उक्त परिसरों में से किसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, विभिन्न परिसरों के पूर्वतन निर्धारण की राशि से अधिक नहीं होगा।

80. अध्यक्ष भवन से संलग्न किसी उपगृह को या भूमि या भवन के किसी भाग को, यथास्थिति, ऐसे भवन से या ऐसी भूमि या भवन के शेष भाग से स्वविवेकानुसार पृथक्: निर्धारित कर सकेगा।

भवनों के उपगृहों और भागों को पृथक्: तः निर्धारित करने की अध्यक्ष की शक्ति।

समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर

88. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, पोस्ट या संरचना में या उस पर अथवा किसी यान पर कोई विज्ञापन खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, लगाता है या रखता है अथवा जनता को दृष्टिगोचर होने वाला कोई विज्ञापन किसी भी रीति से इस प्रकार से संप्रदर्शित करता है कि वह किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़े (जिसके अंतर्गत चलचित्र के द्वारा प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी है) इस प्रकार से खड़े किए गए, प्रदर्शित किए गए, लगाए गए या रखे गए या सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर होने के लिए संप्रदर्शित किए गए प्रत्येक विज्ञापन के लिए चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक ऐसी दरों पर संगणित कर का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं :

विज्ञापनों पर कर।

परन्तु इस धारा के अधीन किसी ऐसे विज्ञापन के लिए कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, जो—

(क) किसी सार्वजनिक सभा से या संसद् या दिल्ली विधान सभा के किसी निर्वाचन से, संबंधित है ; अथवा

(ख) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया गया है, यदि ऐसे विज्ञापन का संबंध उस भवन में चलाए जा रहे व्यापार, वृत्ति या कारबार से है ; अथवा

(ग) ऐसी भूमि या भवन के भीतर, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, चलाए जाने वाले व्यापार, वृत्ति या कारबार से अथवा ऐसी भूमि या भवन या उसमें की किसी चीजबस्त के किसी विक्रय या पट्टे पर दिए जाने से अथवा उस पर या उसमें आयोजित किए जाने वाले किसी विक्रय, मनोरंजन या सभा से संबंधित है ; अथवा

(घ) उस भूमि या भवन के नाम के संबंध में है, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित है ; अथवा

(ङ) रेल प्रशासन के कारबार से संबंधित है और उसका प्रदर्शन किसी रेल स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य संपत्ति पर किया गया है ; अथवा

(च) केन्द्रीय सरकार या सरकार या परिषद् के किसी क्रियाकलाप से संबंधित है।

(2) इस धारा के अधीन उद्गृहणीय किसी विज्ञापन पर कर अग्रिम रूप से उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से संदेय होगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधि द्वारा अवधारित की जाए।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में “संरचना” के अन्तर्गत कोई ऐसा पहियों पर चलाए जाने वाला चलबोर्ड भी है जो विज्ञापन के रूप में अथवा विज्ञापन के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के अधीन विज्ञापन पर कर के संबंध में “विज्ञापन” शब्द से अभिप्रेत है कोई शब्द, अक्षर, माडल, संकेत, चिह्न, प्लेकार्ड, सूचना, युक्ति का निरूपण, चाहे वह प्रकाशयुक्त हो या नहीं, जो विज्ञापन, आख्यापन या निदेश की प्रकृति का है और इन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या भागतः काम में लाया जाता है।

* * * * *

करों का संदाय और वसूली

करों के संदाय का समय और रीति।

98. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कोई कर ऐसी तारीखों को, उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से संदेय होगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा अवधारित की जाएं।

बिल का प्रस्तुत किया जाना।

99. (1) जब कोई कर देय हो जाए तब अध्यक्ष उस कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को देय रकम का एक बिल भिजवाएगा :

परन्तु—

(क) यान और जीव-जन्तु कर,

(ख) थिएटर कर, और

(ग) विज्ञापन कर,

की दशा में ऐसा बिल आवश्यक नहीं होगा।

* * * * *

करों के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में शास्ति।

101. (1) * * * *

(2) जब किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति की बाबत यह समझा जाए कि उसने उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रम किया है तो उससे, कर की रकम की बीस प्रतिशत से अनधिक उतनी राशि जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए, कर की रकम तथा धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन संदेय सूचना फीस के अतिरिक्त शास्ति के रूप में वसूल की जा सकेगी।

* * * * *

कर का परिहार या प्रतिदाय।

110. (1) यदि कोई भवन और उससे संलग्न भूमि साठ या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है तो अध्यक्ष उसके रेट-मूल्य पर निर्धारित संपत्ति कर के उतने भाग के दो-तिहाई का, यथास्थिति, परिहार या प्रतिदाय करेगा जितना उतने दिनों के अनुपात में है जितने दिन उक्त भवन और उससे संलग्न भूमि रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) यदि कोई भूमि जो किसी भवन से संलग्न भूमि नहीं है, साठ या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है तो अध्यक्ष उसके रेट-मूल्य पर निर्धारित संपत्ति कर के उतने भाग के आध का, यथास्थिति, परिहार या प्रतिदाय करेगा जितना उतने दिनों के अनुपात में है जितने दिन उक्त भूमि रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है।

भवन के ब्यौरों की निर्धारण सूची में प्रविष्टि करने की अपेक्षा करने की शक्ति।

111. (1) ऐसे भवन का स्वामी जिसमें पृथक्-पृथक् वासगृह हैं, कर का भागतः परिहार या प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, भवन के निर्धारण के समय अध्यक्ष से अनुरोध कर सकेगा कि वह निर्धारण सूची में संपूर्ण भवन के रेट-मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक पृथक् वासगृह के रेट-मूल्य के किसी ब्यौरे की बाबत टिप्पण भी दर्ज कर लें।

(2) जब कोई ऐसा वासगृह, जिसका रेट-मूल्य इस प्रकार पृथक्: अभिलिखित किया गया है, साठ दिन या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रहा है और उसका कोई भाटक प्राप्त नहीं होता है तो संपूर्ण भवन के रेट-मूल्य पर निर्धारित किसी कर के उतने भाग का परिहार या प्रतिदाय किया जाएगा जितने का परिहार या प्रतिदाय उस दशा में किया जाता जब वासगृह का पृथक्: निर्धारण किया गया होता।

112. जब तक भूमि, भवन या वासगृह के रिक्त हो जाने और उससे कोई भाटक प्राप्त न होने के तथ्य की लिखित सूचना अध्यक्ष को न दे दी गई हो तब तक धारा 110 या धारा 111 के अधीन कोई परिहार या प्रतिदाय नहीं किया जाएगा और ऐसी सूचना के दिए जाने के पन्द्रह दिन से अधिक पूर्व आरम्भ होने वाली किसी अवधि की बाबत कोई परिहार या प्रतिदाय प्रभावी नहीं होगा।

जिन परिस्थितियों में परिहार या प्रतिदाय का दावा किया जाता है उनकी सूचना देना।

113. (1) धारा 110 और धारा 111 के प्रयोजनों के लिए वह भूमि, भवन या वासगृह रिक्त नहीं समझा जाएगा जो विहारस्थल या नगर या ग्राम्य आवास के रूप में रखा जाता है अथवा उसकी बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे कोई भाटक प्राप्त नहीं हो रहा है यदि वह किसी ऐसे अभिधारी को पट्टे पर दी गई है जिसका उस पर अधिभोग का सतत् अधिकार है चाहे वह वास्तव में उसका अधिभोग करता है या नहीं।

कौन से भवन आदि रिक्त समझे जाएंगे।

(2) जिन तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति धारा 109, धारा 110 या धारा 111 के अधीन अनुतोष पाने का दावा करने का हकदार है उन्हें साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा।

114. जिस किसी भूमि, भवन या वासगृह की बाबत धारा 110 या धारा 111 के अधीन कर का परिहार या प्रतिदाय किया गया है उसका स्वामी ऐसी भूमि, भवन या वासगृह के पुनः अधिभोग में लिए जाने की सूचना ऐसे पुनः अधिभोग के पन्द्रह दिन के भीतर देगा।

रिक्त भूमि या भवन के प्रत्येक अधिभोग की सूचना का दिया जाना।

* * * *

116. धारा 115 के अधीन कोई अपील तब तक नहीं सुनी या अवधारित की जाएगी जब तक कि—

अपील के अधिकार की शर्तें।

(क) अपील, सम्पत्ति कर के मामले में, यथास्थिति, धारा 70 के अधीन निर्धारण सूची के अधिप्रमाणन की तारीख के पश्चात् (उस समय को छोड़कर जो उसमें की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक है) अगले तीस दिन के भीतर या उस तारीख से जिसको धारा 72 के अधीन अंतिम बार संशोधन किया जाता है, तीस दिन के भीतर और किसी अन्य कर के मामले में, निर्धारण या निर्धारण में परिवर्तन की सूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिन के भीतर यदि कोई सूचना नहीं दी गई है तो, यथास्थिति, प्रथम बिल के या उसके बारे में मांग की प्रथम सूचना के पेश किए जाने की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर नहीं कर दी जाती ;

* * * *

मनोरंजन और बाजी लगाने पर कर

125. (1) मनोरंजन और बाजी लगाने पर करों के वे आगम जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित यूनाइटेड प्राविन्सेस एन्टरटेनमेंट एण्ड बेटिंग ऐक्ट, 1937 (1937 का यू० पी० अधिनियम 18) के उपबन्धों के अधीन नई दिल्ली में संगृहीत किए जाएं (जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की संचित निधि के भाग होंगे) उनमें से संग्रहण का उस खर्च की कटौती करके जो सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, परिषद् को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए संदत्त कर लिए जाएंगे यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबन्ध करती है।

मनोरंजन और बाजी लगाने पर करों के आगम का परिषद् को संदाय किया जाना।

* * * *

152. (1) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि नई दिल्ली के किसी परिसर में घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्यकर जल का प्रदाय नहीं हो रहा है या ऐसे परिसर का प्रायः अधिभोग करने वाले या उनमें नियोजित व्यक्तियों के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए उपलब्ध जल का

जल प्रदाय लेने की अपेक्षा करने की शक्ति।

विद्यमान प्रदाय अपर्याप्त है या स्वच्छता की दृष्टि से आपत्तिजनक है तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी से या परिसर की बाबत सम्पत्ति कर देने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्तियों से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे—

(क) परिसर का अधिभोग करने वाले या उनमें नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त कनेक्शन नगरपालिक जल संकर्म से लें या ऐसा अतिरिक्त या बड़ा कनेक्शन नगरपालिक जल संकर्म से लें; और

(ख) ऐसे प्रदाय पाइप और जल फिटिंग लगाएं और ऐसा पम्प लगाएं और चालू करें और ऐसे सभी कार्य करें और ऐसे सभी उपाय करें, जो अध्यक्ष की राय में उक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में अध्यक्ष निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) लगाए जाने वाले पाइपों और जल फिटिंगों का आकार, सामग्री और क्वालिटी;

(ख) लगाए जाने वाले पाइपों और जल फिटिंगों की स्थिति;

(ग) पाइपों और जल फिटिंगों के निरीक्षण के लिए पहुंच के साधन;

(घ) किस प्रकार का पम्प लगाया जाना चाहिए और दिन की किस अवधि या अवधियों में वह चलता रहना चाहिए;

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर सूचना में विनिर्दिष्ट कोई या सभी अध्यपेक्षाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए।

जल प्रदाय के लिए इंतजाम न होने की दशा में नए परिसरों का अधिभोग न किया जाना।

153. (1) नई दिल्ली के किसी ऐसे भाग में, नवनिर्मित किसी परिसर के स्वामी के लिए उसका अधिभोग करना या कराना या उसका अधिभोग किए जाने की अनुज्ञा देना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक वह अध्यक्ष से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता कि परिसर के भीतर या उससे उचित दूरी पर स्वास्थ्यकर जल के उतने प्रदाय की व्यवस्था कर ली गई है जितना अध्यक्ष की उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे परिसर का अधिभोग करेंगे या वहां नियोजित किए जाएंगे घरेलू प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है।

* * * * *

नए परिसरों का नालियों के बिना न बनाया जाना।

176. (1) नई दिल्ली में कोई परिसर बनाना या पुनः बनाना या ऐसे परिसर का अधिभोग करना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक—

(क) उसमें ऐसे आकार, सामग्री और वर्णन की तथा ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल वाली नाली का निर्माण नहीं कर दिया जाए जो अध्यक्ष को ऐसे परिसर के प्रभावशील जल निकास के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ख) ऐसे परिसर में ऐसे साधित्रों और फिटिंगों की व्यवस्था न कर दी गई हो और न लगा दिए गए हों जो उक्त परिसर में से गंदगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थों को एकत्रित या ग्रहण करने और उसे वहां से प्रवाहित करने के लिए तथा उक्त परिसर की नाली और उससे संबद्ध प्रत्येक फिक्सचर को प्रभावशील रूप से फ्लश करने के लिए अध्यक्ष को आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस प्रकार निर्मित नाली परिसर से तीस मीटर से अनधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नाली में गिरेगी। किन्तु यदि उतनी दूरी के भीतर कोई नगरपालिका नाली स्थित नहीं है तो ऐसी नाली उतनी दूरी के भीतर स्थित किसी मलकुण्ड में गिरेगी जो दूरी अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

* * * * *

179. (1) जहां किन्हीं परिसरों के स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा अध्यक्ष की राय है कि परिसरों से नगरपालिका नाली में प्रभावशील जल निकास का एकमात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण उपाय अन्य व्यक्ति की नाली से होकर ही है वहां अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी नाली के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि इस धारा के अधीन आदेश क्यों न किया जाए।

(2) जहां विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है या दर्शित किया गया हेतुक अध्यक्ष को अविधिमान्य या अपर्याप्त प्रतीत होता है वहां अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा या तो परिसर के स्वामी को नाली का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या उसको उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश में निम्नलिखित की बाबत निदेश अन्तर्विष्ट हो सकते हैं, अर्थात्:—

(क) परिसर के स्वामी द्वारा भाटक या प्रतिकर का संदाय;

(ख) पूर्वोक्त नाली से परिसर को जोड़ने के प्रयोजन के लिए परिसरों के लिए नाली का निर्माण

(ग) सहायकों और कर्मचारों के साथ सभी उचित समयों पर उस भूमि में प्रवेश जिसमें पूर्वोक्त नाली स्थित है;

(घ) पूर्वोक्त नाली को बनाए रखने, उसकी मरम्मत करने, उसे फ्लश करने, साफ करने तथा खाली करने के लिए पक्षकारों के तत्संबंधी उत्तरदायित्व।

180. इस अध्याय में जहां भी यह उपबन्धित है कि किसी परिसर से जल के प्रभावशील निकास के लिए कदम उठाए जाएंगे या उठाए जा सकते हैं वहां अध्यक्ष यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा कि गन्दगी और प्रदूषित जल के लिए एक नाली हो और वर्षा जल तथा अप्रदूषित अवमृदा जल के लिए सर्वथा पृथक्-पृथक् नाली हो या वर्षा जल और अप्रदूषित अवमृदा जल, दोनों के लिए एक पृथक् नाली हो और उनमें से प्रत्येक पृथक् नगरपालिका नालियों में या अन्य उपयुक्त स्थानों में गिरती हो।

181. अध्यक्ष किसी परिसर से जल के पर्याप्त निकास के प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा, कि—

(क) दो या अधिक भवनों के बीच का कोई प्रांगण, वीथि या रास्ता ऐसे भवनों के स्वामी या स्वामियों द्वारा ऐसी सामग्रियों से और ऐसी रीति से, जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाए, पटावा दिया जाए, और

(ख) ऐसे पटावा की उचित मरम्मत की जाती रहे।

* * * *

193. (1) * * * *

(6) कोई भी अनुज्ञप्त नलसाज, उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए, उस उपधारा के अधीन विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगेगा और न लेगा।

* * * *

209. (1) * * * *

(3) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, किसी पथ को नियमित लाइन के भीतर कोई भवन, या उसका कोई भाग या कोई सीमा दीवार या अन्य संरचना, चाहे वह कैसी भी क्यों न हो, निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं करेगा:

परन्तु यदि अध्यक्ष किसी व्यक्ति से सीमा दीवार या उसका भाग निर्मित या पुनः निर्मित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर धारा 212 के

स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा नाली का उपयोग।

जल नालियों और वर्षा जल नालियों का पृथक्-पृथक् होना।

संतोषप्रद जल निकास के लिए कतिपय संकर्मों का निष्पादन करने की स्वामी से अपेक्षा करने की अध्यक्ष की शक्ति।

कार्य का अनुज्ञप्त नलसाज द्वारा किया जाना।

पथों पर नियमित लाइन निर्धारित करना।

अनुसार पथ की नियमित लाइन के भीतर भूमि का अर्जन करने के लिए कार्रवाई करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई उप विधियों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन रहते हुए ऐसी सीमा दीवार या उसका भाग, निर्मित या पुनः निर्मित करने के कार्य में अग्रसर हो सकेगा।

(4) जब अध्यक्ष किसी पथ की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन या किसी सीमा दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा देता है तब वह भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वामी को और उसके हित उत्तराधिकारियों को इस बात के लिए आबद्ध करने वाला एक करार निष्पादित करे कि यदि तत्पश्चात् किसी समय अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा, उससे या उसके उत्तराधिकारियों में से किसी से ऐसी अनुज्ञा के अनुसरण में निष्पादित किए गए किसी संकर्म को हटाने की अपेक्षा करता है तो वह प्रतिकर का दावा नहीं करेगा और इस प्रकार हटाने में व्यतिक्रम होने की दशा में यदि हटाने का काम अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उसके व्यय का संदाय करेगा तथा अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामी से नई दिल्ली नगरपालिक निधि में उतनी राशि का निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगा जितनी उसके द्वारा अवधारित की जाए।

(5) अध्यक्ष—

(क) ऐसी विशिष्टियां जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वे सब सार्वजनिक पथ जिनके संबंध में पथ की नियमित लाइन निर्धारित या पुनः निर्धारित कर दी गई हैं, उससे संलग्न नक्शों के साथ दर्शाए जाएंगे और उस रजिस्टर में कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रहेंगी जो अध्यक्ष आवश्यक समझता है;

(ख) उपधारा (4) के अधीन निष्पादित सभी करारों और उसके अधीन किए गए सभी निक्षेपों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(6) ऐसे सभी रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर जो अध्यक्ष द्वारा परिषद् की मंजूरी से विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(7) उपधारा (4) के अनुसरण में किया गया कोई करार लिखित रूप में होगा, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह उस भूमि की बाबत जिससे वह संबंधित है, करार समझा जाएगा। ऐसे करार में अन्तर्विष्ट कोई शर्त उक्त भूमि के स्वामित्व से उपाबद्ध बाध्यता समझी जाएगी और वह ऐसी भूमि के स्वामी के हित के उत्तराधिकारियों पर प्रवर्तनीय होगी।

* * * * *

213. (1) * * * *

(2) ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग तत्पश्चात् धारा 214 के अधीन भवन को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

पथ की नियमित लाइन के भीतर के भवन और भूमि और उसके भागों का अर्जन करने के पश्चात् उसके शेष भाग का अर्जन।

भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाना।

214. अध्यक्ष सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन में सुधार करने के प्रयोजन के लिए किसी भवन को, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, आगे बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा और परिषद् के अनुमोदन से ऐसे भवन के पुनर्निर्माण या किसी नए निर्माण की दशा में, सूचना द्वारा, उसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा कर सकेगा।

* * * * *

पथों पर अधिक्रमण

221. (1) धारा 222 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी परिसर के सामने कोई ऐसी संरचना या फिक्सचर खड़ा नहीं करेगा, स्थापित नहीं करेगा, नहीं जोड़गा या नहीं लगाएगा जो—

* * * * *

222. (1) अध्यक्ष ऐसे निबंधनों और ऐसी फीस के संदाय पर जो वह प्रत्येक मामले में ठीक समझे, किसी पथ के साथ लगे हुए भवन के स्वामी या अधिभोगी को—

(i) ऐसे पथ या उसके किसी भाग के ऊपर आर्केड निर्मित करने के लिए;

लिए;

(ii) किसी पथ या उसके भाग के ऊपर या आर-पार बरामदा, छज्जा, मेहराव, जोड़ने वाला मार्ग, सायबान, मौसम, फ्रेम, बितान, त्रिपाल या अन्य ऐसी संरचना या चीज, जो किसी मंजिल से बाहर निकली हुई हो, बनाने के लिए,

लिखित अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष द्वारा कोई अनुज्ञा किसी ऐसे सार्वजनिक पथ पर, जिसमें किसी आर्केड के सन्निर्माण को परिषद् द्वारा साधारणतया मंजूरी नहीं दी गई है, कोई आकड़े निर्मित करने के लिए नहीं दी जाएगी ।

(2) अध्यक्ष किसी समय सूचना द्वारा किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से किसी विधि के उपबंधों के अनुसार कोई बरामदा, छज्जा, सायबान, मौसम फ्रेम या बनाई गई वैसी ही चीज हटाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अधिभोगी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए आबद्ध होगा किन्तु वह ऐसे हटाए जाने से कारित हानि के लिए और उस पर उपगत खर्च के लिए प्रतिकर का हकदार होगा ।

* * * * *

224. (1) * * * * *

(2) इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे निर्माण या चीज को लागू न होगी जिसे धारा 229 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता है ।

* * * * *

229. (1) अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी से भिन्न कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना —

(क) किसी पथ के भागरूप किसी मिट्टी या पटाव को या किसी दीवार, बाड़, खंबे, जंजीर या अन्य सामग्री या चीज को नहीं खोदेगा, नहीं तोड़ेगा, जगह से नहीं हटाएगा, नहीं ले जाएगा या उसमें कोई फरेफार नहीं करेगा या उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा; अथवा

(ख) किसी पथ में कोई भवन निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा ; अथवा

(ग) किसी पथ में किसी कार्य के प्रयोजन के लिए पाड़ या कोई अस्थायी निर्माण नहीं लगाएगा या गहरा बनाने या ईंटें, चूना, कूड़ा या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिए अहाते के रूप में कोई खंबे, रोक दण्ड, बोर्ड या अन्य चीजें नहीं लगाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा, अध्यक्ष के विवेकानुसार, उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गई है, कम से कम चौबीस घंटे की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अध्यक्ष उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट चीजों में से किसी को, जो किसी पथ में

पथों पर बाहर की और निकलती हुई संरचना, आदि का प्रतिषेध।

कतिपय मामलों में पथों पर बाहर की ओर निकली संरचनाओं का अनुज्ञात किया जाना।

ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का प्रतिषेध जिनसे पथ में बाधा होती है।

अनुज्ञा के बिना पथों का न खोदा जाना या न तोड़ा जाना और भवन निर्माण सामग्री का पथ पर जमा न किया जाना।

उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना जमा की गई या लगाई है या जो ऐसी अनुज्ञा से जमा की गई या लगाई गई है, उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई गई है, बिना किसी सूचना के हटवा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें अनुज्ञा के लिए आवेदन, ऐसी फीस के साथ जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, किया गया है किन्तु आवेदन की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को कोई उत्तर नहीं भेजा गया है ।

* * * *

लैंपों को हटाने,
आदि का प्रतिषेध।

234. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प या किसी लैम्प के किसी अनुलग्नक या लैंप पोस्ट या लैंप आयरन को ;

(ख) ऐसे लैंप को जलाने के लिए किसी बिजली के तार को ;

(ग) किसी बिजली के तार या लैंप के ले जाने, लटकाने या सहारा देने वाले किसी पोस्ट, खंभे, दंड, स्टे, स्ट्रट, ब्रेकिट या अन्य प्रयुक्ति को,

विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, न तो ले जाएगा, न जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, न गिराएगा और न नुकसान पहुंचाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प के प्रकाश को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक नहीं बुझाएगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षा से या घटनावश उपधारा (1) में वर्णित चीजों में से किसी को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है तो वह, ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जो उस पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, अपने द्वारा ऐसे किए गए नुकसान की मरम्मत का व्यय संदत करेगा ।

* * * *

मंजूरी के बिना
भवन निर्माण का
प्रतिषेध।

237. (1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से ही और इस अध्याय के और भवन निर्माण या संकर्मों के निष्पादन की बाबत इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही किसी भवन का निर्माण कराएगा या निर्माण करना प्रारंभ करेगा या धारा 239 में उल्लिखित संकर्मों में से किसी का निष्पादन करेगा ; अन्यथा नहीं ।

* * * *

भवन का निर्माण।

238. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो भवन का निर्माण करने का आशय रखता है अध्यक्ष को अपने आशय की लिखित सूचना ऐसे प्ररूप में देते हुए और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाए, मंजूरी के लिए आवेदन करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना के साथ ऐसे दस्तावेज और रेखांक होंगे जो इस प्रकार विहित किए जाएं ।

भवन में परिवर्तन
करने या मरम्मत
करने के लिए
आवेदन।

239. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित संकर्म में से कोई संकर्म निष्पादित करने का आशय रखता है, अध्यक्ष को अपने आशय की लिखित सूचना ऐसे प्ररूप में देते हुए और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाए, अध्यक्ष को मंजूरी के लिए एक आवेदन करेगा, अर्थात् :—

(क) भवन में कोई परिवर्धन ;

(ख) भवन में ऐसा कोई परिवर्तन या मरम्मत, जिसमें उसकी किसी बाहरी या विभाजक दीवार या किसी ऐसी दीवार को जिस पर भवन की छत सधी हुई है, कुर्सी की सतह से ऊपर ऐसी दीवार के आधे से अधिक भाग को हटाना या उसका पुनः निर्माण करना

अन्तर्वलित है, ऐसा आधा भाग वर्गमीटर में नापा जाएगा ;

(ग) किसी फ्रेम भवन में ऐसा परिवर्तन या मरम्मत जिसमें उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार में के आधे से अधिक स्तम्भों या खम्भों को हटाना या उनका पुनः निर्माण करना अन्तर्वलित है, या उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार की कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवार के आधे से अधिक तक हटाया या उसका पुनः निर्माण करना अन्तर्वलित है, ऐसा आधा भाग वर्गमीटर में नापा जाएगा ;

(घ) भवन में ऐसा कोई परिवर्तन जिससे—

(i) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपविभाजित किया जाए जिससे कि वह दो या अधिक पृथक् कमरों में परिवर्तित हो जाए ; अथवा

(ii) ऐसे भवन के किसी मार्ग या रिक्त स्थान को एक या अधिक कमरों में संपरिवर्तित किया जाए ;

(ङ) पथ के साथ लगे किसी भवन के किसी भाग की जो ऐसे पथ की नियमित लाइन के भीतर है, मरम्मत करना, उसे हटाना, निर्मित करना, पुनः निर्मित करना या उसमें कोई परिवर्धन या संचरणात्मक परिवर्तन करना ;

(च) बाहरी दीवार में किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद करना ;

(छ) मुख्य जीने को हटाना या उसका पुनः निर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ विहित दस्तावेज और रेखांक होंगे ।

240. (1) धारा 238 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए उस भवन को जिससे ऐसी सूचना संबंधित है, उपयोग में लाने का आशय है और धारा 239 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट करेगा कि वह प्रयोजन जिसके लिए भवन प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें प्रस्थापित संकर्म के निष्पादन द्वारा कोई परिवर्तन प्रस्थापित है या परिवर्तन होने की संभावना है ।

* * * * *

241. (1) यदि भवन के निर्माण से या किसी संकर्म के निष्पादन से इस धारा की उपधारा (2) के किन्हीं उपबंधों का या धारा 245 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है तो अध्यक्ष भवन के निर्माण की या ऐसे संकर्म के निष्पादन की मंजूरी देगा ।

* * * * *

(3) अध्यक्ष, सूचना देने वाले व्यक्ति को मंजूरी संसूचित करेगा और जहां वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर, या धारा 245 के अधीन, मंजूरी देने से इंकार करता है वहां वह ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष सूचना देने वाले व्यक्ति को ऐसे इंकार की संसूचना उसके कारणों सहित देगा ।

* * * * *

242. (1) जहां साठ दिन की अवधि के भीतर या धारा 238 या धारा 239 के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात् या कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई है, जो धारा 240 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त होने के पश्चात् धारा 236 के खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में तीस दिन के भीतर अध्यक्ष भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी देने से इंकार नहीं करता है अथवा इंकार करने के पश्चात् ऐसा इंकार उस व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है जिसने सूचना दी थी तो यह समझा जाएगा कि अध्यक्ष ने भवन निर्माण या संकर्म के लिए मंजूरी दे दी है और तब वह व्यक्ति जिसने सूचना दी है, सूचना में अभिव्यक्त अपने आशय और सूचना से संलग्न दस्तावेजों और रेखांकों के अनुसार भवन निर्माण या संकर्म को प्रारंभ करने और उसके संबंध में

विधिमार्ग सूचना की शर्तें।

भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी या उसे मंजूरी देने से इंकार।

भवन या संकर्म के संबंध में कब आगे कार्यवाही की जा सकती है।

आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा :

* * * * *

(3) यदि कोई व्यक्ति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उस तारीख से, जिसको भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी दी गई है या मंजूरी दी गई समझी गई है, एक वर्ष के भीतर भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ नहीं करता तो वह, यथास्थिति, धारा 238 के अधीन या धारा 239 के अधीन भवन निर्माण या संकर्म की नई मंजूरी के लिए सूचना देगा और इस धारा के उपबंध ऐसी सूचना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल सूचना के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति, अध्यक्ष को भवन का निर्माण करने या संकर्म के निष्पादन करने के प्रारंभ की प्रस्थापित तारीख की सूचना देगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अधिसूचित तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नहीं दी गई है और इस निमित्त नई सूचना आवश्यक होगी ।

दुर्यपदेशन के
अधीन दी गई
मंजूरी।

243. यदि कोई भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी के पश्चात्, किसी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मंजूरी धारा 238, धारा 239 और धारा 240 के अधीन दी गई सूचना या जानकारी में अन्तर्विष्ट किसी सारवान् दुर्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन के परिणामस्वरूप दी गई थी तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मंजूरी को रद्द कर सकेगा और प्रारम्भ किया गया, निर्माण किया गया भवन या निष्पादित किया गया संकर्म, मंजूरी के बिना प्रारम्भ किया गया, निर्माण किया गया या निष्पादित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष ऐसा आदेश करने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर प्रदान करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाए ।

पथ के कोनों पर
भवन।

244. अध्यक्ष पथों के कोनों पर निर्माण किए जाने के लिए आशयित किसी भवन को गोलाकार किए जाने की या टेढ़ा बनाए जाने की या ऐसी ऊंचाई और ऐसे विस्तार तक बनाए जाने की, जो वह अवधारित करे, अपेक्षा कर सकेगा तथा कोने पर के स्थल के उतने भाग का अर्जन कर सकेगा जितना वह सार्वजनिक सुविधा या सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझे ।

नए पथों के दोनों
ओर के भवन
निर्माण और
संकर्मों के संबंध में
उपबंध।

245. (1) अध्यक्ष किसी नए पथ के दोनों ओर किसी भवन का निर्माण किए जाने से तब तक इंकार कर सकता है जब तक कि ऐसा नया पथ समतल नहीं कर दिया जाता और जब तक वह, जहां भी अध्यक्ष की राय में ऐसा व्यवहार्य हो, उसके समाधानप्रद रूप में उसे पक्का नहीं कर दिया जाता या पाट नहीं दिया जाता, उसमें नालियां नहीं बना दी जातीं, वह प्रकाशमय नहीं कर दिया जाता और उसमें जल मुख्य प्रणाल नहीं डाल दिया जाता ।

(2) अध्यक्ष किसी ऐसे भवन का निर्माण किए जाने या किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन से इंकार कर सकता है, यदि किसी ऐसे पथ की जिसकी दिशा अध्यक्ष द्वारा अधिकथित की गई है किन्तु जो पथ वस्तुतः निर्मित नहीं हुआ है, यदि यह नियमित लाइन के भीतर आता है या यदि ऐसा भवन या उसका कोई भाग या ऐसा संकर्म इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गई किसी भवन निर्माण स्कीम या किसी अन्य स्कीम या योजना के उल्लंघन में है ।

* * * * *

संकर्म का
परिवर्तन करने की
अपेक्षा करने की
अध्यक्ष की
शक्ति।

249. (1) अध्यक्ष किसी भवन के निर्माण या किसी संकर्म के निष्पादन के दौरान किसी समय या उसके पूरा हो जाने के पश्चात् किसी समय सात दिन से अन्यून की लिखित सूचना द्वारा उस बात को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में ऐसा निर्माण या निष्पादन धारा 241

में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना किया गया है या प्रतिकूल है या मंजूरी की ऐसी किसी शर्त के या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में है और उस व्यक्ति से जिसने धारा 238 या धारा 239 के अधीन सूचना दी थी या ऐसे भवन का संकर्म के स्वामी से या तो—

* * * * *

254. (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए निम्नलिखित आदेशों या जारी की गई निम्नलिखित सूचनाओं में से किसी द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या सूचना के विरुद्ध अपील अधिकरण को कर सकेगा, अर्थात् :—

इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए कतिपय आदेशों या सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें।

* * * * *

(झ) धारा 244 के अधीन परिनिर्मित किए जाने के लिए आशयित किसी भवन के गोलाकार किए जाने या टेढ़ा बनाए जाने या उसकी ऊंचाई कम की जाने की अपेक्षा करने वाला या किसी स्थल के किसी भाग का अर्जन करने के लिए आदेश ;

(ज) धारा 245 के अधीन किसी भवन का निर्माण किए जाने से या किसी संकर्म के निष्पादन से इंकार करने वाला आदेश ;

* * * * *

265. (1) * * * *

(3) नई दिल्ली के ऐसे भाग में, और किन्हीं ऐसे परिसरों में, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, जिनमें नगरपालिक नाली से जुड़े हुए शौचालय या मूत्रालय हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से नियोजित नहीं हैं, अध्यक्ष की लिखित सूचना के सिवाय, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह सफाई कर्मचारियों के कर्तव्यों में से किसी का निर्वहन करे ।

गन्दगी और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण और हटाया जाना।

* * * * *

267. (1) * * * *

(3) कोई भी व्यक्ति, निम्नलिखित को जमा करने और हटाने के लिए इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन इस संबंध में सम्यक् व्यवस्था कर दिए जाने के पश्चात् —

कूड़ा, आदि एकत्रित करने का प्रतिषेध।

(क) किसी पथ में या किसी पथ के किनारे किसी भवन के बरामदे या किसी अधिभोग रहित खाली भूमि पर या किसी जलसरणी के किनारे पर कोई कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा ; अथवा

(ख) किसी ऐसे डस्टबिन या किसी यान में कोई गन्दगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा जो उनको हटाने के लिए आशयित नहीं है ; अथवा

(ग) कूड़े और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को हटाने के लिए आशयित किसी यान या पात्र में कूड़ा जमा नहीं करेगा ।

* * * * *

शौचालय और मूत्रालय

271. (1) अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा से ही और उन निबंधनों के अनुसार ही जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के ऐसे निबंधनों से असंगत नहीं है जो अध्यक्ष विहित करे, किसी परिसर के लिए कोई शौचालय या मूत्रालय निर्मित करना विधिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं ।

शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण।

(2) ऐसे निबंधन विहित करने में अध्यक्ष ऐसे मामले में यह अवधारित कर सकेगा कि—

(क) परिसरों से गन्दगी हटाने के लिए कमाने की प्रणाली या फलश की प्रणाली अपनाई जाएगी या भागतः कमाने की प्रणाली और भागतः फलश की प्रणाली अपनाई

जाएगी ; और

(ख) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी ।

(3) यदि किसी परिसर पर पूर्वगामी उपबंधों के उल्लंघन में किसी शौचालय या मूत्रालय का निर्माण किया जाता है या अध्यक्ष, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कम से कम दस दिन की सूचना देकर, ऐसे शौचालय या मूत्रालय में फेरफार करा सकेगा या उसका पुनः निर्माण करा सकेगा, उसे बन्द कर सकेगा या उसे तोड़ सकेगा तथा ऐसा करने में अध्यक्ष द्वारा उपगत व्यय स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

नए भवनों में
शौचालय और
मूत्रालय, आदि।

272. (1) किसी भवन का निर्माण या ऐसे भवन के संबंध में किसी संकर्म का निष्पादन तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रत्येक मंजिल पर ऐसी शौचालय-सुविधा और मूत्रालय-सुविधा की तथा स्नान के लिए या कपड़े और बर्तन धोने के लिए ऐसी सुविधा को, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए, व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।

(2) किसी ऐसी सुविधा को विहित करने में अध्यक्ष प्रत्येक मामले में यह अवधारित कर सकेगा कि :—

(क) ऐसे भवन के लिए केवल फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी ;

(ख) प्रत्येक शौचालय, मूत्रालय, स्नान या शौचालय के स्थान का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी और प्रत्येक मंजिल पर उनकी संख्या और उनका सही आंतरिक आकार कैसा होगा ।

(3) फ्लैट प्रणाली से पृथक् वास गृहों वाला निवास स्थान बनाना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक ऐसे स्थान की पहली मंजिल में या उसी परिसर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर सेवकों के लिए कम से कम एक शौचालय और एक स्नान या धुलाई के स्थान की व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।

(4) इस धारा में “भवन का निर्माण करना” पद का वही अर्थ है जो धारा 236 में है ।

* * * * *

प्राइवेट शौचालयों
के बारे में अन्य
उपबंध।

275. अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, —

(क) किसी प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के स्वामी से या अन्य व्यक्ति से, जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसका सार्वजनिक उपयोग न होने दे ; अथवा

(ख) ऐसे प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के, जो अध्यक्ष की राय में न्यूसेंस हैं, स्वामी से या ऐसे व्यक्ति से जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस शौचालय या मूत्रालय को हटा दिया जाए, अथवा

(ग) किसी भूमि या भवन पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से, चाहे वह उसका स्वामी हो या पट्टेदार हो या अधिभोगी हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(i) उस भूमि या भवन के लिए व्यवस्था किए गए किसी शौचालय में पर्याप्त छत, दीवार या बाड़ लगाकर ऐसी आड़ कर दे कि वहां से गुजरने वाले या आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को वे नजर न आए, अथवा

(ii) उस भूमि या भवन के किसी शौचालय या मूत्रालय को ऐसी रीति से जो अध्यक्ष सूचना में विहित करे, साफ रखे ; अथवा

(घ) जहां मानव-निवास के लिए आशयित या प्रयुक्त किसी परिसर में शौचालय या मूत्रालय सुविधा नहीं है या उसमें शौचालय या मूत्रालय सुविधा अपर्याप्त है, वहां ऐसे परिसरों के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी या ऐसी अतिरिक्त शौचालय या मूत्रालय सुविधा की व्यवस्था करे जो अध्यक्ष विहित

करे और यदि आवश्यक हो तो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार ऐसे परिसर के किसी भाग को खाली करवाकर और तुड़वाकर ऐसी व्यवस्था करे।

अति भिड़े भवनों और मानव-निवास के अयोग्य भवनों का हटाया जाना

276. (1) जहां अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि भवनों का कोई ब्लाक उन भवनों के एक दूसरे से अत्यन्त भिड़े होने के कारण या पथों के तंग होने या अति निकट होने या उस त्रुटिपूर्ण योजना के कारण या पर्याप्त जलनिस्सारण और संवातन के अभाव के कारण या भवन की सफाई करने की अव्यवहारिकता के कारण या अन्य वैसे ही कारणों से अस्वास्थ्यकर दशा में है वहां वह उस ब्लाक का निरीक्षण अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से कराएगा जो ब्लाक की स्वच्छता संबंधी दशा के बारे में उसे लिखित रूप में रिपोर्ट देगा।

(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष यह समझता है कि ब्लाक की स्वच्छता संबंधी दशा में भवनों के या आस-पास के निवासियों को रोग की जोखिम होने की या अन्यथा लोक स्वास्थ्य को खतरा होने की संभाव्यता है तो वह परिषद् के पूर्व अनुमोदन से उन भवनों को चुनेगा जो उसकी राय में ब्लाक की अस्वास्थ्यकर दशा को दूर करने के उद्देश्य से पूर्णतः या भागतः हटा दिए जाने चाहिए और वह तदुपरि ऐसे भवनों के स्वामियों से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भवनों को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु सूचना जारी करने से पूर्व स्वामियों को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर दिया जाएगा कि भवन क्यों न हटाए जाएं :

परन्तु यह और कि इस प्रकार हटाए गए किन्हीं ऐसे भवनों के स्वामियों का जो उचित प्राधिकार के अधीन बनाए गए हों, परिषद् प्रतिकर देगा।

(3) यदि किसी भवन के स्वामी को भवन हटाने की अपेक्षा करते हुए उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् उस भवन को हटा सकेगा या हटवा सकेगा जिसे हटाने की अपेक्षा सूचना में की गई है और उसे हटाने का व्यय भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

* * * * *

279. (1) जहां अध्यक्ष का, ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि कोई भवन मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त है और युक्तियुक्त व्यय करने पर ठीक किए जाने के योग्य नहीं है वहां वह उस भवन के स्वामी पर और उस भवन में, चाहे पट्टेदार के रूप में या बन्धकदार अथवा किसी अन्य रूप में कोई हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, सूचना की तामील करेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि भवन को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए।

(2) यदि उन व्यक्तियों में से कोई, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, उस सूचना के अनुसरण में अध्यक्ष के समक्ष सूचना की तामील की गई है, उस सूचना के अनुसरण में अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होता है और उसे वचन देता है कि वह अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस भवन के सम्बन्ध में ऐसे सुधार के संकर्म निष्पादित करेगा जिनसे अध्यक्ष की राय में भवन मानव-निवास के योग्य हो जाएगा अथवा यह वचन देता है कि भवन को मानव-निवास के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक अध्यक्ष का यह समाधान नहीं हो जाता कि वह उस प्रयोजन के योग्य बना दिया गया है और अध्यक्ष ऐसे वचन को रद्द नहीं कर देता तब तक अध्यक्ष भवन को तोड़ने का आदेश नहीं देगा।

(3) यदि ऐसा कोई वचन, जो उपधारा (2) में उल्लिखित है, नहीं दिया जाता या किसी ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई वचन दिया गया है, सुधार का कोई संकर्म, जिसकी बाबत वचन दिया

अति भिड़े भवनों का हटाया जाना।

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने का आदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति।

गया है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता या वचन के निबन्धनों का उल्लंघन करते हुए भवन का किसी समय प्रयोग किया जाता है तो अध्यक्ष तुरन्त भवन को तोड़ने का आदेश देगा और उस आदेश में यह अपेक्षा की जाएगी कि भवन को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो आदेश की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी, खाली कर दिया जाए और भवन को उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर तोड़ दिया जाएगा ।

(4) जहां भवन को तोड़ने का आदेश इस धारा के अधीन किया जाए वहां भवन का स्वामी या उसमें हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को तोड़ देगा और यदि भवन उस समय के भीतर तोड़ा नहीं जाता है तो अध्यक्ष उस भवन को तोड़ देगा या तुड़वाएगा और उसकी सामग्री का विक्रय कर देगा ।

(5) यदि अध्यक्ष द्वारा उपधारा (4) के अधीन उपगत कोई व्यय भवन की सामग्री के विक्रय के आगमों से पूरा नहीं होता है तो वह भवन के स्वामी से या भवन में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

* * * * *

(8) धारा 276, धारा 277, धारा 278 और इस धारा के उपबंध किसी क्षेत्र में, जिसे गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 के अधीन गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, किसी भवन के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

1956 का 96

अस्वच्छ झोपड़ियां
और शैड।

280. जहां अध्यक्ष का, किसी ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि निवास-गृह या अस्तबल या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी झोपड़ी या शैड की बाबत यह संभाव्यता है कि बिना कुर्सी के होने के कारण या अपर्याप्त ऊंचाई की कुर्सी पर निर्मित होने के कारण या जल निकास के उचित साधनों के बिना या उसकी झाड़बुहार या सफाई की अव्यवहारिकता के कारण या जिस रीति से वह या अन्य झोपड़ियां या शैड अतिभिड़े हुए थे उसके कारण उनके निवासियों या आस-पास के निवासियों को रोग का जोखिम हो सकता है या उससे, किसी कारण से लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की संभाव्यता है तो अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा ऐसी झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी से या उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी से, जिस पर झोपड़ी या शैड स्थित है, उतने समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, झोपड़ी या शैड को हटाने या उनमें परिवर्तन करने या ऐसे सुधार करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझता है ।

धोबियों द्वारा की जाने वाली धुलाई का विनियमन

धोबियों द्वारा की
जाने वाली धुलाई
का प्रतिषेध।

281. (1) अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, यह प्रतिषेध कर सकेगा कि धोबी अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़ों की धुलाई ऐसे स्थानों पर ही करेगा जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, अन्यथा नहीं ।

(2) जब कोई ऐसा प्रतिषेध कर दिया जाए तब कोई व्यक्ति, जिसकी आजीविका धोबी की है, ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन के सिवाय अपने लिए या वैयक्तिक और कुटुम्ब की सेवा के लिए या अवक्रय के लिए अथवा अवक्रेता के परिसर के भीतर ही, उपधारा (1) के अधीन नियत किए गए स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कपड़े नहीं धोएगा ।

* * * * *

भवनों और
वस्तुओं का
विसंक्रामण।

284. जहां अध्यक्ष की यह राय है कि किसी भवन या भवन के किसी भाग की अथवा ऐसे भवन या उसके भाग में की किन्हीं वस्तुओं की, जिनके संक्रामित होने की संभावना है, सफाई और विसंक्रामण करने से या ऐसे किसी भवन या भवन के किसी भाग के फर्श का नवीकरण करने से और उसकी दीवारों के प्लास्टर के नवीकरण से किसी संचारी रोग का फैलना निवारित होगा, या रुक जाएगा तो वह ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से, लिखित सूचना द्वारा, उक्त भवन,

उसके भाग या उसकी वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण की अथवा उक्त फर्श के नवीकरण की और यदि आवश्यक है तो उसके प्लास्टर का नवीकरण, उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने की भी अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु जहां अध्यक्ष की राय में ऐसा स्वामी या अधिभोगी गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से किसी अध्यपेक्षा को प्रभावी रूप से पूरा करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष, यथास्थिति, भवन, उसके भाग या वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण अथवा फर्श का, और आवश्यक हो तो प्लास्टर का भी, नवीकरण नई दिल्ली नगरपालिक निधि के व्यय पर कर सकेगा ।

285. (1) जहां किसी झोपड़ी या शैड की बाबत अध्यक्ष की यह राय है कि किसी संचारी रोग के फैलने का निवारण करने के लिए उसका नष्ट किया जाना आवश्यक है, वहां वह, लिखित सूचना द्वारा, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस झोपड़ी या शैड की और उसकी सामग्रियों को उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, नष्ट कर दिया जाए ।

(2) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी संचारी रोग को फैलने से निवारण करने के प्रयोजन के लिए किसी झोपड़ी या शैड को नष्ट करना तत्काल आवश्यक है तो वह झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी को उसे तत्काल नष्ट करने का आदेश दे सकेगा या स्वामी या अधिभोगी को छह घंटे से अन्योंन की सूचना देने के पश्चात् उसे स्वयं नष्ट करा सकेगा ।

(3) अध्यक्ष किसी ऐसे मामले में, जिसमें यह ठीक समझता है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसी झोपड़ी या शैड के नष्ट किए जाने से सारवान् हानि उठानी पड़ी है, प्रतिकर संदत्त कर सकता है, किन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के किसी प्रयोग के कारण हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा अध्यक्ष की अनुज्ञा से ही होगा, अन्यथा नहीं ।

* * * * *

288. (1) कोई व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या अन्य वस्तु को, जिसकी बाबत वह जानता है कि उसके संचारी रोग से संक्रमित होने की आशंका है, धोए जाने के प्रयोजन के लिए किसी धोबी को या किसी लांड्री को या ऐसे स्थान को, जो धोबियों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग रखा गया है, अथवा किसी अन्य स्थान को उसे साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए, तब तक नहीं भेजेगा या नहीं ले जाएगा जब तक वह कपड़ा या वस्तु इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके समाधानप्रद रूप से विसंक्रामित नहीं कर दी जाती ।

(2) उस भवन का अधिभोगी, जिसमें कोई व्यक्ति संचारी रोग से पीड़ित है, यदि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, उसे ऐसे किसी धोबी का या ऐसी किसी लांड्री या अन्य स्थान का पता देगा जिसे या जहां उस भवन से कपड़े और अन्य वस्तुएं उस रोग के जारी रहने के दौरान धोए जाने या साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे ।

289. (1) जो कोई, —

(क) उस समय जब वह संचारी रोग से पीड़ित है ; लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

(ख) उस व्यक्ति को ले जाने के लिए जो किसी संचारी रोग से पीड़ित है, लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

(ग) उस व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए, जिसकी मृत्यु किसी ऐसे रोग से हुई है, किसी लोक प्रवहण का प्रयोग करता है,

वह उन अन्य व्यक्तियों को जो उस प्रवहण का प्रयोग कर रहे हैं या तत्पश्चात् कर सकते हैं, ऐसे रोग के संचार के प्रति उचित पूर्ववधानियां बरतने के लिए तथा उस प्रवहण के स्वामी, चालक या

संक्रामक झोपड़ी या शैड का नष्ट किया जाना।

संक्रमित कपड़े का धोबी या लांड्री को न भेजा जाना।

लोक प्रवहण का संदूषण और विसंक्रामण।

भारसाधक व्यक्ति को ऐसे प्रयोग को अधिसूचित करने के लिए, बाध्य होगा तथा उस प्रवहण का संख्यांक और इस प्रकार अधिसूचित किए गए व्यक्ति का नाम अध्यक्ष को अविलम्ब रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य होगा।

(2) जहां किसी संचारी रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को, या ऐसे किसी व्यक्ति के शव को, जिसकी मृत्यु संचारी रोग से हुई है, ऐसे किसी लोक प्रवहण में पहले ले जाया गया है जो मामूली तौर पर नई दिल्ली या उसके किसी भाग में चलता है, वहां उसका चालक उस तथ्य की रिपोर्ट अध्यक्ष को तत्काल देगा और वह उस प्रवहण का विसंक्रामण तत्काल कराएगा यदि वह पहले ही विसंक्रामित नहीं कर दिया गया है।

(3) ऐसा कोई भी प्रवहण तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने इस कथन वाला प्रमाणपत्र नहीं दे दिया है कि वह संक्रामण के जोखिम के बिना उपयोग में लाया जा सकता है।

(4) जो कोई भी अध्यक्ष को इस धारा के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट करने में असफल रहेगा वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

* * * * *

भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण।

291. (1) जहां कोई ऐसा भवन या भवन का कोई भाग भाड़े पर दिया जाना है जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पूर्ववर्ती छह सप्ताह के भीतर संचारी रोग से पीड़ित रहा है वहां उस भवन या उसके भाग को भाड़े पर देने वाला व्यक्ति उसे भाड़े पर देने से पूर्व उसमें की ऐसी सभी चीजों सहित जिनमें संक्रमण बने रहने की सम्भाव्यता है, उसका विसंक्रामण ऐसी रीति से करेगा जो अध्यक्ष साधारण या विशेष सूचना द्वारा निदिष्ट करे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी होस्टल, निवासगृह, धर्मशाला, सराय, बोर्डिंग हाउस, अतिथि गृह, होटल या क्लब को चलाने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस किसी को वहां अतिथि के रूप में रखा जाता है वह उसे उस भवन का वह भाग भाटक पर देता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को निवास करने की अनुज्ञा दी जाती है।

* * * * *

संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन, आदि बनाने या विक्रय करने या कपड़े धोने का प्रतिषेध।

293. कोई व्यक्ति तब जब वह किसी संचारी रोग से पीड़ित है या ऐसी परिस्थितियों में जिनमें यह संभाव्यता है कि वह ऐसा रोग फैला देगा—

(क) मानव उपयोग के लिए कोई खाद्य या पेय पदार्थ या कोई औषध या औषध या वैयक्तिक प्रयोग या पहनने के लिए कपड़े या बिछौने की कोई वस्तु नहीं बनाएगा, नहीं ले जाएगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा, या बनाने, ले जाने या विक्रय के लिए प्रस्थापित करने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा; अथवा

(ख) कपड़ों को धोने या ले जाने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा।

* * * * *

संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों का कर्तव्य।

296. कोई व्यक्ति—

(क) यह जानते हुए कि वह किसी संचारी रोग से पीड़ित है किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में अपनी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रामण की जोखिम में नहीं डालेगा;

(ख) उस व्यक्ति की देख-रेख करते हुए, जिसके बारे में वह जानता है कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को यथापूर्वोक्त किसी पथ या स्थान में उसकी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में न डलवाएगा और न डालने देगा;

(ग) ऐसे किसी पदार्थ को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा

है कि उसमें संचारी रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रमण नहीं हुआ है, डस्टबिन में या कूड़ा जमा करने के अन्य पात्र में न रखेगा और न रखने देगा ;

(घ) ऐसे किसी पदार्थ को जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा है कि उसमें संचारी रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रमण नहीं हुआ है, किसी शौचालय या मूत्रालय में नहीं फेंकेगा और न फेंकने देगा ।

* * * * *

आवश्यक सेवाओं के बारे में विशेष शर्तें

298. (1) कोई भी व्यक्ति, जो परिषद् द्वारा नियोजित सफाईवाला है, उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाली किसी संविदा के अभाव में और युक्तियुक्त कारण के बिना, अध्यक्ष को एक मास की सूचना दिए बिना, अपने नियोजन का त्याग नहीं करेगा या अपने कर्तव्य से स्वयं को अनुपस्थित नहीं करेगा या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करेगा या युक्तियुक्त कारण के बिना उनके पालन से इंकार नहीं करेगा ।

(2) परिषद् संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसी तारीख को या से, जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, इस धारा के उपबन्ध परिषद् द्वारा नियोजित किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनके कृत्यों का लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है ।

299. कोई भी सफाईवाला जो किसी भवन की घरेलू झाड़बुहार करने के लिए नियोजित है, ऐसी घरेलू झाड़बुहार करना युक्तियुक्त कारण के बिना या अपने नियोजक को चौदह दिन की सूचना दिए बिना बन्द नहीं करेगा ।

* * * * *

मृत जीव-जन्तुओं का व्ययन

304. जब कभी किसी व्यक्ति के प्रभाराधीन कोई जीव-जन्तु मर जाए तब उसका भारसाधक व्यक्ति चौबीस घंटे के भीतर या तो—

(क) उसे मृत जीव-जन्तुओं के शवों का अंतिम व्ययन करने के लिए धारा 263 के अधीन व्यवस्थित या नियत स्थान को ले जाएगा, अथवा

(ख) उसकी मृत्यु की सूचना अध्यक्ष को देगा जो तदुपरि जीव-जन्तु के शव का व्ययन ऐसी फीस पर जो परिषद् द्वारा विहित की जाए, कराएगा ।

* * * * *

307. (1) नई दिल्ली में जन्मे प्रत्येक बालक के पिता या माता का और पिता या माता के अभाव में बालक के, उसी परिसर में रहने वाले किसी नातेदार का, और ऐसे नातेदार के अभाव में उस बालक के भारसाधक व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे जन्म के पश्चात् आठ दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार की अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) नई दिल्ली में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित या उसकी अन्तिम बीमारी के दौरान परिचर्या करने वाले उसके निकटतम नातेदार का और ऐसे नातेदार के अभाव में मृत्यु के समय उपस्थित या परिचर्या करने वाले किसी व्यक्ति का और उस परिसर के अधिभोगी का जिसे वहां ऐसी मृत्यु होने की जानकारी है, और ऐसे व्यक्ति या अधिभोगी के अभाव में ऐसे परिसर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का और अन्त्येष्टि प्रबन्धक या मृतक के शव का क्रियाकर्म कराने वाले अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह, जिस क्षेत्र के भीतर मृत्यु हुई है उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार की, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) यदि कोई जन्म या मृत्यु अस्पताल में होती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा

नगरपालिक सेवा में नियोजित सफाईवालों और कतिपय अन्य वर्ग के व्यक्तियों की सेवा की शर्तें।

घरेलू झाड़बुहार करने के लिए नियोजित सफाईवालों की सेवा की शर्तें।

मृत जीव-जन्तुओं का व्ययन।

जन्म और मृत्यु की जानकारी।

(2) में वर्णित व्यक्तियों में से कोई उस उपधारा द्वारा अपेक्षित जानकारी देने के लिए आबद्ध नहीं होगा किन्तु अस्पताल के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी विशिष्टियों से युक्त सूचना, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जन्म या मृत्यु के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर भेजे।

* * * * *

अग्नि, आदि का निवारण

ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना या उनका संग्रह करना।

311. अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, किसी स्थान में जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लकड़ी, सूखी घास, फूस या अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने और उनका संग्रह करने या चटाइयां या फूस की झोंपड़ियां रखने या आग जलाने का ऐसी दशा में प्रतिषेध कर सकेगा जिसमें जीवन या सम्पत्ति को खतरा होने का निवारण करने के लिए ऐसा प्रतिषेध उसे आवश्यक प्रतीत होता है।

खुली बतियों की देखभाल।

312. कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान में के किसी भवन में या उसके निकट कोई खुली बत्ती ऐसी रीति से नहीं रखेगा कि आग लगने का खतरा पैदा हो जाए :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उत्सव या सार्वजनिक या प्राइवेट मनोरंजन के अवसर पर रोशनी करने के प्रयोजनों के लिए बतियों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करती है।

आतिशबाजी, अग्न्यायुध, आदि का छोड़ा जाना।

313. कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से कोई अग्न्यायुध या आतिशबाजी या हवाई कण्डील नहीं छोड़ेगा या ऐसी रीति से कोई खेल नहीं खेलेगा कि आस-पास से गुजरने वाले या वहां निवास करने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को खतरा या सम्पत्ति को क्षति होने की जोखिम हो या ऐसी सम्भाव्यता हो।

* * * * *

अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बाजार खुला रखने का प्रतिषेध।

320. (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी बाजार को, जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, अथवा तब जब उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित है या रद्द कर दी गई है, सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं रखेगा।

(2) यदि प्राइवेट बाजार खोलने की अनुज्ञप्ति मंजूर या अस्वीकृत या निलम्बित या रद्द कर दी जाती है तो अध्यक्ष ऐसी मंजूरी, अस्वीकृति, निलंबन या रद्दकरण की सूचना ऐसी एक या अधिक भाषाओं में जो वह आवश्यक समझे, उस स्थान के, जिससे सूचना संबंधित है, प्रवेश के स्थान पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा।

अनुज्ञप्त बाजारों के उपयोग का प्रतिषेध।

321. कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए कि ऐसा कोई बाजार, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, जनता के लिए खोला गया है अथवा उसके लिए दी गई अनुज्ञप्ति तत्समय निलम्बित या रद्द कर दी गई है, ऐसे बाजार में कोई जीव-जन्तु या वस्तु विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा।

बाजार के निकट कारबार और व्यापार का प्रतिषेध।

322. (1) किसी नगरपालिका बाजार या अनुज्ञप्त प्राइवेट बाजार से सौ मीटर की दूरी के भीतर कोई जीव-जन्तु या वस्तु अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं की जाएगी या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए अभिदर्शित कोई जीव-जन्तु या वस्तु, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन संक्षेपतः हटाई जा सकती है।

* * * * *

324. अध्यक्ष किसी खतरनाक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को जो उस बाजार में किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करता है या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करता है अथवा जो वहां विक्रय के लिए अभिदर्शित किसी वस्तु का उसे क्रय किए बिना लेन-देन करता है, वहां प्रवेश करने से रोक सकेगा, तथा उपद्रव करने वाले किसी व्यक्ति को वहां से निष्कासित कर सकेगा।

* * * * *

346. कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या सशक्त किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ परिषद् ने विधिपूर्वक संविदा की है, उसके कर्तव्य के या किसी बात के निष्पादन में, जिसे करने के लिए, यथास्थिति, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के उपबंधों में से किसी के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप अथवा अपनी संविदा को पूरा करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त या अपेक्षित है, बाधा नहीं डालेगा या दिक नहीं करेगा।

* * * * *

विवाद की दशा में व्ययों या प्रतिकर की वसूली

361. (1) जब अध्यक्ष धारा 355 में निर्दिष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय की मांग करता है, तब यदि उसकी मांग करने के उसके अधिकार या मांग की रकम की बाबत, ऐसी मांग की तारीख के पश्चात् दस दिन के भीतर विवाद किया जाता है, तो अध्यक्ष, मामले को, —

(क) यदि ऐसी मांग धारा 221, धारा 229, धारा 247, धारा 248 और धारा 249 के अधीन किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का पालन न किए जाने की दशा में किए जाने या निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी कार्य या संकर्म के पूरा किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही या उपाय करने में उपगत व्ययों से संबंधित है, तो अपील अधिकरण को ;

* * * * *

कतिपय शोध्य रकमों की वसूली

363. ऐसे किसी मामले में, जिसके लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित नहीं है, ऐसी कोई राशि, जो इस अधिनियम या किसी ऐसी उपविधि के अधीन किन्हीं प्रभारों, खर्चों, व्ययों, फीसों, रेटों या भाटक मद्धे या किसी अन्य मद्धे परिषद् को शोध्य है, उस व्यक्ति से, जिससे ऐसी राशि शोध्य है, इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय हो सकती है :

* * * * *

अधिभोगी द्वारा स्वामी को बाधा डालना

364. (1) यदि किसी भूमि या भवन के स्वामी को—

(क) धारा 221, धारा 229, धारा 247, धारा 248, धारा 249 या धारा 252 या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबंधों का या ऐसे किसी उपबंध के अधीन जारी की गई किसी सूचना या आदेश का अनुपालन करने से उसके अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है तो वह अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ; और

* * * * *

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से आठ दिन के पश्चात्, अधिभोगी प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, स्वामी को देगा और यदि वह ऐसा करने से निरन्तर इंकार करता है तो स्वामी ऐसा इंकार किए जाते रहने के दौरान ऐसे

उपद्रवियों, आदि को बाजार से निष्कासित कर देने की शक्ति।

संकर्म के निष्पादन में बाधा डालने या दिक करने का प्रतिषेध।

कतिपय मामलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय को निर्देश।

कतिपय शोध्य रकमों की वसूली का ढंग।

अधिभोगी द्वारा बाधा डाले जाने की दशा में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने का स्वामी का अधिकार।

दायित्व से उन्मोचित रहेगा जो उक्त उपबन्ध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में उसकी असफलता के कारण अन्यथा उपगत हुआ है।

* * * * *

अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों
के लिए दंड।

369. (1) जो कोई—

(क) दसवीं अनुसूची की सारणी के प्रथम स्तम्भ में वर्णित इस अधिनियम की धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों में से किसी उपबन्ध का या उसके अन्य उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) उक्त धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों या अन्य उपबंधों में से किसी के अधीन उसे विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश या निदेश का या उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा,

वह—

(i) जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि उतनी हो सकेगी जो उक्त सारणी के तृतीय स्तम्भ में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए या दोनों से ; और

(ii) जहां कि उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, उस सारणी के चतुर्थ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट रकम तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई, ऐसे पथ के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ है, धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के बारे में जो जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के साथ की गई किसी संविदा में या परिषद् के लिए किए गए किसी कार्य में कोई शेयर या हित अर्जित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 168 के अधीन दण्डनीय बनाया गया अपराध किया है।

साधारण शास्ति।

370. जो कोई किसी ऐसे मामले में, जिसमें इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टतः उपबन्धित नहीं की गई है, इसके किसी उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अन्यथा उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

कतिपय अपराधों
का संज्ञेय होना।

372. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—

(क) धारा 217 की उपधारा (5) या धारा 237 या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के अधीन

किसी अपराध को ;

(ख) किसी ऐसे पथ के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ है, धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अधीन अपराध को उसी प्रकार लागू होगी, मानो वह—

(i) ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) (1) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न सभी मामलों के प्रयोजनों के लिए ; और

(2) परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिहास पर न कि अन्यथा, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न सभी मामलों के प्रयोजनों के लिए,

संज्ञेय अपराध है :

परन्तु किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन का कोई अपराध, जिसके अधीन किसी भवन के परिनिर्मित किए जाने या किसी संकर्म के निष्पादन के लिए मंजूरी दी गई थी, संज्ञेय नहीं होगा यदि ऐसे उल्लंघन का संबंध अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए ऐसे परिनिर्माण या निष्पादन के किसी रेखांक से किसी विचलन से है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए भवनों में संबंधित उपविधियों के अधीन किसी रकम के संदाय पर शमनीय है ।

373. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय—

अभियोजन।

(क) धारा 217 की उपधारा (5) या धारा 237 या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए, परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिहास पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं ;

(ख) धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अधीन किसी अपराध का तब विचारण करने के लिए, यदि कोई ऐसा अपराध किसी ऐसे पथ के संबंध में किया गया था जो सार्वजनिक पथ है, परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इतिहास पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं ;

* * * * *

382. सभी पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करने या अपराध करने के प्रयत्न की इतिहास तुरन्त अध्यक्ष को दें तथा सभी नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों की सहायता उनके द्वारा उनके विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग किए जाने में करें ।

पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य।

* * * * *

390. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन—

उपविधियों के भंग के लिए शास्ति।

(क) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा ; और

(ख) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रखता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के

पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा ; अथवा

(ग) जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए बीस रुपए तक का हो सकेगा जिसके दौरान, अध्यक्ष से या उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी नगरपालिक अधिकारी से, ऐसी सूचना की, जिसमें उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा उल्लंघन करना बन्द कर दे, प्राप्ति के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ;

दंडनीय होगा :

परन्तु सड़क परिवहन सेवाओं से संबंधित किसी उपविधि का उल्लंघन कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पन्द्रह सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय हो सकता है ।

(2) ऐसी किसी उपविधि में यह भी उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी रिष्टि का, यदि कोई हो, जो ऐसे उल्लंघन के कारण हुई है, वहां तक उपचार करे जहां तक ऐसा करने की उसकी शक्ति है ।

* * * * *

चौथी अनुसूची

[धारा 88(1) देखिए]

समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर

क्रम संख्यांक	विशिष्टियां	कर की अधिकतम वार्षिक रकम रुपए
1.	भूमि, भवन, दीवार विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, खम्भे, संरचनाओं, आदि पर लगे अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	18
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	30
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	30
2.	बैलों, घोड़ों या अन्य जीव-जन्तुओं, मनुष्यों, साइकिलों या किसी अन्य युक्ति द्वारा खींचे गए यानों पर ले जाए जाने वाले या किसी यान या ट्रामकार पर ले जाए जाने वाले अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 50 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	120
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	120
3.	यानों पर ले जाए जाने वाले दीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 50 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	240
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	240

4.	जुड़े बोर्डों के बीच से उठाकर पुरुषों द्वारा ले जाए जाने वाले अदीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 10 वर्ग फीट से अनधिक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	24
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक के और 25 वर्ग फीट तक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	48
	(ग) क्षेत्रफल में प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	24
5.	जुड़े बोर्डों के बीच से उठाकर पुरुषों द्वारा ले जाए जाने वाले दीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 10 वर्ग फीट से अनधिक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	48
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	96
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	48
6.	भूमि, भवन दीवार या विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, खम्भे, संरचनाओं, आदि पर लगे दीपित विज्ञापन—	
	(क) 2 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	24
	(ख) 2 वर्ग फीट से अधिक और 5 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	48
	(ग) 5 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	60
	(घ) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	60
7.	सिनेमा घरों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लैंटर्न स्लाइडों या समरूप युक्तियों द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित विज्ञापन—	
	(क) 5 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	96
	(ख) 5 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	120
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	120
क्रम संख्यांक	विशिष्टियां	कर की अधिकतम वार्षिक रकम
		रुपए
8.	पथों के आर-पार लटकाए गए अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	18
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	30
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	30
ध्यान दें— मद 8 के लिए कर उस जगह पर अध्यक्ष द्वारा अवधारित मान के अनुसार प्रभाय कर के अतिरिक्त होगा।		
9.	खाली अदीपित विज्ञापन पट्ट जिन पर विज्ञापक का नाम या “किराए पर देने के लिए” घोषणा लगी है—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	5
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	15

- (ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए 15
10. नीलामकर्ताओं को प्रत्येक नीलामी द्वारा विक्रय के लिए उचित आकार के अधिक से 200 जिसमें अधिक दो विज्ञापन बोर्ड, उस पारिसर में लगे विज्ञापन बोर्डों से भिन्न जहां नीलामी होती नगरपालिक है, लगाने की अनुज्ञा के लिए जिनमें से एक स्थानीय क्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान पर और लैम्प पोस्ट पर दूसरा नगरपालिक लैम्प पोस्ट पर लगाया जाएगा। बोर्ड को प्रदर्शित करने का भाटक सम्मिलित है।

* * * * *

दसवीं अनुसूची

[धारा 369(1) देखिए]

शास्तियां

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तम्भ में “विषय” शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियां उन अपराधों की, जो प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित उपबंधों में विहित हैं, परिभाषाओं के रूप में या उन उपबंधों की संक्षिप्तियों के रूप में आशयित नहीं हैं। वे केवल उनके विषय के प्रति निर्देश के रूप में दी गई हैं :—

सारणी

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 74, उपधारा (1) और उपधारा (2)	भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 74, उपधारा (3)	अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता	50	—
धारा 75	नया भवन, आदि बनाने की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 76	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 77	जानकारी, आदि देने की अध्यापेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	50	—
धारा 81, उपधारा (2)	मूल्यांककों को जानबूझकर विलंब कराना या बाधित करना	50	—
धारा 89	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध	200	5
धारा 114	खाली भूमि या भवन की सूचना देने में असफलता	50	5
धारा 119, उपधारा (2)	अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने की अध्यापेक्षा का अनुपालन न करना	50	—

धारा 122	दायित्व प्रकट करने में असफलता	100	—
धारा 148	घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए जल का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग	100	5
धारा 152, उपधारा (1)	जल प्रदाय लेने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	200	20
धारा 153	जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध	200	20
धारा 164	जल का दुर्व्यय या दुरुपयोग	50	—
धारा 165	प्रवेश, आदि से इंकार	100	—
धारा 168, उपधारा (1)	जल के पाइपों, आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पहुंच सकती है, या उनका जल प्रदूषित हो सकता है	100	10
धारा 168, उपधारा (2)	शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है	100	—
धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 173	नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अर्न्तवस्तु के निर्बाध प्रवाह को नुकसान पहुंचाना या उसमें बाधा डालना	50	—
धारा 174, उपधारा (2)	प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना	50	—
धारा 175	जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	100	25
धारा 176	नाली के बिना नए परिसर बनाना	1000	—
धारा 177	परिसरों के किसी समूह या ब्लॉक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	5
धारा 178	कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का	50	5

	अनुपालन न करना		
धारा 179	किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में अध्यक्ष के आदेशों का अनुपालन न करना	50	—
धारा 180	मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यक्षता का अनुपालन न करना	50	—
धारा 181	प्रांगण, आदि को पाटने को अध्यक्षता का अनुपालन न करना	50	—
धारा 183	लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनेक्शन	200	50
धारा 186, उपधारा (4)	किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यक्षता का अनुपालन न करना	50	5
धारा 193, उपधारा (1)	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन	200	—
धारा 193, उपधारा (2)	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर नाम न देना	100	—
धारा 193, उपधारा (6)	अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना	100	—
धारा 193, उपधारा (8)	अनुज्ञप्त नलसाज उपविधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे	100	—
धारा 194	जल या मलवाही संकर्मों के संबंध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध	100	—
धारा 209, उपधारा (3)	पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण	1000	10
धारा 211	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यक्षता का अनुपालन करने में असफलता	200	50
धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 214	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने	200	10

	की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता		
धारा 217, उपधारा (5)	परिषद् के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा संव्यवहार करना या प्राइवेट पथ की रूपरेखा तैयार करना	कठोर कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा।	—
धारा 218, उपधारा (1) खंड (क) और खंड (ख)	पथ के फेरफार के लिए हेतुक दर्शित करने की या अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	5
धारा 219, उपधारा (1)	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता	100	10
धारा 221, उपधारा (1)	पथों, आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध	200	—
धारा 221, उपधारा (2)	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—
धारा 222, उपधारा (2)	ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि को, जो धारा 221 (1) के उल्लंघन में बनाए गए हैं, हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—
धारा 223	निचली मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेरफार करने की कि वे बाहर की ओर न खुलें, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 224, उपधारा (1)	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण, आदि जो पथों में बाधा डालते हैं	200	10
धारा 225	पथों में वस्तुओं को जमा करना, आदि	100	—
धारा 227, उपधारा (1) और उपधारा (2)	सार्वजनिक पथों में जीव-जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना	100	5
धारा 228, उपधारा (4)	रोक या तख्ताबंदी, आदि को विधिविरुद्धतया हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना	50	—
धारा 229, उपधारा (1)	अनुज्ञा के बिना पथों को खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना	200	10
धारा 231, उपधारा (2)	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना	50	—
धारा 232, उपधारा (1)	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में	100	25

	असफलता		
धारा 234, उपधारा (1)	लैपों को हटाना, आदि	100	—
धारा 234, उपधारा (2)	सार्वजनिक पथों, आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना	50	—
धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 237, उपधारा (1)	अध्यक्ष की मंजूरी के बिना भवन का निर्माण करना	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 237, उपधारा (2)	ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना उपयोग	100	
धारा 238, उपधारा (1)	भवन का निर्माण करने के आशय की सूचना देने में असफलता	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	—
धारा 239, उपधारा (1)	भवनों में परिवर्धन, आदि करने के आशय की सूचना देने में असफलता	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	—
धारा 242, उपधारा (4)	सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारंभ	10,000	500
धारा 244	पथों के कोनों पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यापेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	5
धारा 245, उपधारा (1)	नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का निर्माण किया जाना	1,000	—
धारा 245, उपधारा (2)	पथ की नियमित लाइन के भीतर या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन का निर्माण या	1,000	—

संकर्मों का निष्पादन			
धारा 247	मंजूरी के बिना निर्माण किए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन का निर्माण	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 248	मंजूरी की शर्तों, आदि के उल्लंघन में भवन का निर्माण	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 249	परिवर्तन करने में असफलता	सादा कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 251, उपधारा (1) और उपधारा (2)	पूरा होने के प्रमाणपत्रों के उपबंध का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग, आदि	200	10
धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 252	भवनों के प्रयोग पर निर्बंधनों का अनुपालन न करना	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 258, उपधारा (1) और उपधारा (2)	भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	20
धारा 259, उपधारा (1)	खतरनाक दशा, आदि में भवनों को खाली करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—

धारा 264	कूड़े, आदि के संग्रहण, हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने और कूड़ेदानों की व्यवस्था करने में असफलता	50	—
धारा 265, उपधारा (1)	गन्दगी और प्रदूषित पदार्थ को संगृहीत करने और हटाने में असफलता	50	—
धारा 265, उपधारा (3)	कतिपय मामलों में सफाई करने वाले के कर्तव्यों का अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति द्वारा निर्वहन न किया जाना	25	—
धारा 266	बाजार, आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा, आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	—
धारा 267, उपधारा (1)	कूड़ा और गन्दगी चौबीस घंटों से अधिक समय तक रखना, आदि	50	10
धारा 267, उपधारा (2)	गन्दगी को पथ पर जाने देना	50	—
धारा 267, उपधारा (3)	कूड़ा या गन्दगी, आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना	50	—
धारा 271, उपधारा (1)	शौचालय और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके नहीं निर्मित किए जाएंगे	200	—
धारा 272, उपधारा (1)	नवनिर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता	500	—
धारा 272, उपधारा (3)	पृथक् वासगृहों वाले निवास स्थानों में पहली मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था करने में असफलता	500	—
धारा 273	बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता	100	20
धारा 274	बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	20
धारा 275, खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ)	शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि संबंधी उपबंध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	10

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 276, उपधारा (2)	अति भिड़े भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 277	मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 279, उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4)	मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 280	अस्वच्छ झोपड़ियों और शैडों, आदि को हटाने की अध्यक्ष की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	15
धारा 281, उपधारा (1)	धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध	25	—
धारा 282	संचारी रोग की जानकारी देने में असफलता	100	—
धारा 284	भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 285	संक्रामित झोपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 286	किसी ऐसे स्थान में, जो अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, विस्तरों, आदि की धुलाई	25	—
धारा 288, उपधारा (1)	संक्रामित कपड़े धोबी को या लांडी को भेजना	25	—
धारा 288, उपधारा (2)	जिस धोबी या लांडी को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने असफलता	25	—
धारा 289, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)	संचारी रोग, आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहनों का उपयोग	50	—
धारा 291	भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता	100	—
धारा 292	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन	50	—
धारा 293	संक्रामित व्यक्तियों द्वारा, भोजन बनाना या	50	—

	विक्रय करना, आदि या कपड़े धोना		
धारा 294	अध्यक्ष द्वारा लगाए गए निर्बन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय	50	—
धारा 295	अध्यक्ष के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग	50	—
धारा 296	किसी संचारी रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना	100	—
धारा 297	संक्रमित शवों को इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में हटाना	50	—
धारा 298, उपधारा (1) और उपधारा (2)	सूचना के बिना सफाई वालों, आदि की कर्तव्य से अनुपस्थिति	कारावास जो एक मास तक का हो सकेगा	—
धारा 299	घरों की सफाई करने के लिए नियोजित सफाई वाले सूचना के बिना काम बन्द नहीं करेंगे	10	—
धारा 300	श्मशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता	50	—
धारा 301	नए श्मशान या कब्रिस्तानों का अनुज्ञा के बिना प्रयोग	50	—
धारा 302, उपधारा (1)	श्मशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 302, उपधारा (2)	किसी श्मशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना	50	—
धारा 303	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना	25	—
धारा 304, खंड (ख)	मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता	10	—
धारा 307, उपधारा (1) और उपधारा (2)	जन्म और मृत्यु की इतिला देने में असफलता	50	—
धारा 308, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)	न्यूसेन्स करना	50	—
धारा 309	न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यादेश के अनुपालन में असफलता	500	25
धारा 310, उपधारा (4)	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घूमने	50	—

	देना		
धारा 310, उपधारा (5)	हिस्त्र कुत्ते को मुखबन्ध, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना	100	—
धारा 311	प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना	50	—
धारा 312	खुली बत्ती रखना	50	—
धारा 313	ऐसी आतिशबाजी, अग्न्यायुध आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है	50	—
धारा 314	भवनों, कुओं, आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 315	अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 317, उपधारा (1)	नगरपालिका बाजारों में अनुज्ञा के बिना विक्रय करना	200	—
धारा 318, उपधारा (1) और उपधारा (2)	स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में अनुज्ञप्ति के बिना प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न किसी स्थान का वधशाला के रूप में प्रयोग करना	500	25
धारा 318, उपधारा (2), परन्तुक (क)	अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित शर्तों का अननुपालन	50	—
धारा 320	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बाजार चलाना	2,000	—
धारा 321	अनुज्ञप्ति बाजार में विक्रय करना	50	—
धारा 322	बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना	50	—
धारा 324	बाजारों के भारसाधक व्यक्ति को बाजार से कोढ़ियों और उपद्रवियों को निष्कासित करने में असफलता	50	—
धारा 325	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना	100	10
धारा 326	अनुज्ञा के बिना कारखाने, आदि की स्थापना	5,000	50
धारा 327	अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी	1,000	100
धारा 328, उपधारा (3)	जीव-जन्तुओं, आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना	100	—

धारा 329, उपधारा (5)	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग	500	—
धारा 330	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना	100	—
धारा 331	अनुज्ञप्ति के बिना या उससे प्रतिकूल रूप में बासा, भोजनालय या चाय की दुकानें आदि चलाना	100	—
धारा 332	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना	500	50
धारा 339, उपधारा (5)	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता	50	5
धारा 340	अध्यक्ष को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश, आदि की उसकी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना	50	—
धारा 341	अध्यक्ष को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी लगी हुई भूमि पर प्रवेश करने की उसकी शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना	50	—
धारा 346	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या दिक करना	200	—
धारा 353, उपधारा (4)	परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यक्षता के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 364, उपधारा (3)	जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश के जारी करने से आठ दिन के पश्चात् भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम, आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता	200	50
धारा 404	अध्यक्ष या किसी सदस्य, आदि को बाधा पहुंचाना	200	—
धारा 405	तल, आदि उपदर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिह्न हटाना	100	—
धारा 406	परिषद् अध्यक्ष, आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना, आदि	50	—
धारा 407	परिषद् में निहित किसी भूमि से मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री विधिविरुद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधिविरुद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना	50	—

**ललित कला अकादमी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम
संख्यांक 17) से उद्धरण**

* * * * *

अध्याय 3

प्रकीर्ण

8. वह व्यक्ति, जो—

शास्तियां ।

(क) सोसाइटी के भागरूप किसी संपत्ति को अपने कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति को प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष विधारित करेगा, या

(ख) किसी ऐसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा, या

(ग) सोसाइटी के भागरूप किसी संपत्ति का जानबूझकर प्रतिधारण करेगा या परिदान करने में असफल रहेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा, या

(घ) किन्हीं ऐसी पुस्तकों, कागजपत्रों, कलाकृतियों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, जानबूझकर विधारित करेगा या उनके लिए प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लेखाजोखा देने में असफल रहेगा, या

(ङ) धारा 4 की उपधारा (6) में यथाउपबंधित जानकारी या विशिष्टियां किसी उचित कारण के बिना देने में असफल रहेगा,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

9. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

कंपनियाँ द्वारा
अपराध ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता

है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 60) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ख) “आयुक्त” से धारा 7 के अधीन नियुक्त मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है ;

* * * * *

(ध) “तार लाइन” का वही अर्थ होगा जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (4) में उसका है ।

1885 का 13

आयुक्त का लोक सेवक होना ।

10. आयुक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

* * * * *

अध्याय 11

अपराध और शास्तियां

मेट्रो रेल पर मत्तता या न्यूसेंस ।

59. (1) यदि मेट्रो रेल के सवारी डिब्बे में या उसके किसी भाग पर कोई व्यक्ति—

(क) मत्तता की हालत में होगा ; या

(ख) कोई न्यूसेंस या बर्बरता कारित करेगा या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली-गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा ; या

(ग) जानबूझकर या प्रतिहेतु के बिना किसी यात्री के आराम में किसी प्रकार से बाधा डालेगा,

तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और ऐसे किसी किराए के, जो उसने दिया हो अथवा ऐसे किसी पास या टिकट के, जो उसने प्राप्त या क्रय किया हो, समपहरण का अथवा मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा ऐसे सवारी डिब्बे या भाग से हटाए जाने का भी दायी होगा ।

* * * * *

60. (1) यदि धारा 30 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, कोई व्यक्ति, मेट्रो रेल पर कोई घृणोत्पादक माल ले जाएगा या ले जाना कारित करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

मेट्रो रेल पर घृणोत्पादक माल ले जाने या ले जाना कारित करने के लिए शास्ति ।

* * * * *

62. (1) * * * * *

मेट्रो रेल पर प्रदर्शनों का प्रतिषेध ।

(3) जो कोई, उपधारा (1) या उपधारा (2) के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा किसी कक्ष, सवारी डिब्बे या परिसर को छोड़ने के लिए कहे जाने पर ऐसा करने से इंकार करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

64. (1) यदि कोई व्यक्ति, मेट्रो रेल में या उस पर किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करेगा अथवा विधिपूर्ण प्राधिकार से प्रवेश करने के पश्चात् वहां विधिविरुद्धतया रहेगा और किसी मेट्रो रेल पदधारी द्वारा उसे छोड़ने के लिए अनुरोध किए जाने पर ऐसा करने से इंकार करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

मेट्रो रेल में विधिविरुद्धतया प्रवेश करने या उस पर रहने या मेट्रो रेल लाइन पर चलने के लिए शास्ति ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, मेट्रो रेल की लाइन पर किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना चलेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

71. यदि कोई व्यक्ति, किसी पास या टिकट में के सुरक्षा कोड को तोड़ेगा या उसे विरूपित करेगा या उसमें फेरफार करेगा या उसे कूटकृत करेगा या उसकी दूसरी प्रति तैयार करेगा या किसी ऐसी रीति से कार्य करेगा जो मेट्रो रेल को राजस्व की हानि कारित करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

पास या टिकट में फेरफार करना या उसे विरूपित करना या उसे कूटकृत करना ।

72. यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना,—

सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना ।

(क) मेट्रो रेल प्रशासन के आदेश द्वारा मेट्रो रेल या किसी चल स्टाक पर लगाए गए या चिपकाए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज को

उखाड़ेगा या जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा; या

(ख) किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टाक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटाएगा या बदलेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

मेट्रो रेल पर
किन्हीं वस्तुओं
का विक्रय।

73. यदि कोई व्यक्ति, मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए अप्राधिकृत मेट्रो रेल के किसी सवारी डिब्बे में या मेट्रो रेल के किसी भाग पर किसी वस्तु का चाहे वह कोई हो, विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर कारावास से, जो, छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिसका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा जुर्माना एक सौ रुपए से कम का नहीं होगा।

* * * * *

टिकटों के
अप्राधिकृत विक्रय
के लिए शास्ति।

75. यदि कोई व्यक्ति, जो मेट्रो रेल पदधारी या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं है, किसी टिकट का विक्रय करेगा या विक्रय करने का प्रयत्न करेगा, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा तथा वह टिकट भी जिसका उसने विक्रय किया हो या जिसके विक्रय करने का प्रयत्न किया हो, समपहृत हो जाएगा।

मेट्रो रेल द्वारा
यात्रा करने वाले
व्यक्तियों को
विद्वेषतः उपहति
पहुंचाना या
उपहति पहुंचाने
का प्रयत्न
करना।

76. यदि कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी चल स्टाक पर, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज इस आशय से या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उससे ऐसे चल स्टाक में या उस पर या उसी रेलगाड़ी के भागस्वरूप किसी अन्य चल स्टाक में या उस पर विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, विधिविरुद्धतया फेंकेगा या गिराएगा या मारेगा तो वह आजीवन कारावास से, या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

* * * * *

बिना वारंट के
गिरफ्तार करने
की शक्ति।

82. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 59, धारा 61, धारा 65 से धारा 79 तक में वर्णित कोई अपराध करेगा, तो वह किसी मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हैड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा मेट्रो रेल पदधारी या पुलिस अधिकारी अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा, वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा :

* * * * *

90. मेट्रो रेल प्रशासन के नियोजन में सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हैं, या तात्पर्यित हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

मेट्रो रेल प्रशासन के पदधारियों का लोक सेवक होना।

* * * * *

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * *

27. (1) जहां राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ने किसी अप्राधिकृत अधिभोग को हटा दिया है या किसी अप्राधिकृत अधिभोग से संबंधित कोई सन्निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत सन्निर्माण में परिवर्तन भी है, या धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन किसी नुकसान की मरम्मत की है, वहां ऐसे हटाए जाने या मरम्मत पर उपगत व्यय, पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारों सहित या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना, इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से वसूलनीय होगा।

अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने की लागत और अधिरोपित जुर्माने की वसूली।

(2) राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, विहित प्ररूप में, बिल की एक प्रति, जिसमें उपधारा (1) के अधीन वसूलनीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार या जुर्माना उपदर्शित होगा, ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा, जिससे ऐसा व्यय, अतिरिक्त प्रभार या जुर्माना वसूलनीय है और सूचना की तामील से संबंधित धारा 26 के उपबंध, इस उपधारा के अधीन बिल की प्रति की तामील को इस प्रकार लागू होंगे मानो उस धारा में "सूचना" शब्द के स्थान पर, "बिल" शब्द रखा गया हो।

* * * * *

37. (1) * * * * *

(4) ऐसा व्यक्ति, जिसके अप्राधिकृत अधिभोग में कोई राजमार्ग भूमि है, राजमार्ग प्रशासन द्वारा धारा 26 में अप्राधिकृत अधिभोग को हटाने के लिए विहित रीति से संक्षेपतः बेदखल कर दिया जाएगा और वह राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिरोपित जुर्माने का दायी होगा जो उसके अप्राधिकृत अधिभोग की भूमि के पांच सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा किंतु जिसका ऐसी भूमि की कीमत तक विस्तार किया जा सकेगा।

यानों या पशुओं को खतरनाक स्थिति में छोड़ने का प्रतिषेध।

38. (1) * * * * *

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उल्लंघन में, कोई सन्निर्माण करता है या कोई अन्य कार्य करता है तो राजमार्ग प्रशासन, स्वयं अपने खर्च पर ऐसे सन्निर्माण या अन्य कार्य को राजमार्ग से हटवाएगा और राजमार्ग को उस दशा में प्रत्यावर्तित करेगा जिसमें वह उपधारा (3) के अधीन ऐसे सन्निर्माण या अन्य

राजमार्ग भूमि पर सन्निर्माण।

कार्य के लिए अनुज्ञा दी जाने से ठीक पूर्व था और ऐसा व्यय और उसका पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारों के रूप में तथा राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिरोपित जुर्माना, ऐसे सन्निर्माण या अन्य कार्य द्वारा कारित नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो ऐसे सन्निर्माण या अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त भूमि के पांच सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, किंतु ऐसी भूमि की कीमत से अधिक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति से धारा 27 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वसूल किया जाएगा मानो ऐसा व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना, उस धारा के अधीन वसूलनीय व्यय, अतिरिक्त प्रभार और जुर्माना हो ।

अध्याय 7

अपराध और शास्ति

अपराध और
शास्ति ।

39. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग से बेदखल किया गया है, इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिभोग के लिए अनुज्ञा के बिना किसी राजमार्ग भूमि को पुनः अधिभोग में लेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो इस प्रकार अधिभोग में ली गई राजमार्ग भूमि के एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से अन्यून नहीं होगा, किंतु जो ऐसी राजमार्ग भूमि की कीमत के दो गुने से अधिक नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला कोई न्यायालय, उस व्यक्ति को ऐसी अधिभोगाधीन राजमार्ग भूमि से संक्षेपतः बेदखल करने के लिए आदेश करेगा और वह, अपने विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी बेदखली के लिए दायी होगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

1974 का 2

* * * * *

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 17) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 4

अपराध

अपराध ।

23. (1) * * * * *

(ख) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार जो धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपेक्षित आंकड़े, सूचना या दस्तावेज उसमें उपबंधित रीति में देने में विफल होता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो

सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपतट क्षेत्र जहां ऐसी मान्यता संक्रिया या खोज संक्रिया या उत्पादन संक्रिया अपनाई जाती है के संबंध में जुर्माने की रकम उपबंध की जाएगी ।

* * * * *

(3) जो कोई उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या पचास लाख रुपए के जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या पचास लाख रुपए के जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 5

सिविल दायित्व और न्यायनिर्णयन

28. (1) कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा अनुदत्त किया जाता है—

सिविल दायित्व
और
न्यायनिर्णयन ।

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित साधारण निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करेगा तो वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगी और जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा;

(ख) ऐसे विशिष्ट निबंधनों और शर्तों का जो, यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को ही लागू होती हैं, उल्लंघन करेगा तो वह खंड (क) के अधीन दायित्व के अलावा, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अतिरिक्त रकम का भी संदाय करने का दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकृत अधिकारी के सिवाय, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को, उपधारा (1) के खंड (क) और

खंड (ख) से संबंधित मामलों को सुनने और उनका विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार या अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा किए गए सिविल दोष को उपदर्शित करते हुए, आवेदन फाइल करेगा ।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन, उपधारा (2) के अधीन अभिहित किसी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किया जाता है तब वह ऐसे आवेदन की प्रति के साथ सूचना उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध आवेदन किया जाता है, विहित रीति में आवेदन का उत्तर फाइल करने का अवसर देने के लिए, तामील करेगा और प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन के समर्थन में या विरोध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मामले का निपटारा करेगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात् :-

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें पेश कराने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ङ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

* * * * *

अपीलें ।

34. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रशासनिक अधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको आक्षेपित आदेश किया गया था, विहित अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी ऐसी विहित अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त हेतुकवश निवारित हुआ था तो

वह अपीलार्थी को उतनी और अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या उलटते हुए ऐसा आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझे, या उस मामले को ऐसे निदेश सहित, जो वह उचित समझे, अतिरिक्त साक्ष्य, यदि आवश्यक हो, लेकर नया आदेश करने के लिए वापस भेज सकेगी।

* * * * *

35. (1) * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

* * * * *

(ड) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन फाइल करने की रीति;

(ढ) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन उत्तर फाइल करने की रीति;

(ण) धारा 28 की उपधारा (5) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विषय;

* * * * *

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) से उद्धरण

* * * * *

139. जो कोई विद्युत के प्रदाय से संयोजित किसी सामग्री को उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, क्षति पहुंचाएगा, नीचे फेंकेगा या नुकसान करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

संकर्मा को उपेक्षापूर्वक तोड़ना या नुकसान पहुंचाना।

140. जो कोई विद्युत के प्रदाय को काटने के आशय से किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्मा को काटेगा या क्षति पहुंचाएगा या काटने या क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

संकर्मा को साशय क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति।

141. जो कोई किसी सार्वजनिक लैंप को विद्वेषपूर्वक बुझाएगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

सार्वजनिक लैम्पों का बुझाना।

142. यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि

समुचित आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी ।

* * * * *

आदेशों
निदेशों
अनुपालन
के लिए दंड ।

146. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, वह प्रत्येक अपराध की बाबत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

* * * * *

अपराधों
शमन ।

152. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किए जाने का समुचित रूप से संदेह है, अपराध के शमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा :-

1974 का 2

सारणी

सेवा की प्रकृति

वह दर, जिस पर शमन के लिए धनराशि निम्न विभव (एल.टी.) प्रदाय के लिए प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच.टी.) के लिए संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर (के वी ए) पर संगृहीत की जानी है ।

(1)

(2)

1. औद्योगिक सेवा

बीस हजार रुपए

2. वाणिज्यिक सेवा दस हजार रुपए
3. कृषि सेवा दो हजार रुपए
4. अन्य सेवाएं चार हजार रुपए :

परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी ।

* * * * *

(3) उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का शमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जाएगी ।

* * * * *

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 29) से उद्धरण

* * * * *

12. प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति अपने कारबार के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना ।

* * * * *

20. (1) * * * * *

कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 53) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,—

बाधा डालने, आदि के लिए दंड ।

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण

द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

मिथ्या दावे के लिए दंड ।

52. जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड ।

53. जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

* * * * *

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 19) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 9

अपराध और दंड

बोर्ड के निदेशों के उल्लंघन के लिए दंड ।

44. यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के निदेशों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

* * * * *

(घ) “क्रेता” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता से प्रतिफल के लिए कोई माल क्रय करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है ;

* * * * *

27. (1) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 26 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध का साशय उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह—

धारा 8 या धारा 22
या धारा 26 के
उल्लंघन के लिए
शास्ति ।

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्वी उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का न होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,

दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई क्रेता धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

29. (1) * * * * *

नियम बनाने की
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(ड) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली जानकारी और वह प्ररूप, जिसमें वह दी जाएगी; और

* * * * *

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * *

38. (1) * * * * *

खाद्य सुरक्षा
अधिकारी की
शक्तियां ।

(5) खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथासाध्य,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन जारी किए गए तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी लेने या निरीक्षण करने से संबंधित उस संहिता के उपबंधों का अनुसरण करेगा ।

* * * * *

तलाशी,
अभिग्रहण,
अन्वेषण,
अभियोजन की
शक्ति और
उनकी प्रक्रिया ।

41. (1) * * * * *

(2) इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 के तलाशी, अभिग्रहण, समन, अन्वेषण और अभियोजन से संबंधित उपबंध, यथासाध्य इस अधिनियम के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे ।

1974 का 2

* * * * *

अभिगृहीत
वस्तुओं के साथ
छेड़छाड़ करने के
लिए दंड ।

60. यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी खाद्य, यान, उपस्कर, पैकेज या लेबल या विज्ञापन सामग्री या अन्य चीज को रखता है, हटाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

किसी खाद्य
सुरक्षा अधिकारी
को बाधा पहुंचाने
या प्रतिरूपण के
लिए दंड ।

62. यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रतिरोध करता है, बाधा पहुंचाता है या बाधा पहुंचाने, प्रतिरूपण करने, धमकी देने, अभित्रास या हमला करने का प्रयत्न करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 10

न्यायनिर्णयन और खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण

न्यायनिर्णयन ।

68. (1) * * * * *

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी और—

(क) उसके समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थातर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी;

1860 का 45

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

* * * * *

अधिकरण की
प्रक्रिया और
शक्तियां ।

71. (1) * * * * *

(3) अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1860 का 45

1974 का 2

* * * * *

1974 का 2

73. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सभी अपराधों का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण को, यथाशक्य, उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (इसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध लागू होंगे :

मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति ।

परन्तु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, किसी मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा:

परन्तु यह और कि जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसमें एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित होना चाहिए या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् ऐसे किसी साक्षी को बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जानी चाहिए थी और उस मामले की उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

* * * * *

1974 का 2

74. (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपनी-अपनी अधिकारिता में, यदि वह ऐसा करना लोकहित में समीचीन और आवश्यक समझती है, तो उपभोक्ता की घोर क्षति या मृत्यु से संबंधित ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन तीन वर्ष से अधिक के कारावास का दंड विहित किया गया है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से उतने विशेष न्यायालयों का जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, गठन कर सकेगी ।

विशेष न्यायालय और लोक अभियोजक ।

* * * * *

1974 का 2

75. जहां, किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, किसी विशेष न्यायालय की यह राय है कि वह अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है तो, वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, वहां वह ऐसे अपराध के विचारण के लिए उस मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को अंतरित करेगा और वह न्यायालय, जिसे मामला अंतरित किया जाता है, उस अपराध का इस प्रकार विचारण कर सकेगा, मानो उसने ही अपराध का संज्ञान किया हो ।

नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति ।

* * * * *

विनिर्माता, आदि को पक्षकार बनाने की न्यायालय की शक्ति ।

78. जहां न्यायालय का, इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के विचारण के दौरान, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो किसी खाद्य पदार्थ का आयातकर्ता, विनिर्माता, वितरक या व्यौहारी नहीं है, किसी समय, उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आयातकर्ता, विनिर्माता, वितरक या व्यौहारी का भी उस अपराध से संबंध है वहां वह न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 की उपधारा (3) या इस अधिनियम की धारा 71 में किसी बात के होते हुए भी, उसके विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही करेगा, जैसे कि इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन संस्थित किया गया हो ।

1974 का 2

वर्धित दंड अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति ।

79. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, मामूली अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के लिए छह वर्ष से अनधिक के कारावास के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश, उक्त धारा के अधीन अपनी शक्ति के आधिक्य में, पारित करना विधिपूर्ण होगा ।

1974 का 2

* * * * *

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त का लोक सेवक होना ।

87. खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और उनके अधिकारियों को, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

* * * * *

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * *

अन्तरणों की सूचना ।

81. (1) * * * * *

(6) उपधारा (1) से उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में कोई असफलता, जुर्माने से दंडनीय होगी जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

* * * * *

भवनों के परिनिर्माण की सूचना ।

82. (1) * * * * *

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना न दे सकने पर, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, यथास्थिति, निर्मित या पुनः निर्मित उक्त भवन पर तीन मास की अवधि लेखे देय कर की रकम के दस गुनी रकम से, इनमें से जो भी अधिक हो, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

खाली भवन या गृह के प्रत्येक अधिभोग की सूचना का दिया जाना ।

88. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई स्वामी उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है, वह जुर्माने से, जो ऐसे भवन, आवास कक्ष या भूमि पर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान वह फिर से अधिभोग में रही है, देय कर की रकम की

दुगुनी से अन्यून रकम तक का हो सकेगा तथा दो हजार पांच सौ रुपए या उक्त कर की रकम के दस गुने तक का हो सकेगा, इनमें से जो भी अधिक हो, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

चुंगी, सीमा कर और पथ कर

90. प्रत्येक व्यक्ति जो छावनी की किसी ऐसी सीमाओं के भीतर, जिसमें चुंगी या सीमा कर या पथ कर उद्गहणीय है, कोई माल, यान या पशु लाता है या प्राप्त करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह अपेक्षित किए जाने पर वहां तक जहां तक कि प्रभार्य कर की रकम अभिनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो-

आयातित माल,
चुंगी, सीमा कर
और पथ कर
आदि, का
निरीक्षण ।

(क) उस अधिकारी को ऐसे माल, यान या पशुओं का निरीक्षण, परीक्षण या तौल करने देगा, तथा

(ख) उस अधिकारी को ऐसी कोई जानकारी संसूचित करेगा तथा ऐसा कोई विपत्र, बीजक या वैसे ही स्वरूप की दस्तावेज प्रदर्शित करेगा जो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे माल, यान या पशुओं के सम्बन्ध में है ।

91. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो चुंगी, सीमा कर या पथ कर के संग्रहण के लिए छावनी के भीतर नियत किसी चुंगी, चौकी अथवा किसी अन्य स्थान का अतिक्रमण करके उसके आगे कोई माल, यान या पशु जिनकी बाबत चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर उद्गहणीय है, ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा और वैसा करके ऐसी चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर के संदाय से बच जाएगा या बचने का प्रयत्न करेगा तथा जो कोई व्यक्ति ऐसे बच जाने या बच जाने के प्रयत्न का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो या तो ऐसी चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर के मूल्य के दस गुने के बराबर तक का अथवा दो हजार पांच सौ रुपए तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, दण्डनीय होगा तथा, यथास्थिति, वह जुर्माना ऐसी चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर के मूल्य से दुगुने से कम न होगा ।

अधिग्रहण, आदि
करने की शक्ति ।

(2) मांग किए जाने पर किसी चुंगी या सीमा कर अथवा पथ कर का संदाय न किए जाने की दशा में, वह अधिकारी जो उसे संगृहीत करने के लिए सशक्त है, ऐसे कोई माल, यान या पशु, जिन पर वह चुंगी, सीमा कर या पथ कर प्रभार्य है या उनका ऐसा कोई भाग या संदाय, जो उस मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त मूल्य का है, अभिगृहीत कर सकेगा और अभिगृहीत वस्तुओं या पशुओं को विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद देगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड का कोई अधिकारी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिग्रहण से पांच दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् तथा उस व्यक्ति को लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात्, जिसके कब्जे में वे माल, यान या पशु अभिग्रहण के समय थे, उनके

विक्रय के लिए समय और स्थान नियत करके ऐसी अभिगृहीत सम्पत्ति को या उसके उतने भाग हो, जो आवश्यक हो, नीलामी द्वारा इस दृष्टि से कि उस मांग की तथा उनके अभिग्रहण, अभिरक्षा और विक्रय के कारण हुए किन्हीं व्ययों की पूर्ति हो जाए तब के सिवाय विक्रय कराएगा जब तक कि मांग की रकम और व्यय उस बीच संदत्त कर दिए गए हों :

परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी मामले में यह आदेश दे सकेगा कि क्षयशील प्रकृति की ऐसे कोई वस्तु, जो नुकसान के गम्भीर जोखिम के बिना पांच से अधिक दिनों के लिए नहीं रखी जा सकती या जो ऐसे खर्च के बिना नहीं रखी जा सकती जो चुंगी, सीमा कर या पथ कर की रकम सहित उसके मूल्य से अधिक हो, इतने लघुतर समय के पश्चात् बेच दी जाए जो उस वस्तु के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वह उचित समझे ।

(4) यदि विक्रय प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है, सभी उपगत व्ययों की रकम तथा चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर की रकम मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निविदत्त कर देता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त कर देगा ।

(5) विक्रय आगमों का अधिशेष, यदि कोई हो, छावनी निधि में जमा किया जाएगा तथा विक्रय के पश्चात् एक वर्ष के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय थी तथा यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता तो वह, बोर्ड की सम्पत्ति होगी ।

चुंगी, सीमा कर
या पथ कर को
पट्टे पर देना ।

92. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बोर्ड की पूर्व मंजूरी से एक वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर के संग्रहण का पट्टा दे दे तथा पट्टेदार और चुंगी, सीमा कर अथवा पथ कर के प्रबन्ध और संग्रहण के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति उसकी बाबत—

(क) ऐसे किन्हीं आदेशों से आबद्ध होंगे जो उनके मार्गदर्शन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिए जाएं;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा या उसके सेवकों द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्तियों से युक्त होंगे जो बोर्ड उन्हें प्रदत्त करे; तथा

(ग) उन्हीं उपचारों के हकदार होंगे और उन्हीं दायित्वों के अधीन होंगे जिनके वे उस दशा में हकदार या अधीन होते जिसमें कि वे, यथास्थिति, चुंगी, सीमा कर या पथ कर के प्रबन्ध और संग्रहण के लिए बोर्ड द्वारा नियोजित होते :

परन्तु कोई वस्तु जिसका करस्थम् किया गया है मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेशों के अधीन बेचे जाने के सिवाय न बेची जा सकेगी ।

* * * * *

116. (1) * * * * *

दायित्व प्रकट करने की बाध्यता ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानकारी देने की मांग उपधारा (1) के अधीन अपने से किए जाने पर वह जानकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अंदर देने में उपेक्षा करेगा अथवा ऐसी जानकारी देगा जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास के अनुसार सही नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा कर लेखे ऐसी रकम का कर-निर्धारण किए जाने के दायित्व के अधीन भी होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ठीक समझे तथा ऐसा किया गया कर-निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा ।

* * * * *

143. (1) * * * * *

आवास गृहों का अति जन संकुलित होना ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपने से की गई अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में युक्ति-युक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् वाले हर दिन के लिए, जिसके दौरान वह असफलता चालू रहती है, दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

145. (1) * * * * *

भूमि या भवन को साफ किए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में असफल रहता है, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो, प्रथम दिन के पश्चात् वाले हर दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है दो सौ पचास रुपए तक का ही हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

संक्रामक, सांसर्गिक या संचारी रोगों का निवारण

155. (1) * * * * *

संक्रामक, सांसर्गिक या संचारी रोगों के संबंध में बाध्यता ।

(4) जो कोई—

* * * * *

(ख) उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जानकारी देने में असफल रहने पर उस दशा में दंडनीय नहीं होगा जिसमें कि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि जानकारी सम्यक् रूप से पहले ही दे दी गई है ।

* * * * *

रिपोर्ट देने में
असफल रहने के
लिए शास्ति ।

166. जो कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी कोई रिपोर्ट, जिसे देने के लिए वह धारा 164 व धारा 165 द्वारा अपेक्षित है, नहीं देगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

संक्रामकग्रस्त
व्यक्ति द्वारा
खाद्य आदि का
तैयार किया जाना
या बेचा जाना
अथवा कपड़ों का
धोया जाना ।

174. जो कोई किसी संक्रामक या सांसर्गिक रूप से पीड़ित होते हुए अथवा ऐसी परिस्थितियों में होते हुए जिनमें कि यह संभाव्यता है कि उसके कारण कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग फैलेगा—

(क) मानव उपभोग के लिए कोई खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या कोई दवाई या औषधि या वैयक्तिक उपयोग के लिए या पहनने के लिए कोई परिधान वस्तु या बिस्तर छावनी में विक्रय के लिए तैयार करेगा, ले जाएगा या पेश करेगा अथवा उसमें विक्रय करने के वास्ते उसे तैयार करने, ले जाने या पेश करने के कारबार में कोई भाग लेगा; अथवा

(ख) कपड़ों की धुलाई या ले जाने के कारबार में कोई भाग लेगा,
वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

शास्ति ।

197. जो कोई—

* * * * *

(ख) उस दशा में, जिसमें कि जल का प्रदाय बोर्ड से हुए करार के जरिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है उस जल का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करेगा,

वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, तथा इसके अतिरिक्त बोर्ड ऐसे दुरुपयुक्त जल की कीमत उससे वसूल करने का हकदार होगा ।

* * * * *

भवनों के उपयोग
पर निर्बंधन ।

244. (1) * * * * *

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जानकारी में आने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

* * * * *

अवैध निर्माण
और पुनः
निर्माण ।

247. जो कोई भवन का निर्माण या पुनःनिर्माण—

(क) धारा 235 और धारा 236 द्वारा यथा अपेक्षित विधिमान्य सूचना दिए बिना या इसके पूर्व कि उस भवन, इमारत, के लिए मंजूरी दे दी

गई है अथवा दे दी गई समझी जाती है; अथवा

(ख) धारा 238 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन किए बिना; अथवा

(ग) मंजूरी दिए जाने से इंकार किए जाने पर अथवा मंजूरी के प्रभावी न रहने पर अथवा मंजूरी धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कमान के मुख्य महानिदेशक अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिए जाने पर,

शुरू करेगा, चालू रखेगा, या पूरा करेगा, तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और अवैध सन्निर्माण को सील करने और उसको गिराए जाने की लागत से, दण्डनीय होगा।

* * * * *

259. (1) * * * * *

पथों के नाम और भवनों की संख्या।

(2) जो कोई ऐसा नाम या संख्या नष्ट करेगा, गिरा देगा, विरूपित कर देगा या परिवर्तित कर देगा अथवा उस नाम या संख्या से भिन्न कोई नाम या संख्या लगवाएगा जो बोर्ड के आदेश द्वारा लगाया गया है, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

263. जो कोई छावनी में की ऐसी किसी खुली जगह को, जो उसकी प्राइवेट सम्पत्ति नहीं है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना खुदवाएगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का होगा, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् वाले हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकगा, दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक भूमि की खुदाई।

* * * * *

269. (1) * * * * *

प्राइवेट बाजार और वधशालाएं।

(3) जो कोई उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लागू की गई किसी शर्त का अनुपालन नहीं करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

271. (1) जो कोई व्यक्ति ऐसा कोई बाजार या वधशाला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञप्ति का होना अपेक्षित है, उसके लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना अथवा उस समय, जबकि अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है अथवा उसके रद्द कर दिए जाने के पश्चात् उपयोग के

अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार या वधशाला चलाने के लिए शास्ति।

लिए चालू रखेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा अपराध चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

अनुज्ञप्त बाजार या वधशाला का उपयोग करने के लिए शास्ति।

272. जो कोई, यह जानते हुए कि उसके लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना कोई बाजार या वधशाला लोक साधारण के लिए खोला गया है अथवा यह जानते हुए कि उसके लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति तत्समय निलंबित है अथवा यह अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है, ऐसे बाजार में कोई वस्तु बेचेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित करेगा अथवा ऐसी वधशाला में किसी पशु का वध करेगा, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

व्यापार और व्यवसाय

कपड़े धोने के स्थानों का उपबन्ध।

276. (1) * * * * *

(3) जो कोई उपधारा (2) के अधीन निकाली गई सूचना में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिषेध का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

अनुज्ञप्ति के बिना अथवा धारा 280 के उल्लंघन में व्यापार आदि का किया जाना।

281. जो कोई ऐसा व्यापार, आजीविका या व्यवसाय, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का लिया जाना अपेक्षित है, उसके लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना अथवा उस समय जबकि उसके लिए अनुज्ञप्ति निलंबित है अथवा अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने के पश्चात् करेगा तथा जो कोई धारा 280 के अधीन सूचना के मिलने के पश्चात् किसी भवन या स्थान को उसके उल्लंघन में काम में लाएगा या काम में लाए जाने देगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

पशुओं को कूड़ा करकट आदि पर चराना।

282. जो कोई ऐसे किसी पशु को, जो छावनी के निवासियों के लिए दूध देने के प्रयोजन के लिए रखा जाता है अथवा जो उनके भोजन के लिए काम में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई गंदा या हानिकारक पदार्थ खिलाएगा या खिलाया जाने देगा अथवा उसे ऐसे स्थान में चरने देगा जिसमें स्वच्छता सम्बन्धी कारणों से उसका चरना बोर्ड द्वारा लोक सूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्रवेश, निरीक्षण और अभिग्रहण

283. (1) * * * * *

प्रवेश और
अभिग्रहण की
शक्तियां ।

(4) ऐसे किसी पशु या पशु शव का, जो रोगयुक्त है, अथवा ऐसी किसी वस्तु या चीज का, जो यथास्थिति, अस्वास्थ्यकर है या मानव भोजन, पेय या दवाई के लिए अनुपयुक्त है अथवा जो अपमिश्रित है अथवा जो वैसी नहीं है जैसी वह जाहिर की जा रही है अथवा ऐसे किसी बरतन या पात्र का, जो इस किस्म का है या ऐसी हालत में है जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित है, उस समय स्वामी या कब्जा रखने वाला व्यक्ति, जिस समय पर उपधारा (1) के अधीन उसका अभिग्रहण किया गया है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का होगा, दण्डनीय होगा, तथा वह पशु, वस्तु, बरतन, पात्र या अन्य चीज बोर्ड के हक में समपहरणीय होगी अथवा इस दृष्टि से नष्टकरणीय या ऐसे व्ययनीय होगी कि वह यथास्थिति, विक्रय के लिए अभिदर्शित न की जा सके अथवा भोजन, पेय या दवाई की तैयारी के लिए काम में न लाई जा सके ।

स्पष्टीकरण 1—यदि घी जैसी किसी वस्तु में, जो विक्रय के लिए उपधारा (1) में वर्णित किसी स्थान में अभिदर्शित या भण्डारकृत की गई है या वहां लाई गई है, ऐसा कोई पदार्थ है, जो दूध से अनन्यतः व्युत्पन्न नहीं है, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह ऐसी वस्तु समझी जाएगी जो वैसी नहीं है जैसे वह जाहिर की जा रही है ।

स्पष्टीकरण 2—जिस मांस में फूलने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, वह मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—भोजन वस्तु या पेय वस्तु को केवल इस तथ्य के कारण से कि उसमें स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर न होने वाला कोई पदार्थ मिला दिया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह उससे भिन्न है जैसा उसका होना जाहिर किया जा रहा है :

परन्तु यह तब जबकि—

(क) ऐसा पदार्थ उस वस्तु में इस कारण मिलाया गया है कि वहन करने के लिए ठीक हालत में उसे वाणिज्य वस्तु के रूप में तैयार या उत्पादित करने के लिए या उसका उपभोग करने के लिए वह अपेक्षित है तथा वह इस कारण नहीं मिलाया गया है कि कपटपूर्ण भोजन या पेय के रूप में उसका आकार, वजन या माप बढ़ा दिया जाए या उसकी घटिया क्वालिटी को छिपा दिया जाए, अथवा

(ख) भोजन वस्तु या पेय वस्तु के रूप में उसके उत्पादन, उसे तैयार करने या उसके प्रवहण की प्रक्रिया में वह बाहरी पदार्थ उससे अपरिवर्जनीय रूप से मिश्रित हो गया है, अथवा

(ग) उस वस्तु के स्वामी या कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने उस पर या उससे साथ लगे स्पष्टतः और सुपाठ्यतः लिखित या मुद्रित लेबल के जरिए

या प्रकट प्रकार के अन्य साधन के जरिए या पर्याप्त सूचना दे दी है कि उसमें ऐसा पदार्थ मिलाया गया है, अथवा

(घ) ऐसे स्वामी या व्यक्ति ने वह वस्तु इस लिखित वारण्टी के सहित खरीदी है कि वह निश्चित प्रकृति, पदार्थ और क्वालिटी की है और उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह ऐसी प्रकृति, पदार्थ और क्वालिटी की नहीं है तथा उसने उसी हालत में तथा उसी वर्णन सहित, जिसमें और जिस सहित उसने उसे खरीदा था, विक्रय के लिए अभिदर्शित किया है या विक्रय के लिए आवाज लगाकर पेश किया है या विक्रय के लिए उसे वहां लाया है।

पशु और मांस का आयात

पशु और मांस
का आयात।

284. (1) * * * *

(3) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * *

अध्याय 13

सार्वजनिक सुरक्षा तथा न्यूसेंसों का दमन

साधारण न्यूसेंस

न्यूसेंस
कारित
करने के लिए
शास्ति।

289. (1) जो कोई—

(क) छावनी के अन्दर किसी पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान में—

(i) नशे में और विचछुंखल अवस्था अथवा नशे में तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ होने की अवस्था में होगा, अथवा

(ii) किन्हीं धमकी भरे, गाली भरे या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अथवा धमकाने वाली या अपमानजनक रीति से आचरण इस आशय से कि प्रकोपन करके परिशांति-भंग कराई जाए, करेगा अथवा ऐसे करेगा कि उससे परिशांति भंग होना सम्भाव्य है, अथवा

(iii) स्वयं मलमूत्र करेगा अथवा जानबूझकर या अशिष्टतापूर्वक अपने गुप्तांग प्रदर्शित करेगा, अथवा

(iv) भिक्षा के लिए इधर-उधर घूमेगा, अथवा पीछे पड़कर याचना करेगा, अथवा

(v) दानवृत्ति प्रदीप्त करने के उद्देश्य से अपने अंगविकार या रोग या किसी जुगुप्सावह व्रण या घाव को उच्छन्न करेगा या प्रदर्शित करेगा, अथवा

(vi) सबको दिखने वाले रूप में उघड़ा हुआ मांस लाएगा, अथवा

(vii) जुआ खेलता हुआ पाया जाएगा, अथवा

(viii) पशुओं को रखेगा या यान इकट्ठे करेगा, अथवा

(ix) विष्ठा या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा हटाने में लगे होने पर जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक उसका कोई भाग बिखर या गिर जाने देगा अथवा उसका ऐसा कोई भाग झाड़ू से साफ कर देने में अथवा अन्यथा प्रभावी रूप से हटा देने में उपेक्षा करेगा जो ऐसे पथ या स्थान में बिखरे या गिरे हैं, अथवा

(x) समुचित प्राधिकार के बिना किसी भवन, स्मारक, खम्बे, दीवार, बाड़, वृक्ष या अन्य चीज़ पर कोई बिल, सूचना या अन्य दस्तावेज लगाएगा, अथवा

(xi) समुचित प्राधिकार के बिना किसी भवन, स्मारक, खम्बे, दीवार, बाड़, वृक्ष या अन्य चीज़ को विरूपित करेगा या उस पर लिखेगा या अन्यथा उस पर चिह्न लगाएगा, अथवा

(xii) समुचित प्राधिकार के बिना ऐसी कोई सूचना या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन लगाई गई या प्रदर्शित की गई है, हटाएगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या अन्यथा मिटाएगा, अथवा

(xiii) समुचित प्राधिकार के बिना किसी ऐसे पथ की पटरी, नाली, बरसाती पानी की नाली, ऐसे पथ के पटिया या पत्थर या अन्य सामग्री अथवा किसी ऐसे पथ या लोक स्थान में बोर्ड द्वारा कायम रखे जाने वाले किसी लैम्प, दीवारगीर, मार्ग-प्रदर्शन खम्बा, बम्बा या अन्य पानी के नल को विस्थापित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या उसमें कोई परिवर्तन करेगा या अन्यथा उसमें छेड़छाड़ करेगा अथवा कोई सार्वजनिक बत्ती बुझाएगा, अथवा

(xiv) भलीभांति न ढके हुए अथवा संक्रमण की जोखिम का अथवा लोक स्वास्थ्य को क्षति का अथवा रास्ता चलने वालों को या पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को क्षोभ का निवारण करने के लिए सम्यक् पूर्वावधानियां बरते बिना किसी शव को ले जाएगा, अथवा

(xv) विष्ठा या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा ऐसे किसी समय पर, जिस पर उसका ले जाना मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लोक सूचना के जरिए प्रतिषिद्ध किया हुआ है अथवा ऐसे किसी पैटर्न के यान या पात्र में, जो उस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, ले जाएगा अथवा ऐसे यान या पात्र, जब प्रयोग में है तब उसको बन्द न करेगा; अथवा

(ख) विष्ठा या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा किसी मार्ग से ऐसे

प्रतिषेध के उल्लंघन में ले जाएगा जो कार्यपालक अधिकारी ने सार्वजनिक सूचना द्वारा इस निमित्त किया है; अथवा

(ग) मिट्टी या किसी प्रकार की सामग्रियां या कोई दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा ऐसे किसी पथ में ऐसी जगह पर, जो उस प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट नहीं है, अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान में या उजाड़ या दखल न की हुई भूमि में, जो बोर्ड के प्रबन्धाधीन है, निक्षिप्त करेगा या कराएगा या करने देगा; अथवा

(घ) शव ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हुए मृत्यु के पश्चात् चौबीस घण्टे के अन्दर उसे दफन नहीं करेगा, नहीं जलाएगा या अन्यथा विधिपूर्वक उसका व्ययन नहीं करेगा; अथवा

(ङ) ऐसे किसी स्थान में कोई कब्र खोदेगा या किसी शव को दफनाएगा या जलाएगा जो उस प्रयोजन के लिए अलग रखा हुआ नहीं है; अथवा

(च) किसी स्थान को सामान्य जुआघर के रूप में चलाएगा या प्रयुक्त करेगा या जानते हुए चलाने या प्रयुक्त करने की अनुज्ञा देगा अथवा किसी सामान्य जुआघर के कारोबार के संचालन में सहायता देगा, अथवा

(छ) किसी ऐसे समय पर या स्थान में जहां उसके बजाने के लिए लोक सूचना या विशेष सूचना द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निषिद्ध किया गया है, ढोल या घंटा, घड़ियाल या शंख या हार्न बजाएगा या कोई बर्तन बजाएगा, अथवा कोई झांझ, मंजीरा या अन्य उपकरण बजाएगा या कोई गाना-बजाना करेगा; अथवा

(ज) लोक शांति या व्यवस्था को गाने से, चीखने से या चिल्लाने से या मेगाफोन या लाउडस्पीकर का प्रयोग करके भंग करेगा; अथवा

(झ) किसी पशु को ऐसे खुला छोड़ देगा कि किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा, या त्रास या क्षोभ हो अथवा किसी पशु को उपेक्षापूर्वक किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा, त्रास या क्षोभ करने देगा; अथवा

(ञ) ऐसे किसी भवन या भूमि का दखलकार होते हुए, जिसमें या जिस पर कोई पशु मरा है, उस पशु की मृत्यु के तीन घण्टे के अन्दर, या, उस दशा में जिसमें कि वह मृत्यु रात को हुई है सूर्योदय के तीन घण्टे के अन्दर या तो—

(i) उस घटना की रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अथवा ऐसे किसी अधिकारी को, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, लोक सफाई स्थापन विभाग द्वारा शव को हटाए जाने और उसके व्ययन कर दिए जाने की दृष्टि से करने में उपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) उस शव को ऐसे किन्हीं साधारण निदेशों के अनुसार, जो बोर्ड

ने लोक सूचना द्वारा दिए हुए हों, अथवा ऐसे किन्हीं विशेष निदेशों के अनुसार, जो पूर्वोक्त जैसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दिए हों, हटाने और उसके व्ययन करने में उपेक्षा करेगा; अथवा

(ट) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और ऐसी रीति से, जैसी वह प्राधिकृत करे, ऐसा करने के सिवाय मल, पशुविष्ठा, कूड़े या किसी अन्य पदार्थ को, जिससे दुर्गन्ध निकल रही है, जमा करेगा या काम में लाएगा; अथवा

(ठ) किसी स्थान को, जो उस प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, शौचालय के रूप में काम में लाएगा या काम में लाए जाने की अनुज्ञा देगा; अथवा

(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी परिसर को ऐसे व्यवसाय के लिए जिसमें दुर्गन्धयुक्त वास या धुआं हो काम में लाएगा या काम में लाए जाने की अनुज्ञा देगा,

वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के किसी ऐसे बालक को, जो उसके भारसाधन में है, छावनी के अन्दर किसी पथ में अथवा अन्य लोक स्थान में मल-मूत्र करने से रोकने के लिए युक्तियुक्त उपाय नहीं करेगा, वह जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) ऐसे किसी पशु का स्वामी या रखवाला, जो छावनी के अन्दर किसी पथ में अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान में बंधा या रखवाले के बिना घूमता हुआ पाया जाता है, जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

कुत्ते

290. (1) * * * * *

(5) जो कोई किसी कुत्ते का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए उसे इस प्रकार अवरुद्ध करने में उपेक्षा कि वह थुथनी लगे बिना तथा जंजीर के बन्धे हुए बिना किसी पथ पर स्वच्छन्द न घूम पाए, ऐसी किसी दशा में करेगा जिसमें कि—

कुत्तों का
रजिस्ट्रीकरण और
उन पर नियंत्रण ।

(क) वह जानता है कि यह सम्भाव्यता है कि वह कुत्ता किसी व्यक्ति को क्षुब्ध या अभिन्नस्त करे ; अथवा

(ख) बोर्ड ने अलर्क रोग के फैले होने के दौरान लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया है कि थुथनी तथा जंजीर के बिना कुत्तों को खुला न छोड़ा जाए,

वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(6) जो कोई छावनी में—

(क) किसी हिंस्र कुत्ते को, जिसका वह स्वामी है अथवा जिसका भारसाधन उसके हाथ में है, थुथनी के बिना खुला रहने देगा; अथवा

(ख) किसी कुत्ते या अन्य पशु को किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने अथवा किसी व्यक्ति को परेशान या अभित्रस्त करने के लिए पीछे लगा देगा या ललकार देगा; अथवा

(ग) ऐसे किसी कुत्ते या पशु को, जिसका वह स्वामी है अथवा जिसका भारसाधन उसके हाथ में है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उसे ऐसी किसी पशु ने काट दिया है जो अलर्क रोग से पीड़ित है अथवा जिसकी बाबत यह युक्तियुक्त सन्देह है कि वह अलर्क रोग से पीड़ित है उस तथ्य की अविलम्ब सूचना मुख्य कार्यपालक अधिकारी को देने में अपेक्षा करेगा अथवा ऐसी इतिला देगा जो मिथ्या है,

वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

यातायात

सड़क मार्ग के
यातायात के
नियम ।

291. जो कोई पथ यान चलाते हुए, ले जाते हुए या नोदित करते हुए वास्तविक आवश्यकता की दशा में ऐसा करने के सिवाय,—

* * * * *

(ख) उस दिशा में, जिसमें वह स्वयं जा रहा है, जाने वाले यान की बगल से होकर निकलते हुए उसके दाएं न रहेगा,

वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

चलचित्रों और
नाटकों के
प्रस्तुतीकरण का
विनियमन ।

295. (1) * * * * *

(2) यदि चलचित्र यंत्र या अन्य साधित्र का स्वामी इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में उसका उपयोग करेगा या करने देगा या कोई व्यक्ति सार्वजनिक नाटक के प्रस्तुतीकरण या सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के लिए मूकाभिनय, सर्कस, आनन्दोत्सव, प्रदर्शन, नृत्य या उसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन में भाग लेगा या यदि किसी परिसर का दखलकार इस धारा के उपबन्धों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में उनका उपयोग करने की अनुज्ञा देगा तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे हर दिन के लिए, जिसके दौरान पहले दिन के पश्चात् वह अपराध चालू रहता है दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

आतिशबाजी,
अग्न्यायुध आदि
को छोड़ना ।

296. जो कोई छावनी में कोई अग्न्यायुध या आतिशबाजी या अग्निगुब्बारे या अधिस्फोटक चलाएगा या छोड़ेगा या किसी खेल में ऐसी रीति से लगेगा

अथवा खदान, स्फोटन, लकड़ी काटने या निर्माण संक्रिया जैसे संक्रिया ऐसी रीति से करेगा कि पड़ोस में होकर जाने वाले या रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को खतरा हो, या खतरा होना सम्भाव्य हो अथवा सम्पत्ति को क्षति का जोखिम हो, वह जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

1860 का 45

313. जो कोई भी बोर्ड की ओर से कार्य करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक नहीं है, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे बोर्ड ने विधिपूर्वक संविदा की है, अपने कर्तव्य के निष्पादन में अथवा ऐसी किसी बात के निष्पादन में जिसे वह व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि या दिए गए आदेश के उपबन्धों में से किसी आधार पर या परिणामस्वरूप अथवा, यथास्थिति, अपनी संविदा को पूरा करने के लिए सशक्त या अपेक्षित है, बाधित करेगा या दिक् करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

साधारण शास्ति विषयक उपबन्ध

333. जो ऐसे किसी मामले में जिसमें इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टतः उपबन्धित नहीं है इसके किसी उपबन्ध के अधीन निकाली गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अन्यथा उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा लगातार असफलता या उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के बाद के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह बराबर ऐसे असफल रहता है या उल्लंघन करता रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 16

नियम और उपविधियां

346. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

* * * * *

(ट) बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी देना;

* * * * *

349. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई उपविधि में यह उपबन्ध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन-

(क) जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा; अथवा

बाधा डालने के लिए शास्ति ।

साधारण शास्ति ।

नियम बनाने की शक्ति ।

उपविधियों के भंग के लिए शास्ति ।

(ख) जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; अथवा

(ग) जुर्माने से जो ऐसे हर दिन के लिए, जिसके दौरान उस व्यक्ति से जो उस उपविधि का उल्लंघन कर रहा है यह अपेक्षा करने वाली सूचना कि वह व्यक्ति ऐसे उल्लंघन का करना बन्द कर दे, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से उस व्यक्ति को प्राप्त होने के पश्चात् यह उल्लंघन चालू रहता है, एक सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक

41) से उद्धरण

* * * * *

खतरनाक या
परिसंकटमय
प्रकृति के माल
या प्रतिषिद्ध
माल के वहन,
उसके
अरजिस्ट्रीकरण
संबंधी उल्लंघन
के लिए
दंड ।

18. (1) जो कोई धारा 3, धारा 13 के उपबंधों का या धारा 14 के अधीन जारी किसी अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और दूसरे या पश्चात्तर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “पशु” से अभिप्रेत है,—

(i) ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन;

(ii) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट, मधुमक्खी; और

(iii) ऐसा कोई अन्य पशु या पक्षी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

* * * * *

(छ) राज्य के संबंध में “निदेशक” से पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा सेवा या दोनों का ऐसा भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित

किया गया है;

* * * * *

(ट) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

* * * * *

(ण) “अनुसूचित रोग” से ऐसा कोई रोग अभिप्रेत है जो अनुसूची में सम्मिलित है;

(त) “पशु चिकित्सक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पशु रोगों का उपचार करने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(थ) “पशु चिकित्सा अधिकारी” से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है;

(द) किसी ग्राम के संबंध में “ग्राम अधिकारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार उस रूप में प्राधिकृत या अभिहित किया गया है ।

* * * * *

4. (1) किसी ऐसे पशु का जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, लोक निकाय या ग्राम पंचायत, इस तथ्य की ग्राम अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रभारी को रिपोर्ट करेगा, जो निकटतम उपलब्ध पशु चिकित्सक को लिखित में उसकी रिपोर्ट कर सकेगा ।

अनुसूचित रोगों की रिपोर्ट करने की बाध्यता ।

* * * * *

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सक, उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, मामले की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को करेगा ।

* * * * *

5. (1) * * * * *

(3) नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी अन्य संक्रामित पशुओं को अलग रखा जाएगा ।

संक्रामित पशुओं को अलग रखने का कर्तव्य ।

6. (1) * * * * *

(3) जहां कोई अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है वहां नियंत्रित क्षेत्र में उक्त जातियों के सभी पशुओं को, उस रोग के लिए अनिवार्य टीका लगाया जाएगा और उस रोग के लिए ऐसे अन्य उपाय ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर किए जाएंगे जो राज्य सरकार लोक सूचना द्वारा निदेश

नियंत्रित क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों की अधिसूचना ।

दे ।

(4) राज्य सरकार आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और किसी ऐसे पशु के लिए जिसे उपधारा (3) के अधीन टीका लगाया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के लिए, यह आबद्धकर होगा कि वह उस पशु को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए ।

* * * * *

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों के किसी पशु या अन्य संकटग्रस्त जातियों के किसी पशु को, जिसके संबंध में वह मुक्त क्षेत्र है, तब तक मुक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उस विशिष्ट रोग के लिए उसे टीके द्वारा सम्यक् रूप से असंक्रामित न कर दिया गया हो ।

नियंत्रित क्षेत्र से पशुओं के आने-जाने पर प्रतिषेध ।

7. (1) * * * * *

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी—

* * * * *

(ख) किसी ऐसे पशु को ले जाना जहां तक वह टीकाकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के साथ है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि पशु को विशिष्ट रोग से सम्यक् रूप से असंक्रामित कर दिया गया है और उस पर ऐसे टीकाकरण का उचित चिह्न लगा हुआ है ।

टीकाकरण चिह्नांकन करना और टीका प्रमाणपत्र जारी किया जाना ।

8. (1) * * * * *

(3) टीका प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी टीका लगाने की तारीख, वैक्सीन के विनिर्माण और उसकी अवधि के अवसान की तारीख और वह तारीख, जिस तक पशु का टीका, विशिष्ट वैक्सीन के साथ मान्य होगा, विनिर्दिष्ट करेगा ।

* * * * *

बाजार और अन्य स्थानों में संक्रामित पशुओं को लाने का प्रतिषेध ।

13. कोई व्यक्ति किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसका अनुसूचित रोग से संक्रामित होना ज्ञात है, बाजार, मेले, प्रदर्शनी या पशुओं के अन्य जमाव या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा ।

* * * * *

शव का निपटारा ।

26. प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में किसी पशु का शव (या उसका कोई भाग) है, जो उसकी मृत्यु के समय किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित था या उसके संक्रामित होने का संदेह था, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसका निपटारा करेगा ।

27. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षा और शव परीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी और शव परीक्षण की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित की जाए ।

* * * * *

पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक की शव परीक्षा करने की शक्तियां ।

अध्याय 5

प्रवर्तन और शास्तियां

29. (1) * * * *

आदेशों का प्रवर्तन और खर्चों की वसूली ।

1974 का 2

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के खर्च, यथास्थिति, संबद्ध व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत से किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबंधित रीति में इस प्रकार वसूलनीय होंगे, मानो ऐसे खर्च किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।

30. सभी नगरपालिका, पंचायत या ग्राम अधिकारी और राज्य सरकार के ग्रामीण और डेयरी विकास, राजस्व, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी अधिकारी—

ग्राम अधिकारी, आदि द्वारा सहायता करना ।

(क) ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी और ऐसे पशु चिकित्सक को, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है, उक्त क्षेत्र में, किसी पशु या पशुओं की किसी जाति में किसी अनुसूचित रोग के होने की तत्काल सूचना देने;

(ख) किसी अनुसूचित रोग के होने या फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने; और

(ग) पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने,

के लिए आबद्ध होंगे ।

31. यदि कोई व्यक्ति—

(क) उस निमित्त किसी प्राधिकार या सक्षमता के बिना, या

(ख) ऐसा टीका लगाने के पश्चात् जिसका किसी रीति में दोषपूर्ण होना जात है,

प्राधिकार के बिना टीका प्रमाणपत्र जारी करने या त्रुटिपूर्ण टीका लगाने के लिए शास्ति ।

कोई टीका प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो पांच हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, और किसी पश्चात्पूर्ति अपराध की दशा में, दस हजार रुपए के जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

32. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या सक्षम अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और शास्ति का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी; और किसी पश्चात्पूर्ति अपराध की दशा में (चाहे वह उसी उपबंध या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन है,

शास्तियां ।

धारा 31 और धारा 33 के मामले के सिवाय) दो हजार रुपए के जुर्माने से या शास्ति का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की सकेगी, दंडनीय होगा ।

संक्रामित पशु या शव को नदी, आदि में फेंकने के लिए शास्ति ।

33. जो कोई, किसी पशु शव या शव के किसी भाग को, जिसका मृत्यु के समय उसे संक्रामित होना ज्ञात था, किसी नदी, झील, नहर या किसी अन्य जलाशय में डालता है, डलवाता है या डलवाने को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, पहले अपराध की दशा में, दो हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न करने की दशा में, एक मास के कारावास से और पश्चात्पूर्ति दोषसिद्धि की दशा में पांच हजार रुपए के जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 6

रोगकारक जीव, आदि के संबंध में एहतियाती उपाय

35. (1) * * * *

रोगकारक जीव के
बच निकलने का
निवारण ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक का भारसाधक है या उन पर नियंत्रण रखता है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेगा; और अननुपालन की दशा में, वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि स्थापन टीका या ओषधि का वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण कर रहा है तो एक वर्ष की अवधि तक अनुज्ञप्ति के अस्थायी निलंबन की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी ।

* * * *

39. केन्द्रीय सरकार, पशुओं के किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारियों को, समय-समय पर, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिनके अंतर्गत अनुसूचित रोगों और टीकाकरण के संबंध में ऐसी विवरणी और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए निदेश भी हैं, जो वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन किया जाएगा ।

निदेश जारी करने
की शक्ति ।

* * * *

42. (1) * * * *

नियम बनाने की
केन्द्रीय सरकार की
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 9 के अधीन टीका प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो ऐसे प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट होंगी;

* * * *

(ग) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और शव परीक्षा करने की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन शव परीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप;

* * * *

अनुसूची

[धारा 2(ण) और धारा 38 देखिए]

(क) बहु जातीय रोग

1. एंथ्रेक्स ।
2. ओजेस्की रोग ।
3. ब्लूटंग ।

4. ब्रसेलोसिस ।
5. क्राइमीन कांगो हैमरेज ज्वर ।
6. एकीनोकोकोसिस/हाईडेडोसिस ।
7. खुरपका और मुंहपका रोग ।
8. हर्टवाटर ।
9. जापानी एनसीफैलीटिस ।
10. लैप्टोस्पाइरोसिस ।
11. नई वर्ल्ड स्कूवर्म (कोचलियोमाईया होमिनीवोरेक्स) ।
12. पुरानी वर्ल्ड स्कूवर्म (चैरीसोमिया बैजीआना) ।
13. पैराट्यूबरक्यूलोसिस ।
14. क्यू फीवर ।
15. रैबीज ।
16. रिफ्ट वैली ज्वर ।
17. पशुप्लेग ।
18. ट्राइकीनैलोसिस ।
19. टुलारेमिया ।
20. वैसीकुलर स्टोमैटीटिस ।
21. वेस्ट नाईल ज्वर ।

(ख) पशु रोग

1. बोवाईन अनाप्लास्मोसिस ।
2. बोवाईन बेबीसिओसिस ।
3. बोवाईन जैनीटल कैम्पीलोबैक्टीरियोसिस ।
4. बोवाईन स्पोंगिफार्म एनसीफालोपैथी ।
5. बोवाईन ट्यूबरक्यूलोसिस ।
6. बोवाईन वायरल डायरिया ।
7. संसर्गजन्य बोवाईन फ्लूरोन्यूमोनिया ।
8. एनजूटिक बोवाईन ल्यूकोसिस ।
9. हीमोरेजिक सैस्टीसीमिया ।
10. संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेचिटिस/संक्रामक पस्टूलर वलवोवेजीनितिस ।
11. लम्पी स्किन रोग ।
12. मालीगनैट कैटराहल ज्वर ।
13. थाईलीरिओसिस ।
14. ट्राइकोमोनोसिस ।

15. ट्रायपानोसीमोसिस ।

(ग) भेड़ और बकरी रोग

1. कैपरीन आर्थराइटिस/एनसीफेलिटिस ।
2. संसर्गजन्य अगलाकटिया ।
3. संसर्गजन्य कैपरीन प्लूरोनिमोनिया ।
4. एनजूटिक अबार्शन आफ ऐवीस (ओवाईन क्लामाईडियोसिस) ।
5. मैदी-विसना ।
6. नाईरोबी भेड़ रोग ।
7. ओवाईन एपीडीडायमिटिस (ब्रूसेला ओवीस) ।
8. पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स ।
9. सालमोनेलोसिस (एस० एबोर्टयूसोविस) ।
10. स्क्रैपी ।
11. भेड़ पाक्स और बकरी पाक्स ।

(घ) अश्व रोग

1. अफ्रीकन मेट्रीटिस बीमारी ।
2. संसर्गजन्य मेट्रीटिस मैटरीटिस ।
3. इरीन ।
4. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पूर्वी) ।
5. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पश्चिमी) ।
6. अश्व संक्रामक एनीमिया ।
7. अश्व इंप्लूएंजा ।
8. अश्व पाइरोप्लासमोसिस ।
9. अश्व रायनोन्यूमोनिटिस ।
10. अश्व वायरल आरटेरिटिस ।
11. ग्लैंडर्स ।
12. सूरा (ट्राइपानोसोमा ईवानसी) ।
13. वेनीजूएलन अश्व एनसीफालोमाईलिटिस ।

(ङ) स्वाइन रोग

1. अफ्रीकन स्वाइन ज्वर ।
2. क्लासीकल स्वाइन ज्वर ।
3. निपाह वायरस एनसीफालीटिस ।
4. पोरसिन सिसटीसरकोसिस ।
5. पोरसिन रिपरोडक्टिव और रेस्परेटरी सिंड्रोम ।
6. स्वाइन वेसीकुलर रोग ।

7. ट्रांसमिसिबल गैस्ट्राइन्टेरीटिस ।

(च) एवीयन रोग

1. एवीयन क्लेमाइडियोसिस ।
2. एवीयन संक्रामक ब्रॉकाइटिस ।
3. एवीयन संक्रामक लैरिंगोट्राचीटिस ।
4. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम० गालीसेप्टीकम) ।
5. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम० सायनोवि) ।
6. डक वायरस हैपेटाइटिस ।
7. फाउल कोलेरा ।
8. फाउल टाइफाइड ।
9. उच्च पैथोजनिक एवीयन इन्फ्लूएंजा और कुक्कुट में निम्न पैथोजनिक एवीयन इन्फ्लूएंजा ।
10. संक्रामक सर्ल रोग (गंबोरो रोग) ।
11. मारेक रोग ।
12. न्यूकैसल रोग ।
13. पुलोरम रोग ।
14. टर्की रिनोट्राचीटिस ।

(छ) लैगोमोर्फ रोग

1. मायोक्सोमाटोसिस ।
2. रैबीट हेमरेजिक रोग ।

(ज) मधुमक्खी रोग

1. मधुमक्खी की अकारापीसोसिस ।
2. मधुमक्खी का अमेरिकन फाउलब्रूड ।
3. मधुमक्खी का यूरोपियन फाउलब्रूड ।
4. स्माल हाइव बीटल इन्फेस्टेशन (एथीना ट्यूमीडा) ।
5. मधुमक्खी का ट्रोपिलाएलप्स इन्फेस्टेशन ।
6. मधुमक्खी का वारुसिस ।

(झ) मछली रोग

1. एपिजूटिक हेमेटोपोएटिक नेक्रोसिस
2. हेमेटोपोएटिक नेक्रोसिस से संक्रमित
3. स्प्रिंग वीरेमिया ऑफ कॉर्प (एस. बी. सी.)
4. वाइरल हैमरेज सेप्टिकेमिया (थी. एच.एस)
5. एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम (ई यू एस)

6. रेड सीग्रीम इरिडोवाइरल रोग (आर एस आई डी)
7. कोई हरपसवाइरस रोग (के.एच.वी.)
8. युपर इरिडोवाइरल रोग
9. वाइरल इनसेफेलोपैथी और रेटिनोपैथी
10. इन्ट्रिक सेप्टिसेमिया आफ कैटफिश
11. ऐरोमोनस हाइड्रोफिला से संक्रमित
12. एडवार्डसिएला टॉरडा से संक्रमित
13. वाइब्रो एंगुलरम से संक्रमित
14. फलैयोबैक्टीरियम कॉलमनेयर से संक्रमित
15. स्ट्रैप्टोकोकस इनीए इन तिलापिआ से संक्रमित
16. पैनक्रिएटिक नेक्रोसिस से संदूषित (ठंडा जल)
17. मिक्सोबोलस प्रजाति से संक्रमित
18. इचियोफथीरियस मल्टीफिलीस से संक्रमित
19. सैपरोलेग्निया पैरासिटिका से संक्रमित
20. अरगुलस प्रजाति से संदूषित
21. डैक्टीलोगिरस प्रजाति से संदूषित
22. लेरनिया प्रजाति से संदूषित
23. कैलीगस प्रजाति से संदूषित

(ज) गोलक्स रोग

1. बोनामिया एग्जीटीओसा से संक्रमित
2. पर्किसस ओल्सेनी से संक्रमित
3. एबेलोन हरपीसचाइरस से संक्रमित
4. जेनो हैलियोटिस कैलिफोरनिएनसिस से संक्रमित
5. गैरटीलियोडस चुंगम्यूनसिरा से संक्रमित
6. एक्यूट वाइरल नेकोसिस (स्कैलोप्स में)
7. अकोया ओइस्टर रोग
8. बोमानिया ओस्ट्री से संक्रमित
9. गैरटीलिया रेफरिंग्स से संक्रमित
10. पक्सिस गैरीनस से संक्रमित
11. ओस्ट्रीड हप्स वाइरस से संक्रमित

(ट) क्रैस्टेसियन रोग

1. टोरा सिंड्रोम (टी. एस.)
2. व्हाइट स्पोट रोग (डब्लू. एस. डी.)
3. येलोहेड रोग (वाई. एच. डी.)

4. हाइपोडरमल और हेमैटो पोएटिक नेक्रोसिस से संदूषित (आई. एच. एच. एन.)
5. म्योनेकोसिस से संदूषित (आई. एम. एन.)
6. व्हाइट टेल रोग (एम आर. एन. वी.)
7. नेक्रोटिसिंग हेपैटोपैनक्रिएटिटिस (एन. एच. पी.)
8. स्पिनी लॉब्सटर की मिल्की हेमोलिंफ रोग (पैनुलीरस स्प.)
9. मोनोडन स्लो गेथ सिंड्रोम
10. एक्यूट हेपैटोपैनक्रिएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (ए. एच. पी. एन. एस)
11. हेपैटोपैनक्रिएटिक परवोवाइरस
12. मोनोडन बैकुलोवाइरस
13. लूज शेल सिंड्रोम
14. सॉफ्ट शेल सिंड्रोम
15. गफकेमिया

(ठ) एमफीबियन रोग

1. रनवाइरस से संक्रमित
2. बैटरेकोकाइट्रियम डेन्ड्रोबैटिडिस से संक्रमित

(ड) अन्य रोग

1. कैमलपाक्स ।
2. लीशमेनियोसिस ।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम

संख्यांक 1) से उद्धरण

		*	*	*	*	*
परिभाषाएं ।	2.	*	*	*	*	*
		(ड) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;				
		*	*	*	*	*
अनुज्ञप्ति के बिना बाट या माप के विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय का प्रतिषेध ।	23.	(1)	कोई भी व्यक्ति, किसी बाट या माप का तब तक विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय नहीं करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसे प्रस्थापित, अभिदर्शित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा, जब तक वह उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक द्वारा की गई अनुज्ञप्ति धारित न करता हो:			
			परंतु किसी विनिर्माता से अपने स्वयं के बाट और माप की मरम्मत के लिए उसके विनिर्माण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में मरम्मत की कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी ।			
		(2)	उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक ऐसे प्ररूप और रीति से, ऐसी			

शर्तों पर, ऐसी अवधि और अधिकारिता के ऐसे क्षेत्र के लिए तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

* * * * *

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

25. जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, बाट या माप मानकों या अंक मानकों से भिन्न किसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए उसे रखेगा या किसी अंक का उपयोग करेगा, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति।

26. जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने की दृष्टि से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होते हुए कि उससे किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने की संभावना है, किसी निर्देश मानक, द्वितीयक मानक या कार्यसाधक मानक को किसी प्रकार बिगाड़ेगा या परिवर्तित करेगा या किसी बाट या माप में वृद्धि या कमी करेगा या परिवर्तन करेगा, सिवाय उस दशा के, जहां ऐसा परिवर्तन सत्यापन पर उसमें पाई गई किसी भूल का सुधार करने के लिए किया जाता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बाट और माप के परिवर्तन के लिए शास्ति।

27. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे बाट या माप का जो—

अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति।

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) जिस पर बाट, माप या अंक का ऐसा कोई अंतरालेखन है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट, माप या अंक मानकों के अनुरूप नहीं है,

सिवाय उस दशा के, जहां इस अधिनियम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, विनिर्माण करेगा या विनिर्माण कराएगा अथवा विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

28. जो कोई धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति।

अमानक इकाइयों को कोट करने या प्रकाशित करने, आदि के लिए शास्ति ।

मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारों के लिए शास्ति ।

29. जो कोई धारा 11 का अतिक्रमण करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

30. जो कोई,—

(क) बाट, माप या संख्या में किसी वस्तु या चीज का विक्रय करने में, क्रेता को उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा, जो उस मात्रा या संख्या से कम है, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ख) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्रदान करने में, उस सेवा से कम सेवा प्रदान करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ग) बाट, माप या संख्या में कोई वस्तु या चीज क्रय करने में, कपटपूर्वक उस मात्रा या संख्या से अधिक उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में प्राप्त करेगा या प्राप्त करवाएगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(घ) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्राप्त करने में, उस सेवा से अधिक सेवा प्राप्त करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है,

वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि के एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दस्तावेजों, आदि के पेश न किए जाने के लिए शास्ति ।

31. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने, कोई अभिलेख या रजिस्टर रखे जाने की अपेक्षा किए जाने पर या निदेशक या नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कोई बाट या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख निरीक्षण के लिए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

प्रतिमान अनुमोदित कराने में असफलता के लिए शास्ति ।

32. जो कोई किसी बाट या माप के प्रतिमान को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उसमें लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

33. जो कोई किसी असत्यापित बाट या माप को विक्रीत, वितरित, परिदत्त करेगा या अन्यथा उसका अंतरण या उपयोग करेगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति ।

34. जो कोई मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा किसी वस्तु, चीज या सामग्री का विक्रय करेगा या करवाएगा अथवा परिदान करेगा या परिदान करवाएगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति ।

35. जो कोई बाट या माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से भिन्न किसी बाट, माप या संख्या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति ।

36. (1) जो कोई किसी पूर्व पैक की गई ऐसी वस्तु को, जो इस अधिनियम में यथा उपबंधित पैकेज पर घोषणाओं के अनुरूप नहीं है विक्रय के लिए विनिर्मित करेगा, पैक करेगा, आयात करेगा, विक्रय करेगा, वितरित करेगा, परिदत्त करेगा या अन्यथा अंतरित करेगा, प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या कब्जे में रखेगा अथवा विक्रय करवाएगा, विक्रय के लिए वितरित करवाएगा, परिदत्त करवाएगा या अन्यथा अंतरित कराएगा, प्रस्थापित करवाएगा, अभिदर्शित करवाएगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अमानक पैकजों का विक्रय आदि करने के लिए शास्ति ।

(2) जो कोई उस शुद्ध मात्रा में, जो विहित की जाए, गलती सहित पहले से पैक की गई किसी वस्तु को विनिर्मित करेगा या पैक करेगा या आयात करेगा अथवा विनिर्मित करवाएगा या पैक करवाएगा या आयात करवाएगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय और पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

37. (1) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित कोई परीक्षण केन्द्र, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करेगा, वहां वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति ।

सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षण केन्द्र का कोई स्वामी या कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बाट या माप का जानबूझकर सत्यापन या स्टाम्पन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

बाट या माप के
आयातकर्ता द्वारा
अरजिस्ट्रीकरण
के लिए शास्ति ।

38. जो कोई इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए बिना किसी बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अमानक बाट या
माप के आयात
के लिए शास्ति ।

39. जो कोई किसी अमानक बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

निदेशक, नियंत्रक
या विधिक
मापविज्ञान
अधिकारी को
बाधा पहुंचाने के
लिए शास्ति ।

40. जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, उसकी शक्तियों का प्रयोग या उसके कृत्यों का निर्वहन करने से उस निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या निदेशक या नियंत्रक अथवा विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा उस रूप में अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयास की गई किसी बात के परिणामस्वरूप बाधा पहुंचाएगा या किसी बाट या माप या उससे संबंधित किसी दस्तावेज या अभिलेख या किसी पैक की गई वस्तु की शुद्ध अंतर्वस्तुओं के निरीक्षण या सत्यापन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को किसी परिसर में प्रवेश करने में बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

मिथ्या जानकारी
या मिथ्या
विवरणी देने के
लिए शास्ति ।

41. (1) जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, कोई ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अपेक्षा या मांग करे और जिसकी बाबत ऐसा व्यक्ति या तो यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा

किए जाने पर, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा या ऐसा कोई अभिलेख या रजिस्टर रखेगा, जिसकी तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।

* * * * *

44. (1) जो कोई,—

मुद्राओं के
कूटकरण, आदि के
लिए शास्ति ।

(i) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा का कूटकरण करेगा; या

(ii) किसी कूटकृत मुद्रा का विक्रय करेगा या अन्यथा व्ययन करेगा; या

(iii) किसी कूटकृत मुद्रा को कब्जे में रखेगा; या

(iv) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी स्टाम्प को कूटकृत करेगा या हटाएगा या उससे छेड़छाड़ करेगा; या

(v) इस प्रकार हटाए गए स्टाम्प को किसी अन्य बाट या माप पर लगाएगा या उनमें अंतःस्थापित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

1860 का 45

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, “कूटकृत” का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में है ।

(2) जो कोई विधिविरुद्ध ढंग से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा को अभिप्राप्त करेगा और ऐसी किसी मुद्रा को यह प्रतिरूपित करने की दृष्टि से किसी बाट या माप पर कोई स्टाम्प बनाने के लिए उपयोग करेगा या उपयोग करवाएगा कि ऐसी मुद्रा द्वारा बनाई गई स्टाम्प इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा के विधिपूर्ण कब्जे में होते हुए ऐसी मुद्रा का उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए किसी विधिपूर्ण प्राधिकर के बिना करेगा या

करवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई ऐसे किसी बाट या माप का विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस पर कूटकृत स्टाम्प लगी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति ।

45. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप का विनिर्माण करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मरम्मत, विक्रय, आदि के लिए शास्ति ।

46. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए, नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप की मरम्मत करेगा या उसका विक्रय करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसको प्रस्थापित करेगा, उसको अभिदर्शित करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अनुज्ञप्ति को बिगाड़ने के लिए शास्ति ।

47. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को नियंत्रक द्वारा इस निमित्त किए गए किसी प्राधिकार के अनुसार से अन्यथा परिवर्तित करेगा या अन्यथा बिगाड़ेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपराधों का शमन ।

48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि के, जो विहित की जाए, जमा किए जाने के लिए संदाय पर शमन किया जा सकेगा ।

(2) ऐसा निदेशक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा 39 या धारा 52

की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा:

परंतु ऐसी राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए ।

(4) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो वही या वैसा ही अपराध, उस तारीख से, जिसको उसके द्वारा किए गए प्रथम अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर करता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे द्वितीय या पश्चात्कर्त्ता अपराध को, जो उस तारीख से, जिसको अपराध का पहले शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है, प्रथम अपराध समझा जाएगा ।

(5) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता है, वहां उस अपराध के संबंध में, जिसका ऐसे शमन किया जाता है, अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, इस धारा द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

50. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

अपीलें ।

* * * * *

(ग) विधिक मापविज्ञान निदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विधिक मापविज्ञान नियंत्रक द्वारा किए गए प्रत्येक विनिश्चय से अपील केन्द्रीय सरकार को होगी;

* * * * *

52. (1) * * * * *

नियम बनाने की
केन्द्रीय सरकार की
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन भौतिक लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्रियों, उपस्कर, कार्यपालन, सहायता, पुनःसत्यापन

की अवधि, परीक्षण की पद्धतियां या प्रक्रियाएं;

* * * * *

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

* * * * *

नियम बनाने की
राज्य सरकार की
शक्ति।

53. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

* * * * *

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्ररूप, रीति, शर्तें, अवधि, अधिकारिता का क्षेत्र और फीस;

* * * * *

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाने में, यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

* * * * *

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 6

शास्तियां

शास्ति।

40. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, यदि कहीं और किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है तो प्रथम अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, किसी दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्कर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

अरजिस्ट्रीकरण
के लिए धनीय
शास्ति।

41. (1) * * * * *

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण, कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्

विहित रीति में जांच करेगा ।

* * * * *

43. जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी त्रुटियां होती हैं, जिससे किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई आसन्न संकट नहीं पड़ता है और जिन्हें युक्तियुक्त समय के भीतर सुधारा जा सकता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

गौण-त्रुटियों के लिए शास्ति ।

44. (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे :

कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह उल्लंघन, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस उल्लंघन का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति-संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

* * * * *

46. जो कोई जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा, राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य जुर्माने को विनिर्दिष्ट करते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकेगी और उस जिले के, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, कलक्टर को भेज सकेगी और उक्त कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र को प्राप्त करने पर, उसमें विनिर्दिष्ट रकम की उस व्यक्ति से इस प्रकार वसूली करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-

जुर्माने की वसूली ।

राजस्व की बकाया हो ।

* * * * *

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013
का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण**

* * * * *

अन्वेषण की
शक्ति ।

16. (1) * * * * *

(7) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज या अभिलेख, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत करने का उसका कर्तव्य है, प्रस्तुत करने में; या

(ख) किसी जानकारी, जिसको देने का उपधारा (3) के अधीन उसका कर्तव्य है, देने में; या

(ग) अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष, जब उपधारा (5) के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो उससे उस उपधारा के अनुसरण में अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से, उपस्थित होने में; या

(घ) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

किसी युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहता है या ऐसा करने से इंकार करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और किसी और जुर्माने से भी जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता या इंकार जारी रहता है, दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

न्यायनिर्णयन की
शक्ति ।

30. (1) धारा 28 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसी जांच करने के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(2) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-

वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी तथा यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति धारा 28 में निर्दिष्ट विषयों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह अन्वेषण और निगरानी के भारसाधक सदस्य को ऐसी शास्ति की सिफारिश कर सकेगा, जो वह उस धारा के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त समझे ।

(3) शास्ति अन्वेषण और निगरानी के भारसाधक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य द्वारा अधिरोपित की जाएगी :

परन्तु धारा 28 के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय सदस्य निम्नलिखित बातों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात् :-

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए अननुपातिक लाभ या अक्रजु फायदे की रकम, जहां कहीं निर्धारणीय हो ;

(ख) किसी अभिदाता या अभिदाताओं के समूह को हुई हानि की रकम; और

(ग) व्यतिक्रम की पुनरावृत्तीय प्रकृति ।

* * * * *

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11) से उद्धरण

* * * * *

23. यदि कोई व्यक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिरक्षक द्वारा अनुसूची 1 कोयला खानों का कब्जा लेने में बाधा या कोई अड़चन डालेगा ; या

(ख) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं से संबंधित जिसके प्रबंध के लिए अभिहित अभिरक्षक नियुक्त किया गया हो, अपनी अभिरक्षा में की लेखा बहियों, रजिस्ट्रों या किन्हीं अन्य दस्तावेजों को अभिहित अभिरक्षक को परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(ग) किसी खान अवसंरचना या कोयला स्टॉक को नष्ट करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, या

(घ) ऐसी कोयला खान की किसी संपत्ति को प्रतिधारित करेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा,

कतिपय अपराधों
के लिए
शास्तियां ।

तो वह और कंपनी का कोई व्यतिक्रमी अधिकारी, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या न्यूनतम एक लाख रुपए प्रतिदिन के जुर्माने से और असफलता जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम दो

लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।

केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

24. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अभिहित अभिरक्षक द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो वह, अपराध की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, एक लाख रुपए के जुर्माने से और असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, प्रतिदिन अधिकतम दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

* * * * *

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) से उद्धरण

* * * * *

आबंटिती द्वारा अपील अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

68. यदि कोई आबंटिती, जो अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह, उस अवधि के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, जुर्माने से जो संचयी रूप से, यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत के दस प्रतिशत तक का सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

84. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

* * * * *

(यक) धारा 54 के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां;

* * * * *

पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 49) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 9

अपराध, शास्तियां, प्रतिकर

31. (1) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पोत में प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री प्रतिष्ठापित करता है या उसका उपयोग करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह तक या ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के

अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

(6) जो कोई धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन तेल फैल जाने के लिए जारी किए गए नोटिस का उत्तर देने में असफल रहता है वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

(i) पहला नोटिस जारी किए जाने से बारह घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा ;

(ii) दूसरा नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा ; और

(iii) तीसरा नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा ।

32. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों जिनके लिए इस अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसा जुर्माना जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए अतिरिक्त जुर्माने जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा ।

* * * * *

35. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1971 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और शमनीय होगा ।

* * * * *

42. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

* * * * *

(ण) धारा 30 के परंतुक के अधीन अधिनियम के उपबंधों के लागू नहीं होने के लिए वह रीति जिसमें पोतों द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है ;

* * * * *

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक

1) से उद्धरण

* * * * *

उस अधिनियम या नियमों या विनियमों जिनके उल्लंघन के लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन के लिए शास्ति ।

अपराधों का असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होना ।

नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 7

शास्तियां

अपराधों के दंड
के लिए साधारण
उपबंध ।

62. ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा
अपराध ।

63. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के लिए दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किए दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अपराधों का
संज्ञान ।

64. किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं

करेगा ।

* * * * *

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * *

58. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, अपना, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र या दोनों तुरंत अभ्यर्पित कर देगा, जिसमें विफल होने पर वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे पहले दिन के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच हजार रुपये प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र अभ्यर्पित
करने में
असफलता ।

66. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

विनियम बनाने की
शक्ति ।

* * * * *

(प) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में शिक्षा मानकों के सत्यापन की रीति ; और

* * * * *

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * *

41. (1) जो कोई, ऐसा कार्य करेगा या कोई कार्य करने का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी विरासत प्रकाशस्तंभ को नुकसान पहुंचाना या नष्ट होना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

विरासत
प्रकाशस्तंभ को
नुकसान पहुंचाना ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे ।

नौचालन के लिए
सामुद्रिक सहायता
शोध के संदाय
का अपवंचन ।

42. किसी पोत का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो इस अधिनियम के अधीन पोत के संबंध में देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, व्यय या खर्चों के संदाय का अपवंचन करता है या अपवंचन करने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो इस प्रकार देय धनराशि के पांच गुना तक हो सकेगा ।

* * * * *

अध्याय 14

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति ।

46. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(त) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तैयार किए जाने वाली प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण का प्ररूप और रीति ;

* * * * *

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक

24) से उद्धरण

* * * * *

यंत्रचालित
अन्तर्देशीय
जलयान का
निरोध ।

63. राज्य सरकार, किसी दावे के संबंध में किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को निरुद्ध करने या इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए इस अध्याय के अधीन किसी अधिकारी को नियुक्त या प्राधिकृत कर सकेगी और उसकी प्रक्रिया वह होगी, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए ।

* * * * *

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

अपराध और
शास्तियां ।

87. (1) जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उपधारा (2) में उपबंधित सारणी के तीसरे स्तंभ में यथा उल्लिखित शास्ति से दंडनीय होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराधों का वर्गीकरण और उसके लिए तत्स्थानी शास्तियां निम्नलिखित सारणी में किए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा	अपराध	शास्ति

(1)	(2)	(3)
8	कोई स्वामी, प्रचालक या संनिर्माण यार्ड धारा 8 के उल्लंघन में यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संनिर्माण, परिवर्तन या उपांतरण का दोषी पाया गया है।	प्रत्येक अननुपालन के लिए जुर्माना दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।
14(1)	किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर ने, सर्वेक्षण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना ऐसे जलयान प्रयोग करके, धारा 14 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य किया है।	जुर्माना, जो पहले अपराध के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा।
18(1)	किसी जलयात्रा पर अग्रसर होने वाला किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर जो किसी जलयात्रा पर अग्रसर होता है या विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना और धारा 18 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी सेवा के लिए रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का उपयोग करता है।	जुर्माना, जो पहले अपराध के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा।
19(1)	स्वामी या मास्टर, जो रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र वहन नहीं करता है या निरीक्षण के लिए उसे उपलब्ध नहीं कराता है और धारा 19 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य किया है।	जुर्माना, जो प्रत्येक अननुपालन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।
24(3)	ऐसा स्वामी, जो जलयान के सहजदृश्य भाग पर शासकीय संख्या प्रदर्शित नहीं करता है तो उसने धारा 24 की उपधारा (3) के उल्लंघन में कार्य किया है।	जुर्माना, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।
27	स्वामी, प्रचालक या कोई व्यक्ति, जो जलयान के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है जिसने धारा 27 के उल्लंघन में कार्य किया है।	जुर्माना, जो पहले अपराध के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा।

- 28(2) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जुर्माना, जो पहले अपराध के जलयान का स्वामी, प्रचालक या लिए दस हजार रुपए तक मास्टर जो परिवर्तनों के ऐसे ब्यौरों का हो सकेगा और को रजिस्टर नहीं करता है, जो धारा तत्पश्चात् अपराध के लिए 28 की उपधारा (2) में यथा पच्चीस हजार रुपए तक का विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हो सकेगा । लिए अधिदिष्ट किए गए हैं ।
- 29 किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान जुर्माना, जो अननुपालन के का स्वामी या प्रचालक, जो धारा 29 प्रत्येक दिन के लिए पांच की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं सौ रुपए तक का हो सकेगा करता है या जिसने इसके उल्लंघन में । कार्य किया है ।
- 30 किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जुर्माना, जो प्रतिदिन दस जलयान का स्वामी, जिसने धारा 30 हजार रुपए तक का हो सकेगा के उल्लंघन में कार्य किया है । या कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों ।
- 32(1) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जुर्माना, जो अननुपालन के जलयान का स्वामी, जिसने धारा 32 प्रत्येक दिन के लिए पांच की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य हजार रुपए तक का हो सकेगा किया है । ।
- 34(2) स्वामी या प्रचालक जिसके जलयान जुर्माना, जो प्रत्येक दिन के पर अठारह वर्ष की आयु से कम अननुपालन के लिए पांच आयु के व्यक्तियों को नियोजित हजार रुपए तक का हो किया गया है, जिसने धारा 34 की सकेगा या कारावास, जो छह उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य मास से अधिक का नहीं हो किया है । सकेगा या दोनों ।
- 35 किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जुर्माना, जो पहले अपराध के जलयान का कोई स्वामी या लिए दस हजार रुपए तक का प्रचालक, विनिर्दिष्ट न्यूनतम हो सकेगा और पश्चात्तर्वी कर्मदल मापमान का अनुपालन किए अपराधों के लिए पच्चीस हजार बिना धारा 35 के उल्लंघन में कार्य रुपए तक का हो सकेगा । किया है ।
- 40(1) और सक्षमता प्रमाणपत्र धारकों ने इस जुर्माना, जो प्रतिदिन पांच (4) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हजार रुपए तक का हो में कार्य किया है या निलंबित या सकेगा या कारावास, जो रद्द प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत न किए छह मास तक का हो जाने के अधीन जारी किए गए सकेगा या दोनों । निलंबित, रद्द या परिवर्तित

- प्रमाणपत्र को वापस नहीं लौटाया है ।
- 44 स्वामी या प्रचालक या विशेष प्रवर्ग जलयान के प्रचालन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, जो अध्याय 7 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है । जुर्माना, जो अन्नुपालन के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या दोनों ।
- 47 इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त या पहचान किए गए किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक, मास्टर अध्याय 8 के अधीन विनिर्दिष्ट जलयानों को सज्जित न करने या प्रकाशों और सिगनलों को प्रदर्शित न करने के लिए । जुर्माना जो पहले अपराध के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 48 स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जो सुरक्षित नौपरिवहन को सुनिश्चित नहीं करता है या विनियम का पालन न करने के कारण से क्षति कारित करता है । जुर्माना, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 49 और 50(1) अन्तर्देशीय जल में चलने वाले किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जो संकट संबंधी संकेत का उत्तर देने के पश्चात् सहायता करने के लिए अग्रसर होने से प्रविरत रहता है । जुर्माना, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 51(2) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार नौपरिवहन सहायता, प्राण रक्षक साधित्रों, अग्नि का पता लगाने और बुझाने के साधित्रों और संचार साधित्रों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना जलयात्रा करने के लिए अग्रसर होने वाला कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर । जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 52(2) और (3) किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जो अन्तर्देशीय जल में प्रदूषकों का जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

- निस्सारण करके या उन्हें डालकर प्रदूषण कारित करता है ।
- 53(4) किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जिससे इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र रखने की अपेक्षा की जाती है, जो उक्त विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना जलयान को चलाता है या प्रयोग करता है । जुर्माना, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 54(2) और (5) किसी ग्रहण सुविधा का स्वामी या प्रचालक, जो नियत मानकों और बाध्यताओं का अनुपालन नहीं करता है । जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 55(4) टर्मिनल का स्वामी या प्रचालक, जो धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन किए बिना प्रचालन करता है । जुर्माना, जो नोटिस की अवधि से परे प्रतिदिन के अननुपालन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 57 कोई स्वामी या प्रचालक या कोई व्यक्ति, जो साशय अन्तर्देशीय जल के भीतर ध्वंसावशेष कारित करता है । जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का और कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा ।
- 58(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 58 की उपधारा (2) का उल्लंघन करके किए गए अपराध का दोषी है । जुर्माना, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 66 कोई स्वामी या मास्टर, जो धारा 66 के अधीन यथा उपबंधित बिना विधिमान्य बीमा के किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को चलाता है । जुर्माना, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा और बीमा प्रमाणपत्र उपाप्त होने तक जलयान को निरुद्ध किया जाना ।
- 74(2) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के मालिक, प्रचालक या मास्टर, जो धारा 74 की उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है । जुर्माना, जो गैर-प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
- 79(2) कोई व्यक्ति, जो अध्याय 6 के अधीन जारी प्रमाणपत्र को धारण करता है और निलंबित या रद्द प्रमाणपत्रों को वापस करने में जुर्माना, जो गैर-प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

असफल रहता है ।

- 80 सेवा प्रदाता या सेवा उपयोक्ता की जुर्माना, जो पचास हजार हैसियत में कोई व्यक्ति, जो धारा 80 के उल्लंघन में कार्य करता है ।
- 82 किसी विदेशी जलयान का मास्टर या प्रचालक, जो धारा 82 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य करता है । कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों ।
- 83 यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जो धारा 83 के उल्लंघन में यान कारावास, जो तीन वर्ष तक मार्गदर्शन की अपेक्षा का अनुपालन का हो सकेगा या दोनों । नहीं करता है ।
- 97 उपेक्षा या इंकार के कारण ऐसी राशि का समपहरण, जो अन्तर्देशीय जलयान पर नियोजित दो दिन के वेतन से अधिक किसी व्यक्ति द्वारा धारा 97 के नहीं होगी और इसके अधीन यथा उपबंधित अपनी अतिरिक्त अनुपस्थिति के बाध्यता के उल्लंघन में जलयान में प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए, कार्यभार ग्रहण करना या उसका वह राशि जो छह दिन के अभित्यजन करना । वेतन से अधिक नहीं होगी या ऐसा कोई व्यय जो उचित रूप से किसी प्रतिस्थानी को भाड़े पर लेने पर उसकी मजदूरी से उपगत किया गया है, और कारावास भी, जो दो मास तक का हो सकेगा ।
- 102 कोई व्यक्ति, जो बाधा कारित करने का दोषी पाया गया है या जिसने धारा 102 के उल्लंघन में कार्य किया है । जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों ।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, किन्तु जिसके लिए वह अपराध इस अधिनियम में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं है, तो वह जुर्माने से जो तीन लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा या ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जहां अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी या मास्टर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जो उस यंत्रचालित जलयान के फलक पर या

उसके संबंध में किया गया है और जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया है वहां वह मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है, निदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम का उद्ग्रहण उस यंत्रचालित जलयान या उसके अनुलग्नक का उतना भाग जितना आवश्यक हो, करस्थम् और विक्रय द्वारा किया जाए ।

(5) जहां किसी अन्तर्देशीय जलयान का इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है वहां अपराध, अपराधी और जलयान के ब्यौरों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिलिखित किए जाएंगे ।

(6) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करने के प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, न्यायालयों की नियुक्ति करेगी जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी के नहीं होंगे ।

* * * * *

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

107. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

* * * * *

(य) धारा 85 की उपधारा (4) के अधीन जलयान के निरुद्ध किए जाने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत या गठित किए गए किसी संबद्ध अधिकारी या प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा अनुरक्षण किए जाने वाले और पालन किए जाने वाली, निरोध की प्रक्रियाएं, औपचारिकता, फीस और शर्तें, यदि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं हैं ;

* * * * *

भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 13)

से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

किसी व्यक्ति
द्वारा अधिनियम
के कतिपय
उपबंधों के
उल्लंघन के लिए
शास्ति ।

41. कोई व्यक्ति, जो—

* * * * *

(ड) धारा 14 या धारा 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

44. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके ऐसे किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विशिष्टतया कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

शास्ति, जहां
अधिनियम में कोई
उपबंध नहीं किया
गया है।

55. (1) *

नियम बनाने की
शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ध) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जवाबी कार्रवाई का खर्च और इस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रचालक द्वारा संदत्त शास्ति की रकम;

* * * * *

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * *

3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने और शास्तियों में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उसके लिए विहित, यथास्थिति, जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम रकम में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

जुर्माने और
शास्तियों का
पुनरीक्षण।

* * * * *

तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

16. जो कोई धारा 5 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में तटीय व्यापार लगा रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक या उल्लंघन में संचालित सभी समुद्रीय यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा।

अनुज्ञप्ति की
विधिमान्यता
समाप्त हो जाने के
पश्चात् तटीय
व्यापार में भाग
लेने के लिए दंड।

* * * * *

18. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता, जिस पर धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील की गई है—

(क) विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है ; या

नोटिस के पश्चात्
सूचना देने में
विफल या गलत
सूचना देने के लिए
दंड।

(ख) कोई सूचना देता है या कोई कथन करता है जिसे अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता जानते हैं कि वह तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है,

तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए, या दोनों से, दंडनीय होगा, और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए दायी होगा ।

* * * * *

कतिपय अपराधों
का शमन ।

26. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 15 से धारा 20 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध, अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, इसकी ओर से अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी द्वारा ऐसी राशि का संदाय करके और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाए, शमन किया जा सकेगा :

2023 का 46

परंतु ऐसी रकम किसी भी मामले में, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जा सकने वाले इस प्रकार के शमनीय अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि पश्चात्पूर्ति मामलों में, उसका शमन नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

शास्ति, अपील
और उसकी
प्रक्रिया के
अधिरोपण के
लिए
न्यायनिर्णायन
अधिकारी ।

30. (1) प्रधान अधिकारी धारा 21 से धारा 25 के अधीन शास्ति को अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायन अधिकारी होगा ।

* * * * *

(5) धारा 21 से धारा 25 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके पहले उल्लंघन के लिए शमनीय किया जा सकता है ।

* * * * *

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * *

भाग 14

शास्तियां और प्रक्रिया

अपराध और
शास्तियां ।

281. (1) * * * * *

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अपराध, क्रमशः ऐसे अपराधों के प्रति निर्देश से, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित सीमा तक दंडनीय होंगे ।

सारणी

क्रम सं.	अपराध	धारा, जिसमें अपराध निर्दिष्ट	कारावास या जुर्माना या दोनों

हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)
*	*	*	*
12.	यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक साधारण नियोजित किए जाने पर या उसके पूर्व, अपने अंतिम जलयान के नाम या तथाकथित अंतिम जलयान के नाम के बारे में जानबूझकर और कपटपूर्वक मिथ्याकथन करता है या अपने नाम के बारे में कपटपूर्वक मिथ्याकथन करता है।	जुर्माना जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा।	

* * * * *

भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 27) से उद्धरण

* * * * *

54. (1) दूसरी अनुसूची के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी पत्तन अधिकारी होगा।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपण के प्रयोजनों हेतु जहां पत्तन अधिकारी व्यक्तियों का कोई निकाय है, शास्ति अधिरोपण के लिए प्राधिकारी से कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के निकाय के बीच से ऐसी रीति में नियुक्त किया जाए जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(3) संरक्षक, दूसरी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण प्रत्येक आदेश लिखित में होगा।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन जिसके लिए शास्ति का उपबंध किया गया है, ऐसे अधिकारी जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पहले उल्लंघन के लिए समनीय हो सकेगी।

* * * * *

58. प्रथम अनुसूची के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना, दूसरी अनुसूची के अधीन पत्तन अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति या जलयान या उसके भाग को जो आवश्यक समझा जाए, करस्थम् या विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

* * * * *

शास्ति का अधिरोपण करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया।

जुर्माने या शास्ति की वसूली।

पहली अनुसूची
[धारा 53(2) देखिए]
कतिपय अपराधों के लिए दंड

क्रम सं.	अपराध	धारा जिसमें अपराध निर्दिष्ट है	दंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई पत्तन धारा 10 के उल्लंघन में प्रचालनों को प्रारंभ करता या करता है ।	10	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
2.	यदि कोई गैर-महापत्तन या पत्तन अधिकारी धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समुद्रीय बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	15(3)	पत्तन अधिकारी द्वारा उल्लंघन की दशा में, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा । पत्तन द्वारा उल्लंघन की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा ।
3.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 27 के उल्लंघन में गूँन या हाजर बांधने की अनुज्ञा	27	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक

	देने में या किसी गून या हाजर को छोड़ने में असफल रहता है ।		का हो सकेगा, या दोनों ।
4.	यदि मास्टर धारा 28 के उल्लंघन में आग को बुझाने का आदेश देने में जानबूझकर लोप करता है या संरक्षक या किसी व्यक्ति को आग को बुझाने से या बुझाने का प्रयास करने से बाधित करता है ।	28	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
5.	यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के उल्लंघन में जलयान की सुरक्षा से संबंधित कोई कृत्य करता है या करने का लोप करता है ।	29(1)	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
6.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 29 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी पत्तन में अपने जलयान से जोड़े गए किसी गून या हाजर को छोड़ेगा या सहन करेगा ।	29(2)	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
7.	यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (3) के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है ।	29(3)	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
8.	यदि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति धारा 30 के उल्लंघन में खोए हुए भंडारों की तलाशी करता है ।	30	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
9.	यदि कोई व्यक्ति धारा 31 के उल्लंघन में किसी तट या किनारे को क्षति पहुंचाता है ।	31	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
10.	यदि कोई पत्तन धारा 36 के उल्लंघन में पर्याप्त ग्रहण सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता	36	जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

- है ।
- | | | | |
|-----|--|--------|---|
| 11. | कोई पतन जो धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । | 37 | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा । |
| 12. | यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (1) के उल्लंघन में पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना तैयार करने में असफल रहता है । | 38(1) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 13. | यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (2) के उल्लंघन में अनुमोदित पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना के कार्यान्वयन में असफल रहता है । | 38(2) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 14. | यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान की कोई सूचना संसूचित करने में असफल रहता है । | 38 (3) | जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा । |
| 15. | यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट देने में असफल रहता है । | 44(1) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 16. | यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । | 44(2) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् |

			अपराध जारी रहता है दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
17.	यदि कोई पत्तन धारा 66 की उपधारा (1) के उल्लंघन में आनुषंगिक आपात तैयारी और प्रतिक्रिया योजना के बचाव, सुरक्षा और प्रदूषण की तैयारी करने में असफल रहता है ।	66(1)	जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
18.	यदि कोई पत्तन धारा 66 की उपधारा (4) के उल्लंघन में संरक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	66(4)	जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
19.	यदि कोई पत्तन धारा 67 के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	67	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
20.	यदि कोई पत्तन धारा 68 के उल्लंघन में किनारा आधारित कल्याण सेवा प्रदान करने में असफल रहता है ।	68	जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
21.	यदि कोई पत्तन धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	69(1)	जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
22.	यदि कोई पत्तन धारा 69 की उपधारा (2) के उल्लंघन में जलयान यातायात सेवा का विकास या रखरखाव करने में असफल रहता है ।	69(2)	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

23. यदि कोई पत्तन धारा 71 के उल्लंघन में पूर्विक अनापत्ति अभिप्राप्त करने में असफल रहता है । 71 जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 53(3) देखिए]

कतिपय उल्लंघनों के लिए शास्ति

क्रं सं.	उल्लंघन	धारा	शास्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन जारी किए गए संरक्षक के किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है ।	19	शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
2.	यदि किसी स्वामी ने बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 20 के अधीन ऐसी बाधा या अड़चन डाली है ।	20	शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है बीस हजार रुपए से अनधिक की हो सकेगी ।
3.	यदि जलयान का कोई मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति धारा 22 की उपधारा (1) के उल्लंघन में संरक्षक की बिना किसी सहायता के बोयों या मुरिगों को उठाएगा ।	22(1)	शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
4.	यदि जलयान का मास्टर या भवन या स्थान का कब्जाधारी या अधिभोगी कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 23 के उल्लंघन में	23	शास्ति से, जो प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान

- संरक्षक या किसी व्यक्ति को ऐसे जलयान, भवन या स्थान पर चढ़ने नहीं देता या उसमें प्रवेश नहीं करने देता है ।
5. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण कारण से, धारा 26 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी संपत्ति को हटाता है, नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है । 26(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, पत्तन को हुई किसी हानि, विनाश या क्षति के व्ययों का जिसके अन्तर्गत किए गए किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के व्यय भी है ।
6. यदि जलयान का कोई स्वामी या मास्टर धारा 32 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी पत्तन में प्रवेश करता है या छोड़ता है या लाया जाएगा । 32(1) शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
7. यदि जलयान का कोई प्रचालक अभिकर्ता या मास्टर धारा 39 के उल्लंघन में अग्रिम अपशिष्ट सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है । 39 शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
8. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 40 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अपने सभी जलयान उत्पादित अपशिष्ट को ग्रहण सुविधा तक पहुंचाने में असफल रहता है 40(1) शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
9. यदि जलयान का स्वामी या मास्टर धारा 41 के अधीन संदेय प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है या शर्तों का अनुपालन करने में 41 शास्ति से जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दो हजार रुपए तक की हो

	असफल रहता है ।		सकेगी ।
10.	यदि कोई व्यक्ति धारा 43 के उल्लंघन में पोर्टल पर सूचना अपलोड करने में असफल रहता है ।	43	शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
11.	यदि कोई प्राधिकारी या रियायती या व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय धारा 47 की उपधारा (2) के उल्लंघन में पतन टैरिफ प्रकाशित करने में असफल रहता है ।	47(2)	शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
12.	यदि जलयान का कोई स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 49 के उल्लंघन में जलयान के पहुंचने की रिपोर्ट देने में असफल रहता है ।	49	शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
13.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 52 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किन्हीं फीसों या अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है ।	52(1)	शास्ति से, जो न्यूनतम बीस हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, फीस की रकम या अन्य देय प्रभारों की दुगुनी हो सकेगी ।
14.	यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के उल्लंघन में सूचना देने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।	57	शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है दो हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
15.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 65 के उल्लंघन में कोई ध्वज विधिविरुद्धतया फहराता है या फहराने में असफल रहता है ।	65	शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।